चतुर्दश माला, खंड 28, अंक 2

सोमवार, 13 अगस्त, 2007
22 श्रावण, 1929 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

ग्यारहवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 63
Dated 17 Sept. 2008

(खण्ड 28 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

राकेश कुमार
सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 28, ग्यारहवां सत्र, 2007/1929 (शक)
अंक 2, सोमवार, 13 अगस्त, 2007/22 श्रावण, 1929 (शक)

विषय **कॉलम**

प्रश्नों के लिखित उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या 21 से 40 3-60

अतारांकित प्रश्न संख्या 124 से 290 60-467

प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

संयुक्त राज्य अमरीका के साथ असैनिक नाभिकीय ऊर्जा सहयोग

डा. मनमोहन सिंह 468-481

सभा पटल पर रखे गए पत्र 481-493

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति 493-494

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

बारहवां प्रतिवेदन 494

सभा का कार्य 494-496

नियम 377 के अधीन मामले 496

(एक) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

डा. करण सिंह यादव 497

(दो) अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, गुजरात में भावनगर-ढासा रेललाइन पर एक रेल पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री वी.के. ठुम्मर 497

(तीन) देश के ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए जिला प्रशासन को केन्द्रीय निधियां सीधे जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री जीवाभाई ए. पटेल 498

(चार) हिमाचल प्रदेश में उद्योगों के लिए टैक्स-होलीडे स्कीम को जारी रखे जाने तथा उसका वर्ष 2020 तक विस्तार किए जाने की आवश्यकता

प्रो. प्रेम कुमार धूमल 498-499

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित ! चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

(पांच) ऑल इंडिया मेडिकल/डेंटल प्रवेश के लिए तीसरी काउंसिलिंग किए जाने तथा इसमें भारतीय चिकित्सा परिषद के नियम 10क के अंतर्गत सृजित अतिरिक्त सीटें शामिल किए जाने की आवश्यकता

डा. के.एस. मनोज 499-501

(छह) बिहार में जवाहर नवोदय विद्यालयों में उर्दू भाषा शिक्षण के लिए कक्षाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव 501

(सात) स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके उत्तराधिकारियों के लाभ के लिए राष्ट्रीय नीति/योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता

श्री डी. वेणुगोपाल 501-503

(आठ) निजी क्षेत्र में नौकरियों में आरक्षण शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री रामदास आठवले 503-504

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 505-506

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 506-510

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 511-512

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 511-512

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

सोमवार, 13 अगस्त, 2007/22 श्रावण, 1929 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

(*व्यवधान*)

(*इस समय कुंवर देवेन्द्र सिंह यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।*)

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया सुनिए।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: क्या आप अध्यक्ष की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं?

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, आप लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं?

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: आप ऐसे लोगों की तरह व्यवहार कर रहे हैं जिनका कि मैं वर्णन नहीं कर सकता।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: क्या आप अपने आप पर शर्मिंदा नहीं हैं?

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: एक शब्द भी मत लिखिए।

...(*व्यवधान*)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप क्या बोल रहे हैं, हमें मालूम नहीं चल रहा है। हम इंसान हैं, कोई मशीन नहीं है।

...(*व्यवधान*)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा होनी है। कृपया बैठ जाइए। *[हिन्दी]* प्लीज, आप लोग अपनी सीट्स पर जाइए। इस विषय पर पूरी बहस होगी। हम प्राइम मिनिस्टर साहब का स्टेटमैंट कराएंगे। आपको बोलने का मौका मिलेगा।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, दो बजे हम बाढ़ पर डिस्कशन लेंगे।

(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पूर्वाह्न 11.30 बजे

[अनुवाद]

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजकर तीस मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

(*इस समय श्री हरिकेवल प्रसाद और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।*)

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, सभा के माननीय नेता ने नेताओं की बैठक में बताया है कि माननीय प्रधान मंत्री इस परमाणु समझौता के मुद्दे पर अपराह्न 2 बजे अपना वक्तव्य देंगे। तत्पश्चात् सभा बाढ़ की स्थिति पर विचार-विमर्श करेगी जो देश के लिए अतिमहत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि कृपया आप लोग चर्चा को जारी रहने दें। माननीय प्रधानमंत्री के वक्तव्य के तुरंत

बाद अपराह्न 2 बजे, संभवतः 2.30 बजे, बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा शुरू होगी। इसलिए, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा अपराह्न 2.00 बजे वक्तव्य दिया जाएगा उसके बाद बाढ़ की स्थिति पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा होगी जो पूरी होने तक जारी रहेगी।

मैं सभा के सभी पक्षों से अपील करता हूं कि इस महत्वपूर्ण चर्चा को जारी रखने दें। पूरा देश हमें देख रहा है। यदि हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर समुचित और सभ्य तरीके से चर्चा नहीं करेंगे तो इस संसद का कोई महत्व नहीं है। मैं आप सभी से सहयोग करने की पुरजोर अपील करता हूं। कृपया सभा की कार्यवाही को चलने से मत रोकिए। आप लोग इस देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। जनता ने हमें यहां नारे लगाने के लिए नहीं भेजा है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं सदन के माननीय नेता से अनुरोध कर रहा हूं कि वह अपराह्न 2 बजे प्रधान मंत्री को यहां उपस्थित होने का प्रबंध करें।

...*(व्यवधान)*

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): माननीय प्रधान मंत्री अपराह्न 2 बजे अपना वक्तव्य देंगे...*(व्यवधान)* और अपराह्न 2 बजे के बाद सभा बाढ़ की स्थिति पर चर्चा करेगी। इसमें कोई समस्या नहीं है...*(व्यवधान)* सभा में सामान्य कार्य होना चाहिए। मैं माननीय सदस्यों से अपने स्थान पर वापस जाने और प्रश्नकाल की सामान्य कार्यवाही को शुरू करने का अनुरोध करता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं सदन के माननीय नेता के इस सुझाव के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री अपराह्न 2 बजे अपना वक्तव्य देंगे। मैं उनसे अपराह्न 2 बजे माननीय प्रधान मंत्री की उपस्थिति की व्यवस्था कराने का अनुरोध करता हूं। उनके वक्तव्य के बाद बाढ़ की स्थिति पर चर्चा शुरू होगी। अब, मै माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि मुझे प्रश्नकाल जारी रखने दें।

...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2007

***21. श्री रशीद मसूद:**

श्री असादूद्दीन ओवैसी:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्र उद्यम आयोग (नेशनल कमीशन फार इंटरप्राइजेज इन द अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर) से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें कुछ सिफारिशें अंतर्विष्ट हैं;

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयोग ने असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों के लाभ के लिये सामाजिक सुरक्षा कर लगाने की सिफारिश भी की है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2007 को अंतिम रूप देने में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(च) क्या विभिन्न साझेदारों द्वारा सुझाए गए सुधारों को इसमें अन्तर्विष्ट किया जा चुका है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त विधेयक को कब तक संसद में पुरःस्थापित किए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्र उद्यम आयोग (नेशनल कमीशन फार इंटरप्राइजेज इन द अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर) ने अपनी रिपोर्ट में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिये राष्ट्रीय न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा लाभों की सिफारिश की है जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, जीवन एवं विकलांगता कवर, स्वास्थ्य बीमा, वृद्धावस्था संरक्षण तथा कोई ऐसी अन्य योजना शामिल है जिसे आवश्यक समझा जाये।

(ग) जी, हां।

(घ) से (छ) प्रस्तावों और उनके संबंध में प्राप्त सुझावों पर विचार किया गया था। असंगठित क्षेत्र श्रमिक सामाजिक सुरक्षा विधेयक पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है तथा उक्त विधेयक को संसद के चालू सत्र के दौरान पुरःस्थापित किये जाने के हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं।

कीमतों में वृद्धि

*22. **श्री बी.के. दुम्मर:**

श्री रघुनाथ झा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बावजूद गेहूं, चावल, दलहन, खाद्य तेल, सब्जियां, चीनी आदि सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़नी जारी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यारा क्या है और विभिन्न आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कितनी हैं तथा गत 6 माह में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है;

(ग) मूल्य वृद्धि के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने फारवर्ड ट्रेडिंग तथा मूल्य वृद्धि के बीच संबंध का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या है;

(च) बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) क्या किसान इस मूल्य वृद्धि का लाभ नहीं उठा पाते हैं; और

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) पिछले वर्ष (2006-07) के दौरान खाद्यान्नों, खासतौर पर गेहूं, दालों और खाद्य तेल के मूल्यों में वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिसके परिणामस्वरूप गेहूं, चावल, आटा, चने की दाल, तुर दाल, चीनी और चाय के मूल्य कुल मिलाकर स्थिर रहे। सरसों के 'तेल में बढ़ोतरी का रुख देखा गया। आलू और प्याज के मूल्यों में भी गत माह से बढ़ोतरी हुई है। घरेलू उत्पादन के गिरावट के चलते मूंगफली के तेल के मूल्यों में वृद्धि हुई है।

(ख) गत छह महीनों के दौरान विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के मूल्य तथा दर्ज की गई वृद्धि की मात्रा के ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं:-

वस्तु	दिल्ली में खुदरा मूल्य (रुपए प्रति कि.ग्रा.)						उतार-चढ़ाव 7-8-07 / 7-2-07
	7-8-2007 को	पछले सप्ताह 31-7-07	पिछले पखवाड़े 24-7-07	एक माह पूर्व 7-7-07	तीन माह पूर्व 7-5-07	छः माह पूर्व 7-2-07	
1	2	3	4	5	6	7	8
चावल	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00
गेहूं	12.00	12.00	12.00	11.00	12.00	12.00	0.00
चना दाल	33.00	34.00	33.00	33.00	33.00	36.00	-3.00
तूर दाल	39.00	40.00	39.00	39.00	39.00	36.00	3.00
आटा	13.00	13.00	13.00	12.00	13.00	13.00	0.00
चीनी	16.00	16.00	16.00	17.00	16.00	19.00	-3.00

1	2	3	4	5	6	7	8
मूंगफली का तेल	110.00	107.00	107.00	103.00	101.00	94.00	16.00
सरसों का तेल	60.00	60.00	60.00	60.00	56.00	56.00	4.00
वनस्पति	60.00	59.00	59.00	57.00	57.00	56.00	4.00
चाय (खुली)	106.00	106.00	107.00	106.00	106.00	109.00	-3.00
दूध	19.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	1.00
आलू	13.00	13.00	13.00	12.00	9.50	6.00	7.00
प्याज	14.00	14.50	14.00	13.00	10.00	20.00	-6.00
नमक	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	1.00

(ग) उपरोक्त खाद्य मदों के मूल्यों में वृद्धि का मूल कारण मांग और आपूर्ति में अन्तर है। इन वस्तुओं की मांग जनसंख्या और आय में वृद्धि के चलते बढ़ रही है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में भी बढ़ोतरी हुई है। खपत प्रणाली में परिवर्तन और मौसमी कारकों जैसे अतिरिक्त कारकों ने भी इन वस्तुओं के घरेलू मूल्यों को प्रभावित किया है।

(घ) सरकार ने योजना आयोग की सदस्य प्रो. अभिजीत सेन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जो कृषि जन्य वस्तुओं में मूल्य वृद्धि पर भावी सौदा व्यापार के पड़े प्रभाव और उसकी मात्रा का अध्ययन करेगी।

(ङ) समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(च) सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए है। कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :-

1. राज्य व्यापार निगम ने 26 जून, 2007 को 10 लाख मी. टन गेहूं का आयात करने के लिए एक वैश्विक निविदा जारी की है और अब 2007-08 के दौरान 5.11 लाख मी. टन (+/-5%) गेहूं का आयात करेगा।

2. निजी पार्टियों द्वारा आयातों को सुकर बनाने के लिए शून्य शुल्क पर गेहूं के आयात की वैधता की अवधि को 31-12-07 तक बढ़ा दिया गया है।

3. सरकार ने फरवरी और मार्च, 2007 में खुला बाजार बिक्री स्कीम (घरेलू) के तहत 4 लाख टन गेहूं रिलीज करने का निर्णय लिया।

4. गेहूं के निर्यात पर 09-02-2007 से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध 31-12-2007 तक लागू रहेगा। ए.पी.एल. और बी.पी.एल. के लिए गेहूं और चावल के केंद्रीय निर्गम मूल्यों को 1-7-2002 से संशोधित नहीं किया गया है जबकि अन्त्योदय अन्न योजना के लिए केंद्रीय निर्गम मूल्यों को दिसंबर, 2000 में स्कीम के शुरू होने से नहीं बढ़ाया गया है। केंद्रीय निर्गम मूल्य इस प्रकार हैं :-

(रुपए प्रति क्विंटल)

	गरीबी से ऊपर	गरीबी रेखा से नीचे	अन्त्योदय अन्न योजना
गेहूं	610	415	200
चावल (ए ग्रेड)	830	565	300

5. 8 जून, 2006 को दालों के आयात पर सीमा शुल्क को घटा कर शून्य कर दिया गया था और शून्य शुल्क पर दालों के आयात की वैधता की अवधि को 31-3-07 से

बढ़ा कर 1-8-2007 तक और फिर 31-3-09 कर दिया गया है।

6. 22 जून, 2006 से दालों (7-3-2007 से काबुली चने के निर्यात को छोड़कर) के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया। दालों के निर्यात पर प्रतिबंध प्रारंभ में 31-3-2007 तक थी, और उसको विदेश व्यापार महानिदेशालय की दिनांक 9-3-2007 की अधिसूचना के द्वारा 31-3-2008 तक आगे बढ़ा दिया गया।

7. नेफेड, पी.ई.सी. लि., एम.एम.टी.सी. और एस.टी.सी. वर्ष 2007-08 के दौरान 1.5 मिलियन मी. टन दालों का आयात करने का लक्ष्य रखेंगे। इन एजेंसियों द्वारा किए गए 10.40 लाख टन दाल की कुल संविदा में से 31-7-07 तक 2.43 लाख टन पहले ही आ चुकी हैं।

8. पॉम समूह तेलों पर प्रारंभ में जुलाई, 06 में आयात शुल्क को 10 प्रतिशत प्वाइंट कम किया गया और जनवरी, 2007 में पुनः 10-12.5 प्रतशत प्वाइंट कम किया गया।

9. 13-4-2007 से पॉम तेल समूह पर आयात शुल्क को और दस प्रतिशत पाइंट कम किया गया है जिससे कच्चे पॉम तेल पर आयात शुल्क 50 प्रतिशत और रिफाइण्ड पॉम तैल पर 57.5 प्रतिशत हो गया। सरकार ने सभी खाद्य तेलों पर से 4 प्रतिशत का अतिरिक्त काउण्टरवेलिंग शुल्क भी वापस ले लिया है। 23-07-07 से पॉम तेल समूह पर आयात शुल्क को और पांच प्रतिशत पाइंट कम किया गया है जिससे कच्चे पॉम तेल पर आयात शुल्क 45 प्रतिशत और रिफाइण्ड पॉम तेल पर 52.5 प्रतिशत हो गया। इसके परिणामस्वरूप कच्चे पॉम तेल पर आयात शुल्क को 11-8-2006 से पहले से 80 प्रतिशत के स्तर से घटाकर 45 प्रतिशत तक लाया गया है।

10. 23-07-07 से कच्चे सूरजमुखी तेल पर आयात शुल्क को घटाकर 50 प्रतिशत से 40 प्रतिशत और रिफाइण्ड सूरजमुखी तेल को 60 प्रतिशत से 50 प्रतिशत किया गया। सूरजमुखी तेल पर आयात शुल्क को पहले जनवरी, 2007 में 10 प्रतिशत प्वाइंट कम किया गया और मार्च, 2007 में 15 प्रतिशत प्वाइंट और कम किया गया।

11. 23-07-07 से सोयाबीन तेलों पर आयात शुल्क को 45 प्रतिशत से कम करके 40 प्रतिशत कर किया गया।

12. 9 फरवरी, 2007 से स्किम्ड दुग्ध पाउडर के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जो 30-9-2007 तक वैध है।

13. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कैश रिजर्व अनुपात और रेपो दरें बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में धन की अधिकता को कम करने के लिए कदम उठाए गए।

14. नवंबर, 2006 और फिर फरवरी, 2007 में पेट्रोल के खुदरा मूल्य में 2 रुपए प्रति लीटर और डीजल के खुदरा मूल्य में 1 रुपए प्रति लीटर की कमी की गई।

15. पूर्ण एहतियाती उपाय के रूप में वायदा बाजार आयोग ने 23-1-2007 को तीन राष्ट्रीय एक्सचेंजों अर्थात (क) मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.; (ख) नेशनल कमोडिटी एंड डेरीवेटिव्ज एक्सचेंज लि.; (ग) नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लि. को तूर और उड़द की सभी संविदाओं को सूची से हटाने तथा तूर और उड़द की सभी संविदाओं में - सभी बकाया पोजीशनों को 23-1-2007 को बंद मूल्य पर समाप्त करने का निदेश दिया। वायदा बाजार आयोग ने यह भी कहा है कि उसकी पूर्व अनुमति के बिना आगे कोई संविदा नहीं की जाएगी और उड़द व तूर में संविदाओं के लिए पहले दी जा चुकी अनुमति आहरित मानी जाएगी।

16. वायदा बाजार आयोग ने 27-2-2007 को सभी राष्ट्रीय एक्सचेंजों को निदेश दिया है कि गेहूं और चावल की कोई संविदा शुरू न की जाए। एक्सचेंजों को लिखे गए पत्र में वायदा बाजार आयोग ने बताया है कि अभी शुरू की जाने वाली संविदाओं के लिए पहले दी जा चुकी अनुमति रद्द समझी जाए और इन वस्तुओं में चल रही संविदाओं के संबंध में कोई नई पोजीशन लेने की अनुमति नहीं दी जाए। केवल पोजीशनों को निपटाने की अनुमति दी जाए।

17. गेहूं और दालों के भावी मूल्यों में उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए वायदा बाजार आयोग ने ओपन पोजिसन पर सीमा का निर्धारण, मूल्य के दैनिक उतार-चढ़ाव की सीमा कम करने और अतिरिक्त/विशेष मार्जिन लगाने जैसे अपेक्षित विनियामक उपाय किए हैं।

18. योजना आयोग की सदस्य प्रो. अभिजीत सेन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जो वस्तुओं के मूल्यों पर भावी सौदा व्यापार के पड़े प्रभाव यदि कोई हो, का अध्ययन करेगी।

19. प्रचलित मूल्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत 29-8-2006 को एक केंद्रीय आदेश जारी किया था ताकि राज्य सरकारें गेहूं और दालों की स्टॉक सीमा को छः महीने की अवधि तक लागू कर सकें। इस आदेश के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इन मदों के जमा स्टॉक को बाहर निकालने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने की शक्तियां दी गई हैं ताकि उचित मूल्यों पर आम जनता को इनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। सरकार ने 27-2-2007 को केंद्रीय आदेश की वैधता की अवधि को अगले छः महीने तक बढ़ा दिया है।

(छ) किसानों को बाजार शक्तियों पर आधारित लाभकारी मूल्य प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए सरकार ने मॉडल कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम तैयार किया है और उसको सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया है ताकि वे इसके आधार पर अपने मौजूदा कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियमों में संशोधन कर सकें। 15 राज्यों ने कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियमों में संशोधन कर लिए हैं तथा चार राज्यों में आंशिक संशोधन किए जा चुके हैं। बिहार सरकार ने अपने कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम को निरस्त कर दिया है जबकि तमिलनाडु ने सुधार के लिए उपबंधों का प्रावधान किया है। बाकी राज्य अपने-अपने कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियमों में संशोधन करने की प्रक्रिया में हैं। संशोधित अधिनियम के अनुसार किसान अपने उत्पादों को अनिवार्यतः मंडी में लाए बिना सीधे क्रेताओं को बेच सकते हैं। बहुत से किसानों ने बाजार शक्तियों की तर्ज पर लाभकारी मूल्य प्राप्त करने के लिए इस विकल्प का लाभ उठाया है।

(ज) ऊपर (छ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

युवाओं के लिए स्व-रोजगार योजना

*23. **श्री पुन्नूलाल मोहले:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों की स्व-रोजगार योजनाओं का शिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करने के संबंध में कोई अच्छा प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत राज्य-वार तथा वर्ष-वार कितनी केन्द्रीय निधि आबंटित, जारी की गई तथा उपयोग में लाई गई?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (ग) केन्द्र सरकार शिक्षित बेरोजगारों के मध्य स्व-रोजगार के प्रबोधन के लिए आरंभ की गई प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) का देश भर में कार्यान्वयन कर रही है। वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान योजना के तहत् की गई प्रगति विवरण-I में दी गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को जारी की गई तथा उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार हुई प्रगति की स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2004-05			2005-06			2006-07*		
		आबंटित लक्ष्य (संख्या)	बैंकों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या	अनुमानित सृजित रोजगार#	आबंटित लक्ष्य (संख्या)	बैंकों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या	अनुमानित सृजित रोजगार#	आबंटित लक्ष्य (संख्या)	बैंकों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या	अनुमानित सृजित रोजगार#
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	उत्तरी क्षेत्र									
1.	हरियाणा	10200	7755	11633	10600	9565	14348	11000	10254	15381
2.	हिमाचल प्रदेश	3000	2853	4280	3000	2929	4394	4700	3327	4991
3.	जम्मू-कश्मीर	3000	639	959	3000	544	816	3000	555	833
4.	पंजाब	9200	8372	12558	9200	8043	12065	9200	7312	10968
5.	राजस्थान	18200	12919	19379	18700	13868	20802	19200	14149	21224
6.	चंडीगढ़	100	206	309	100	72	108	100	33	50
7.	दिल्ली	4500	819	1229	4500	682	1023	4000	471	707
	पूर्वोत्तर क्षेत्र									
8.	असम	15000	8256	12384	15000	5671	8507	10300	2648	3972
9.	मणिपुर	1500	387	581	1500	383	575	1500	129	194
10.	मेघालय	1400	568	852	1400	564	846	800	181	272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	नागालैंड	1200	109	164	2800	2379	3569	1000	541	812
12.	त्रिपुरा	3000	1747	2621	3000	2032	3048	3000	1196	1794
13.	अरुणाचल प्रदेश	850	440	660	1050	447	671	400	213	320
14.	मिजोरम	200	142	213	1000	472	708	1000	55	83
15.	सिक्किम	100	32	48	100	31	47	40	32	48
	पूर्वी क्षेत्र									
16.	बिहार	16000	10396	15594	25000	12072	18108	11400	7490	11235
17.	झारखंड	9000	4804	7206	9000	4566	6849	9000	4541	6812
18.	उड़ीसा	18000	11339	17009	18000	12823	19235	15600	12459	18689
19.	पश्चिम बंगाल	24000	3796	5694	24500	4616	6924	4600	3118	4677
20.	अंडमान व निकोबार	400	142	213	200	150	225	200	107	161
	मध्य क्षेत्र									
21.	मध्य प्रदेश	28000	20642	30963	32000	20909	31364	32000	16519	24779
22.	छत्तीसगढ	6000	3276	4914	6800	3463	5195	8400	3658	5487
23.	उत्तर प्रदेश	52000	42534	63801	52500	40040	60060	53900	40784	61176
24.	उत्तरांचल	7000	6637	9956	8000	7404	11106	8000	6069	9104
	पश्चिमी क्षेत्र									
25.	गुजरात	12500	6406	9609	9600	6347	9521	9900	5729	8594
26.	महाराष्ट्र	39000	21819	32729	36000	23817	35726	38200	19588	29382
27.	दमन व दीव	50	4	6	50	14	21	50	8	12

28.	गोवा	500	45	67.5	500	43	65	500	20	30
29.	दादर व नगर हवेली	50	22	33	50	24	36	50	3	5
	दक्षिणी क्षेत्र									
30.	आन्ध्र प्रदेश	43000	22542	33813	43000	21334	32001	43000	11668	17502
31.	कर्नाटक	24000	13931	20897	24000	19246	28869	24000	15396	23094
32.	केरल	25500	16553	24830	28000	21447	32171	28000	19190	28785
33.	तमिलनाडु	25000	16902	25353	27000	19534	29301	27000	20282	30423
34.	लक्षद्वीप	50	4	6	50	5	8	50	0	0
35.	पांडिचेरी	650	329	494	650	348	522	750	297	446
	विनिर्दिष्ट नहीं		897	1346		1397	2096		886	1329
	अखिल भारत	402150	248264	372396	419850	267281	400922	383840	228908	343362

स्रोत: आर.बी.आई.

*अनंतिम

#प्रत्येक ऋण मामले में 1.5 की दर से अनुमानित सृजित रोजगार की गणना।

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) के तहत् भारत सरकार द्वारा आबंटित/जारी तथा राज्य/संघ शासित प्रदेशों द्वारा उपयोग में लाई गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

(राशि लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2004-05		2005-06		2006-07	
		जारी की गई निधियां	उपयोग की गई निधियां	जारी की गई निधियां	उपयोग की गई निधियां	जारी की गई निधियां	उपयोग की गई निधियां*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	293.34	187.81	176.72	188.78	191.95	एन.आर.
2.	असम	100.71	87.44	77.80	एन.आर.	1.73	एन.आर.
3.	अरुणाचल प्रदेश	5.39	3.54	4.54	5.83	0.42	एन.आर.
4.	बिहार	19.87	20.41	0.00	13.06	0.00	एन.आर.
5.	छत्तीसगढ़	50.84	30.52	41.02	34.73	38.06	एन.आर.
6.	दिल्ली	0.00	एन.आर.	0.00	एन.आर.	0.00	एन.आर.
7.	गोवा	0.00	एन.आर.	0.00	0.12	0.00	एन.आर.
8.	गुजरात	53.07	29.21	13.38	28.90	0.00	एन.आर.
9.	हरियाणा	74.20	43.76	45.64	60.04	38.60	68.18
10.	हिमाचल प्रदेश	5.12	14.06	15.03	10.67	26.77	एन.आर.
11.	जम्मू-कश्मीर	0.00	एन.आर.	11.71	एन.आर.	10.30	एन.आर.
12.	झारखण्ड	34.56	17.03	0.06	33.28	14.62	3.32
13.	कर्नाटक	173.19	163.16	124.06	139.09	165.91	एन.आर.
14.	केरल	175.75	165.13	176.63	211.27	202.33	64.33
15.	मध्य प्रदेश	265.38	164.66	226.32	114.15	209.89	एन.आर.
16.	महाराष्ट्र	173.92	145.05	128.04	146.74	112.62	132.67
17.	मणिपुर	4.55	8.82	1.23	5.11	8.24	एन.आर.

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	मेघालय	8.29	9.58	8.22	10.61	5.52	5.78
19.	मिजोरम	3.24	2.96	8.22	4.75	0.00	एन.आर.
21.	नागालैण्ड	17.12	13.44	22.03	19.51	6.79	10.12
21.	उड़ीसा	147.50	111.35	135.46	134.26	128.31	122.67
22.	पंजाब	81.45	20.17	55.67	52.75	0.00	एन.आर.
23.	राजस्थान	104.30	103.41	109.97	126.83	124.90	एन.आर.
24.	तमिलनाडु	136.75	128.27	155.27	159.27	156.28	एन.आर.
25.	त्रिपुरा	21.24	19.20	22.70	20.44	20.39	20.56
26.	उत्तर प्रदेश	644.91	359.17	422.85	446.25	388.87	एन.आर.
27.	उत्तरांचल	92.76	52.58	64.16	56.63	83.49	एन.आर.
28.	पश्चिम बंगाल	19.12	20.27	29.10	36.17	4.96	एन.आर.
29.	अंडमान व निकोबार	2.51	0.33	0.55	0.82	0.89	0.09
30.	चण्डीगढ़	1.02	1.17	3.98	1.43	1.15	0.87
31.	दमन व दीव	0.03	एन.आर.	0.03	एन.आर.	0.11	एन.आर.
32.	दादर व नगर हवेली	0.20	एन.आर.	0.19	एन.आर.	0.12	एन.आर.
33.	लक्षद्वीप	0.14	एन.आर.	0.05	एन.आर.	0.04	एन.आर.
34.	पांडिचेरी	4.74	एन.आर.	0.57	2.22	3.38	3.51
35.	सिक्किम	0.25	0.29	0.89	0.46	0.52	0.00
	योग	2715.43	1922.78	2082.12	2064.17	1947.16	432.06

एनआर - राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं।

*जैसा कि वर्ष 2006-07 हेतु संवितरण पूर्ण होने की तिथि दिनांक 30-06-2007 तक बढ़ा दी गई है इसलिए अधिकतर राज्य/संघ शासित प्रदेश वर्ष 2006-07 में उपयोग की गई निधियों का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं।

टिप्पणी 1: प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत निधियां आर्थिक सहायता तथा उद्यमीय विकास (ई.डी.) हेतु की जाती हैं। आर्थिक सहायता हेतु निधियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को प्राधिकृत किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक कार्यान्वित कर रहे बैंकों को निधियां जारी करता है। इस प्रकार आर्थिक सहायता हेतु जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। उद्यमीय विकास अर्थात् प्रशिक्षण तथा आकस्मिकता इत्यादि हेतु निधियां राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को जारी की जाती है।

टिप्पणी 2: पिछले वर्षों का अधिशेष/घाटा आगामी वर्षों में समायोजित किया जाता है।

[अनुवाद]

राज्यों में गेहूं की आपूर्ति

***24. श्री महेश कनोडीया:**

श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने इस वर्ष उनके राज्यों में गेहूं की आपूर्ति बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्यों विशेषरूप से गुजरात में गेहूं की आपूर्ति बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कितनी बढ़ोतरी की मांग की गई तथा कितना आबंटन किया गया और इसकी आपूर्ति कब तक किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या उक्त बढ़ोतरी को आयात के माध्यम से पूरा किया जायेगा; और

(च) यदि हां, तो अब तक इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) जी, हां। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए गेहूं के आबंटन में वृद्धि करने के लिए कई राज्यों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। जनवरी, 2007 से प्राप्त ऐसे अनुरोधों का विवरण संलग्न (विवरण-I) में दिया गया है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय पूल में गेहूं के स्टाक की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्यों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार किया गया है और संलग्न विवरण-II में किए गए उल्लेख के अनुसार गेहूं का तदर्थ आबंटन किया गया है। ऐसा तदर्थ अतिरिक्त आबंटन गुजरात राज्य के लिए भी किया गया है।

(ङ) और (च) अतिरिक्त आबंटन केन्द्रीय पूल में उपलब्ध स्टाक में से किए गए हैं। घरेलू रूप से खरीदे गए स्टाक में वृद्धि करने के लिए सरकार ने 2007-08 में 50 लाख टन गेहूं आयात करने का निर्णय पहले ही ले लिया है।

विवरण-I

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वर्ष 2007 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से गेहूं के आवंटन में वृद्धि करने हेतु प्राप्त अनुरोधों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	गेहूं के लिए अनुरोध (टन)	अनुरोध की तारीख
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	9000	28-04-2007
2.	बिहार	41100	18-4-07
3.	गोवा	2856	11-4-07
4.	गुजरात	137816	21-3-07
5.	हिमाचल प्रदेश	13340	13-3-07
6.	जम्मू-कश्मीर	18450	16-107
7.	केरल	37325	24-4-07 और 26-7-07

1	2	3	4
8.	नागालैंड	10000	10-02-07
9.	राजस्थान	157682	24-3-07
10.	तमिलनाडु	10000	12-6-07
11.	उत्तराखंड	8000	25-4-07
12.	उत्तर प्रदेश	270000	26-3-07
13.	मिजोरम	624	17-4-07

विवरण-II

सितम्बर, 2006 से जुलाई, 2007 माहों हेतु गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के तहत राज्यों को गेहूं का किया गया अतिरिक्त आवंटन

(टन में)

क्र. सं.	राज्य	सितम्बर, 2006	अक्तूबर, 2006	नवम्बर, 2006	दिसम्बर, 2006	जनवरी, 2007-मार्च, 2007 (प्रति माह)	अप्रैल-जुलाई, 2007 (प्रति माह)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	4000	4000	4000	4000	4000	4000
2.	अरुणाचल प्रदेश	300	300	300	300	300	300
3.	असम	4000	4000	3000	3000	3000	3000
4.	बिहार	4000	4000	2000	2000	2000	2000
5.	छत्तीसगढ़	3000	3000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	दिल्ली	8000	8000	10000	10000	10000	5000
7.	गोवा	500	500	500	500	500	500
8.	गुजरात	5000	5000	5000	5000	5000	5000
9.	हरियाणा	2500	2500	1500	1500	1500	1500
10.	हिमाचल प्रदेश	3500	3500	3500	3500	6500	6500

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	जम्मू-कश्मीर	5000	5000	5000	5000	5000	5000
12.	झारखंड	2000	2000	2000	2000	2000	2000
13.	कर्नाटक	4000	5000	5000	5000	5000	5000
14.	केरल	5000	6000	8000	8000	8000	8000
15.	मध्य प्रदेश	5000	5000	5000	5000	5000	5000
16.	महाराष्ट्र	5000	6000	10000	10000	10000	10000
17.	मणिपुर	300	300	300	300	300	300
18.	मेघालय	300	300	300	300	300	300
19.	मिजोरम	300	300	300	300	300	300
20.	नागालैण्ड	300	300	300	300	300	300
21.	उड़ीसा	4000	5000	4000	4000	4000	4000
22.	पंजाब	2500	2500	2500	2000	12000	3000
23.	राजस्थान	6000	6000	6000	6000	6000	6000
24.	सिक्किम	300	300	300	300	300	300
25.	तमिलनाडु	4000	5000	5000	5000	6250	6250
26.	त्रिपुरा	800	800	800	800	800	800
27.	उत्तर प्रदेश	5000	5000	5000	5000	5000	5000
28.	उत्तराखंड	5000	5000	5000	5000	10000	5000
29.	पश्चिम बंगाल	10000	5000	5000	5000	5000	5000
30.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	100	100	100	300	300	300
31.	दादरा नगर हवेली	50	50	50	50	50	50
32.	पांडिचेरी	100	100	150	150	150	150
33.	चण्डीगढ़	50	50	50	50	50	50
34.	लक्षद्वीप	50	50	शून्य	50	50	50
35.	दमन व दीव	50	50	50	50	50	50
	जोड़	100000	100000	100000	99750	119000	100000

[हिन्दी]

गेहूं का आयात

*25. डा. चिन्ता मोहन:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान अब तक गेहूं का कितना उत्पादन हुआ और उसकी कितनी मात्रा में खरीद की गयी;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान देश में गेहूं की आवश्यकता की तुलना में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत इसकी खरीद में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा उक्त अवधि के दौरान निजी एजेंसियों द्वारा कितनी मात्रा में गेहूं की खरीद की गयी है;

(घ) क्या सरकार ने कमी को पूरा करने हेतु गेहूं और चावल का आयात करने का निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो गेहूं की मात्रा, मूल्य, इसके आयात संबंधी कार्यक्रम और जिन देशों से इसका आयात किया जायेगा उसे दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या कुछ देशों ने गुणवत्ता विनिर्देशन में छूट देने का आग्रह किया है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि देश में उत्तम गुणवत्ता के गेहूं का वितरण हो?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा जुलाई, 2007 में रिलीज किए गए चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार रबी विपणन मौसम 2007-08 में 748.9 लाख टन गेहूं का उत्पादन होने का अनुमान है जबकि रबी विपणन मौसम 2006-07 में 693.5 लाख टन का अंतिम अनुमान था।

केन्द्रीय पूल के लिए सरकारी एजेंसियों (राज्य एजेंसियों और भारतीय खाद्य निगम) द्वारा रबी विपणन मौसम 2007-08 में 111.04 लाख टन गेहूं की वसूली की गई थी जबकि रबी विपणन मौसम 2006-07 में 92.25 लाख टन की वसूली की गई थी।

(ख) जी, हां।

(ग) 2007-08 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के लिए अपेक्षित 150 लाख टन गेहूं की अनुमानित अपेक्षा के प्रति सरकारी एजेंसियों ने रबी विपणन मौसम 2007-08 में गेहूं की वसूली बढ़ाने के लिए किए गए कई उपायों के बावजूद रवि विपणन मौसम 2007-08 में 111.04 लाख टन गेहूं की वसूली की है (ब्यौरे विवरण-I में है)। बाजार में कम आमद होने और वसूली में प्राइवेट व्यापारियों की अधिक प्रतिभागिता होने के कारण अनुमानित आवश्यकता से कम वसूली हुई थी। दर्ज की गई सूचनाओं के अनुसार बड़ी कंपनियों, जिन्होंने 50,000 टन से अधिक की खरीदारी की है, द्वारा 30 जुलाई, 2007 की स्थिति के अनुसार 18.76 लाख टन गेहूं की खरीदारी की गई है।

(घ) सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने और खाद्य सुरक्षा के लिए पर्याप्त बफर स्टाक बनाए रखने के लिए रबी विपणन मौसम 2007-08 में गेहूं का आयात करने का निर्णय लिया है। चावल का आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) सरकार ने 2007-08 के दौरान 50 लाख टन तक की अपेक्षित मात्रा में गेहूं का आयात करने का निर्णय लिया है। अब तक राज्य व्यापार निगम ने 5.11 लाख टन गेहूं आयात करने के लिए आर्डर दिए हैं। आपूर्तिकर्ता देशों के नाम, मात्रा, मूल्य के ब्यौरे और समय अनुसूची विवरण-II में दी गई है।

(च) जी, हां। संयुक्त राज्य अमेरिका से गुणवत्ता विशिष्टियों में ढील देने का अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(छ) केवल उसी गेहूं को देश में आयात करने की अनुमति दी जाएगी जो निविदा की विनिर्दिष्टियों को पूरा करेगा।

विवरण-I

रबी विपणन मौसम 2007-08 में गेहूं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

(i) किसानों को और गेहूं उगाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रबी विपणन मौसम 2007-08 के लिए घोषित गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 750 रुपये प्रति क्विंटल पर निर्धारित किया गया है जो 100 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। अब कृषि और सहकारिता विभाग के चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार फसल वर्ष 2006-07 में 74.89 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन होने की संभावना है जबकि फसल वर्ष 2005-06 में इसका 69.35 मिलियन टन उत्पादन हुआ था।

(ii) रबी विपणन मौसम 2007-08 में न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर 100 रुपये प्रति क्विंटल का प्रोत्साहन बोनस भी दिया गया है।

(iii) 2006-07 में 55 लाख टन गेहूं का आयात किया गया था जिससे केन्द्रीय पूल में गेहूं के स्टाक की स्थिति में सुधार हुआ है; और रबी विपणन मौसम 2007-08 की शुरुआत के समय गेहूं का स्टाक (1-4-2007 की स्थिति के अनुसार) 40 लाख टन के बफर मानदंड से अधिक था।

(iv) 31-12-2007 तक निजी खाते पर गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया गया है। केन्द्रीय पूल से गेहूं के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(v) रबी विपणन मौसम 2007-08 की शुरुआत से पहले बाजार मूल्यों को संयत करने के लिए फरवरी और मार्च, 2007 में खुला बाजार बिक्री योजना के तहत 4 लाख टन गेहूं रिलीज करने का निर्णय लिया गया था।

(vi) 1-3-2007 को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन गेहूं (कंपनियों अथवा फर्मों या व्यक्तियों द्वारा स्टाक की घोषणा) आदेश 2007 नामक अधिसूचना जारी की गई है। आदेश में प्रावधान है कि कोई कंपनी अथवा फर्म या व्यक्ति जो 2007-08 के दौरान 50 हजार टन से अधिक गेहूं खरीदेगा वह केन्द्र सरकार को एक रिटर्न भरेगा जिसमें कंपनी का नाम/पता, खरीदे गए गेहूं की मात्रा और स्टाक में रखे गेहूं की मात्रा दर्शायी जाएगी।

(vii) उपभोक्ता मामले विभाग ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन 31 अगस्त, 2007 तक अधिसूचना की अवधि बढ़ाई है ताकि राज्य सरकारें गेहूं और दालों के स्टाक की सीमा लागू कर सकें।

(viii) 31-12-2007 तक निजी खाते पर गेहूं के निःशुल्क आयात की अनुमति दी गई है।

(ix) रबी विपणन मौसम 2007-08 में सरकारी एजेंसियों द्वारा गेहूं की वसूली हेतु 13128 केन्द्र खोले गए हैं जबकि रबी विपणन मौसम 2006-07 में 8985 केन्द्र खोले गए थे।

(x) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि जैसे राज्यों में गेहूं की वसूली को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पंजाब और हरियाणा में आढ़तिया कमीशन की तर्ज पर रबी विपणन मौसम 2007-08 के लिए समितियों/उप एजेंटों को दिए जाने वाले कमीशन को बढ़ा कर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

(xi) रबी विपणन मौसम 2007-08 के दौरान भारतीय खाद्य निगम की ओर से गेहूं की वसूली करने के लिए नेफेड को भी तैनात किया गया है।

विवरण-II

5.11 लाख टन गेहूं, जिसके लिए राज्य व्यापार निगम द्वारा आर्डर दिए गए हैं, का आयात करने के संबंध में आपूर्तिकर्ता देशों के नाम, मात्रा, मूल्य के ब्यौरे और समय अनुसूची

देश	आपूर्तिकर्ता का नाम	मात्रा (+/-5%) लाख टन में	मूल्य (अमरीकी डॉलर प्रति टन सी एंड एफ (एफओ)	समय अनुसूची
1	2	3	4	5
कनाडा	टी.ओ.ई.पी.एफ.ई.आर. इन्टरनेशनल, एशिया, सिंगापुर	1.28	317.95	अक्तूबर/नवम्बर, 2007
कोई देश	सी.ए.आर.जी.आई.एल.एल. इन्टरनेशनल, एस.ए., सिंगापुर	0.65	324.10	सितम्बर, 2007

1	2	3	4	5
कोई देश	सी.ए.आर.जी.आई.एल.एल. इन्टरनेशनल, एस.ए., सिंगापुर	0.65	327.10	अक्तूबर, 2007
कनाडा	टी.ओ.ई.पी.एफ.ई.आर. इन्टरनेशनल, एशिया, सिंगापुर	1.28	328.95	अक्तूबर/नवम्बर, 2007
रूस	आर.आई.ए.एस. ट्रेडिंग एस.ए., स्विटजरलैंड	1.25	329.95	सितम्बर/अक्तूबर, 2007
सकल जोड़		5.11	औसत भारित मूल्य 325.59 अमरीकी डॉलर प्रति टन सी एंड एफ (एफओ) है	

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के नए कार्यालयों का खोला जाना

*26. **श्री काशीराम राणा:**

श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्मचारियों को हुई कठिनाइयों के मद्देनजर कतिपय क्षेत्रों में कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त के नए कार्यालय खोलने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) आयुक्त के नए कार्यालय खोलने हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा उन जिलों में कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं जहां भविष्य निधि के लाभार्थियों की संख्या अत्यधिक है; और

(ङ) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति/उपलब्धि हासिल हुई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नये कार्यालय खोले जाने के लिये विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

किसी राज्य में कोई कार्यालय खोले जाने के प्रस्तावों की राज्य की क्षेत्रीय समिति द्वारा सिफारिश की जाती है और बाद में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार उस पर विचार किया जाता है।

नये कार्यालयों की संस्वीकृति राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा तैयार किये गये और कार्यकारी समिति, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा अनुमोदित मानकों/मानदंडों द्वारा शासित होती है। विभिन्न श्रेणियों के कार्यालय खोले जाने के लिये निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाता है:-

- कार्यभार कारक
- सेवा स्तर कारक
- प्रवर्तन स्तर कारक

पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गये कार्यालयों की

संख्या 10 है; इसके अतिरिक्त, दो संस्वीकृत कार्यालयों को अभी तक कार्य करने योग्य नहीं बनाया गया है।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व

***27. श्री अर्जुन सेठी:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व का प्रतिशत शहरों में विकसित कटिंग एज टेक्नोलॉजी केंद्रों के बावजूद बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान क्या विशेष कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) नई दूरसंचार नीति 1999, में वर्ष 2010 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 4% टेलीघनत्व के लक्ष्य की परिकल्पना की गई थी। 30-06-2007 की स्थिति के अनुसार इस लक्ष्य के मुकाबले ग्रामीण टेलीघनत्व 6.45% है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय भी किए गए हैं:-

(i) निवल लागत की दृष्टि से अव्यवहार्य सभी 1685 अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों (एस.डी.सी.ए.) में ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनें (आर.डी.ई.एल.) प्रदान करने हेतु सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू.एस.ओ.एफ.) से सहायता।

(ii) 100 से अधिक आबादी वाले 66,822 निर्विवाद अभिगम्य तथा बसे हुए गांवों को नवम्बर 2007 तक ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी.पी.टी.) प्रदान करने हेतु यू.एस.ओ.एफ. से सहायता।

(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर डब्ल्यू.एल.एल. नेटवर्क लगाना।

(iv) मांग तथा तकनीकी-वाणिज्यिक दृष्टि के आधार पर 2.5 किमी. के पूर्व मानक के मुकाबले एक्सचेंज से 5 किमी. की दूरी तक केबल बिछाने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) द्वारा मानदण्डों में ढील।

(v) ग्रामीण क्षेत्रों के काफी बड़े हिस्सों को आकस्मिक कवरेज प्रदान करने हेतु सभी राजमार्गों में मोबाइल नेटवर्क लगाना।

(vi) देश के 500 जिलों में फैले 7871 अवसंरचना स्थल (टॉवर) स्थापित करने हेतु यू.एस.ओ. निधि से अवसंरचना की हिस्सेदारी की अभिनव स्कीम के लिए यू.एस.ओ.एफ. से सहायता।

[हिन्दी]

फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य

***28. श्री हरिसिंह चावड़ा:**

श्री जोवाकिम बखला:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार किन-किन कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है;

(ख) सरकार द्वारा उन कृषि उत्पादों के मूल्यों में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं;

(ग) क्या किसान अपनी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने में बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) सरकार 25 फसलों नामतः धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर (तुर), मूंग, उड़द, कपास, मूंगफली छिलके सहित, सूरजमुखी बीज, सोयाबीन, तिल, रामतिल, गेहूं, जौ, चना, मसूर (लेन्टिल), रेपसीड/सरसों, कुसुम्भ, तोरिया, खोपरा, पटसन तथा तम्बाकू के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों तथा गन्ना के लिए सांविधिक न्यूनतम मूल्य का निर्धारण करती है।

इसके अतिरिक्त, सरकार राज्य/संघ शासित सरकारों

के अनुरोध पर मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत कवर न होने वाली कृषि तथा बागवानी जिन्सों, के प्रापण के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना कार्यान्वित करती है। बाजार हस्तक्षेप योजना, बम्पर फसल के अवसर पर जब बाजार में अधिकता होती है तथा मूल्य आर्थिक स्तर/उत्पादन की लागत से नीचे गिरने को होते हैं, दबावपूर्ण बिक्री से बचाने हेतु एवं इन वस्तुओं के उत्पादकों के हितों की रक्षा करने हेतु लागू की जाती है। प्रापण एजेन्सियों को होने वाली किसी प्रकार की हानियां केन्द्रीय सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार के बीच 50:50 के आधार (उत्तर-पूर्वी राज्यों के मामले में 75:25) पर वहन की जाती है। तथापि, केन्द्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार के मध्य बांटे जाने वाले नुकसान की राशि प्रापण मूल्य के 25% तक सीमित है। लाभ, यदि कोई, प्रापण एजेन्सियों द्वारा प्राप्त किया जाता है तो वह उनके द्वारा रखा जाता है।

(ग) और (घ) भिन्न राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पाद खरीदने हेतु नामित एजेन्सियों के द्वारा समुचित प्रापण प्रबन्ध किए जाते हैं। कृषि उत्पाद विपणन समिति (ए.पी.एम.सी.) अधिनियम के संशोधन के बाद किसानों को अब अपने उत्पाद संभावित खरीदारों को बेचने के लिए अधिक विकल्प हैं। यदि बाजार मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक है तो किसान अपने उत्पाद खुले बाजार में बेचकर अधिक मूल्य प्राप्त करने के लिए स्वतन्त्र हैं।

खाद्य सुरक्षा मिशन

***29. श्री रामजीलाल सुमन:**

श्री सूरज सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता में तेजी से गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दिल्ली में आयोजित की गई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में खाद्य सुरक्षा मिशन संबंधी प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता विगत में घटती-बढ़ती रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इसे निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है :

(किलोग्राम प्रतिवर्ष)

वर्ष	खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता
2004	168.9
2005	154.2
2006 (अनन्तिम)	162.3

खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में स्पष्ट कमी उत्पादन में कमी के कारण, विशेष रूप से 2002-03 और 2004-05 में सूखे की दशाओं तथा प्रतिकूल मौसम के कारण है।

(ग) से (च) उत्पादन तथा उत्पादकता व उसके फलस्वरूप प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय विकास परिषद ने दिनांक 29 मई, 2007 को आयोजित अपनी बैठक में 2011 तक चावल, गेहूं तथा दालों के उत्पादन में क्रमशः 10 मिलियन, 8 मिलियन व 2 मिलियन टन की वृद्धि करने का प्रस्ताव मंजूर किया है। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के माध्यम से राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रस्ताव को लागू करने की पहल की है।

गेहूं के आयात हेतु बोली प्रक्रिया

***30. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':**

श्री नवीन जिन्दल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान गेहूं के आयात के लिए अंतर्राष्ट्रीय गेहूं आपूर्तिकर्ताओं से निविदा आमंत्रित की थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी बोलियां प्राप्त हुई और उक्त बोलियां भेजने वाली एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार को प्राप्त हुई बोलियों में कितना न्यूनतम और उच्चतम मूल्य दिया गया;

(घ) बोली मूल्य में इतने बड़े अंतर के क्या कारण हैं;

(ङ) गेहूं के कितने अंतिम मूल्य पर गेहूं की कितनी-कितनी मात्रा को किन-किन अभिकरणों द्वारा आयात किये जाने की स्वीकृति दी गयी;

(च) उक्त बोली प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति क्या है;

(छ) क्या सरकार ने बाद में बोली मूल्य से अधिक मूल्य पर गेहूं का आयात किया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी, हां। एक-एक मिलियन टन गेहूं की खरीद के लिए दो निविदाएं आमंत्रित की गई थीं।

(ख) और (ग) दिनांक 30-4-2007 की पहली निविदा में निम्नलिखित बोलीदाताओं से कुल 7 बोलियां प्राप्त हुई है जिनमें मूल्यों की रेंज 265.50 यू.एस. डॉलर प्रति टन सी एंड एफ. (एफओ) से 302 यू.एस. डॉलर प्रति टन सी एंड एफ (एफओ) के बीच है:-

1. कारगिल इन्टरनेशनल, एस.ए. स्विटजरलैंड
2. रियास ट्रेडिंग एस.ए., स्विटजरलैंड
3. टोपफर इन्टरनेशनल - एशिया प्रा. लि., सिंगापुर
4. कोनकोर्डिया एग्रीट्रेडिंग प्रा. लि., सिंगापुर
5. अदानी ग्लोबल प्रा. लि., सिंगापुर
6. ग्लेनकोर ग्रेन बी.वी., रॉटरडम
7. आर्चर डेनियल्स मिडलैंड (ए.डी.एम.), यू.एस.ए.

दिनांक 26-6-2007 की दूसरी निविदा में निम्नलिखित बोलीदाताओं से कुल 7 बोलियां प्राप्त हुई हैं जिनमें मूल्यों की रेंज 317.95 यू.एस. डॉलर प्रति टन सी एंड एफ (एफओ) से 370 यू.एस. डॉलर प्रति टन सी एंड एफ (एफओ) के बीच है:-

1. कारगिल इन्टरनेशनल, एस.ए. स्विटजरलैंड
2. रियास ट्रेडिंग एस.ए., स्विटजरलैंड
3. टोपफर इन्टरनेशनल - एशिया प्रा. लि., सिंगापुर
4. कोनकोर्डिया एग्रीट्रेडिंग प्रा. लि., सिंगापुर
5. एग्रीलिंक एशिया प्रा. लि., मुम्बई
6. ग्लेनकोर ग्रेन बी.वी., रॉटरडम
7. लुईस ड्रेफस कॉमाडीटीज एस.ए.

(घ) बोली में कोट किया गया मूल्य जिस की मांग और आपूर्ति की स्थिति, गेहूं के मूल स्थान, आमद अवधि, डिस्चार्ज पत्तनों, भाड़ा और अन्य वाणिज्यिक बातों पर निर्भर करते हैं।

(ङ) आयात भारतीय राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किये जाते हैं। आयात के लिए अनुमोदित अंतिम मूल्य और गेहूं की मात्रा निम्नानुसार हैं-

आपूर्तिकर्ता का नाम	मात्रा (+/-5%)	मूल्य (यू.एस. डॉलर प्रति टन सी एंड एफ (एफ.ओ.)
1	2	3
टी.ओ.ई.पी.एफ.ई.आर. इन्टरनेशनल, एशिया, सिंगापुर	1.28	317.95
सी.ए.आर.जी.आई.एल.एल., इन्टरनेशनल, एस.ए., सिंगापुर	0.65	324.10

1	2	3
सी.ए.आर.जी.आई.एल.एल., इन्टरनेशनल, एस.ए., सिंगापुर	0.65	327.10
टी.ओ.ई.पी.एफ.ई.आर. इन्टरनेशनल, एशिया, सिंगापुर	1.28	328.95
आर.आई.ए.एस. ट्रेडिंग एस.ए., स्विटजरलैंड	1.25	329.95
सकल जोड़	5.11	

गेहूं का भारित औसत मूल्य 325.59 अमरीकी डॉलर प्रति टन सी एंड एफ (एफ.ओ.) है।

(च) सितम्बर-नवम्बर, 2007 के दौरान सुपुर्दगी हेतु 5.11 लाख टन गेहूं के आयात के लिए आर्डर दिए गए हैं।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए पैकेज

***31. श्री सुग्रीव सिंह:**

श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए किसी पैकेज की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इनसे क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी, हां। 29 मई, 2007 को सम्पन्न राष्ट्रीय कृषि विकास परिषद और संबंधित मामलों की 53वीं बैठक में लिए गए संकल्प के अनुसरण में भारत सरकार देश में कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने से संबंधित दो स्कीमें तैयार कर रही है। ये दो प्रस्तावित स्कीमें - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.) और अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्कीम (ए.सी.ए.एस.) हैं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम देश में चावल, गेहूं और दलहन का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए तैयार की जा रही है। इस मिशन को देश के पहचान किए गए जिलों में लागू करने का प्रस्ताव है जिसका भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषण किया जाएगा जिसके लिए उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन, अधिक उपज देने वाली किस्मों और संकरों वाले गुणवत्ता बीजों के वितरण, नवनिर्मुक्त किस्मों आदि के लोकप्रियकरण में सहायता दी जाएगी।

इसके अलावा भारत सरकार कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने हेतु कृषि वित्त पोषण में वृद्धि करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन देने हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्कीम (ए.सी.ए.एस.) भी शुरू कर रही है। राज्यों को अपने कृषि क्षेत्र हेतु अधिक व्यापक रूप से राज्य और जिला कृषि योजना तैयार करनी है तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्कीम के अधीन सहायता प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने कुल राज्य योजना व्यय में कृषि और समवर्गी क्षेत्रों का आधारीय अंश भी सुनिश्चित करना है।

इसके अलावा किसानों को आय प्राप्त कराने तथा वर्द्धित उत्पादन और उत्पादकता के जरिए लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराने के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के क्रियान्वयन में वर्ष 2011-12 तक चावल, गेहूं और दलहन में क्रमशः 10, 8 और 2 मिलियन टन का अतिरिक्त उत्पादन परिकल्पित है। शीघ्र क्रियान्वयन के लिए इन प्रस्तावों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर

*32. श्री पी. मोहनः

श्री हंसराज गं. अहीरः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) पर कितनी ब्याज दर की अनुमति दी गई है;

(ख) क्या उक्त दर वरिष्ठ नागरिकों की जमाराशियों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर से कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ई.पी.एफ. पर ब्याज दर को बैंकों द्वारा दी जा रही दर के बराबर करने के लिये इसमें वृद्धि किये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या ई.पी.एफ. ब्याज दर में ई.पी.एफ. की आय के अनुपात में वृद्धि किए जाने की भी कोई मांग है;

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ज) वर्ष 2007-08 के लिए ई.पी.एफ. पर ब्याज दर की घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है तथा इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) वर्ष 2004-05 और 2005-06 के लिये सरकार द्वारा घोषित ब्याज दर क्रमशः 9.5% और 8.5% थी। वर्ष 2006-07 के लिये केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा अनुशंसित ब्याज दर 8.5% है। तथापि, बोर्ड ने वर्ष 2007-08 के लिए ब्याज दर की अनुशंसा अभी तक नहीं की है।

(ख) और (ग) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, 1 जनवरी, 2004 से 31 मार्च, 2007 तक की अवधि के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के लिये सावधि जमाओं की दरें 5.50% से 8.75% के बीच रही हैं।

(घ) और (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। किसी विशेष वर्ष में कर्मचारी भविष्य निधि खातों में जमा किये जाने के लिये घोषित ब्याज दर का निर्धारण इस तरह से किया जाता है कि सदस्यों के खातों में जमा ब्याज राशि को निकालने के परिणामस्वरूप ब्याज उचंत खाते से कोई भी अधिक निकासी न हो।

(च) और (छ) किसी विशेष वर्ष के लिये ब्याज दर की अनुशंसा करते समय, बोर्ड द्वारा सदस्यों को देय ब्याज के कारण अनुमानित देयताओं तथा अनुमानित ब्याज आय को ध्यान में रखा जाता है। अनुशंसित ब्याज दर सीधे तौर पर कर्मचारी भविष्य निधि निवेशों से हुई आय के अनुपात में होती है।

(ज) केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि ने वर्ष 2007-08 के लिये ब्याज दर की अभी तक अनुशंसा नहीं की है।

कृषि क्षेत्र के लिए ब्याज दरें

*33. **प्रो. एम. रामदास: क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार किसानों में बढ़ते हुए असंतोष के मद्देनजर कृषि क्षेत्र के लिए ब्याज दरों में कमी करने तथा सस्ती कृषि सामग्री उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास किसानों हेतु कायिक निधि गठित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस निधि की संरचना क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा किसानों के लिए कोई विशेष क्षेत्र भी स्थापित किए गए हैं/स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा ये क्षेत्र किन-किन स्थानों पर होंगे; और

(छ) ये क्षेत्र कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) बजट भाषण 2006-07 में केन्द्रीय वित्त मंत्री ने मूलधन राशि पर 3 लाख

रुपये की ऊपरी सीमा के साथ 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर पर किसानों के लिए फसल ऋण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के सरकार के निर्णय की घोषणा की थी। यह नीति खरीफ 2006-07 से लागू हुई और इसे वर्ष 2007-08 में भी जारी रखा गया है। सरकार उर्वरकों और बीजों जैसे अन्य मुख्य आदानों पर पहले से ही राजसहायता दे रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) ये प्रश्न नहीं उठते।

कुक्कुट उद्योग को राहत

***34. श्री सर्वे सत्यनारायण:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने कुक्कुट उद्योग को राहत देने के लिए निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन निर्देशों के कारण कुक्कुट उद्योग की दशा में सुधार हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) जी, हां। फरवरी-मार्च, 2006 में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बर्ड फ्लू की छिट-पुट घटनाओं द्वारा कुक्कुट क्षेत्र को हुई क्षति के कारण सरकार ने 30-3-2006 को एक वित्तीय राहत पैकेज घोषित किया था जिसमें निम्नलिखित उपाय शामिल थे:-

(1) सभी अधिसूचित बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को देय नियत अवधि के ऋणों और कार्यकारी पूंजी के लिए मौजूदा मूल और ब्याज पर एक वर्ष का ऋण स्थगन।

(2) कार्यकारी पूंजी को नियत अवधि के ऋण में बदलना। पुनर्भुगतान का प्रथम वर्ष ऋण स्थगन अवधि की समाप्ति के बाद होना था।

(3) नियत अवधि के ऋण की सहमत अवधि से दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि से अधिक कुक्कुट यूनिटों द्वारा लिए गए नियत अवधि के ऋणों के पुनर्भुगतान को पुनः निर्धारित करना।

(4) कार्यकारी पूंजी को नियत अवधि के ऋण में बदलने के बाद कुक्कुट यूनिटों को प्रत्येक यूनिट की वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए अतिरिक्त कार्यकारी पूंजी लेने की अनुमति देना।

(5) जानबूझ कर चूक करने वालों को छोड़कर भारतीय रिजर्व बैंक चूक लेखों को एन.पी.ए. के रूप में नहीं समझेगा।

(6) 31-3-2006 की स्थिति के अनुसार, शेष मूल राशि पर एक वर्ष की अवधि के लिए 4% की एकमुश्त ब्याज सहायता देना।

भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड ने इस संबंध में क्रमशः 4 अप्रैल और 5 अप्रैल, 2006 को सभी संबंधित बैंकों को आवश्यक निर्देश जारी किए थे। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को उक्त 6 में यथा उल्लिखित सभी कुक्कुट यूनिटों को प्रदान ब्याज सहायता के क्रियान्वयन के लिए 107.00 करोड़ रुपए की राशि दी थी।

(ग) से (ङ) जी, हां। उक्त वित्तीय उपायों से तथा कुक्कुट आहार में प्रयोग के लिए रियायती दर पर मक्का जारी करने से कुक्कुट यूनिटें अपना व्यापार जारी रखने में सक्षम हो सकी हैं, उनकी प्रचालन लागत कम हुई है, अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यों के लिए वे अपने राजस्व का इस्तेमाल कर सकते हैं और सामान्य रूप में पुनर्भुगतान दायित्वों के स्थगन से और बैंकों से अतिरिक्त नकदी प्रभाव का लाभ उठाकर वे कठिन महीनों का सामना कर सके हैं।

पी.डी.एस. के अंतर्गत गेंहू की कम मात्रा में खरीद

***35. श्री गुरूदास दासगुप्त:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान राज्यों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के अंतर्गत वितरम के लिए आबंटित गेहूं की बहुत कम खरीद की गयी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान पी.डी.एस. के अंतर्गत गेहूं के आबंटन और इसकी खरीद का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान पी.डी.एस. के अंतर्गत गेहूं की कम मात्रा में खरीद किए जाने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) वर्ष 2006-07 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूं का उठान 144.19 लाख टन के आबंटन के प्रति 102.52 लाख टन रहा है जो किए गए आबंटन का 71% है। वर्ष 2007-08 (जून, 2007 तक) के दौरान उठान 30.57 लाख टन के आबंटन के प्रति 24.88 लाख टन है जो किए गए आबंटन का 81% है। पूर्व के वर्षों की तुलना में वर्ष 2006-07 के दौरान उठान अधिक रहा है।

(ख) वर्ष 2006-07 और 2007-08 (जून, 2007 तक) के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूं का राज्यवार आबंटन और उठान संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्यान्नों के कम उठान के लिए विभिन्न कारण यथा खाद्यान्नों का स्थानीय उत्पादन और उपलब्धता, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पेश आ रही संसाधनों की कमी, राज्य सरकार की एजेंसियों की वितरण की कुशलता, लोगों की स्थानीय आहार की पसंद आदि जिम्मेदार हो सकते हैं।

विवरण

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वर्ष 2006-2007 और 2007-2008 (जून, 2007 तक) के लिए गेहूं का आवंटन और उठान

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
		2006-07		2007-08 (जून 2007 तक)	
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	81.152	55.593	20.262	8.088
2.	अरुणाचल प्रदेश	11.59	5.135	3.258	0.21
3.	असम	254.226	250.049	65.091	62.174
4.	बिहार	1132.097	494.652	223.038	119.077
5.	छत्तीसगढ़	120.65	55.977	17.142	11.343
6.	दिल्ली	486.296	400.943	118.53	97.607
7.	गोवा	11.532	5.57	2.103	1.931
8.	गुजरात	824.374	468.146	144.456	104.233
9.	हरियाणा	463.72	248.722	92.241	63.402
10.	हिमाचल प्रदेश	172.683	178.169	60.504	50.916
11.	जम्मू-कश्मीर	243.26	228.773	66.408	63.923

1	2	3	4	5	6
12.	झारखंड	348.394	285.971	85.755	70.835
13.	कर्नाटक	367.874	298.504	95.184	69.796
14.	केरल	330.183	281.975	80.22	65.857
15.	मध्य प्रदेश	1614.274	1348.314	352.287	312.118
16.	महाराष्ट्र	2071.718	1381.121	397.974	291.781
17.	मणिपुर	11.588	8.236	2.718	1.543
18.	मेघालय	7.696	7.29	2.19	1.626
19.	मिजोरम	10.36	8.988	2.772	1.882
20.	नागालैण्ड	34.714	34.186	9.048	8.691
21.	उड़ीसा	155.734	132.29	35.379	31.268
22.	पंजाब	353.032	118.312	42.366	17.982
23.	राजस्थान	1335.72	915.414	270.312	233.865
24.	सिक्किम	5.35	5.381	1.635	1.335
25.	तमिलनाडु	95.58	90.18	30.099	23.847
26.	त्रिपुरा	26.96	21.474	6.411	5.261
27.	उत्तर प्रदेश	2080.878	1497.246	388.407	384.464
28.	उत्तरांचल	143.302	128.276	58.146	36.561
29.	पश्चिम बंगाल	1603.714	1290.941	379.542	344.339
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5.946	4.7	1.887	1.126
31.	चण्डीगढ़	9.39	0	0.252	0.583
32.	दादर और नागर हवेली	1.596	0.36	0.582	0
33.	दमन और द्वीव	0.728	0.12	0.186	0.01
34.	लक्षद्वीप	0.433	0.05	0.15	0
35.	पांडिचेरी	2.05	1.41	0.45	0.28
	जोड़	14,418.79	10,252.47	3,056.99	2,487.95

[हिन्दी]

सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाया जाना

***36. श्री धर्मेन्द्र प्रधान:**

श्रीमती करूणा शुक्ला:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि विकास को बढ़ावा दिए जाने के मद्देनजर सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाए जाने हेतु कोई योजना अथवा योजनाएं बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है; और

(घ) उक्त धनराशि का समयोचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार की क्या रणनीति है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनरुद्धार से संबंधित कार्य बल (अध्यक्ष-प्रो. ए. वैद्यनाथन) द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने वित्तीय, विधिक और संस्थागत उपायों सहित अल्पकालीन ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनरुद्धार के लिये पैकेज का अनुमोदन किया है। वित्तीय सहायता के प्रावधान को विधिक और संस्थागत सुधारों से जोड़ा गया है। इस वित्तीय पैकेज के वित्तपोषण का उत्तरदायित्व हानियों के स्रोत और मौजूदा प्रतिबद्धताओं के आधार पर भारत सरकार, राज्य सरकार और सहकारी ऋण संरचनाओं द्वारा वहन किया जायेगा। इस पैकेज के तहत कुल वित्तीय सहायता की मात्रा 13,596 करोड़ रुपये आकलित की गई है।

(ग) भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को जो क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी है, अल्पकालीन ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के लिये पुनरुद्धार पैकेज के क्रियान्वयन हेतु अपने अंश के रूप में अब तक 1,425 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है तथा चालू वित्तीय वर्ष में 1500 करोड़ रुपये और देने का प्रावधान है।

(घ) पैकेज का समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय, राज्य तथा जिलास्तर पर गठित क्रियान्वयन और मॉनीटरिंग समितियां पैकेज की मानीटरिंग और क्रियान्वयन के साथ-साथ, कोष की निर्मुक्ति की नियमित समीक्षा करती है। इस पैकेज के तहत भारत सरकार द्वारा कोष की निर्मुक्ति प्रमुखतः निम्नलिखित पर आधारित है:-

(i) राज्य सरकार द्वारा पेकेज को अपनाना

(ii) राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार एवं नाबार्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना

(iii) राज्य सरकार द्वारा अध्यादेश/विधेयक के जरिये सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन किया जाना, और

(iv) राज्य सरकार द्वारा अपना अंश जारी किया जाना।

[अनुवाद]

भू-जल स्तर में कमी

***37. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:**

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में भू-जल घटने की तेज रफ्तार बहुत चिंताजनक है और केन्द्र सरकार को इस संबंध में विभिन्न राज्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्यों की स्वीकृति हेतु कोई मसौदा विधेयक परिचालित किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) देश में भू-जल गिरने की रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) और (ख) राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करने के पश्चात देश के विभिन्न भागों में भूजल स्तर में गिरावट पाई गई है। वर्ष 2004 में केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सी.जी.डब्ल्यू.बी.) और राज्यों द्वारा किए गए भूजल संसाधनों के नवीनतम आकलन के अनुसार 5723 आकलन यूनिटों (ब्लाक/मंडल/तालुका) में से 839 यूनिटें 'अतिदोहित' हैं (जहां पर मानसून पूर्व अथवा मानसून के पश्चात दोनों में भूजल स्तर के रूझान में

पर्याप्त गिरावट सहित भूजल का 100% से अधिक दोहन हुआ है), 226 यूनिटें 'गंभीर' हैं (जहां पर मानसून पूर्व अथवा मानसून के पश्चात दोनों में जल स्तर के रूझान में दीर्घावधिक गिरावट सहित भूजल का 90% से 100 के बीच दोहन हुआ है।

(ग) देश के कुछ क्षेत्रों में गिरते भूजल स्तर की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए जल संसाधन मंत्रालय ने "भूजल के विकास और प्रबंधन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए माडल बिल" का मसौदा तैयार किया है और इसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया है।

(घ) अब तक 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यू.टी.एस.) अर्थात आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल तथा चण्डीगढ़, लक्षद्वीप और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों ने भूजल संबंधी कानून बनाये हैं। इस संबंध में 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात महाराष्ट्र, गुजरात, असम, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली तथा अंडमान और निकोबार संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है। 6 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात पंजाब, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश ने यह विचार व्यक्त किया है कि उनके राज्यों के लिए इस प्रकार के कानून की आवश्यकता नहीं है।

(ङ) 'जल' राज्य का विषय है, इसलिए अपने अपने राज्यों में गिरते भूजल स्तर को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करना संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। तथापि सर्वेक्षण रिपोर्टों के आधार पर देश में भूजल स्तर में सुधार के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नानुसार हैं:-

(i) विभिन्न दावाधारकों के बीच कृत्रिम पुनर्भरण की संकल्पना को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से "भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी सलाहकार परिषद" का गठन करना।

(ii) 'भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर योजना' तैयार करना जिसके दौरान देश में कुल 4.5 लाख वर्ग कि.मी. ऐसे क्षेत्र की पहचान की गई है जिसमें भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की आवश्यकता है।

(iii) भूजल स्तरों में गिरावट के रूझान को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्र विशेष के लिए कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमें तैयार करने में सुविधा प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मैनुअल/गाइड का परिचालन।

(iv) IXवीं योजना में 'भूजल के पुनर्भरेण संबंधी अध्ययन' विषयक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में 165 प्रदर्शनात्मक पुनर्भरण परियोजनाओं का कार्यान्वयन।

(v) आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों के अभिज्ञात क्षेत्रों में सी.जी.डब्ल्यू.बी. के द्वारा "वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण" संबंधी एक प्रदर्शनात्मक स्कीम का कार्यान्वयन।

(vi) Xवीं योजना के दौरान सी.जी.डब्ल्यू.बी. द्वारा 75 कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन अध्ययन का कार्यान्वयन।

(vii) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के अंतर्गत केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सी.जी.डब्ल्यू.ए.) का गठन, भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन के लिए देश में 43 अतिदोहित क्षेत्रों को अधिसूचित करना और भूजल निकासी संरचनाओं के पंजीकरण के लिए विभिन्न राज्यों में 65 अतिदोहित क्षेत्रों को अधिसूचित करना।

(viii) केन्द्रीय भूमिजल प्राधिकरण ने सभी संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को यह निदेश दिया है कि वे अपने अधिकार-क्षेत्र में आने वाले सभी अतिदोहित क्षेत्रों में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण को अपनाने/वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने और भवन निर्माण उपनियमों में छत के वर्षा जल संचयन को शामिल किया जाना सुनिश्चित किए जाने की दिशा में सभी उपाय करें।

अर्जुन टैंक में खामियां

*38. श्री एल. राजगोपाल: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रमुख युद्धक टैंक 'अर्जुन' में युद्ध अभ्यास परीक्षणों के दौरान चालन संबंधी कुछ खामियां पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परीक्षणों के दौरान जर्मनी के एम.टी.यू. 838 केए-591 इंजन में भी कुछ समस्याएं पाई गई हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इन खामियों को दूर करने के लिए जर्मनी से कोई सहायता मांगी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, हां।

(ख) मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन के फील्ड परीक्षण के दौरान देखा गया चालन दोष द्रव वातिल प्रलंबन यूनिट (हाइड्रो न्यमैटिक सस्पेंशन यूनिट) के पिस्टन राडों की विफलता से संबंधित था। उस दोष के कारण का विश्लेषण किया गया है और दोष को दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की गई है।

(ग) जी, हां। कृपया यह नोट किया जाए कि मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन पर फिट किया गया इंजन एम.टी.यू. 838 केए-501 है।

(घ) जी, हां।

(ङ) एयर फिल्टर की समय-पूर्व चेतावनी का दोष देखा गया था। दोष के कारण का विश्लेषण किया गया था तथा मैसर्स एम.टी.यू., जर्मनी से परामर्श करके दोष दूर कर दिया गया था।

किसानों द्वारा आत्महत्या

***39. प्रो. प्रेम कुमार धूमल:**
श्री सनत कुमार मंडल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में, विशेषकर विदर्भ क्षेत्र में पुनर्वास पैकेज के बावजूद किसानों द्वारा आत्महत्या करने के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और इस वर्ष अभी तक राज्यवार ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) किसानों द्वारा आत्महत्या पर राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर आधारित ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों ने मोटे तौर पर किसानों द्वारा आत्महत्या के लिए निम्नलिखित कारणों की पहचान की है -

- फसल हानि
- ऋणग्रस्तता
- सूखा
- सामाजिक और आर्थिक असुरक्षा।

(ङ) भारत सरकार द्वारा 31 जिलों के लिए, जिनसे किसानों की आत्महत्याओं की उच्च संख्या की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, एक विशेष पुनर्वास पैकेज पहले ही आरंभ कर दिया गया है। ये जिले 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के हैं। यह पैकेज 3 वर्ष की अवधि के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है तथा इसमें तात्कालिक और मीडियम अवधि के उपाय शामिल हैं। इस पैकेज में 16978.69 करोड़ रु. की कुल धनराशि है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने लघु और सीमांत किसानों सहित किसानों की समस्याओं को समाप्त करने के लिए अनेक पहलें की हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ कृषि सेक्टर के लिए संस्थागत ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के लिए वर्ष 2004 में एक ऋण नीति की घोषणा शामिल है। खरीफ 2006-07 से, किसानों को 7% प्रति वर्ष की घटी दर पर 3 लाख रु. तक फसल ऋण प्रदान किए जा रहे हैं। उन छोटे ऋणियों के लिए जिनके पास आनुषंगिक रूप में आवश्यक परिसंपत्तियां नहीं हों, बैंकों को 50000/-रु. तक कृषि ऋणों के लिए मार्जिन/सिक्योरिटी आवश्यकताओं को माफ करने की सलाह दी गई है। सरकार ने सहकारी ऋण संरचना को पुनर्जीवित करने के लिए भी एक पैकेज की घोषणा की है। कृषि के विविधिकरण के लिए एक प्रमुख बड़ा प्रयास आरंभ किया गया है। वर्ष 2005 से अनुसंधान, फसलोपरांत प्रबंधन, प्रसंस्करण तथा विपणन को कवर करते हुए बैकवर्ड एवं फारवर्ड संपर्कों को आद्योपांत सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन आरंभ किया गया है। सरकार द्वारा की गई अन्य पहलों में सिंचाई, संशोधित जल प्रबंधन के साथ पनधारा विकास और वर्षा जल संचयन और राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना के तहत क्षेत्र विस्तार करना शामिल है।

विवरण

राज्यों में किसानों द्वारा आत्महत्या के मामले

क्र.सं.	राज्य का नाम	अवधि	संख्या (राज्य सरकारों से रिपोर्ट किए गए आंकड़ों पर आधारित)	
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2004	1251	
		2005	632	
		2006	448	
		2007	114	
2.	कर्नाटक	2004-05	271	
		2005-06	163	
		2006-07	320	
		2007-08 (10-07-07 तक)	73	
3.	महाराष्ट्र		कुल	(विदर्भ के)
		2004	632	441
		2005	595	431
		2006	2355	1448
		2007 (अप्रैल, 07 तक)	607	375
4.	केरल	2001 से 2006	841	
		2007 (31-2-07 तक)	13	
5.	तमिलनाडु	2000-2007 (मार्च, 07 तक)	26	
6.	पंजाब*	2004	11	
		2005	6	

1	2	3	4	5
7.	गुजरात*	2004	7	
		2005	7	
		2006 (30-5-2006)	1	

*यह सूचना पंजाब के कपास क्षेत्र (बेल्ट) के संबंध में पंजाब सरकार के दिनांक 21-3-06 के पत्र के तहत रिपोर्ट की गई है। पंजाब सरकार ने यह भी रिपोर्ट दी है कि ऋण भार के कारण किसानों द्वारा आत्महत्याओं की संख्या वर्ष 2003, 2004, 2005 और 2006 में क्रमशः 2, शून्य, 3 और 3 थी। तथापि, पंजाब और गुजरात सरकारों से आत्महत्या के संबंध में अद्यतन डाटा प्रतीक्षित है।

नोट-जिन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से शून्य रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं वे हैं, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, गोवा, हरियाणा, दिल्ली, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, चंडीगढ़, दादरा व नागर हवेली, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, अंडमान और निकोबार। शेष राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से सूचना प्रतीक्षित है।

[हिन्दी]

एम.टी.एन.एल. में घाटा

***40. श्री गिरधारी लाल भार्गव:**

श्रीमती किरण माहेश्वरी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) दिल्ली घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह कब से घाटे में चल रहा है;

(ग) घाटे वाले अंतिम वित्तीय वर्ष से प्रत्येक वर्ष में हुए घाटे की राशि कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठो गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा शकील अहमद): (क) जी, नहीं। एम.टी.एन.एल. ने कुल मिलाकर 2006-07 में 681.74 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। तथापि, एम.टी.एन.एल. की दिल्ली इकाई को 2006-2007 में 4.59 करोड़ रुपए की हानि हुई है।

(ख) दिल्ली इकाई में हानि का मुख्य कारण कड़ी प्रतिस्पर्द्धा और लैंडलाइन में कमी होना है। एम.टी.एन.एल. दिल्ली में अनेक कनेक्शन ऐसे हैं जो पारंपरिक प्रणाली पर कार्य कर रहे हैं जिनके रखरखाव के लिए स्थायी लागतें अपेक्षित होती हैं (इन भुगतानों के प्रति एम.टी.एन.एल. की प्रतिबद्धता के कारण) जिनमें कमी करना कठिन है। यह पहला ऐसा वर्ष है जिसमें दिल्ली इकाई ने प्रचालनात्मक हानि दर्शाई है।

(ग) दिल्ली इकाई को पहली बार वर्ष 2006-07 में 4.59 करोड़ रुपए की हानि हुई है।

(घ) स्थिति में सुधार लाने की दृष्टि से निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- नए लैंडलाइन उपभोक्ताओं को आकर्षित करने और मौजूदा लैंडलाइन उपभोक्ता आधार को बनाए रखने के लिए विभिन्न स्कीमों की शुरुआत करना।
- जी.एस.एम. तथा ब्रॉडबैंड कनेक्शनों में बढ़ोत्तरी करने पर अधिक जोर देना।
- दिल्ली और मुंबई इकाइयों को 95 डायलिंग (स्थानीय काल) सुविधा के अंतर्गत शामिल करना।
- लचीली प्रशुल्क नीतियों की पेशकश करना।
- प्रशासनिक तथा प्रचालनात्मक लागत को कम करने के लिए व्यय को युक्तिसंगत बनाना।
- कर्मचारी लागत में कमी लाने के लिए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वी.आर.एस.) लागू करना।
- प्रचालक के रूप में विदेशों में प्रचालन कार्य करना।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर में बाढ़ की समस्या

124. श्री मणी कुमार सुब्बा:

श्री नारायण चन्द्र बरकटकी:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम तथा पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में हाल ही

में हुई भारी बारिश तथा बाढ़ नियंत्रण उपकरणों, मकानों, फसलों तथा चल संपत्तियों सहित अवसंरचना को हुई हानि का ब्यौरा क्या है;

(ख) तत्संबंधी अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) पीड़ितों के कष्टों को दूर करने तथा हानियों को कम करने और क्षतिग्रस्त अवसंरचना का पुनर्निर्माण करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा कितनी सहायता दी गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) वर्तमान दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान अभी तक भारत के उत्तर पूर्व भाग से असम और अरुणाचल राज्यों में भारी वर्षा/बाढ़ इत्यादि के कारण नुकसान की सूचना दी है। इन राज्यों से प्राप्त आरम्भिक सूचना के अनुसार जान और माल के नुकसान की मात्रा विवरण-I में दी गई है।

(ख) अरुणाचल प्रदेश सरकार की सूचना के अनुसार आवास, फसल और जन सम्पत्ति को हुए नुकसान की कुल अनुमानित लागत लगभग 6.00 करोड़ रुपए है।

(ग) यह मूल रूप से सम्बन्धित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में आपदा राहत निधि (सी.आर.एफ.) जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारें योगदान करती हैं, में से बचाव और राहत कार्य आरम्भ करें। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को गम्भीर रूप की आपदा में राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि (एन.सी.सी.एफ.) से निर्धारित प्रक्रिया को अपनाने के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने हिस्से के रूप में 2007-08 के लिए किए गए आबंटनों और सी.आर.एफ. के अधीन जारी पहली किस्त का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। असम और अरुणाचल प्रदेश से एन.सी.सी.एफ. से अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग के लिए कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण-I

(क) 2007 के दौरान असम में बाढ़ के कारण हुई क्षति की मात्रा

क्र.सं.	क्षति का विवरण	संख्या
1.	बाढ़ में प्रभावित जिलों की कुल संख्या	26
2.	प्रभावित गांवों की संख्या	946
3.	प्रभावित फसल क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)	3.55
4.	प्रभावित जन संख्या (लाख में)	67.48
5.	बाढ़ में मारे जाने वाले लोगों की संख्या	35
6.	क्षतिग्रस्त घरों की संख्या	10091
7.	क्षतिग्रस्त पी.डब्ल्यू.डी. सड़कों की संख्या	773
8.	क्षतिग्रस्त एस.पी.टी. सेतुओं की संख्या	66
9.	क्षतिग्रस्त आर.सी.सी. सेतुओं की संख्या	25
10.	प्रभावित टाइप जल आपूर्ति स्कीमों की संख्या	301
11.	क्षतिग्रस्त सिंचाई स्कीमों की संख्या	5

(ख) *अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा सूचित क्षति की मात्रा*

क्र.सं.	क्षति का विवरण	संख्या
1.	क्षतिग्रस्त घरों की संख्या	16

विवरण-II

केन्द्रीय योगदान और राज्य के योगदान के लिए की गई निर्मुक्तियों का ब्यौरा और आपदा राहत निधि के केन्द्रीय हिस्से की पहली किस्त

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2007-08 के दौरान सी.आर.एफ. के तहत किया गया आवंटन		केन्द्र सरकार द्वारा जारी राशि
		केन्द्र का हिस्सा	राज्य का हिस्सा	केन्द्र का हिस्सा
1.	असम	153.36	51.12	76.68
2.	अरुणाचल प्रदेश	22.48	7.49	11.24

[हिन्दी]

भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा डब्ल्यू.आई.एम.ए. एक्स सेवा

125. **श्री संजय धोत्रे:**

श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड का विचार देश में मोबाइल डब्ल्यू.आई.एम.ए. एक्स सेवा शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा शकील अहमद): (क) जी, हां। बी.एस.एन.एल. की देश में डब्ल्यू.आई.एम.ए. एक्स सेवाएं शुरू करने की योजना है, जो भविष्य में मोबिलिटी में सहायता प्रदान करेगी।

(ख) बी.एस.एन.एल. आई.ई.ई.ई. 802.16 ई-2005 मानक पर आधारित डब्ल्यू.आई.एम.ए. एक्स प्रणालियों के प्रापण हेतु निविदा आमंत्रित करेगा। भविष्य में इन प्रणालियों से मोबिलिटी संबंधी सुविधाओं में सहायता मिलेगी। बी.एस.एन.एल. की फ्रेन्चाइजियों के माध्यम से डब्ल्यू.आई.एम.ए. एक्स सेवाएं प्रदान करने की योजना है।

फसल अनुमान की नई तकनीक

126. **श्री अविनाश राय खन्ना:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार फसल अनुमान के लिए नई तकनीकों का उपयोग करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक नई तकनीक का उपयोग किया जा सकेगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा अंतरिक्ष विभाग के सहयोग से एक योजना स्कीम "फसल क्षेत्रफल तथा उत्पादन आकलन" शुरू की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य रिमोट-सेन्सिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके फसलों का क्षेत्रफल तथा कटाई पूर्व उत्पादन मूल्यांकन का विकास करना तथा तकनीक का दर्जा बढ़ाना है। एक परियोजना नामतः "अंतरिक्ष के उपयोग करके कृषि पैदावार का पूर्वानुमान, कृषि मौसम विज्ञान तथा भू-आधारित अवलोकन" (फसल) अगस्त, 2006 में शुरू की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य कृषि मौसम विज्ञान, भू तथा अंतरिक्ष जनित माप, ईकोनोमेट्रिक तकनीकियों के एकीकृत उपयोग द्वारा क्षेत्र तथा प्रमुख फसलों के उत्पादन के बारे में शीघ्र तथा मौसम के दौरान बहु-पूर्वानुमान लगाना है। परियोजना, प्रत्येक दो वर्षों के तीन चरणों में लागू होगी।

[अनुवाद]

सेंट्रल टेलीग्राफिक आफिस का बदलना

127. **श्री के.सी. पल्लानीशामी:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के सभी सेंट्रल टेलीग्राफिक ऑफिसों को टेलीकाम कस्टमर सर्विसेज सेंटर्स में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो बी.एस.एन.एल. तथा एम.टी.एन.एल. द्वारा अपने उपभोक्ताओं को कौन-कौन सी सुविधाएं प्रदान करने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा शकील अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केंद्रीय तार घर एम.टी.एन.एल. के अंतर्गत कार्य नहीं कर रहे हैं। बी.एस.एन.एल. केंद्रीय तार घर उपभोक्ताओं को सभी तार सेवाओं के साथ-साथ दूरसंचार सेवाएं भी प्रदान कर रहे हैं। अतः केंद्रीय तार घरों को दूरसंचार उपभोक्ता सेवा केंद्रों में बदलने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।

राज्य में सूखे की स्थिति

128. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कतिपय भाग इस समय सूखे की गिरफ्त में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान इसके कारण प्रत्येक राज्य को कितनी हानि हुई है;

(घ) राज्यवार कितनी सहायता तथा खाद्यान्न मांगा गया है; और

(ङ) आज की स्थिति के अनुसार समस्या से निपटने के लिए वास्तव में राज्यवार कितनी राशि जारी की गई तथा खाद्यान्न प्रदान किया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ङ) दक्षिण-पश्चिम मानसून 2007 के दौरान अपर्याप्त/कम वर्षा के कारण किसी भी राज्य सरकार ने अब तक सूखे जैसी स्थिति संबंधी रिपोर्ट नहीं दी है। तथापि, राज्यों के आपदा राहत कोष (सी.आर.एफ.) में निधियों की तत्काल उपलब्धता रहती है ताकि वे सूखे सहित प्राकृतिक आपदाओं के आने पर तत्काल राहत उपाय कर सकें।

[हिन्दी]

भूमि विकास बैंक के लिए कृतिक बल

129. **श्री रघुबीर सिंह कौशल:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भूमि विकास बैंक के पुनरुद्धार हेतु कोई कृतिक बल गठित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भूमि विकास बैंक का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के साथ विलय करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना (दीर्घावधि) के पुनः सक्रियकरण संबंधी एक कृतक बल का गठन प्रोफेसर ए. वैधनाथन की अध्यक्षता में किया जिसने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और सरकार ने इसकी सिफारिशों पर विभिन्न पणधारियों के साथ परामर्श करने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

[अनुवाद]

विभिन्न फसलों की उन्नत किस्में

130. **श्री कुलदीप बिश्नोई:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती से निपटने के लिए गेहूं, मक्का तथा अन्य फसलों की उच्च तापमान सह्य किस्मों को विकसित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) उच्च तापमान सह्य फसलों की किस्में विकसित करने तथा इस मामले पर किसानों को शिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उच्च तापमान के प्रति सहिष्णुता वाली फसल किस्मों के विकास पर जोर दे रही है। एन.आई.ए.डब्ल्यू.-34, राज-3765, राज-4037 और डी.बी.डब्ल्यू.-14 जैसी गेहूं की किस्में बढ़ते हुए तापमान को सहन करने में सक्षम हैं। चावल में, नामतः रासी, वजराम, गोविंद, उमा, स्वर्ण, सलीवहन और संकर डी.आर.आर.एच.-2 और सुरूचि किस्में उच्च तापमान के प्रति सहिष्णु हैं। मक्का संकरों जैसे कि एच.एम.-5, एच.क्यू.पी.एम.-1, शक्तिमान-3 और शक्तिमान-4 उपलब्ध हैं जिन्होंने उच्च तापमान में अच्छी उपज दी है, विशेष रूप से रबी मौसम के दौरान।

(ग) लागू नहीं।

(घ) फसलों की उच्च तापमान सहिष्णु किस्में विकसित करने के लिए विशेष अनुसंधान परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। किसानों और विकासात्मक विभागों को सहिष्णु किस्मों के उपयोग और संबंधित प्रबंधन क्रियाओं के संबंध में उपयुक्त सलाह दी जाती है।

इंटरनेट, ई-मेल तथा कम्प्यूटर सुविधाएं

131. **श्री रनेन बर्मन:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों विशेष रूप से पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में इंटरनेट, ई-मेल तथा कम्प्यूटर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई व्यापक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा शकील अहमद): (क) और (ख) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने पहले पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में ब्लॉक स्तर पर 242 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से 487 सामुदायिक सूचना केन्द्र (सी.आई.सी.) स्थापित करने तथा इन सामुदायिक सूचना केन्द्र को 5 वर्षों तक चलाने की एक योजना आरम्भ की थी, जिसके पश्चात इन सामुदायिक सूचना केन्द्रों का प्रबंध संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाना था। वर्ष 2005 में पूर्वोत्तर में 68 और सामुदायिक सूचना केन्द्र स्थापित किए गए। इनमें से कुल 45 सामुदायिक सूचना केन्द्र सिक्किम में भी स्थापित किए गए हैं।

इसके अलावा, सरकार ने पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम सहित पूरे देश में सामान्य सेवा केन्द्र (सी.एस.सी.) नामक 1,00,000 ब्रॉड बैण्ड इंटरनेट समर्थित कियोस्क स्थापित करने तथा 4 वर्षों तक इन्हें चलाने की सुविधा प्रदान करने के लिए हाल ही में एक योजना अनुमोदित की है। इन केन्द्रों की स्थापना सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से की जाएगी तथा इन केन्द्रों द्वारा नागरिकों के द्वार पर सरकारी तथा निजी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सी.एस.सी. योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश www.mit.gov.in में दिए गए हैं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

उड़ीसा में किसान काल सेंटर

132. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में किसान काल सेंटर स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ये कहां-कहां स्थापित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार और ऐसे सेंटर खोलने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ङ) किसान कॉल सेन्टर (के.सी.सी.) वर्तमान में 14 स्थानों में अवस्थित हैं जैसाकि अनुबन्ध में सूची दी गई है। इन 14 स्थानों से पूरे देश को कवर किया जा रहा है। उड़ीसा राज्य के किसानों के प्रश्नों को कोलकाता में अवस्थित के.सी.सी. द्वारा निपटाया जा रहा है।

के.सी.सी. की स्थापना कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा चुने गए एक निजी वैन्डर ने निर्धारित प्रक्रियाओं के माध्यम से की थी। इस प्रयोजना के लिए नई निविदा मांगी गई है। इसमें निदर्शित किया गया है कि विवरण में दी गई सूची के अनुसार पूरे देश को कवर करने के लिए 27 स्थानों में ये केन्द्र अवस्थित किए जाएंगे।

विवरण

के.सी.सी. की अवस्थिति

क्र. सं.	विद्यमान स्थान	निविदा दस्तावेज में निदर्शित स्थान
1	2	3
1.	हैदराबाद	हैदराबाद
2.	गुवाहाटी	गुवाहाटी
3.	कोलकाता	कोलकाता
4.	इन्दौर	जबलपुर
5.	नई दिल्ली	नई दिल्ली
6.	अहमदाबाद	आनन्द
7.	चंडीगढ़	चंडीगढ़
8.	जम्मू	जम्मू
9.	बंगलौर	बंगलौर
10.	कोची	त्रिचुर
11.	मुम्बई	नागपुर
12.	जयपुर	जयपुर
13.	चैन्नई	कोयम्बटूर
14.	कानपुर	कानपुर
15.	–	समस्तीपुर
16.	–	इम्फाल
17.	–	शिलांग
18.	–	आइजौल
19.	–	कोहिमा
20.	–	भुवनेश्वर
21.	–	शिमला
22.	–	गंगटोक
23.	–	अगरतला
24.	–	देहरादून
25.	–	रांची
26.	–	रायपुर
27.	–	ईटानगर

सेना संग्रहालय

133. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:

श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना संग्रहालय की स्थिति काफी खराब है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संग्रहालय के कुप्रबंधन की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने कोई नीतिगत योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) से (घ) भारतीय सेना का कोई केन्द्रीय संग्रहालय नहीं

है। तथापि, विभिन्न कोरों के रेजिमेंटल केन्द्रों और कुछेक विरचनाओं के मुख्यालयों के संग्रहालय हैं। ये अच्छी तरह से अनुरक्षित हैं।

[अनुवाद]

टेलीफोन कॉल शुल्क में कमी

134. **श्री प्रहलाद जोशी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार उद्योग द्वारा राजस्व भागीदारी, स्पेक्ट्रम शुल्क तथा अन्य शुल्कों जैसे शुल्कों को कम करने की लगातार मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या कॉल शुल्क का 28 प्रतिशत विभिन्न शुल्कों के रूप में सरकार के पास वापस चला जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कॉल शुल्क को काफी कम करने के इसके उपाय के रूप में इन शुल्कों को घटाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) दूरसंचार क्षेत्र में लागू होने वाले करों और लेवी के मौजूदा ढांचे का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

नदियों का राष्ट्रीयकरण

135. **श्री एस.के. खारवेनथन: क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश की कुछ नदियों का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किन-किन नदियों की इस प्रयोजन के लिए पहचान की गई है तथा इसमें से प्रत्येक के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) कब तक नदियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा;

(घ) क्या इस तिथि को निकट भविष्य में आगे बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पशु-मानव आबादी अनुपात

136. **श्री नरहरि महतो: क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार पशु और मानव आबादी के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ख) पशुधन की राज्यवार विकास दर क्या है;

(ग) भारत तथा अन्य देशों में चारे की प्रति पशु उपलब्धता कितनी है; और

(घ) भारत तथा अन्य देशों में चारागाहों का कुल क्षेत्रफल कितना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) देश में पशुधन गणना 2003 में आयोजित की गई थी जबकि जनसंख्या 2001 में आयोजित की गई थी। राज्यवार पशुधन संख्या तथा जनसंख्या के तुलनात्मक आंकड़े और राज्यवार पशुधन संख्या की वृद्धि दर विवरण में दी गई है।

(ग) भारत में वर्ष 2003 के लिए बोवाइन पशुओं के लिए प्रति पशु चारे की उपलब्धता इस प्रकार है:-

वर्ष 2003	हरा चारा	सूखा चारा	कुल
अनुमानित कुल चारा उत्पादन (मिलियन टन)	462.05	393.88	855.93
कुल बोवाइन संख्या (मिलियन) - 2003	283.45	283.45	283.45
प्रतिदिन प्रति बोवाइन पशु चारा उपलब्धता (कि.ग्रा.)	4.47	3.81	8.27

(घ) वर्ष 2005 के दौरान भारत तथा कुछ प्रमुख देशों में कुल पाश्चर भूमि का कुल क्षेत्रफल नीचे दिया गया है:-

देश	क्षेत्रफल ('000 हेक्टेयर)
1	2
भारत	10530
आस्ट्रेलिया	395407
संयुक्त राज्य अमेरिका	237600
रूस गणराज्य	92099
कजाकिस्तान	185098

विवरण

राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	जनसंख्या ('000 में)	पशुधन संख्या ('000 में)	पशुधन की वृद्धि दर (%)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	76210	48195	33.84
अरुणाचल प्रदेश	1098	1257	21.12
असम	26656	13829	8.72
बिहार	82999	27162	**
छत्तीसगढ	20834	13493	-0.37
गोवा	1348	212	-14.24
गुजरात	50671	21655	8.65
हरियाणा	21145	8885	-14.68
हिमाचल प्रदेश	6078	5116	-2.07
जम्मू-कश्मीर	10144	9899	7.27
झारखण्ड	26946	15826	**
कर्नाटक	52851	25621	-10.19
केरल	31841	3481	-18.89
मध्य प्रदेश	60348	35617	5.48
महाराष्ट्र	96879	36763	-7.23
मणिपुर	2167	971	-7.60
मेघालय	2319	1551	8.94

1	2	3	4
मिजोरम	889	280	26.32
नागालैण्ड	1990	1349	13.59
उड़ीसा	36805	23391	0.23
पंजाब	24359	8608	-12.68
राजस्थान	56507	49136	-10.10
सिक्किम	541	337	23.42
तमिलनाडु	62406	24942	3.38
त्रिपुरा	3199	1458	-30.74
उत्तरांचल	8489	4943	7.77
उत्तर प्रदेश	166198	58531	3.75
पश्चिम बंगाल	80176	41619	12.49
अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	356	196	4.30
चण्डीगढ़	901	31	-11.87
दादर एवं नागर हवेली	220	78	-9.54
दमन एवं दीव	158	10	-7.02
दिल्ली	13851	373	1.34
लक्षद्वीप	61	52	77.71
पाण्डिचेरी	974	133	9.95
अखिल भारत	1028610	485002	-0.08

नोट: **बिहार मे 1997 में पशुधन गणना आयोजित नहीं की थी।

इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा उपभोक्ताओं से अधिक पैसा वसूलना

137. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय इंटरनेट सेवा प्रदाता (आई.एस.पी.) उपभोक्ताओं से उनकी स्पष्ट सहमति प्राप्त किए बिना मूल्य संवर्धन हेतु उनसे शुल्क वसूलते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है/किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा शकील अहमद): (क) और (ख) इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा अधिक वसूली संबंधी ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 12-09-2005 को इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को इस आशय के निदेश जारी किए हैं कि "कोई भी समूल्य सेवा अथवा वैकल्पिक पैक किसी ग्राहक को उसकी स्पष्ट सहमति के बिना नहीं दिए जाएंगे और किसी भी ऐसी सेवा को, जो पहले बिना मूल्य के दी जा रही थी, बिना ग्राहक की स्पष्ट सहमति के समूल्य नहीं बनाया जाएगा"।

अल्पसेवा कमीशन के अन्तर्गत भर्ती

138. श्री मिलिन्द देवरा: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.ए.एफ. की फ्लाइंग शाखा में अल्प सेवा कमीशन (एस.एस.सी.) के अन्तर्गत सेवा हेतु पात्र पुरुष तथा महिलाओं दोनों को स्वीकृति दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो आई.ए.एफ. के फ्लाइंग ब्रांच में अल्प सेवा कमीशन (एस.एस.सी.) में भर्ती के लिए पुरुषों को अनुमति देने के क्या कारण हैं;

(ग) अल्प सेवा कमीशन में पुरुषों को भर्ती करने की अनुमति देने से आई.ए.एफ. की फ्लाइंग ब्रांच में विमान-चालकों की कमी को कितना पूरा किया जा सकेगा;

(घ) आई.ए.एफ. की फ्लाइंग ब्रांच में विमान-चालकों की कितनी कमी है और इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या फ्लाइंग ब्रांच में एस.एस.सी. अधिकारियों की सेवा अवधि में संशोधन करके बिना विस्तार के 14 वर्ष कर दिया गया है; और

(च) यदि हां, इसके क्या कारण हैं और पहले सेवा अवधि कितनी थी?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय वायुसेना की उड़ान शाखा में अफसरों की कमी के मद्देनजर सरकार ने उड़ान शाखा में अल्प सेवा कमीशन के अन्तर्गत पुरुषों को पात्र बनाने के लिए हाल ही में प्रस्ताव अनुमोदित किया है। महिलाएं पहले ही उड़ान तथा कुछ अन्य खाशाओं में अल्प सेवा कमीशन के तहत भर्ती के लिए पात्र थीं।

(ग) संशोधित योजना के तहत भर्तियां जनवरी, 2008 से शुरू करते हुए चरणबद्ध रूप से की जाएंगी।

(घ) इस समय, 02 जुलाई, 2007 की स्थिति के अनुसार 683 पायलटों की कुल कमी है। ये रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएंगी।

(ङ) जी, हां।

(च) यह संशोधन भारतीय वायुसेना में इन प्रशिक्षित पायलटों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।

नौकरी की अवधि पहले 10 वर्ष थी जिसे एक बार 4 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता था।

[हिन्दी]

भारत-चीन संयुक्त सैन्य अभ्यास

139. श्री राजनरायन बुधौलिया: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-चीन संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए रूपरेखा तैयार कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) भारत के गणराज्य के रक्षा मंत्रालय और चीनी लोक गणराज्य के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के बीच 29 मई, 2006 को रक्षा क्षेत्र में आदान-प्रदान और सहयोग करने के लिए एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौता-ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान भी शामिल है कि दोनों देश खोज एवं बचाव, समुद्री डकैती रोकने, आतंकवाद-रोधी और आपसी-हित के अन्य क्षेत्रों में संयुक्त सैन्य अभ्यास करने का प्रयास करेंगे।

डाल्फिन और गरूड़ सेवा का खराब सिग्नल

140. **चौ. मुनव्वर हसन:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम.टी.एन.एल. की मोबाईल सेवा नामतः गरूड़ और डाल्फिन के सिग्नल प्रायः मिलते नहीं हैं जबकि अन्य कंपनियों द्वारा संचालित मोबाइल सेवा के सिग्नल दिल्ली और मुम्बई में सभी स्थानों पर मिल जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा शकील अहमद): (क) जी, नहीं। एम.टी.एन.एल. की डॉल्फिन/गरूड़ सेवाओं के सिग्नल दिल्ली/मुंबई में अधिकांश जगहों पर प्राप्त किए जा रहे हैं और मोबाइल सेवा अन्य निजी प्रचालकों के समस्तरीय है। तथापि, मुंबई में लगभग 342 बी.टी.एस. और दिल्ली में लगभग 307 बी.टी.एस. बढ़ाए जा रहे हैं ताकि कवरेज में और सुधार किया जा सके तथा अतिरिक्त क्षमता संबंधी आवश्यकता पूरी की जा सके।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु विश्व बैंक ऋण

141. **श्री अनवर हुसैन:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हमारे देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली को सुधारने के लिए विश्व बैंक ऋण उपलब्ध करा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी ऋण राशि उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) राज्यों में इन परियोजनाओं को किस प्रकार क्रियान्वित किया जाएगा और इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या भूमिका है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जी हां।

(ख) अंतरराष्ट्रीय विकास संस्था (आई.डी.ए.) ने जून 2007 में 400 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन हेतु 'व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना' के लिए केन्द्रीय अंश के रूप में 280 मिलियन यू.एस. डालर (1231 करोड़ रुपये के समतुल्य) के ऋण को अनुमोदन प्रदान किया है। विगत तीन वर्षों में कोई राशि उपलब्ध नहीं करवाई गई।

(ग) परियोजना में, केन्द्र और राज्य सरकार के मध्य, पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम जहां 90:10 का अनुपात है, को छोड़कर, क्रमशः 75:25 के अनुपात में सहभागिता आधार पर लागत वहन से 400 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन की परिकल्पना की गई है। संबंधित राज्य में योजना के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का होगा।

[हिन्दी]

कृषि भूमि

142. **श्री सज्जन कुमार:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में राज्य-वार कृषि भूमि के रूप में श्रेणीबद्ध भूमि का क्षेत्रफल कितने एकड़ है; और

(ख) देश में गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार किसानों की संख्या कितनी दर्ज की गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) उपलब्ध अनुमान के अनुसार वर्ष 2005-06 के दौरान देश में कृष्य भूमि/कृषि योग्य भूमि 182.58 मिलियन हैक्टेयर है और कृषि संगणना 2000-01 के अनुसार, किसानों की संख्या लगभग 120.82 मिलियन है। कृष्य भूमि की मात्रा और किसानों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

देश में राज्य वार कृष्य भूमि (कृषि योग्य भूमि) और किसानों की संख्या

(क्षेत्र 000 हैक्टेयर में और किसानों की संख्या 000 में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	राज्य-वार कृष्य भूमि की मात्रा और किसानों की संख्या	
		कृष्य भूमि (कृषि योग्य भूमि)*	किसानों की संख्या**
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	15772.00	11532
2.	अरुणाचल प्रदेश	314.00	107
3.	असम	3224.00	2603
4.	बिहार	6639.00	11574
5.	छत्तीसगढ़	5590.00	3255
6.	गोवा	197.00	64
7.	गुजरात	12412.00	4134
8.	हरियाणा	3780.00	1528
9.	हिमाचल प्रदेश	804.00	914
10.	जम्मू-कश्मीर	1050.00	1443
11.	झारखण्ड	4184.00	उ.न.
12.	कर्नाटक	12905.00	7079
13.	केरल	2323.00	6657
14.	मध्य प्रदेश	17337.00	7360
15.	महाराष्ट्र	21167.00	13258
16.	मणिपुर	245.00	149
17.	मिजोरम	218.00	76
18.	मेघालय	1058.00	214
19.	नागालैण्ड	644.00	144

1	2	3	4
20.	उड़ीसा	7473.00	4067
21.	पंजाब	4270.00	997
22.	राजस्थान	25630.00	5819
23.	सिक्किम	154.00	51
24.	तमिलनाडु	8164.00	7859
25.	त्रिपुरा	310.00	479
26.	उत्तर प्रदेश	19307.00	21668
27.	उत्तरांचल	1511.00	891
28.	पश्चिम बंगाल	5749.00	6790
29.	दिल्ली	58.00	28
30.	पाण्डिचेरी	31.00	38
31.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	24.00	11
32.	चण्डीगढ़	2.00	1
33.	दादर एवं नागर हवेली	24.00	14
34.	दमन एवं द्वीव	2.00	6
35.	लक्षद्वीप	3.00	10
	कुल	182575.00	120820

*अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार

**कृषि संगणना 2000-01 के अनुसार

पशुधन का विकास

143. **श्री तूफानी सरोज:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विभिन्न राज्यों में पशुधन के विकास हेतु केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान उक्त योजना के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गयी है; और

(ग) उत्तर प्रदेश में पशुपालन में लगे व्यक्तियों में से अब तक उक्त योजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की अनुमानित संख्या कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) देश के विभिन्न राज्यों में पशुधन विकास के लिए क्रियान्वित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग पशुधन विकास से संबंधित किसी भी योजना के तहत कोई राज्यवार आबंटन नहीं करता है। तथापि, राज्यों को निधियां, निधियों की उपलब्धता, उनसे प्राप्त प्रस्तावों की व्यवहार्यता तथा उनकी विगत उपयोगिता के आधार पर जारी की जाती हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए योजनावार आबंटन को दर्शाने वाला ब्यौरा भी उसी विवरण में दिया गया है।

(ग) उत्तर प्रदेश में, जबकि "खुरपका एवं मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम" से 35 लाख लोग, "राज्य कुक्कुट/बत्तख फार्मों को सहायता" के तहत 30 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं तथा "पशुरोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता" नामक योजना के तहत लगभग 1 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं।

विवरण

वर्ष 2007-08 के दौरान योजनावार आबंटन

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	योजना का नाम	बजट प्राक्कलन 2007-08
1.	राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन कार्यक्रम परियोजना	51.00
2.	केन्द्रीय प्रायोजित चारा विकास योजना	8.13
3.	राज्य कुक्कुट/बत्तख फार्मों को सहायता	17.70
4.	ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास (नई)	18.04
5.	छोटे जुगाली करने वाले पशुओं का समेकित विकास (नई)	10.22
6.	संकटाधीन पशुधन नस्लों का संरक्षण	2.21
7.	सूअर विकास के लिए राज्यों को सहायता (नई)	9.48
8.	पशुधन बीमा	35.00
9.	पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता	52.11
10.	राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना	3.15
11.	खुरपका तथा मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम	24.95
	कुल	231.99

[अनुवाद]

स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट

144. **श्री सी.के. चन्द्रप्पन:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल के विभिन्न जिलों में कृषि संबंधी संकट की समस्याओं को अध्ययन करने के लिए नियुक्त स्वामीनाथन समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) अलापुझा जिले में कुट्टानाड नम भूमि के विकास और इडुक्की जिले में कृषिजन्य विपदा के

शमन हेतु कार्यक्रमों का सुझाव देने संबंधी अध्ययन कार्य एम.एस. स्वामीनाथन अनुसंधान फाउन्डेशन को सौंपा गया है। इस फाउन्डेशन ने दिनांक 6 अगस्त, 2007 को अलापुझा जिले में कुट्टानाड नम-भूमि के विकास के संबंध में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) संस्तुत क्रियाकलापों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। सरकार इस फाउन्डेशन द्वारा की गई सिफारिशों पर विभिन्न पणधारियों से परामर्श करेगी।

विवरण

अलपुझा में कृषि जन्य विपदा को कम करने और कुट्टानाड नमभूमि पारिस्थितिकीय प्रणाली संबंधी उपायों पर एम.एस. स्वामीनाथन अनुसंधान फाउन्डेशन द्वारा दी गई रिपोर्ट में निहित संस्तुत क्रियाकलापों के ब्यौरे:-

क्र.सं.	क्रियाकलापों के ब्यौरे
क.	**क. पारिस्थितिकीय सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण**
टास्क 1	जल प्लावित क्षेत्र का संरक्षण और पारिस्थितिकीय पुनःस्थापन
टास्क 2	कुट्टानाड में लवणीयता एवं बाढ़ प्रबन्धन हेतु उपाय
2.1	लवणीयता के प्रबन्धन और पारिस्थितिकीय क्षण को कम करने के लिए टी.एम.बी. का आधुनिकीकरण
2.2	टी.एस.डब्ल्यू. और प्रमुख चैनल की कुशलता में सुधार
2.3	सी एवं डी और रानी चिथरिया ब्लाकों के निकटवर्ती कयाल क्षेत्र में बाढ़ के जल का विनियमन
2.4	सभी ब्लाकों को हटाकर ए.सी. नहर का पूर्ण निर्माण
2.5	मानिटरिंग और मूल्यांकन
2.6	टी.एम.बी. प्रचालन और कयाल पारिस्थितिकीय पर संक्षम संगठनों के एक संघ द्वारा अनुसंधान अध्ययन को समर्थन
टास्क 3	प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपाय
3.1	फेरो सीमेन्ट सेप्टिक टैंकों से जुड़े घरेलू शौचालयों का व्यक्तिगत रूप से अथवा कुछ घरों के एक समूह द्वारा प्रयोग
टास्क 4	एक्वाटिक वीडस का सकल निष्कासन
4.1	जल हयासिन्थ के निष्कासन के लिए समूचे कुट्टानाड में और अलपुझा के बाकी क्षेत्रों में प्रणालीबद्ध कार्यक्रम
टास्क 5	बैक वाटरों में जैव विविधिता में तेजी लाने के उपाय
5.1	वेम्बानाड कयाल और कायमकुलम कयाल के कच्छ वनस्पति पुरःस्थापन को बढ़ावा देना
5.2	जीवन चक्र दृष्टिकोण के आधार पर पीरेल स्पाट (कारीमीन) और बड़े झींगों (जाइन्ट प्राउन्स) हेतु उत्पादकता के पुनरुद्धार के कार्यक्रम
टास्क 6	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में सुधार

क्र.सं.	क्रियाकलापों के ब्यौरे
6.1	फेरो-सीमेन्ट टैंकों का प्रयोग करने वाले सभी मकानों के लिए छतों पर वर्षा जल संचयन की व्यवस्था
	उप योग
ख. 1	**कृषि आधारित जीविका**
टास्क 1	कुट्टनाड को विशेष कृषि जोन के रूप में घोषित करना
टास्क 2	धान की खेती को अवसंरचनात्मक समर्थन प्रदान करना
2.1	के.डब्ल्यू.एस., आनटुकारा और तुराऊर-पट्टनकाडु नदियों, नहरों, नालों और तालाबों जैसे जल निकाओं में पुनःस्थापन की जरूरत
2.2	पूरे कारीयार में 33 स्थायी कोटाचिरा का आरुमुथुस निर्माण
2.3	धान की खेती को बढ़ावा देने के लिए अन्य अवसंरचना का प्रावधान
2.3.1	पादशेखरम स्तर पर सामान्य प्रयोग के लिए पम्प एवं कृषि मशीनरी की आपूर्ति
2.3.2	2.3.2 ओनाटुकारा प्रथम धान की खेती संबंधी अधिभार
2.3.3	ओनाटुकारा में चावल तिल चक्रण का संवर्धन
टास्क 3	फसल कैलेन्डर को प्रभावी बनाना
3.1	कुट्टानाड और ओनाटुकारा के लिए प्रमाणित बीज उत्पादन
3.2	मृदा परीक्षण आधारित उर्वरक अनुप्रयोग हेतु समर्थन
3.3	कीट पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी सेवा
टास्क 4	अनुसंधान और विस्तार का सुदृढीकरण
4.1	स्थान विशिष्ट अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण का संवर्धन
4.1.2	फार्म मशीनरी अनुसंधान, विकास और प्रशिक्षण हेतु केन्द्र की स्थापना
4.1.3	नारियल क्लाइमबिंग मशीन पर अनुसंधान तथा विकास
4.1.4	नायरानम में डक हैचरी की क्षमता
टास्क 5	आर्थिक व्यवहार्यता
5.1	मूल्य एवं विपणन
5.1.1	कुट्टानाड में धान के गोदामों की स्थापना
5.2	फार्मश्रम रोजगार सुरक्षा एवं कल्याण

क्र.सं.	क्रियाकलापों के ब्यौरे
5.2.2	फार्म मशीनरी प्रचालन जैसे दक्ष कृषि कार्यों में युवाओं को प्रशिक्षण
5.2.3	अध्ययन क्षेत्र में 'कृषि क्लीनिकों' की स्थापना एवं समर्थन
5.3	कृषक एवं कृषक श्रम कल्याण उपाय
5.3.1	पुराकादकारी में उत्पादन बोनस का संवर्धन
5.3.2	कृषि एवं आर्थिक कार्यकलापों को फिर से शुरू करने के लिए किसानों को तत्काल राहत
5.3.3	महिला श्रमिकों के उपयोग के लिए क्रशेस की स्थापना
टास्क 6	नारियल आधारित उद्यमों और समेकित कृषि
6.1.1	रोगग्रस्त और कम उपज वाली पामों के पुनःरोपण पर क्रैश कार्यक्रम को समर्थन
6.1.2	स्वास्थ्य एवं उत्पादकता में सुधार लाने के लिए विशाल नारियल पुनरुत्थान कार्यक्रम
6.1.3	उद्यान भूमि में समेकित पशुधन एवं फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक मुश्त समर्थन
6.1.4	बत्तखों को बीमा कवर प्रदान करना - प्रीमियम पर राजसहायता
6.1.5	समूह आधारित और मण्डी से जुड़ी मूल्यवर्धन का संवर्धन-अवसंरचना के लिए समूहों का एक बारगी समर्थन
6.2	आर्थिक तथा पारिस्थितिकीय सुरक्षा हेतु धान मत्स्य समेकन और कृषक प्रशिक्षण
6.3	डी.ओ.ए.-डी.ओ.एफ.-के.ए.यू. संयुक्त रूप से कृषकों को प्रशिक्षण दें एवं क्षमता निर्माण करें
ख. 2	**अन्तर्देशीय मात्स्यिकी आधारित जीविका**
टास्क 1	वेम्बानाडु कयाल की मत्स्य सम्पदा को बढ़ावा देने की कार्यवाही
1.1	समूह आधारित केज - राजसहायता समर्थन
1.2	रैचिंग जिसमें पोस्ट-लाखा का बड़े पैमाने पर हैचरी पालन युक्त उत्पादन शामिल है
1.3	पर्याप्त गुणवत्ता वाले फिंगरलिंग्स को बढ़ाने के लिए फिश हैचरिया
1.4	मीठे पानी में प्रान और करीमीन तत्कालिक संरक्षण उपाय आर.आर.एस., कुम
टास्क 2	मत्स्य अवसंरचना, क्षमता और मछुवारा कल्याण संवर्धन
2.1	सजावटी मछली पालन पर समूह आधारित उद्यम
2.2	मछली पालन से जुड़े समुदायों के लिए शीत भंडारण सुविधा
2.3	मछुवारों का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण तथा कुट्टवाड फिंगरलिंग्स उत्पादन प्रसंस्करण ईकाईयों में स्वच्छता एवं सफाई में सुधार लाना

क्र.सं.	क्रियाकलापों के ब्यौरे
ख. 3	**कुट्टनाड और स्थानीय पारिस्थितिकी में जल पर्यटन**
टास्क 1	उत्तरदायी पर्यटन को सुविधा प्रदान करने के लिए अवसंरचना समर्थन
1.2	कृषक परिवारों को शामिल करके कृषि पर्यटन की शुरुआत एवं उसका संवर्धन

दूरसंचार क्षेत्र में शुल्कों को युक्तिसंगत बनाना

145. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में शुल्कों को युक्तिसंगत बनाने के लिए दूरसंचार ऑपरेटरों के साथ चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या दूरसंचार ऑपरेटरों ने एकल लेवी कर संरचना की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा शकील अहमद): (क) जी, हां। इस उद्देश्य के लिए गठित समिति ने दूरसंचार उद्योग एसोसियेशन से विचार-विमर्श किया।

(ख) इस मामले पर, समिति द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ग) जी, हां। दूरसंचार प्रचालकों की एक मांग यह भी है।

(घ) इस मामले पर, समिति द्वारा विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

बर्ड फ्लू

146. **श्री रघुराज सिंह शाक्य:**

श्री हेमराज मुर्मू:

श्री एम. अप्पादुरई:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और तत्पश्चात् प्रत्येक राज्य में बर्ड फ्लू के कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक प्रभावित राज्य को कितनी सहायता प्रदान की गयी है; और

(ग) देश में बर्ड फ्लू को फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) एवियन इंफ्लूएंजा (बर्ड फ्लू) की मौजूदा लहर 1997 में हांगकांग में शुरू हुई थी। तथापि, भारत 2006 तक इस रोग से मुक्त रहा। भारत में इसका प्रकोप इस प्रकार हुआ:-

1. प्रथम प्रकोप (18-02-06)	- नवापुर (महाराष्ट्र), उच्छल (गुजरात)
2. द्वितीय प्रकोप	- जलगांव (महाराष्ट्र)
(क) चरण 1	- 14-03-06
(ख) चरण 2	- 28-03-06
(ग) चरण 3	- 04/05-04-06
(घ) चरण 4	- 18-4-06
3. तृतीय प्रकोप (25-7-2007)	- गांव चिंगमिरोंग, पूर्वी इम्फाल जिला, मणिपुर

(ख) भारत सरकार ने मारे गए पक्षियों, आहार एवं आहार सामग्रियों को नष्ट करने तथा संचालन व्यय (निश्चित शीर्षों पर) के लिए क्षतिपूर्ति की लागत को वहन किया है। भारत सरकार की हिस्सेदारी 'पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता' (ए.एस.सी.ए.डी.) योजना के तहत खर्च किया है। वर्ष 2006 के प्रकोप में महाराष्ट्र, गुजरात तथा मध्य प्रदेश राज्यों द्वारा कुक्कुट और आहार के लिए

प्रतिपूर्ति के संबंध मे 785.12 लाख रुपए का व्यय बताया गया है, जिसमें से केन्द्र की 50% हिस्सेदारी है। भारत सरकार मणिपुर में संचालनों पर अनुमोदित पद्धति के अनुसार अंशदान देगी।

(ग) कुक्कुट में एवियन इंफ्लूएंजा के नियंत्रण और रोकथाम तथा उसको फैलने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

रोग को फैलने से रोकने के लिए किए गए उपाय

एवियन इंफ्लूएंजा को फैलने से रोकने के लिए मणिपुर में निम्नलिखित उपाय किए गए थे:-

1. कार्य योजना के अनुसार संक्रमित और निगरानी क्षेत्रों का सीमांकन किया गया था। 05 किलोमीटर के क्षेत्र को संक्रमित क्षेत्र घोषित किया गया था तथा 5-10 किलोमीटर के और क्षेत्र को निगरानी क्षेत्र घोषित किया गया था।

2. प्रभावित फार्म परिसरों के आस-पास के 0.5 किलोमीटर की परिधि में घरेलू और वाणिज्यिक दोनों प्रकार के कुक्कुट को मारा गया है। नियंत्रण कार्यों में 3.36 लाख से अधिक पक्षियों को मारा गया है।

3. कुक्कुट अण्डों, पंखों, आहार, आहार सामग्री, संचालन कार्य में लगे स्टॉफ द्वारा प्रयुक्त सुरक्षात्मक वस्त्रों जैसी अन्य संक्रमित सामग्री को भी नष्ट किया गया है। 25,242 किलोग्राम से अधिक आहार सामग्री और लगभग 28,000 अण्डों को नष्ट किया गया है।

4. उसके बाद संक्रमित परिसरों की साफ-सफाई का काम शुरू किया गया है जो अभी चल रहा है।

5. यह जानने के लिए क्या कोई और असामान्य मृत्यु हुई है, 5-10 किलोमीटर के क्षेत्र में वास्तविक निगरानी कार्य किया जा रहा है। निगरानी क्षेत्र तथा राज्य में अन्यत्र कहीं से भी असामान्य मृत्यु की कोई खबर नहीं है।

6. भारत सरकार ने कुक्कुट टीकों का सामरिक रिजर्व बनाए रखा है। इस प्रकार देश में टीकों का विकल्प उपलब्ध है। तथापि, देश में टीकाकरण अभी शुरू नहीं किया गया है।

7. रोकथाम कार्यों में लगे कार्मिकों को व्यैक्तिक सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध कराए गए थे और उन्हें स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा टेमीफ्लू कवर के तहत लाया गया था।

8. भारत सरकार की यह नीति है कि वह मारे गए कुक्कुट के मालिकों को मुआवजा दे। लागत राज्य सरकार के साथ 50:50 के आधार पर वहन की जा रही है। मुआवजे के रूप में 70 लाख से अधिक भारतीय रुपयों का भुगतान किया गया है।

इसके अलावा, अन्य राज्यों में इस रोग को फैलने से रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय क्रिए गए हैं:-

1. भारत सरकार द्वारा पशुपालन के लिए एवियन इंफ्लूएंजा की तैयारी, नियंत्रण और रोकथाम के लिए कार्य योजना तैयारी की गई है और उसे परिचालित किया गया है ताकि राज्य सरकारों द्वारा कार्यवाही को सुविधाजनक बनाया जा सके।

2. एवियन इंफ्लूएंजा पाजिटिव देशों से कुक्कुट और कुक्कुट उत्पादों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

3. यदि रोग के प्रकोप का कोई मामला हो तो उसके लिए सावधान रहने के लिए सभी राज्य सरकारों को सचेत कर दिया गया है।

4. सीमा सुरक्षा संगठनों और सीमा शुल्क फील्ड संगठनों को सचेत कर दिया गया है।

5. पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर उन राज्यों को जिनकी सीमा बांग्लादेश, म्यांमार और चीन जैसे प्रकोप वाले देशों के साथ लगी हुयी है, सचेत किया गया है।

6. राष्ट्रव्यापी निगरानी जारी है। फरवरी, 2006 से हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी, भोपाल में 1,43,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है।

7. क्षेत्रीय स्तर अर्थात क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं, कोलकात्ता, बंगलौर, पूणे और जालंधर

में भी एवियन इंफ्लूएंजा का पीरक्षण शुरू किया गया है। अब तक क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में लगभग 37,000 नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है।

8. तैयारी, नियंत्रण और रोकथाम कार्यों में पशुचिकित्सा कार्मिकों का प्रशिक्षण जारी है। भारत सरकार ने सितम्बर, 2006 से इस प्रशिक्षण को बदलकर राज्य स्तर आधार पर कर दिया है। भारत सरकार के अधीन 30% से भी अधिक पशुचिकित्सा कार्यबल को मास्टर प्रशिक्षक के रूप में आगे के फील्ड प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षित किया गया है।

9. एवियन इंफ्लूएंजा की तैयारी, नियंत्रण और रोकथाम पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला मई, 2007 के दौरान पूणे में आयोजित की गयी थी और हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों (सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड और पश्चिम बंगाल) की क्षेत्रीय कार्यशाला भारत सरकार द्वारा 26-28 जुलाई, 2007 को कोलकात्ता में आयोजित की गई थी।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में अधिक राशि के बिल

147. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.एस.एन.एल. देश में विशेषकर जम्मू और कश्मीर में अपने उपभोक्ताओं को अधिक राशि के बिल भेज रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या जम्मू और कश्मीर में मोबाइल सेवा के साथ-साथ इंटरनेट सेवा काम नहीं कर रही है और बी.एस.एन.एल. की अक्षमता के कारण लोगों को कठिनाइयां हो रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो जम्मू और कश्मीर में सेवाओं को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा शकील अहमद): (क) जी, नहीं। वर्ष 2006-07 के दौरान समस्त देश में जारी 25,38,31,478 से भी अधिक बिलों में से अधिक मीटरिंग की शिकायतें केवल 74320 बिलों के संबंध में प्राप्त हुई थीं। प्राप्त हुई अधिक मीटरिंग की शिकायतें, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा अनुमत्य 0.1% (कुल बिलों के) मुकाबले केवल 0.03% है। बी.एस.एन.एल. के जम्मू और कश्मीर सर्किल में भी अधिक मीटरिंग की शिकायतों का प्रतिशत ट्राई द्वारा निर्धारित अनुमत्य सीमा के अंदर है।

(ख) और (ग) भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा प्रदान की जा रही ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्यूनिकेशन (जी.एस.एम.) आधारित सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा जम्मू और कश्मीर में संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है और इस समय यह ट्राई द्वारा निर्धारित सेवा गुणवत्ता (क्यु.ओ.एस.) के सामान्य पैरामीटरों के अनुरूप है। बी.एस.एन.एल. के सेल्युलर मोबाइल नेटवर्क को कार्य निष्पादन हेतु लगातार अनुकूलतम किया जा रहा है, और ट्राई द्वारा निर्धारित सेवा की गुणवत्ता के पैरामीटरों के अनुसार कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए बी.एस.एन.एल. द्वारा नेटवर्क की निगरानी को सुदृढ़ किया गया है। सामान्यत: जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाएं सामान्य हैं और व्यवधान नियंत्रित सीमाओं के भीतर है। तथापि, हाल ही में 30, जून 2007 को चंडीगढ़ में हुई आग की घटना से जम्मू और कश्मीर में सेवाओं में रुकावट आई और इन्हें 5, जुलाई 2007 को ही बहाल किया जा सका था। अब ये सेवाएं संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही हैं।

[हिन्दी]

भारत और नेपाल के बीच लम्बित जल परियोजनाएं

148. योगी आदित्यनाथ: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार भारत और नेपाल के बीच लम्बित जल परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने इस मुद्दे पर नेपाल सरकार से वार्ता की थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (घ) इस समय भारत और नेपाल के बीच सात जल संसाधन परियोजननाएं अन्वेषण और

व्यवहार्यता अध्ययनों की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। सचिव, जल संसाधन मंत्रालय की अध्यक्षता में जल संसाधन संबंधी संयुक्त समिति (जे.सी.डब्ल्यू.आर.) के माध्यम से भारत और नेपाल के बीच संवाद एक सतत प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

नारियल के बागों में सुधार

149. श्री पी.सी. थामस: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परम्परागत रूप से नारियल उगाने वाले राज्यों में नारियल के बागों में पुनर्रोपण और कायाकल्प करने की किसी योजना पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना को लागू करने की स्थिति क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि प्रदान की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। नारियल विकास बोर्ड ने केरल राज्य पर मुख्य रूप से जोर देते हुए नारियल बागानों के कायाकल्प हेतु "परम्परागत राज्यों में नारियल बागानों के पुनःपौधरोपण और कायाकल्प" पर एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसे 11वीं योजना के दौरान 6-7 वर्षों की अवधि में कार्यान्वित किया जाना है। इस विभाग द्वारा केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और नारियल विकास बोर्ड के प्रतिनिधियों के परामर्श से इस प्रस्ताव की समीक्षा की गई है। तदनुसार बोर्ड ने योजना आयोग के सिद्धांतः अनुमोदन हेतु परियोजना का संशोधन किया है। इस स्कीम में निम्नलिखित मुख्य घटक परिकल्पित हैं:-

(i) पुराने अनु-उत्पादक और जराग्रस्त पामों को काटना और उन्हें हटाना तथा पुनःपौधरोपण करना।

(ii) समेकित प्रबंधन द्वारा विद्यमान नारियल पामों का कायाकल्प

(iii) गुणवत्ता पौदों का उत्पादन और वितरण

(ग) प्रस्ताव में निम्नलिखित वित्तीय प्रतिमान परिकल्पित है:-

(i) केन्द्रीय सहायता	-	1358.62 करोड़ रुपए
(ii) कृषक अंशदान	-	2524.54 करोड़ रुपए
(iii) वित्तीय संस्थाओं से ऋण	-	883.50 करोड़ रुपए
कुल	-	4766.66 करोड़ रुपए

[हिन्दी]

सशस्त्र सेनाओं से पायलटों का पलायन

150. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं में कार्यरत पायलट निजी एयरलाइनों में नौकरी करने हेतु अपनी वर्तमान नौकरियां छोड़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप सेनाएं पायलटों की भारी कमी का सामना कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्थिति से निपटने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान कितने पायलटों ने नौकरियां छोड़कर निजी एयरलाइनों में नौकरी कर ली है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) जी, नहीं। पायलटों को या तो अधिवर्षिता की आयु पूरी करने पर अथवा समयपूर्व सेवानिवृत्ति लेने/त्याग-पत्र देने पर सेनाएं छोड़ने की अनुमति है। विद्यमान अनुदेशों के अनुसार, निजी एयरलाइनों को ज्वाइन करने के आधार पर समयपूर्व सेवानिवृत्ति लेने तथा त्याग-पत्र देने की अनुमति नहीं दी जाती है। सेनाओं से समयपूर्व सेवा छोड़ने की स्थिति पर संक्रियात्मक महत्व को ध्यान में रखते हुए नियंत्रण रखा जाता है।

(घ) कार्यमूलक अपेक्षाओं तथा संक्रियात्मक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पायलटों के कार्य-विवरण (प्रोफाइल) में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है।

(ङ) विद्यमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, कर्नल अथवा समतुल्य तथा इससे ऊपर के रैंक के रक्षा सेना अफसरों को किसी वाणिज्यिक नियोजन हेतु सरकार से पूर्व अनुमति

लेना जरूरी होता है जिसके बाद सरकार शामिल नहीं होती है। अतः, सेनाओं को छोड़ने के बाद निजी एयरलाइनों को ज्वाइन करने वाले पायलटों की संख्या के आंकड़े सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरभाष क्रांति

151. **श्री राम कृपाल यादव:**

श्री मणी कुमार सुब्बा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक दूरभाष क्रांति का सूत्रपात नहीं हो पाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या निजी दूरभाष ऑपरेटर और यहां तक कि बी.एस.एन.एल. भी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरभाष सुविधाएं प्रदान करने के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरभाष क्रांति लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/जा रहे हैं;

(च) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यापक रणनीति बनाई है कि पूर्वोत्तर के प्रयोक्ता आई.टी. क्रांति का लाभ उठा सकें;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रणनीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ज) इस रणनीति के वित्तपोषण हेतु कितनी धनराशि आवंटित किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा शकील अहमद): (क) से (ङ) नई दूरसंचार नीति 1999 में वर्ष 2010 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 4% टेलीघनत्व का लक्ष्य प्राप्त करने की परिकल्पना की गई थी। इस लक्ष्य की तुलना में 30-06-2007 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण टेलीघनत्व 6.45% है।

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) निवल लागत की दृष्टि से अव्यवहार्य सभी 1685 अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों (एस.डी.सी.ए.) में ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनें (आर.डी.ई.एल.) प्रदान करने हेतु सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू.एस.ओ.एफ.) से सहायता।

(ii) 100 से अधिक आबादी वाले 66,822 निर्विवाद अभिगम्य तथा बसे हुए गांवों को नवम्बर 2007 तक ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी.पी.टी.) प्रदान करने हेतु यू.एस.ओ.एफ. से सहायता।

(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर डब्ल्यू.एल.एल. नेटवर्क लगाना।

(iv) देश के 500 जिलों में फैले 7871 अवसंरचना स्थल (टॉवर) स्थापित करने हेतु यू.एस.ओ. निधि से अवसंरचना की हिस्सेदारी की अभिनव स्कीम के लिए यू.एस.ओ.एफ. से सहायता।

(च) और (छ) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सामुदायिक सूचना केंद्र स्थापित करने और 5 वर्षों तक उन्हें चलाने की एक स्कीम के तहत पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में ब्लॉक स्तर पर 242 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर 487 सामुदायिक सूचना केंद्र स्थापित किए गए थे जिन्हें इस अवधि की समाप्ति पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रबंधित किया जाना था। बाद में वर्ष 2005 में पूर्वोत्तर में और 68 सामुदायिक सूचना केंद्र भी स्थापित किए गए।

सरकार ने हाल ही में पूर्वोत्तर सहित देशभर में 100,000 ब्रॉडबैंड इंटरनेट युक्त कियोस्कों को, जिन्हें कॉमन सर्विस सेंटर कहा जाता है, चार वर्षों के दौरान स्थापित करने और चलाने की एक स्कीम अनुमोदित की है। ये केंद्र सरकारी और निजी क्षेत्रों की भागीदारी से स्थापित किए जाएंगे और यह परिकल्पना की जाती है कि ये केंद्र सरकारी और निजी क्षेत्रों द्वारा चलाई जा रही सेवाओं को नागरिकों के घर-घर तक पहुंचाएंगे। कॉमन सर्विस सेंटर (सी.एस.सी.) स्कीम के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश www.mit.gov.in पर उपलब्ध हैं। स्कीम के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत राज्यों को सामुदायिक सूचना केंद्रों और कॉमन सर्विस सेंटरों को एकीकृत करने का विकल्प भी प्रदान किया गया है।

(ज) चार वर्षों की अवधि के दौरान इन केंद्रों को स्थापित करने और चलाने के लिए वित्तीय सहायता की कुल लागत 5742 करोड़ रु. आंकी गई है। इसमें से सरकार का अंशदान 1649 करोड़ रु. आंका गया है जिसमें राज्य सरकार से 793 करोड़ रु. प्राप्त होने और केंद्र सरकार से 856 करोड़ रु. प्राप्त होने का अनुमान है। शेष अंशदान निजी क्षेत्र से प्राप्त होने का अनुमान है। कॉमन सर्विस सेंटर (सी.एस.सी.) स्कीम को सरकार द्वारा सितंबर 2006 में अनुमोदित किया गया था।

पशु प्रजनन हेतु कार्यक्रमों का विलय

152. **श्री दुष्यंत सिंह:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय पशु और भैंस प्रजनन कार्यक्रम का कुक्कुट पालन और छोटे पशुओं के सुधार संबंधी राष्ट्रीय परियोजना के साथ विलय करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो विलय के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) से (ग) योजना आयोग ने राष्ट्रीय गोपशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना तथा राष्ट्रीय कुक्कुट एवं छोटे पशु सुधार परियोजना को एक बड़ी योजना "पशुधन नस्लों के लिए आर एण्ड डी" के तहत एक साथ मिलाने की सिफारिश की थी। योजना आयोग का यह मानना है कि कतिपय योजनाओं को एक साथ मिलाने के परिणामस्वरूप उद्देश्यों की प्राप्ति होगी तथा इसके पश्चात योजना खर्च की दक्षता एवं क्षमता में सुधार होगा। तथापि, विभाग ने योजना आयोग को यह जानकारी दी है कि फिलहाल इन योजनाओं को मौजूदा रूप में ही क्रियान्वित किया जाएगा।

[हिन्दी]

उपकरणों की खरीद

153. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल. को बी.एस.एन.एल. के सी.डी.एम.ए. और जी.एस.एम. प्रणाली के घटिया उपकरणों की खरीद के कारण राजस्व का नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बी.एस.एन.एल. को घटिया उपकरणों की आपूर्ति करने वाली कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा उक्त कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा शकील अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

डी.आर.डी.ओ. में वैज्ञानिकों के रिक्त पद

154. **श्री के.एस. राव:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) में वैज्ञानिकों के काफी पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इतनी अधिक कमी के क्या कारण हैं और इसका नए उत्पादों और रक्षा युद्ध कौशल प्रणालियों के विकास पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या डी.आर.डी.ओ. में बेहतर वेतन और भत्तों तथा सुविधाओं और लचीलापन न होने के कारण वैज्ञानिकों की इस संगठन में रुचि कम हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और डी.आर.डी.ओ. से वैज्ञानिकों के पलायन को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में 7255 वैज्ञानिकों की संस्वीकृत संख्याशक्ति के मुकाबले इस समय 6872 वैज्ञानिक हैं। इस मामूली कमी को वार्षिक भर्ती द्वारा पूरा किया जा रहा है।

(ख) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन को छोड़कर जाने वाले वैज्ञानिकों की दर निजी क्षेत्र के उद्योगों को छोड़कर जाने वालों की अपेक्षा थोड़ी ही अधिक है। जिन

वैज्ञानिकों ने इस्तीफे दिए हैं उन्होंने व्यक्तिगत/घरेलू कारण से रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन को छोड़ने का उल्लेख किया है। तथापि, यह माना जाता है कि निजी क्षेत्र के उद्योगों में उपलब्ध बढ़े हुए अवसर, पलायन का प्रमुख कारण हैं। नए उत्पादों और रक्षा युद्ध-पद्धति प्रणालियों के विकास पर ऐसे पलायन का कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग) और (घ) जी, हां। पांचवें वेतन आयोग के बाद, वैज्ञानिकों को कुछ प्रोत्साहन दिए गए थे, जिनमें दो अतिरिक्त वेतन-वृद्धियां और व्यावसायिक अद्यतन भत्ता (प्रोफेसनल अपडेट अलाउंस) शामिल है। इसके अलावा, वेतनमान और अन्य भत्ते/प्रोत्साहन छठे वेतन आयोग को प्रस्तुत किए गए हैं।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

155. श्री बाडिगा रामकृष्णा:

श्री वरकला राधाकृष्णन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत बारहमासी बागवानी फसलें नहीं आती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संयुक्त समूह ने बारहमासी बागवानी फसलों और सब्जियों को भी बीमा कवर दिए जाने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो इसे क्रियान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी नहीं। पर्याप्त विगत उपज आंकड़ों की अनुपलब्धता और इन फसलों को बार-बार चुनने के स्वरूप को देखते हुए बारहमासी बागवानी फसलों को अभी तक राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में शामिल नहीं किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) बारहमासी/बागानी बागवानी फसलों के विशिष्ट स्वरूप को देखते हुए भारतीय कृषि बीमा कंपनी जो फसल बीमा योजना की कार्यन्वयक एजेंसी है, इन फसलों हेतु अलग से फसल विशिष्ट स्कीमें तैयार कर रही है।

[हिन्दी]

कार्य-स्थल पर दुर्घटनाएं और मौतें

156. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में राज्यवार कार्यस्थलों पर कितने मजदूर दुर्घटनाओं में मारे गए;

(ख) कार्य-स्थल पर काम करने की परिस्थितियों तथा मजदूरों की स्वास्थ्य और सुरक्षा की स्थिति को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार की ऐसी दुर्घटनाओं में मारे गए मजदूरों के परिवारों का पुनर्वास करने की कोई नीति है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने परिवारों का पुनर्वास किया गया है; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मृतक के परिवारों को दी गई मुआवजा राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कार्य स्थल पर मारे गए श्रमिकों के राज्यवार ब्यौरा विवरण-I, II और III में दिए गए हैं।

(ख) श्रम और रोजगार मंत्रालय ने व्यापक विधान तथा कारखाना अधिनियम, 1948, खान अधिनियम, 1952 तथा गोदी कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 अधिनियमित किए हैं तथा उनके अधीन नियम एवं विनियम बनाए हैं जिनमें कारखानों, खानों एवं पत्तनों में नियोजित कामगारों की कार्य दशाएं, स्वास्थ्य स्थिति एवं कामगारों की सुरक्षा संबंधी सभी उपायों को समाविष्ट किया गया है।

(ग) से (ङ) मृतक के परिवारों को क्षतिपूर्ति, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाती है।

मृत्यु एवं रोजगार जन्य चोटों के मामले में भुगतान की गई क्षतिपूर्ति संबंधी राज्यवार सूचना राज्य सरकारों से संबंधित उपलब्ध सूचना के अनुसार विवरण-IV में है।

विवरण-I

कारखानों में दुर्घटनाओं में मारे गए श्रमिकों की संख्या (अनंतिम)

राज्य	2004 घातक दुर्घटनाएं (मारे गए)	2005 घातक दुर्घटनाएं (मारे गए)	2006 घातक दुर्घटनाएं (मारे गए)
1	2	3	4
अंडमान एवं निकोबार (द्वीप समूह)	0	0	0
आंध्र प्रदेश	90	134	157
असम	12	5	4
बिहार	6	4	5
चंडीगढ़	0	1	–
छत्तीसगढ़	47	73	–
दमन व दीव तथा दादर एवं नागर हवेली	2	5	9
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	5	17	15
गोवा	13	15	8
गुजरात	221	200	184
हरियाणा	64	38	30
हिमाचल प्रदेश	6	3	1
जम्मू-कश्मीर	1	1	–
झारखण्ड	21	23	17
कर्नाटक	48	34	64
केरल	10	18	13
मध्य प्रदेश	34	36	33
महाराष्ट्र	153	173	177
मणिपुर	0	–	–
मेघालय	0	0	0
नागालैण्ड	0	–	–

1	2	3	4
उड़ीसा	39	37	70
पांडिचेरी	4	6	12
पंजाब	39	56	48
राजस्थान	52	52	61
तमिलनाडु	53	57	78
त्रिपुरा	0	2	0
उत्तर प्रदेश	86	78	117
उत्तरांचल	12	10	31
पश्चिम बंगाल	63	64	75
कुल	1081	1142	1209

टिप्पणी: कारखाना अधिनियम, 1948 अभी तक लागू नहीं/अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम तथा लक्षद्वीप में कोई पंजीकृत कारखाना नहीं।

- उपलब्ध नहीं

स्रोत: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निरीक्षकों से पत्राचार।

विवरण-II

वर्ष 2004 से 2006 के दौरान मुख्य पत्तनों पर हुई दुर्घटनाओं में मारे गए श्रमिकों की संख्या

क्र.सं.	पत्तन	2004 घातक	2005 घातक	2006 घातक
1	2	3	4	5
1.	मुंबई	01	03	07
2.	जे.एन. पत्तन	02	03	00
3.	कांदला	04	05	07
4.	मारमुगाव	01	02	01
5.	कोलकाता	04	05	01

1	2	3	4	5
6.	पारादीप	02	01	02
7.	विशाखापट्टनम	02	01	03
8.	चैन्नई	07	05	11
9.	कोचीन	00	00	02
10.	न्यू मैंगलोर	02	03	02
11.	तूतीकोरिन	03	02	00
	कुल	28	30	36

विवरण-III

वर्ष 2004-2006 के दौरान खानों में मारे गए व्यक्तियों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	खानों में मारे गए व्यक्तियों की संख्या		
		2004	2005	2006*
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	18	18	26
2.	असम	3	2	3
3.	छत्तीसगढ़	10	8	7
4.	गोवा	1	0	9
5.	गुजरात	1	2	0
6.	हिमाचल प्रदेश	1	1	3
7.	हरियाणा	1	0	0
8.	झारखण्ड	38	55	78
9.	जम्मू-कश्मीर	0	0	1
10.	कर्नाटक	1	3	4
11.	केरल	1	0	0

1	2	3	4	5
12.	मध्य प्रदेश	13	16	16
13.	महाराष्ट्र	12	8	8
14.	उड़ीसा	11	23	11
15.	राजस्थान	22	10	20
16.	तमिलनाडु	7	7	14
17.	उत्तरांचल	1	1	1
18.	उत्तर प्रदेश	2	2	1
19.	पश्चिम बंगाल	17	13	11
	अखिल भारत	160	169	213

*आंकड़े अनंतिम है।

विवरण-IV

मृत्यु एवं रोजगार जन्य चोटों के मामले में भुगतान की गई क्षतिपूर्ति संबंधी राज्यवार सूचना

क्र.सं.	राज्य	भुगतान की गई राशि (रुपयों में)		
		2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	29661913	29798582	32586883
2.	असम एवं मेघालय	1457299	1442235	1414202
3.	बिहार	15554710	15155730	15760497
4.	चंडीगढ़	1547591	1612578	2102090
5.	छत्तीसगढ़	1957915	1756764	1792135
6.	दिल्ली	16552821	16425457	16785825
7.	गोवा	19059184	2014659	2646791
8.	गुजरात	37699244	36211225	36204362

1	2	3	4	5
9.	हरियाणा	17854230	17817524	1734798
10.	हिमाचल प्रदेश	1235692	1037869	1184286
11.	जम्मू-कश्मीर	541851	529412	682921
12.	झारखण्ड	2518178	2937043	3097392
13.	कर्नाटक	23964460	23143233	24138637
14.	केरल	19032970	18640728	18690190
15.	मध्य प्रदेश	14278770	13512081	15367278
16.	महाराष्ट्र	65114078	61486429	61901426
17.	उड़ीसा	8044176	8288823	8128113
18.	पांडिचेरी	826565	951242	989824
19.	पंजाब	22956270	22104795	23341316
20.	राजस्थान	25452857	24773379	24537236
21.	तमिलनाडु	39228636	38174026	39431359
22.	उत्तर प्रदेश	47597919	48695967	50526594
23.	उत्तरांचल	1583696	1392422	1644910
24.	पश्चिम बंगाल	35670160	32665530	32317638

[अनुवाद]

नर्मदा बांध का जल-स्तर

157. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष मानसून से पहले ही नर्मदा बांध सहित अधिकांश नदी पर बने बांधों का जल-स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है;

(ख) यदि हां, तो खतरे का निशान क्या होता है और इस वर्ष बांधों के जल-स्तर की अधिकतम सीमा कितनी रही; और

(ग) किसी खतरे से बचने और उसे टालने तथा बांध निर्माण से विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) इस वर्ष के दौरान मानसून की शुरुआत से पहले नर्मदा बांध को खतरे के निशान के ऊपर तक नहीं भरा गया है। केन्द्रीय जल आयोग सारे देश में फैले 78 महत्वपूर्ण जलाशयों की निगरानी कर रहा है और मानसून की शुरुआत से पहले इनमें से किसी को भी खतरे के निशान के ऊपर तक नहीं भरा गया था।

(ख) और (ग) लागू नहीं।

पी.डी.एस. के मूल्यों में वृद्धि

158. श्री रवि प्रकाश वर्मा:

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न वर्गों के लाभार्थियों के लिए प्रति व्यक्ति आबंटन में कमी करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के अंतर्गत दिए जा रहे खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणीवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने पी.डी.एस. के अंतर्गत राज्यों के आबंटन में कटौती करने का भी निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं पर उक्त कदम का क्या प्रभाव पड़ेगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, नहीं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन प्रति व्यक्ति आबंटन में कमी नहीं की गई है, केवल गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के कुल आबंटन में कमी की गई है/इसे युक्तिसंगत बनाया गया है।

केन्द्रीय पूल में गेहूं के कम स्टाक को ध्यान में रखते हुए गरीबी रेखा से नीचे, अंत्योदय अन्न योजना और गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए गेहूं के आबंटन को प्रत्येक राज्य के संबंध में पिछले तीन वर्षों में उसके औसत उठान अथवा पिछले वर्ष के उठान, जो कम है, के हिसाब से युक्तिसंगत बनाया गया है। चावल उपभोक्ता राज्यों के संबंध में इस पर 25% की कटौती लागू की गई है। तथापि, गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना की श्रेणियों के लिए समूचे आबंटन/पात्रता में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

तदुपरांत, स्टाक स्थिति में सुधार होने की बात को ध्यान में रखते हुए और खुले बाजार में गेहूं के मूल्यों को नियंत्रण में रखने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सितम्बर, 2006 से जुलाई, 2007 तक के महीनों के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों हेतु गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के अधीन लगभग 1 लाख टन गेहूं रिलीज किया है।

इसी प्रकार, केन्द्रीय पूल में चावल के स्टाक को ध्यान में रखते हुए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए चावल के आबंटन को पिछले तीन वर्षों के लिए प्रत्येक राज्य के अधिकतम मासिक उठान के आधार पर अप्रैल, 2007 से युक्तिसंगत बनाया गया है। यह निर्णय भी सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक समान रूप से लागू किया गया है।

तथापि, उत्तर पूर्व राज्यों और सिक्किम से प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए चावल के आबंटन को बढ़ाकर जुलाई, 2007 से उनके मौजूदा आबंटन का डेढ़ गुणा कर दिया है।

(ङ) खाद्यान्न आधारित अन्य स्कीमों पर उपर्युक्त निर्णय का कोई प्रभाव नहीं है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में जागरूकता

159. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गरीबों को न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के बारे में पता नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से किसानों में न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु कोई प्रयास किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ न मिलने की सीमा का निर्धारण करने हेतु कोई प्रभाव मूल्यांकन सर्वेक्षण किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ङ) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा 59वें राउण्ड में आयोजित (जनवरी-दिसम्बर, 2003) किसानों की स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण के अनुसार 71% किसान या तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की धारणा को नहीं जानते तथा समझते थे। 10% किसान न्यूनतम मूल्य के अर्थ को समझते है, परन्तु प्रापण एजेन्सी को नहीं जानते। शेष 19% न्यूनतम समर्थन मूल्य के अर्थ को तथा प्रापण एजेन्सी को भी समझते है।

किसानों में जागरूकता बनाने के लिए राज्यों को विभिन्न स्कीमों जैसे राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन, किसानों को व्यापक प्रचार समर्थन, किसान काल केन्द्रों तथा कृषि क्लिनिक तथा कृषि व्यापार केन्द्रों की स्थापना के माध्यम से विस्तार कार्यक्रमों का सुदृढ़ीकरण करने हेतु समर्थन प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, इनको विभागीय वैबसाइट, व्यापक प्रचार कार्यक्रमों तथा प्रदर्शनियों/किसान मेलों में दर्शाया जाता है।

किसानों को ऋण

160. श्री एम. राजामोहन रेड्डी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जो किसान पिछले वर्ष लिए गए ऋण का जून 2007 तक भुगतान नहीं कर पाए थे, उन्हें इस खरीफ के मौसम में नया ऋण लेने से वंचित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश के ऐसे किसानों की सहायता किस प्रकार से किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) वर्तमान बैंकिंग पद्धति के अनुसार, बैंकों को चूककर्त्ताओं को नए ऋण के लिए इंकार करने का विवेकाधिकार है। तथापि, प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में राहत मुहैया कराने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए वर्तमान दिशा-निर्देशों का बैंकों द्वारा अनुसरण किया जाता है। दिशा-निर्देश, अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों को जिन कार्यों की अनुमति प्रदान करते हैं, वे हैं:-

(i) प्राकृतिक आपदा की स्थिति में 3 से 9 वर्षों की अवधियों के लिए ऋणों को परिवर्तित करना/पुनर्निर्धारित करना जो कि लगातार फसल नष्ट होने/फसलों की क्षति की गहनता पर निर्भर होता है।

(ii) प्रभावित किसानों को नए फसल ऋण मंजूर करना।

[हिन्दी]

एफ.सी.आई. द्वारा अधिक किराए का भुगतान करना

161. श्री डी.बी. पाटिल: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम नांदेड स्थित गोदामों में खाद्यान्न भंडारण के लिए महाराष्ट्र राज्य भांडागार निगम को अधिक किराए का भुगतान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप भारतीय खाद्य निगम को किस सीमा तक घाटा हुआ है;

(ग) क्या इस संबंध में जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जिम्मेदार ठहराए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों के भंडारण के लिए नांदेड़ स्थित गोदामों सहित राज्य भंडारण निगमों के गोदामों को केन्द्रीय भण्डारण निगम के गोदामों में खाद्यान्नों के भंडारण हेतु लागू दर के अनुसार प्रभारों का भुगतान कर रहा है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

सहारा एयर लाइन्स के कर्मचारियों में पारिणामिक बेरोजगारी

162. डा. अरूण कुमार शर्मा: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में जेट एयरवेज द्वारा बिक्री करार के बाद सहारा एयर लाइन्स के प्रबंधन का अधिग्रहण किए जाने पर इसके परिणामतः उसमें ठेकेवाले और गैर-तकनीकी कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में कर्मचारियों के बेरोजगार होने के मुद्दे को उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कितने कर्मचारियों के प्रभावित होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने सहारा एयर लाइन्स द्वारा इस बिक्री से अर्जित लाभ का उचित प्रतिशत कर्मचारियों को समुचित क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाना सुनिश्चित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उन कर्मचारियों के हितों के रक्षार्थ क्या कार्रवाई की गयी है जिन्हें इस बिक्री की वजह से अपना रोजगार गंवाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) श्रम और रोजगार मंत्रालय में पूर्ववर्ती मैसर्स सहारा एयरलाइन्स के कर्मचारियों की सेवाओं के समापन के संबंध में अभी तक कोई भी शिकायत/रिपोर्ट/विवाद प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कामगारों के हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न श्रम विधानों, जैसे कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, बोनस संदाय अधिनियम, 1965, उपदान संदाय अधिनियम, 1972 आदि के अंतर्गत सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया गया है।

कृषि क्षेत्र का कायाकल्प

163. **श्री अबु अयीश मंडल:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र के कायाकल्प हेतु एक नई रणनीति को अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने हेतु अपनाए गए ठेके की खेती संबंधी संकल्प का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि नीति का लक्ष्य संसाधनों के कुशल उपयोग और मृदा जल और जैव-विविधता के संरक्षण के जरिए कृषि में 4 प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक की विकास दर प्राप्त करना है। कृषि क्षेत्र के कायाकल्प हेतु सरकार द्वारा रूपान्वित कार्यनीतियों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) किसानों हेतु संस्थागत ऋण प्रवाह में वृद्धि करना तथा प्रगामी संस्थानीकरण पर विशेष ध्यान देते हुए सहकारी ऋण संरचना का सुदृढ़ीकरण तथा छोटे और सीमान्त किसानों पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए किसानों को समय पर तथा पर्याप्त ऋण सहायता देना ताकि कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी और उन्नत कृषि पद्धतियां अपनाने में उन्हें समर्थ बनाया जा सके;

(ii) गुणवत्ता आदानों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना;

(iii) कृषक अनुकूल, मांग रहित कृषि विस्तार प्रणाली को बढ़ावा देना;

(iv) बागवानी कार्यकलापों सहित अधिक मूल्य देने वाली फसलों के विविधीकरण में तेजी लाना;

(v) असंरचना और आपूर्ति शृंखला का सुदृढ़ीकरण;

(vi) शुष्क भूमि/वर्षासिंचित क्षेत्रों में लघु सिंचाई और पनधारा विकास के जरिए उपलब्ध जल संसाधनों के कुशल उपयोग को इष्टतम बनाना; और

(vii) कृषि मण्डियों में सुधार लाना।

(ग) भारत सरकार द्वारा रूपान्वित विपणन पर एक मॉडल कानून राज्य सरकारों को परिचालित कर दिया गया है ताकि वे अपने से संबंधित अधिनियम में उपयुक्त संशोधनों पर विचार कर सकें। मॉडल कानून में अन्य बातों के साथ-साथ प्रयोजक कंपनियों के रजिस्ट्रीकरण हेतु संस्थागत प्रबंधों, संविदा कृषि करार को अभिलेखबद्ध करने और कृषकों की भूमि के लिए क्षतिपूर्ति का प्रावधान है तथा यह समयबद्ध विवाद समाधान तंत्र निर्धारित करता है। संविदा कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई राज्यों से पहले से संशोधन शुरू कर दिया है।

रक्षा उपकरण का स्वदेशी उत्पादन

164. **श्री रायापति सांबासिवा राव:**
श्री एन.एन. कृष्णदास:
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विदेशों द्वारा निर्मित हथियारों पर निर्भरता को न्यूनतम बनाने हेतु देश में नई रक्षा उत्पादन इकाइयां स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) ग्यारहवीं योजना में प्रस्तावित नई उत्पादन इकाइयों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में निजी क्षेत्र की भूमिका क्या है तथा उपकरण बनाने की योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) सरकार का दो नई रक्षा उत्पादन यूनिटें स्थापित करने का विचार है जिनमें से एक बाइ-मौड्यूलर चार्ज प्रणाली के उत्पादन और दूसरी नई पीढ़ी की कारबाइनों का उत्पादन करने से संबंधित है।

(ख) से (घ) नालंदा में बाइ-मौड्यूलर चार्ज प्रणाली का उत्पादन किए जाने संबंधी परियोजना सरकार ने पहले ही अनुमोदित कर दी है। परियोजना लागत में संशोधन पर अभी अनुमोदन प्राप्त होना है। नई पीढ़ी की कारबाइनों के उत्पादन की यूनिट पर सरकार विचार कर रही है।

(ङ) निजी क्षेत्र की कंपनियां शस्त्रास्त्रों और गोलाबारूद के उत्पादन और विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त कर सकती हैं।

[हिन्दी]

बीजों के गुणवत्ता नियंत्रण हेतु निधियां

165. **श्री महावीर भगोरा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बीज गुणवत्ता नियंत्रण योजना हेतु स्वीकृत और जारी की गयी निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्यों को स्वीकृत निधियों से कम निधियां जारी की गयी हैं;

(ग) यदि हां, तो शेष निधियां कब तक जारी किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या राज्य सरकारों ने उपरोक्त योजना के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां जारी करने की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) विगत तीन वर्षों (2004-05, 2005-06 और 2006-07) के दौरान विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम 'बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए बीज अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास और सुदृढ़ीकरण' के घटक 'बीज संबंधी गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था' के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा विवरण-I, से III पर दिया गया है।

(ख) से (ङ) निधियां अलग-अलग राज्यों के लिए निर्धारित नहीं की जाती हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों के प्रस्तावों के आधार पर निधियां निर्मुक्त की जाती हैं।

विवरण-I

वर्ष 2004-05 के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम 'बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए बीज अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास और सुदृढ़ीकरण' के घटक 'बीज संबंधी गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था' के अंतर्गत विभिन्न राज्यों सरकारों को निर्मुक्त निधि का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य सरकार का नाम	प्रशिक्षण के लिए सहायता	बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण	कुल धनराशि
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	-	15.00	15.00

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–
3.	असम	–	–	–
4.	छत्तीसगढ़	0.50	15.00	15.50
5.	दिल्ली	–	–	–
6.	गुजरात	0.50	15.00	15.50
7.	गोवा	–	–	–
8.	हरियाणा	0.50	–	0.50
9.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–
10.	जम्मू-कश्मीर	0.50	15.00	15.50
11.	झारखण्ड	–	15.00	15.00
12.	कर्नाटक	–	–	–
13.	केरल	0.50	15.00	15.50
14.	मध्य प्रदेश	–	15.00	15.00
15.	महाराष्ट्र	0.50	30.00	30.50
16.	मणिपुर	0.50	–	0.50
17.	मिजोरम	–	–	–
18.	मेघालय	–	15.00	15.00
19.	नागालैण्ड	–	–	–
20.	उड़ीसा	0.50	–	0.50
21.	पंजाब	0.50	–	0.50
22.	पांडिचेरी	–	15.00	15.00
23.	राजस्थान	–	–	–
24.	सिक्किम	–	–	–
25.	तमिलनाडु	1.00	–	1.00
26.	त्रिपुरा	0.50	–	0.50
27.	उत्तर प्रदेश	–	15.00	15.00

1	2	3	4	5
28.	उत्तरांचल	0.50	30.00	30.50
29.	पश्चिम बंगाल	0.50	15.00	15.50
30.	अन्यः एन.एस.सी./एस.एफ.सी.आई./ सी.एस.टी.एल.	5.00 (एन.एस.सी.) 1.00 (सी.एस.टी.एल.)	15.00 (एस.एफ.सी.आई.)	21.00
	कुल	13.00	240.00	253.00

विवरण-II

वर्ष 2005-06 के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम 'बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए बीज अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास और सुदृढ़ीकरण' के घटक 'बीज संबंधी गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था' के अंतर्गत विभिन्न राज्यों सरकारों को निर्मुक्त निधि का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य सरकार का नाम	प्रशिक्षण के लिए सहायता	बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण	बीज प्रमाणन एजेंसियों का सुदृढ़ीकरण	कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.00	20.00	15.00	36.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–
3.	असम	0.50	–	–	0.50
4.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–
5.	दिल्ली	0.50	–	–	0.50
6.	गुजरात	–	10.00	–	10.00
7.	गोवा	–	–	–	–
8.	हरियाणा	1.00	10.00	–	11.00
9.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–
10.	जम्मू-कश्मीर	–	–	–	–
11.	झारखण्ड	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6
12.	कर्नाटक	1.00	10.00	–	11.00
13.	केरल	–	–	–	–
14.	मध्य प्रदेश	–	10.00	–	10.00
15.	महाराष्ट्र	–	10.00	–	10.00
16.	मणिपुर	–	–	–	–
17.	मिजोरम	–	–	–	–
18.	मेघालय	–	–	–	–
19.	नागालैण्ड	–	–	–	–
20.	उड़ीसा	–	10.00	–	10.00
21.	पंजाब	0.50	10.00	–	10.50
22.	पांडिचेरी	0.50	–	–	0.50
23.	राजस्थान	–	–	–	–
24.	सिक्किम	–	10.00	–	10.00
25.	तमिलनाडु	1.00	10.00	–	11.00
26.	त्रिपुरा	–	–	–	–
27.	उत्तर प्रदेश	–	–	–	–
28.	उत्तरांचल	–	–	–	–
29.	पश्चिम बंगाल	–	–	–	–
30.	अन्य: एन.एस.सी./एस.एफ.सी.आई./ सी.एस.टी.एल.	5.00 (एन.एस.सी.)	–	–	5.00
	कुल	11.00	110.00	15.00	136.00

विवरण-III

वर्ष 2006-07 के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम 'बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए बीज अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास और सुदृढीकरण' के घटक 'बीज संबंधी गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था' के अंतर्गत विभिन्न राज्यों सरकारों को निर्मुक्त निधि का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य सरकार का नाम	प्रशिक्षण हेतु सहायता	आईएसटीए प्रयोगशाला के लिए उपकरणों की खरीद	आईएसटीए सदस्यता प्राप्त करने के लिए	डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के लिए सुविधाएं	बीटी. कपास किटों की खरीद	संकरता परीक्षण करने के लिए उपकरण की खरीद	अंकुरण परीक्षण फार्म की स्थापना	एसटीएल का सुदृढीकरण	एससीए का सुदृढीकरण	कुल धनराशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	2.00	45.00	2.20	25.00	1.00	20.00	30.00	30.00	–	155.20
2.	असम	0.50	–	–	–	–	10.00	7.50	10.00	–	28.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.50	–	–	–	–	–	10.00	10.00	–	20.50
4.	छत्तीसगढ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	गुजरात	–	–	–	25.00	–	–	10.00	15.14	–	50.14
7.	गोवा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	हरियाणा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	2.00	–	–	–	–	–	–	20.00	–	22.00
10.	जम्मू-कश्मीर	–	–	–	25.00	–	–	10.00	10.00	–	45.00
11.	झारखण्ड	1.00	–	–	–	–	–	10.00	30.00	–	41.00
12.	कर्नाटक	–	–	–	–	–	10.00	25.00	10.00	–	45.00
13.	केरल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

14.	मध्य प्रदेश	2.00	–	–	–	–	20.00	18.00	60.00	15.00	115.00
15.	महाराष्ट्र	–	45.00	–	25.00	1.00	20.00	–	–	–	91.00
16.	मणिपुर	1.00	–	-	–	–	–	10.00	–	–	11.00
17.	मिजोरम	0.50	–	–	–	–	–	–	–	–	0.50
18.	मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	नागालैण्ड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	उड़ीसा	2.00	–	–	–	–	20.00	10.00	30.00	15.00	77.00
21.	पंजाब	1.00	–	–	25.00	–	10.00	–	10.00	–	46.00
22.	पाण्डिचेरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	राजस्थान	2.00	–	–	25.00	1.00	10.00	30.00	–	–	68.00
24.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–	20.00	10.00	15.00	45.00
25.	तमिलनाडु	2.00	45.00	2.20	75.00	1.00	10.00	10.00	30.00	–	175.20
26.	त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–	–	10.00	15.00	25.00
27.	उत्तर प्रदेश	2.00		–	–	–	–	10.00	30.00		42.00
28.	उत्तरांचल	4.00	–	–	25.00		10.00	24.00	20.00	15.00	98.00
29.	पश्चिम बंगाल	–	–	–	25.00	–	–	–	30.00	–	55.00
30.	अन्य: एन.एस.सी./ एस.एफ.सी.आई./ सी.एस.टी.एल./ सी.एस.सी.बी.	1.00 (सी.एस.टी.एल.) 7.50 (एन.एस.सी.) 0.12 (सी.एस.सी.बी.)	–	–	–	–	–	–	30.00 (एन.एस.सी.) 3.00 (सी.एस.टी.एल.)	–	38.50
	कुल	31.12	135.00	4.40	275.00	4.00	140.00	224.50	408.14	75.00	1297.16

[अनुवाद]

उड़ीसा में मत्स्यन अनुसंधान संस्थान

166. श्री जुएल ओराम: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के बुर्ला स्थित मत्स्यन अनुसंधान संस्थान को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा किस तिथि से इसे बंद किया गया है;

(ग) क्या उक्त संस्थान का पुनरुद्धार किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी हां। केन्द्र बंद करने की प्रक्रिया में है।

(ख) हीराकुंड जलाशय में मछली पकड़ने और मछली पकड़ने की बाद की प्रौद्योगिकी के अध्ययन हेतु उड़ीसा राज्य के सम्बलपुर जिले के बुर्ला में केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना 1963 में की गई थी। इस केन्द्र ने पिछले चार दशकों से क्षेत्र में मछली पकड़ने और मछली पकड़ने की बाद की प्रौद्योगिकी पर अध्ययन किया था। आमतौर से जलाशय की मात्स्यिकी पर कार्य के लिए एक केन्द्र स्थायी रूप से एक स्थान पर नहीं रखा जाता उसे विभिन्न जलाशयों की समस्याओं को देखना पड़ता है ताकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियां देश के अन्य भागों में उपलब्ध करायी जा सकें। इससे पहले भी केन्द्रीय अन्तःस्थलीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी का नांगल केन्द्र 1964 में स्थापित किया गया था। 1970 में कार्य पूरा करने के बाद बंद कर दिया गया जैसाकि गोवा तथा चेन्नई में भी हुआ।

10वीं योजना के दौरान अनुसंधान प्रयासों के समेकन के लिए बुर्ला केन्द्र के विलयन/स्थानान्तरण हेतु व्यय वित्त समिति के अनुमोदन को देखते हुए केन्द्र को बंद करने का निर्णय लिया गया था क्योंकि जिन उद्देश्यों के लिए केन्द्र बनाया गया था उन्हें बंद/स्थानान्तरित करने के ऐसे निर्णय का मुख्य कारण वर्तमान अनुसंधान संबद्धता, वैज्ञानिकों तथा संबद्ध मानवशक्ति का उचित उपयोग, अनुसंधान प्रयासों की पुनरावृत्ति से बचना तथा नीति एवं व्यावहारिक अनुसंधान के लिए मुख्यालय का सुदृढ़ीकरण करना था। केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान ने 21 अप्रैल, 2007 को केन्द्र को बंद करने के लिए आदेश जारी किया।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

गन्ने से एथॉनोल का उत्पादन

167. श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में शीरा से एथॉनोल उत्पादित करने की सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सीधे गन्ने के रस से एथॉनोल उत्पादित करने हेतु सुविधा मुहैया कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस योजना को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, हां। उद्योग सूत्रों के अनुसार 105 डिस्टिलिरियां हैं, जिनकी वार्षिक रूप से लगभग 1500 मिलियन लीटर एनहाइड्रस इथेनाल के उत्पादन की क्षमता है जो पैट्रोल खपत के वर्तमान स्तर पर पैट्रोल के साथ 10% मिश्रण करने के लिए पर्याप्त है।

(ग) सरकार इथेनाल के उत्पादन के लिए कोई सुविधा प्रदान नहीं करती है। ये सुविधाएं चीनी फैक्ट्री द्वारा स्वयं सृजित की जानी होती हैं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

राशनिंग प्रणाली में संकट

168. श्री बरकला राधाकृष्णन: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य राजसहायता में की गई कमी की वजह से केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली गंभीर संकट से जूझ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या उपभोक्ताओं की खान-पान की आदतें बदलने तथा खुले बाजार में गेहूं की कमी की वजह से राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गेहूं की मांग बढ़ी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्यों को दिया जाने वाला गेहूं का कोटा बरकरार रखने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) की दृष्टि में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उपभोक्ताओं की आहार आदतों में आए बदलाव के कारण गेहूं की मांग में वृद्धि हुई है।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार के अनुरोध पर सितम्बर, 2006 से जुलाई, 2007 तक केरल राज्य को गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए कुल 83 हजार टन गेहूं का तदर्थ/अतिरिक्त आबंटन किया गया है। इसके अलावा सरकार ने ओणम त्यौहार के लिए अगस्त, 2007 माह के दौरान केरल राज्य के लिए 21000 टन चावल का एक बारगी विशेष आबंटन करने का भी निर्णय लिया है।

नदियों में जलप्रवाह पर बांधों का प्रभाव

169. श्रीमती मिनाती सेन: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नदियों में जल के प्रवाह पर बैराजों और बांधों के पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) नदियों की गाद निकालने हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गयी है; और

(घ) नदियों में पर्याप्त जलप्रवाह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) जी, नहीं। नदियों में जल प्रवाह पर बैराजों और बांधों के निर्माण के पश्चात कोई परियोजना विशेष अध्ययन नहीं किया गया था। तथापि, केन्द्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.) योजना आयोग की निवेश स्वीकृति के वास्ते तकनीकी सलाहकार समिति को पृष्ठांकित करने से पहले परियोजना मूल्यांकन अवस्था के दौरान जलविज्ञान और जल संसाधन परियोजनाओं की जल उपलब्धता की जांच करता रहा है। नदियों पर बांधों/बैराजों के प्रभाव से संबंधित एक संक्षिप्त टिप्पण विवरण में संलग्न है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। भारत सरकार ने नदियों में गाद जमा होने की समस्या का अध्ययन करने के लिए डा. बी.के. मित्तल, भूतपूर्व अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में अक्तूबर, 2001 में एक बहुविषयी समिति का गठन किया था जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि स्थिति इतनी नाजुक एवं चिंताजनक नहीं है। इसका मत था कि नदियों से गाद हटाया जाना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है और बाढ़ की तीव्रता को कम करने में यह केवल आंशिक रूप से प्रभावी है, वह भी अल्प अवधि के लिए। इसने सिफारिश की है कि सामान्य तलकर्षण प्रभावकारी नहीं पाया गया इसलिए बड़ी नदियों के मामले में इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए।

(घ) जल गुणवत्ता आकलन प्राधिकरण (डब्ल्यू.क्यू.ए.ए.) की दूसरी बैठक 14-5-2003 को आयोजित की गई जिसमें पारिस्थिति की को बचाये रखने के लिए नदियों में न्यूनतम प्रवाहों पर सलाह देने के लिए सदस्य (आर.एम.), सी.डब्ल्यू.सी. की अध्यक्षता में कार्यकारी दल का गठन किया गया। कार्यकारी दल की रिपोर्ट अगस्त, 2007 के दौरान

डब्ल्यू.क्यू.ए.ए. को प्रस्तुत की गई और प्राधिकरण द्वारा इस रिपोर्ट को स्वीकार किया जाना शेष है और तदनुसार नदियों में जल के न्यूनतम प्रवाह को बनाये रखने के लिए भावी कार्रवाई की जाएगी।

विवरण

नदी प्रवाहों पर उल्लेखनीय प्रभाव जल निकासी और वाष्पन की सीमा पर निर्भर करेगा जो नदी पर हाइड्रालिक संरचनाओं के कारण अवरुद्ध होने से घटित होगा। केन्द्रीय जल आयोग/जल संसाधन मंत्रालय में किसी परियोजना के लिए अब तक मात्रा-निर्धारण कार्य नहीं किया गया है।

जब कभी जल विज्ञान से परियोजनाओं की जांच की जाती है तब प्रतिप्रवाह परियोजनाओं के समग्र उपयोग को ध्यान में रखा जाता है। इससे जल उपलब्धता तथा डिजाइन फ्लड सिरीज की पुष्ठि करने में मदद मिलती है। अलग-अलग परियोजनाओं के स्थान पर समेकित और समान परियोजनाओं की संकल्पना का अध्ययन किया जाता है। प्रयोग करने के स्थान निर्धारित हैं और जो पूरे वर्ष कम प्रवाह को स्थिर करने के लिए उत्तरदायी हैं, से प्रवासी प्रवाह (उपयोग के 7 से 10% तक) का घटक मौजूद है। नदियों पर स्थित परियोजनाओं से फ्लड हाइड्रोग्राफ्स के तनुकरण में मदद मिलती है जिससे बाढ़ की विभीषिका में कमी आएगी। जलाशयों के सतही भंडारण से भूजल का पुनर्भरण होता है, इस प्रकार आस-पास के समुदायों को स्वच्छ जल की पूरे वर्ष आपूर्ति सुनिश्चित होती है।

जब परियोजना की जांच की जाती है तब जलाशयों के जीवन काल संबंधी अवसादन के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जिस आवाह क्षेत्र में अध्ययन जारी है उसकी ट्रैप दक्षता का मूल्यांकन करने के लिए मूडी मोनोग्राम का व्यापक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बांधों की ट्रैप दक्षता में 0.01 से 90% तक का अंतर होता है जोकि उस क्षेत्र, जहां पर बांध बनाये जाने पर विचार किया जा रहा है, पर निर्भर है। परियोजना काल बढ़ाने के लिए सैंसीटाइज्ड डिजीटल ट्रांसफोर्मेशन सहित जलाशयों की साफ-सफाई संबंधी प्रावधानों का सुझाव दिया गया है। आवधिक साफ-सफाई से यह सुनिश्चित होता है कि जलाशयों में जमी हुई गाद अनुप्रवाह की ओर अग्रसर होती है और अनुप्रवाह नदी क्षेत्र में गाद जमा होने के लिए उत्तरदायी हो जाती है।

[हिन्दी]

भारत-अमरीका संयुक्त सैन्य अभ्यास

170. **श्री मोहन सिंह:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चेन्नई पत्तन पर भारतीय और अमरीकी युद्धपोतों ने संयुक्त अभ्यास किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमरीकी युद्धपोत परमाणु हथियारों से लैस थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय सैन्य बलों ने अन्य देशों के सैन्य बलों के साथ इसी तरह के अभ्यास किए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) ऐसे संयुक्त अभ्यासों का भारतीय सैन्य बलों के मनोबल पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ज) क्या भारत की गुप्त रक्षा तैयारियों का ऐसे देशों को खुलासा करने से हमारी रक्षा उत्पादन और युद्ध तैयारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) और (च) भारतीय सेनाएं समय-समय पर अन्य देशों की सेनाओं के साथ संयुक्त अभ्यास आयोजित करती हैं। कुछ समय पूर्व जिन देशों के साथ संयुक्त अभ्यास किए गए उनमें संयुक्त राज्य अमरीका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, ओमान, सिंगापुर, जापान, श्रीलंका और मालदीव शामिल हैं।

(छ) संयुक्त अभ्यासों के दौरान सेना कार्मिक अन्य सेनाओं के अनुभवों विशेषकर उनके पास उपलब्ध उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्राप्त अनुभवों का लाभ उठाते हैं। यह आवश्यकता के समय आपदा प्रबंधन जैसी स्थिति में अंतर चालन को सुकर बनाती हैं।

(ज) यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाए किए गए हैं कि ऐसे अभ्यासों के दौराम गुप्त रक्षा तैयारियों को प्रकट न किया जाए।

[अनुवाद]

आयुध निर्माणियों का विस्तार

171. **श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में आयुध इकाइयों को और विस्तारित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कौन-सी समिति गठित की गई है; और

(घ) इस संबंध में क्या सिफारिशें की गई हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) और (ख) आयुध निर्माणी मेडक में सुविधाओं सहित कवचित वाहनों के लिए विनिर्माण क्षमता बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव प्रारंभिक अवस्था में है और इस पर अभी निर्णय लिया जाना है।

(ग) और (घ) इस प्रयोजन के लिए कोई समिति गठित नहीं की गई है।

श्रम कानूनों के रक्षार्थ रणनीति

172. **श्री अधीर चौधरी:**

श्री निखिल कुमार:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) ने सरकार से विशेष आर्थिक जोनों (एस.ई.जेड) में श्रम कानूनों की रक्षा करने संबंधी अपने वचन को पूरा करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या वैश्विक अनुभव यह बताते हैं कि विशेष आर्थिक जोनों ने कामगारों के अधिकारों का उल्लंघन किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा श्रमिकों के हितों के रक्षार्थ तथा देश में विशेष आर्थिक जोनों में श्रम कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए क्या रणनीतियां अपनायी गयी हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) जी, नहीं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने पुष्टि की है कि उसकी भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों में श्रम कानूनों की सुरक्षा के उपायों के संबंध में श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ कोई चर्चा नहीं हुई है।

(ग) जी, नहीं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने ऐसी किसी टिप्पणी का उल्लेख नहीं किया है।

(घ) विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 विशेष आर्थिक क्षेत्रों में श्रम कानूनों की अनुप्रयोज्यता पर रोक नहीं लगाता है।

पाम ऑयल बीजों का आयात

173. **श्री एन.एस.वी. चित्तन:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में दलहनों तथा पाम ऑयल सहित तिलहनों का उत्पादन और उनकी उत्पादकता बढ़ाने हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में दालों और तिलहनों की भारी कमी की चुनौती का मुकाबला करने हेतु सरकार द्वारा क्या रणनीति अपनायी गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) भारत सरकार देश में तिलहन, दलहन और आयल पाम का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित समेकित तिलहन, दलहन, आयल पाम और मक्का स्कीम (आइसोपाम) क्रियान्वित कर रही है। स्कीम के अंतर्गत किसानों को तिलहन और दलहन की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु महत्वपूर्ण आदानों जैसे गुणवत्ता बीजों, अवसंरचना विकास, उन्नत प्रौद्योगिकी पर ब्लॉक प्रदर्शनों, समेकित कृमि प्रबंधन प्रौद्योगिकी, पादप रक्षण रसायनों, पादप रक्षण उपकरणों/खरपतवारनाशियों के वितरण, जैव-उर्वरकों, जिप्सम/पाइराइट लाइमिंग/डोलोमाइट, स्प्रिंकर सेटों, जलवाही पाइपों की आपूर्ति आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसानों के बीच उन्नत, उत्पादन प्रौद्योगिकियों पर सूचना के प्रसार के लिए राज्य कृषि विभाग के जरिए ब्लॉक प्रदर्शन और समेकित कृमि प्रबंधन (आई.पी.एम.) प्रदर्शन तथा भारतीय कृषि अनुसंधान

परिषद (आई.सी.ए.आर.) के जरिए फ्रंटलाईन प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। आयलपाम के विकास के लिए आईसोपोम के अंतर्गत रोपण सामग्री, खेती की लागत, ड्रिप सिंचाई, डीजल पम्प सेटों आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) देश में तिलहन और दलहन की भारी कमी का समाधान करने के लिए प्रमुख तिलहन और दलहन उत्पादक राज्यों में खरीफ 2007 के दौरान आईसोपाम के अंतर्गत तिलहन और दलहन का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए विशेष योजना क्रियान्वित की गई है। इसके अलावा ग्यारहवीं योजना के दौरान गेहूं, चावल और दलहन संबंधी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.) शुरू करना परिकल्पित है ताकि इन फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाई जा सके तथा देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन सके। एन.एफ.एस.एम. - दलहन 14 राज्यों में 168 जिलों में क्रियान्वित करने के लिए प्रस्तावित है।

जटरोफा से जैव-डीजल

174. श्री स्वदेश चक्रवर्ती: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जटरोफा को जैव अपघटनीय डीजल में आसानी से बदला जा सकता है तथा इसके पौधरोपण से मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो बेकार मृदा और सूखे की परिस्थिति में जटरोफा की खेती के विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा वृक्ष मूल तिलहन के समेकित विकास संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम का कार्यान्वयन शुरू किया गया है ताकि जटरोफा, जिसमें अधिक तेल मात्रा है और तेल विकृति को रोकने की क्षमता है, सहित वृक्षमूल के तिलहनों की खेती को बढ़ावा दिया जा सके। जटरोफा के तेल को विपक्ष-ऐस्टरीकरण करके जैव-अपरदनीय डीजल में परिवर्तित किया जा सकता है।

नोवोड बोर्ड ने देश के 21 राज्यों में विशेषकर अवक्रमित क्षेत्रों में 10,185 हैक्टेयर क्षेत्र में जटरोफा का पौध रोपण किया है।

डी.आर.डी.ओ. का कार्य-निष्पादन

175. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) के कार्य-निष्पादन के उच्च स्तर तथा रक्षा सेवाओं के लिए हथियारों की आपूर्ति के लिए इसकी सराहना की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या डी.आर.डी.ओ. को इससे अवगत कराया गया था कि विकास चरण में विलम्ब के परिणामस्वरूप हथियारों के पुराने पड़ जाने का जोखिम रहता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या डी.आर.डी.ओ., इंडियन एअरलाइंस तथा सशस्त्र बलों द्वारा संयुक्त रूप से रक्षा उत्पादन प्रणाली को उन्नत बनाया जा सकता है एवं इसका आधुनिकीकरण किया जा सकता है;

(ङ) क्या डी.आर.डी.ओ. को रक्षा उद्योग के तीव्र विकास के लिए हर संभव मदद के प्रति आश्वस्त किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, हां। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने रक्षा सेनाओं के लिए रणनीतिक और सामरिक हथियार प्रणालियों के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अधिकांश प्रणालियां शृंखलाबद्ध उत्पादन तथा शामिल किए जाने के चरण में पहुंच चुकी हैं।

(ख) और (ग) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यह सुनिश्चित करता है कि प्रयोक्ता को परीक्षण और शामिल किए जाने के लिए हथियार देते समय वे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के हों और वे अप्रचलित न हुए हैं।

(घ) से (च) जी, हां। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन को सरकार ने रक्षा उद्योगों के त्वरित विकास के लिए सहायता देकर प्रोत्साहित किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हथियार प्रणालियों के उत्पादन के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकियों को सुचारू रूप से आत्मसात करने में सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और आयुध निर्माणियों को तकनीकी सहायता भी प्रदान की है। सार्वजनिक क्षेत्र के

रक्षा उपक्रमों, आयुध निर्माणी बोर्ड और निजी क्षेत्रों को भी शामिल करके रक्षा उत्पादन प्रणाली का आधुनिकीकरण करना एक सतत प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

आनुवांशिकी इंजीनियरिंग परीक्षण

176. **श्री अवतार सिंह भडाना:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसानों को सरकार द्वारा किए जा रहे आनुवांशिक इंजीनियरिंग परीक्षणों की जानकारी नहीं है तथा इससे फसलों तथा पौधों को खतरा पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) देश के सभी कपास उगाने वाले राज्यों में जारी करने के बाद मॉनीटरिंग करने पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों से जुड़े मुद्दों पर जन जागरूकता कार्यशाला आयोजित करने के लिए भारत सरकार ने कृषि और सहकारिता विभाग के माध्यम से बायोटैक कंसोर्टियम इंडिया लि. (बी.सी.आई.एल.), नई दिल्ली को वर्ष 2006-07 के दौरान वित्तीय सहायता मुहैया कराई है। बी.सी.आई.एल. ने इन कार्यशालाओं को राज्य स्तर के साथ-साथ जिला स्तर पर उन सभी आनुवंशिक रूप से संशोधित (जी.एम.) बी.टी. कपास उगाने वाले राज्यों में आयोजित किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विभिन्न जी.एम. कपास उगाने वाले क्षेत्रों में इसी प्रकार के प्रयास किए गए। बी.टी. कपास की खेती की विधियों को हाइलाइट करते हुए स्थानीय भाषाओं में प्रकाशनों को किसानों में वितरित किया गया। महाराष्ट्र में किसान गोष्ठी आयोजित की गई।

इन जन जागरूकता प्रयासों से किसानों को अप्रामाणिक जी.एम. बीजों से जुड़े जोखिम और जी.एम. फसलों खासतौर से बी.टी. कपास के जारी करने के बाद के प्रबंधन के बारे में जानकारी मिलती है।

[अनुवाद]

एकीकृत पोषक आहार प्रबंध प्रणाली

177. **डा. एम. जगन्नाथ:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र की मृदा विशिष्ट स्थिति के आधार पर एकीकृत पोषक आहार प्रबंध प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रकार का कार्यक्रम कब तक आरंभ किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) सरकार समेकित पोषक तत्व प्रबंधन (आई.एन.एम.) को बढ़ावा दे रही है जिसमें मृदा स्वास्थ्य और इसकी उत्पादकता में सुधार करने के लिए कार्बनिक खादों तथा जैव-उर्वरकों के संयोजन से रसायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण एवं संतुलित उपयोग आधारित मृदा जांच की परिकल्पना की गई है।

सरकार का XIवीं योजना के दौरान 'उर्वरकों के संतुलित उपयोग के संवर्धन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना' नामक एक नई केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम शुरू करने का विचार है जिसमें मृदा एवं उर्वरक जांच हेतु अवसंरचना विकास, कार्बनिक खादों के उपयोग तथा प्रशिक्षण एवं प्रदर्शनों के माध्यम से किसानों व विस्तार कर्मियों में जागरूकता पैदा करने पर और अधिक जोर दिया जाएगा।

दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा अधिशेष (एक्सेस) राशि का प्रतिदाय

178. **श्री प्रबोध पाण्डा:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सेवाओं को बदलने वाले ग्राहकों द्वारा दूरसंचार ऑपरेटरों के पास जमा की गई सुरक्षा जमा राशि के प्रतिदाय की कुल बकाया धनराशि कितनी है;

(ख) किन कारणों से ग्राहकों को अधिशेष (एक्सेस) राशि नहीं लौटायी जा सकी है;

(ग) क्या ग्राहक इस धनराशि की वापसी के लिए दावा कर सकते हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन निधियों के उपयोग के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) सरकार सेवा प्रदाताओं द्वारा जमानत राशि की वापसी संबंधी सूचना नहीं रखती।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) ग्राहक अपने कनेक्शन के बंद होने के बाद जमानत राशि की वापसी का दावा कर सकते हैं, जो कि बकाया देयों के समायोजन, यदि कोई हों, के अध्यधीन होगा।

दूरसंचार ऑपरेटर

179. श्री रूपचन्द मुर्मु: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के प्रत्येक दूरसंचार मंडल में कितने ऑपरेटरों को लाइसेंस दिया गया था;

(ख) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने प्रत्येक मंडल में ऑपरेटरों की संख्या सीमित करने का प्रस्ताव किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) प्रत्येक सेवा क्षेत्र में अभिगम सेवा लाइसेंसधारी कंपनियों की संख्या संबंधी सूची विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

दूरसंचार अभिगम सेवा लाइसेंसधारी कंपनियों की संख्या संबंधी सूची

क्र. सं.	सेवा क्षेत्र का नाम	एकीकृत अभिगम सेवाओं और सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा लाइसेंस-धारी कंपनियों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	7
2.	असम	5
3.	बिहार	8
4.	चेन्नै	4
5.	दिल्ली	7
6.	गुजरात	7
7.	हरियाणा	7
8.	हिमाचल प्रदेश	8
9.	जम्मू-कश्मीर	5
10.	कर्नाटक	7
11.	केरल	7
12.	कोलकाता	7
13.	मध्य प्रदेश	7
14.	महाराष्ट्र	7
15.	मुंबई	8
16.	उत्तर पूर्व	5
17.	उड़ीसा	7
18.	पंजाब	8
19.	राजस्थान	8
20.	तमिलनाडु (चेन्नै सेवा क्षेत्र को छोड़कर)	4

1	2	3
21.	तमिलनाडु (चेन्नै सेवा क्षेत्र सहित)	2
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	7
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	7
23.	पश्चिम बंगाल	7

नोट: मैसर्स भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) को दिल्ली और मुम्बई सेवा क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण भारत के लिए एक बुनियादी सेवा लाइसेंस प्रदान किया गया है तथा मैसर्स महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) को दिल्ली और मुम्बई सेवा क्षेत्रों के लिए एक बुनियादी सेवा लाइसेंस प्रदान किया गया है।

[हिन्दी]

एफ.सी.आई. के बेस डिपो

180. श्री रामदास आठवले: क्या उपभोक्ता मामले, **खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भारतीय खाद्य निगम के उन बेस डिपों का ब्यौरा क्या है जहां से गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) तथा गरीबी रेखा से ऊपर (ए.पी.एल.) जीवनयापन करने वाले लाभार्थियों दोनों के लिए साथ-साथ खाद्यान्नों की आपूर्ति नहीं की जाती है;

(ख) क्या एफ.सी.आई. के सभी बेस डिपों से दोनों श्रेणियों के लिए एक साथ खाद्यान्नों की आपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (घ) भारतीय खाद्य निगम राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों अथवा उनके नामितियों को अपने बेस डिपुओं से गरीबी रेखा से ऊपर तथा गरीबी रेखा से नीचे की स्कीमों के तहत एक साथ गेहूं और चावल की आपूर्ति कर रहा है।

एन.सी.सी.टी. का नियंत्रण एवं वित्त पोषण

181. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय सहकारिता प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.सी.टी.) को अपने पूर्ण नियंत्रण में लेने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) एन.सी.सी.टी. के लिए कुल कितनी कायिक निधि प्रदान की गई है तथा उक्त धनराशि के संबंध में सरकार की नीति क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय सहकारिता प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.सी.टी.) पर पूर्ण नियंत्रण का कोई प्रस्ताव नहीं है। एन.सी.सी.टी. देश में सहकारी क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भारत सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की समिति है। सहकारी संस्थाओं की कार्यात्मक स्वायत्तता और लोकतांत्रिक प्रबंधन सुनिश्चित करना केन्द्र सरकार की नीति है।

(ग) एन.सी.सी.टी. द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का वित्तपोषण करने के लिए 200.00 करोड़ रु. का कार्पस कोष सृजित किया गया है। भारत सरकार ने कार्पस कोष में 100.00 करोड़ रु. का अंशदान दिया है जिसके साथ इसमें भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ/अन्य सहकारी संस्थाओं का भी उतना ही अंशदान है। इस कार्पस कोष का प्रबंधन, कोष के प्रबंधन को अभिशासित करने वाली नियमावली के तहत गठित समिति द्वारा किया जाता है। एन.सी.सी.टी. द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर व्यय को पूरा करने के लिए केवल कार्पस कोष के ब्याज अर्जन का उपयोग किया जायेगा तथा कार्पस कोष अक्षुण्ण रहेगा।

(घ) और (ङ) सरकार को जवाहर लाल नेहरू

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ ने जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना करने का प्रस्ताव दिया है जिसके मुख्य परिसर पुणे में वैकुण्ठभाई मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान में होगा तथा परिसर के बाहर का स्थान क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान और सहकारी प्रबंधन संस्थान होगा। कृषि मंत्रालय ने प्रस्तावित विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए "कोई आपत्ति नहीं" की।

[अनुवाद]

बी.एस.एन.एल. के खरीद आदेश में विलम्ब

182. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड के बोर्ड ने 45.5 मिलियन जी.एस.एम. लाइन निविदा की समीक्षा की है जैसा कि दिनांक 17 जुलाई, 2007 के "द फाइनैंशियल एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कर्मचारी संघों/एसोसिएशनों के संयुक्त फोरम ने भी खरीद आदेश जारी करने में हो रहे विलम्ब की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ङ) चूंकि सरकार द्वारा 3जी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम नीति की घोषणा अभी की जानी है, इसलिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) बोर्ड ने खरीद आदेश को 2जी घटक तक सीमित रखने की संभावना हेतु जी.एस.एम. निविदा की पुनरीक्षा की थी। बी.एस.एन.एल. कर्मचारियों ने भी 3जी घटक के आदेश के संभावित रोक के विरोध में अपनी चिंता व्यक्त की थी और इस खरीद आदेश को तत्काल जारी करने का अनुरोध किया था। तथापि, कानूनी राय के आधार पर बी.एस.एन.एल. बोर्ड ने 3जी घटक सहित निविदा के प्रावधान को यथास्थिति रखने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

व्यावसायिक प्रशिक्षण/शिक्षा केन्द्रों का खोला जाना

183. श्री अजीत जोगी: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में चल रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण/शिक्षा केन्द्रों की संख्या राज्य-वार कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के अधिकतम बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए ऐसे और केन्द्र खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या हैं;

(घ) इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं और इस प्रयोनार्थ कितनी निधियां आबंटित की गई हैं; और

(ङ) इससे कितने बेरोजगार युवकों के लाभान्वित होने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) श्रम और रोजगार मंत्रालय के अन्तर्गत रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय देश में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना कार्यान्वित कर रहा है। देश में 5114, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/केंद्र कार्य कर रहे हैं। देश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों की राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण में है। इसके अतिरिक्त मानव संसाधन विकास मंत्रालय +2 स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण हेतु एक केंद्र प्रवर्तित योजना कार्यान्वित कर रहा है।

(ख) से (ङ) व्यावसायिक प्रशिक्षण समवर्ती सूची का विषय है। केंद्र स्तर पर भारत सरकार मानक, मानदण्ड निर्धारित करने, पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या विकसित करने, संबंधन प्रदान करने तथा व्यावसायिक परीक्षण एवं प्रमाणीकरण के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार द्वारा उनकी मांग के अनुरूप नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों की स्थापना की गई है।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ 'शासित प्रदेशों में सीट क्षमता सहित सरकारी व निजी औ.प्र.सं./औ.प्र. केंद्रों की क्षेत्रवार संख्या

उत्तरी क्षेत्र

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	सरकारी औ.प्र.सं. की संख्या	सीट क्षमता (सरकारी)	निजी औ.प्र. केंद्रों की संख्या	सीट क्षमता (निजी)	कुल औ.प्र. सं./औ.प्र. केंद्र	कुल सीट क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हरियाणा	81	13477	25	1428	106	14905
2.	हिमाचल प्रदेश	55	5649	8	980	63	6629
3.	जम्मू-कश्मीर	38	4332	0	0	38	4332
4.	पंजाब	110	14351	71	4716	181	19067
5.	राजस्थान	91	9472	45	3868	136	13340
6.	उत्तर प्रदेश	185	38644	128	13284	313	51928
7.	चण्डगीढ़	2	1048	0	0	2	1048
8.	दिल्ली	14	9364	48	2548	62	11912
9.	उत्तरांचल	57	6088	16	1592	73	7680
	उप-योग	**633**	**102425**	**341**	**28416**	**974**	**130841**
	दक्षिणी क्षेत्र						
1.	आन्ध्र प्रदेश	92	24239	476	87346	568	111586
2.	कर्नाटक	131	21340	610	38576	741	59916
3.	केरल	82	16176	467	43945	549	60121
4.	तमिलनाडु	71	24812	605	62191	676	87003
5.	लक्षद्वीप	1	96	0	0	1	96
6.	पांडिचेरी	7	1336	8	664	15	2000
	उप-योग	**384**	**87999**	**2166**	**232722**	**2550**	**320721**
	पूर्वी क्षेत्र						
1.	अरुणाचल प्रदेश	2	368	0	0	2	368
2.	असम	24	4536	3	84	27	4620

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	बिहार	29	10496	29	4472	58	14968
4.	झारखण्ड	14	2564	22	3124	36	5688
5.	मणिपुर	7	540	0	0	7	540
6.	मेघालय	5	622	2	320	7	942
7.	मिजोरम	1	294	0	0	1	294
8.	नागालैण्ड	3	404	0	0	3	404
9.	उड़ीसा	27	7328	147	16660	174	23988
10.	सिक्किम	1	140	0	0	1	140
11.	त्रिपुरा	4	416	0	0	4	416
12.	पश्चिम बंगाल	49	11956	18	964	67	12920
13.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1	220	0	0	1	220
	उप-योग	**167**	**39884**	**221**	**25624**	**388**	**65508**
	पश्चिमी क्षेत्र						
1.	गोवा	11	2652	4	420	15	3072
2.	गुजरात	135	70500	129	16626	264	87126
3.	मध्य प्रदेश	136	19538	33	2860	169	22398
4.	छत्तीसगढ	80	8984	57	5880	137	14864
5.	महाराष्ट्र	347	67390	267	29794	614	97184
6.	दादर व नगर हवेली	1	228	0	0	1	228
7.	दमन व दीव	2	388	0	0	2	388
	उप-योग	**712**	**169680**	**490**	**55580**	**1202**	**225260**
	कुल योग	1896	399988	3218	342342	5114	742330

[अनुवाद]

गैर-जरूरी क्षेत्रों में रक्षा व्यय

184. श्री फ्रांसिस फैन्थम: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की अन्य विकास आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गैर-जरूरी क्षेत्रों में रक्षा बलों पर व्यय को तर्कसंगत बनाया जाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रक्षा बलों द्वारा मेसों तथा रेजीमेंटल हॉलों/ सामुदायिक केंद्रों के निर्माण एवं रख-रखाव में काफी संसाधन व्यय किए जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन सुविधाओं का उपयोग यदा-कदा ही किया जाता है तथा इनके रख-रखाव के लिए काफी जनशक्ति की आवश्यकता होती है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) रक्षा सेनाओं के लिए निधियों की मांग प्रत्येक वर्ष सेनाओं द्वारा किए गए प्रस्तावों की आंतरिक जांच की कड़ी प्रक्रिया के माध्यम से तैयार की जाती है। निधियों की मांग की वित्त मंत्रालय द्वारा भी जांच की जाती है जो अन्य सभी विकासात्मक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अंतिम आबंटन का निर्णय करता है।

(ग) और (घ) मेसों तथा अन्य प्राधिकृत भवनों के निर्माण तथा रखरखाव पर किया जा रहा व्यय रक्षा के कुल आबंटन का एक छोटा-सा अंश है।

(ङ) और (च) इन सुविधाओं का अपेक्षा के आधार पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके रखरखाव के लिए विशाल जनशक्ति की जरूरत नहीं होती तथा यह कार्य सेना इंजीनियर सेवा (एम.ई.एस.) जैसी विद्यमान अनुरक्षण एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

[हिन्दी]

किसानों को सहायता

185. **श्री चंद्रकांत खैरे:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आपके मंत्रालय के अधीन कितने संस्थानों द्वारा किसानों को सीधे सहायता दी जा रही है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन संस्थानों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त संस्थानों द्वारा कितने किसानों को सहायता दी गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

टेलीफोन ग्राहकों के लाभार्थ निधि

186. **श्री रेवती रमन सिंह:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ट्राई ने टेलीफोन ग्राहकों के लाभार्थ एक निधि की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है तथा इस निधि के वित्तपोषण के स्रोत क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस निधि में कोई आरंभिक अंशदान किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने "दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि" स्थापित की है।

(ख) यह निधि दिनांक 15 जून, 2007 को भारत के राजपत्र में एक विनियम-यथा "दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विनियम, 2007" (2007 का 6) जारी करके स्थापित की गई है। दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि की आरंभिक निधि में ट्राई अधिनियम के अधीन किसी भी विनियम अथवा आदेश अथवा निदेश के अंतर्गत दूरसंचार सेवा की दरों से बढ़कर उपभोक्ताओं से प्रभारित की गई राशि अथवा सेवा प्रदाताओं द्वारा घोषित दरों से अधिक वसूल की गई ऐसी राशि शामिल होगी, जहां बाजार के विकल्प के अंतर्गत दरें अधिसूचित की गई हों, किंतु जिन्हें संबंधित उपभोक्ताओं को वापिस नहीं किया जा सका हो और वह सेवा प्रदाताओं के पास दावारहित पड़ी हो।

(ग) जी, नहीं।

(घ) दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विनियम, 2007 में सरकार द्वारा वित्तपोषित किए जाने संबंधी उपबंध नहीं हैं।

सैन्य अभ्यासों के लिए फायरिंग रेंज

187. **श्री मनोरंजन भक्त:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सैन्य अभ्यास के लिए फील्ड फायरिंग रेंजों के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यनीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य के कार्यक्रमों के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) सेना के पास फील्ड फायरिंग और यूनिट/सब-यूनिट स्तर पर युद्धाभ्यास संचालित करने के लिए फील्ड फायरिंग क्षेत्रों का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने की रणनीति है। इस रणनीति की समीक्षा करना सतत् प्रक्रिया है। इस रणनीति के मुख्य पहलू इस प्रकार हैं:-

(i) फील्ड फायरिंग रेंजों का योजनाबद्ध आबंटन ताकि यूनिटों और विरचनाओं को इष्टतम प्रशिक्षण लाभ प्राप्त हो सके;

(ii) भिन्न-भिन्न उपस्करों को फायर करने के वास्ते बड़े आकार की अर्जित फील्ड फायरिंग रेंजों का क्षेत्रगत विभाजन ताकि सेना और वायुसेना की अनेक यूनिटों द्वारा उनका साथ-साथ उपयोग किया जा सके;

(iii) पूरे वर्ष फील्ड फायरिंग रेंजों के इष्टतम उपयोग के लिए सेना मुख्यालय के स्तर पर बड़े आकार की फील्ड फायरिंग रेंजों का बड़ी मात्रा में और कमान मुख्यालय स्तर पर निम्नतर विरचनाओं के लिए फील्ड फायरिंग रेंजों का उप आबंटन; और

(iv) अन्य फील्ड फायरिंग रेंजों का विकेंद्रीकरण ताकि निम्नतर विरचनाएं उनका अधिकतम उपयोग कर सकें।

समुद्र के भीतर केबल बिछाना

188. **श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.एस.एन.एल. तथा एम.टी.एन.एल. भारत से सिंगापुर तथा मलेशिया के बीच समुद्र के भीतर केबल बिछाने तथा पश्चिम एशिया के जरिए अन्य देशों तक इसको विस्तारित करने की योजना बना रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस परियोजना पर कितनी लागत आएगी;

(ग) क्या इस परियोजना की लागत वास्तविक लागत से चार गुना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) परियोजना के सलाहकारों के नाम क्या हैं तथा सलाहकारों के चयन हेतु क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(च) क्या बी.एस.एन.एल./एम.टी.एन.एल. अधिक लागत के मद्देनजर केबल लिंक्स हेतु वैकल्पिक योजना पर विचार कर रहे हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी, हां। पूर्वी भाग का बांग्लादेश, म्यांमार, अण्डमान और निकोबार द्वीप, थाईलैण्ड और इण्डोनेशिया के लिए शाखाओं सहित भारत से मलेशिया और/या सिंगापुर तक केबल बिछाने की योजना बनाई गई है। पश्चिमी भाग का पाकिस्तान, ओमान, ईरान, कतर और कुवैत के लिए शाखाओं सहित भारत से संयुक्त अरब अमिरात और/या सऊदी अरब तक केबल बिछाने की योजना बनाई गई है। परियोजना की व्यवहार्यता/क्षमता तथा निवेशित पूंजी की वसूली के बारे में सर्वेक्षण करने के लिए चरण-I के परामर्शदाता के रूप में नियुक्त मैसर्स डॉटावेव लि. द्वारा किए गए आरंभिक आकलनों के अनुसार परियोजना की अनुमानित लागत, टर्मिनल निर्माण आदि को छोड़कर, 400 मिलियन अमरीकी डालर है।

(ग) से (छ) यू.के. की मैसर्स डॉटावेव लि. को परियोजना की व्यवहार्यता/क्षमता और निवेशित पूंजी की वसूली के बारे में सर्वेक्षण करने हेतु चरण-I परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया था। फ्रांस की मैसर्स एक्सिओम को परियोजना की समाप्ति तक एम.टी.एल. टीम को सहायता प्रदान करने हेतु चरण-II परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है। इन दोनों परामर्शदाताओं का चयन, खुली सार्वभौमिक बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है।

उपरोक्त आरंभिक लागत केवल एक आकलन है जिसे निविदाओं को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात निश्चित किया जाएगा। तथापि, सिंगापुर से होकर म्यांमार तक के भूमि मार्ग की संभाव्यता का भी पता लगाया जा रहा है।

[हिन्दी]

भूख से मौतें

189. श्री विजय कृष्ण:
श्री हितेन बर्मन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान तथा इसके बाद विभिन्न राज्यों में भूख से मौत होने के अनेक मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए देश में प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से अब तक भुखमरी से मौत होने की किसी घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सम्पूर्ण देश में 4,89,000 उचित दर दुकानों के जरिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्रियान्वित की जा रही है। इसके अलावा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक, काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम और अन्नपूर्णा योजना जैसे राहत कार्यों के अधीन मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किए जाते हैं।

कई राज्यों में खाद्यान्न की कमी वाले क्षेत्रों में अंत्योदय और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए ग्रामीण अनाज बैंक स्थापित करने हेतु एक केन्द्रीय स्कीम भी क्रियान्वित की जा रही है। ऐसे परिवार अपने क्षेत्रों में स्थापित ग्रामीण अनाज बैंकों से ऋण आधार पर खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।

[अनुवाद]

कर्नाटक से लिए "विदर्भ-पैकेज" की प्रगति की समीक्षा

190. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक के लिए "विदर्भ-पैकेज" के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा करने के लिए दिनांक 3 अगस्त 2007 को बैंगलोर में एक समीक्षा बैठक की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ अब तक कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) सरकार ने 3 अगस्त, 2007 को बंगलौर में कर्नाटक में कृषि क्षेत्र के कार्य निष्पादन पर एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ राज्य के छह आत्महत्या संभावित जिलों में किसानों के लिए विशेष पुनर्वास पैकेज की भी समीक्षा की गई। राज्य के छह अभिज्ञात आत्महत्या संभावित जिलों में किसानों के लिए पुनर्वास पैकेज के अधीन 27 जुलाई, 2007 तक 1290.85 करोड़ रु. निर्गत किए गए हैं।

बांग्लादेश के साथ जल का बंटवारा

191. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत तथा बांग्लादेश ने तीस्ता नदी के जल बंटवारे को अन्तिम रूप देने के लिए नई दिल्ली में चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो अन्तिम रूप दिए गए समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी हां। भारत और बंग्लादेश के बीच सचिव स्तर की एक बैठक 7-8 अगस्त, 2007 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

(ख) और (ग) बंग्लादेश के पक्ष ने विचार किए जाने के लिए परिकलित विश्वसनीय प्रवाहों और तीस्ता नदी के जल के बंटवारे के तौर तरीकों को प्रस्तुत किया। संयुक्त वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित दीर्घकालीन बंटवारा संबंधी निर्णय लम्बित होने के कारण भारतीय पक्ष ने तीस्ता नदी के जल के अंतरिम बंटवारे के लिए सिद्धान्तों का प्रस्ताव किया। इस बात पर सहमति हुई कि दोनों प्रस्तावों की जांच की जाएगी और ब्यौरे को, अंतिम निर्णय के लिए जे.आर.सी. की अगली बैठक में विचार किए जाने के वास्ते,

यथाशीघ्र दोनों देशों के सदस्य, जे.आर.सी. की अध्यक्षता में तकनीकी स्तर पर तैयार किया जाएगा।

[हिन्दी]

लहसुन की खेती

192. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लहसुन की खेती को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) जी, हां। लहसुन सहित बागवानी उत्पादन बढ़ाने के लिए देश में दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें नामतः राष्ट्रीय बागवानी मिशन और पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी प्रौद्योगिकी मिशन क्रियान्वित की जा रही हैं जिनमें विस्तार कार्यक्रमों के जरिए उत्पादकों को उन्नत किस्मों के गुणवत्ता बीज उत्पादन हेतु तकनीकी दिशा निर्देश के साथ-साथ बागवानी फसलों के अधीन क्षेत्रफल विस्तार हेतु सहायता दी जाती है। इससे लहसुन सहित बागवानी फसलों के क्षेत्रफल उत्पादन और उत्पादकता वृद्धि में मदद मिलती है।

[अनुवाद]

राज्यों से जल परियोजनाएं

193. श्री हरिसिंह चावड़ा:
श्री गिरिधारी यादव:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों विशेषकर बिहार तथा गुजरात से जल परियोजनाओं के विकास हेतु कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत तथा लम्बित पड़ी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इनके लंबित पड़े रहने के क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य-वार कितनी परियोजनाएं पूरी हो गई हैं तथा कितनी परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) वर्तमान में, बिहार तथा गुजरात राज्यों सहित विभिन्न राज्य सरकारों से सिंचाई परियोजना के 187 नए प्रस्ताव (103 वृहद तथा 84 मध्यम) प्राप्त हुए हैं। इनमें से, 111 परियोजनाएं (59 वृहद तथा 52 मध्यम) मूल्यांकन के विभिन्न स्तरों पर हैं और शेष 76 परियोजनाओं (44 वृहद तथा 32 मध्यम) को जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा कुछ टिप्पणियों की अनुपालना की शर्त पर तकनीकी-आर्थिक रूप में स्वीकार कर लिया गया है। इन परियोजनाओं के राज्यवार सार विवरण-I में दिए गए हैं। उन परियोजनाओं का ब्यौरा, जिनको पिछले तीन वर्षों के दौरान निवेश स्वीकृति दी गई है, विवरण-II पर दिया गया है। परियोजनाओं का अनुमोदन इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य सरकारें केन्द्रीय मूल्यांकन एजेंसियों के विचारों की अनुपालना कितनी तत्परता से करती हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान ए.आई.बी.पी. के अधीन जारी की गई केन्द्रीय सहायता की परियोजनावार विवरण विवरण-III पर दिया गया है।

(घ) ए.आई.बी.पी. की अधीन पूरे किए गए परियोजनाओं/परियोजना घटकों का राज्यवार ब्यौरा विवरण-IV में दिया गया है।

विवरण-I

क्र. सं.	राज्य	वृहद			मध्यम			कुल		
		ए	बी	कुल	ए	बी	कुल	ए	बी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	6	5	11	2	6	8	8	11	19
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	असम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	बिहार	2	1	3	-	-	-	2	1	3
5.	छत्तीसगढ़	4	-	4	-	-	-	4	-	4
6.	गोवा, दमन, दीव	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	गुजरात	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	हरियाणा	3	2	5	1	-	1	4	2	6
9.	हिमाचल प्रदेश	-	1	1	2	-	2	2	1	3
10.	जम्मू-कश्मीर	-	-	-	4	3	7	4	3	7
11.	झारखंड	4	4	8	-	-	-	4	4	8
12.	कर्नाटक	5	3	8	6	-	6	11	3	14
13.	केरल	1	1	2	2	-	2	3	1	4
14.	मध्य प्रदेश	5	3	8	-	-	-	5	3	8
15.	महाराष्ट्र	12	5	17	27	8	35	39	13	52
16.	मणिपुर	-	1	1	-	1	1	-	2	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	नागालैण्ड	1	–	1	–	1	1	1	1	2
19.	उड़ीसा	2	4	6	1	7	8	3	11	14
20.	पंजाब	4	2	6	1	1	2	5	3	8
21.	राजस्थान	3	5	8	4	4	8	7	9	16
22.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	तमिलनाडु	–	1	1	–	1	1	–	2	02
24.	त्रिपुरा	–	–	–	1	–	1	1	–	1
25.	उत्तर प्रदेश	5	6	11	1	–	1	6	6	12
26.	उत्तरांचल	1	–	1	–	–	–	1	–	01
27.	पश्चिम बंगाल	1	–	1	–	–	–	1	–	01
	कुल जोड़	59	44	103	52	32	84	111	76	187

ए - मूल्यांकन की विभिन्न अवस्थाओं के अंतर्गत परियोजना

बी - कुछ टिप्पणियों के अधीन जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत।

विवरण-II

योजना आयोग द्वारा अप्रैल, 2004 से जून, 2007 तक अनुमोदित सिंचाई परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य का नाम	वृहद/ मध्यम	अनुमानित लागत (रु. करोड़ में)	लाभ (हजार हेक्टे.)	अनुमोदन तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1.	पोथरा नल्ला सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	मध्यम	63.08	9.380	02-12-2004
2.	उतावली सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	मध्यम	35.78	5.394	02-12-2004
3.	बाणसागर नहर परियोजना	उत्तर प्रदेश	वृहद	570.35	150.132	29-07-2004
4.	दादी नहर का आधुनीकीकरण	जम्मू एवं कश्मीर	मध्यम	11.10	4.526	14-09-2004
5.	वैतरणी नदी पर आनंदपुर बराज परियोजना	उड़ीसा	वृहद	482.26	56.72	30-12-2004
6.	लचुरा बांध का आधुनिकीकरण	उत्तर प्रदेश	वृहद	88.30	46.485	05-05-2005
7.	मिनिमाता (हसदेव) बांगो बहुउद्देश्यीय परियोजना (संशोधित)	छत्तीसगढ़	वृहद	1312.32	433.500	20-05-2005
8.	मोंगरा सिंचाई परियोजना	छत्तीसगढ़	मध्यम	83.64	9.431	07-01-2005
9.	बल्ह घाटी (बांया तट) सिंचाई परियोजना	हिमाचल प्रदेश	मध्यम	41.64	5.394	10-06-2005
10.	गुल नदी सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	मध्यम	65.736	3.025	09-11-2005
11.	पुनाद सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	वृहद	157.78	10.846	05-12-2005
12.	एस.आर.एस.पी. से बाढ़ प्रवाह नहर	आन्ध्र प्रदेश	वृहद	1331.30	102.00	08-12-2005
13.	पुनपुन बराज स्कीम	बिहार	वृहद	102.26	13.898	13-01-2006
14.	हरनघाट लिफ्ट सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	मध्यम	49.2085	4.819	16-03-2006
15.	पालेमवागु	आन्ध्र प्रदेश	मध्यम	29.1287	6.23	17-03-2006

1	2	3	4	5	6	7
16.	श्रीराम सागर परियोजना चरण-II	आन्ध्र प्रदेश	वृहद	1043.14	193.871	20-03-2006
17.	थोटापल्ली बराज स्कीम	आन्ध्र प्रदेश	वृहद	415.87	78.443	20-03-2006
18.	पेंच डाइवर्जन परियोजना	मध्य प्रदेश	वृहद	583.40	96.519	10-04-2006
19.	पेद्दावागु डाइवर्जन परियोजना	आन्ध्र प्रदेश	मध्यम	124.64	6.00	27-06-2006
20.	मथाडिवागु जलाशय परियोजना	आन्ध्र प्रदेश	मध्यम	50.40	3.440	27-06-2006
21.	गोल्लावागु जलाशय*	आन्ध्र प्रदेश	मध्यम	84.08	3.845	27-06-2006
22.	रल्लीवागु जलाशय	आन्ध्र प्रदेश	मध्यम	33.30	2.430	27-06-2006
23.	ताडीपुडी लिफ्ट सिंचाई	आन्ध्र प्रदेश	वृहद	376.96	83.599	27-06-2006
24.	पुष्कर लिफ्ट सिंचाई स्कीम	आन्ध्र प्रदेश	वृहद	379.503	75.235	27-06-2006
25.	मावखुल सिंचाई परियोजना - ई.आर.एम.	जम्मू एवं कश्मीर	मध्यम	12.8241	9.3522	06-07-2006
26.	नंदी नहर सिंचाई परियोजना - ई.आर.एम.	जम्मू एवं कश्मीर	मध्यम	6.4615	3.060	06-07-2006
27.	मार्तंड नहर सिंचाई परियोजना - ई.आर.एम.	जम्मू एवं कश्मीर	मध्यम	27.71	6.498	06-07-2006
28.	बाबुल नहर सिंचाई परियोजना - ई.आर.एम.	जम्मू एवं कश्मीर	मध्यम	12.3362	3.077	06-07-2006
29.	दादी नहर सिंचाई परियोजना - ई.आर.एम. (संशोधित)	जम्मू एवं कश्मीर	मध्यम	49.95	4.65013	06-07-2006
30.	हरदोई शाखा प्रणाली (ई.आर.एम.)	उत्तर प्रदेश	वृहद	105.2997	306.055	8-12-2006
31.	वल्लीगल्लु जलाशय	आन्ध्र प्रदेश	मध्यम	143.67	10.525	22-12-2006
32.	यमुना नदी के बांये तट पर अलीपुर बांध पर 10 मी. चौड़े सड़क मार्ग बनाना उसे चौड़ा करना, सुदृढ़ीकरण करना।	उत्तर प्रदेश	बाढ़ सुरक्षा	42.20	-	22-12-2006
33.	कचनोदा बांध	उत्तर प्रदेश	वृहद	88.67	10.85	03-01-2007

34. नीलवाई जलाशय परियोजना	आन्ध्र प्रदेश	मध्यम	90.50	5.260	12-02-2007
35. धूम बालकवाडी टनेल सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	वृहद	475.29	12.620	23-03-2007
36. लाल नल्ला सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	मध्यम	103.49	7.320	23-03-2007
37. कर सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	मध्यम	170.04	6.744	23-03-2007
38. अरूणावती नदी परियोजना	महाराष्ट्र	वृहद	224.16	25.155	23-03-2007
39. निचली वर्धा सिंचाई स्कीम	महाराष्ट्र	वृहद	857.70	51.655	23-03-2007
40. खड्कपुर्णा नदी परियोजना	महाराष्ट्र	वृहद	878.56	24.864	23-03-2007
41. तराली सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	वृहद	504.96	19.498	23-03-2007
42. कांडी नहर परियोजना	जम्मू एवं कश्मीर	मध्यम	53.70	3.229	30-03-2007
43. गोदावरी लिफ्ट सिंचाई	आन्ध्र प्रदेश	वृहद	6016.00	286.000	23-03-2007
44. गुथपा लिफ्ट सिंचाई स्कीम	आन्ध्र प्रदेश	वृहद	171.91	15.699	23-03-2007
45. अलीसागर लिफ्ट सिंचाई स्कीम	आन्ध्र प्रदेश	वृहद	227.90	21.770	23-03-2007
46. मुरूसमिल्ली जलाशय परियोजना	आन्ध्र प्रदेश	मध्यम	207.00	15.676	23-03-2007
47. पेड्डावागु परियोजना (कुमारम भीम)	आन्ध्र प्रदेश	मध्यम	202.59	10.927	23-03-2007
48. भूपतिपलेम जलाशय स्कीम	आन्ध्र प्रदेश	मध्यम	47.23	6.516	23-03-2007
49. सुतियापट जलाशय परियोजना	छत्तीसगढ	मध्यम	46.95	6.960	09-04-2007
50. डोलायथाबी बराज परियोजना	मणीपुर	मध्यम	98.37	7.545	10-05-2007
51. बेम्बला नदी परियोजना	महाराष्ट्र	वृहद	1276.87	70.756	14-06-2007
52. प्रथम पटियाला फीडर और कोटला शाखा का सुधार	पंजाब	वृहद	123.30	68.624	30-302007

विवरण-III

2004-05 से 2007-08 के दौरान ए.आई.बी.पी. के तहत जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता (सी.एल.ए.)/अनुदान

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य/परियोजना का नाम (जिस योजना में शुरू की गई)	राशि						
		2004-05			2005-06	2006-07	2007-08, (9-4-07 की स्थिति के अनुसार)	एआईबीपी में परियोजना को शामिल किए जाने से अब तक कुल सीए
		ऋण	अनुदान	कुल	अनुदान	अनुदान	अनुदान	
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		(16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाएं								
	आन्ध्र प्रदेश							
1.	श्रीराम सागर (चरण-I) (III) (पूर्ण)							219,2200
2.	चेय्यरू (अभामाया)) (V) (पूर्ण)							15.3300
3.	जुराला (VI)	41.7410	17.8890	59.6300	17.8890			245.1890
4.	सोमसिला (V)							44.5250
5.	नागार्जुनसागर (II) (पूर्ण)							26.4300
6.	मड्डुवालसा (V) (पूर्ण)							41.8000
7.	गुन्डालवागु (V)							4.0050
8.	मड्डीगेड्डा (V)	0.6300	0.2700	0.9000				3.7920

9. कानपुर नहर (III)							1.9200
10. पेर्राकालवा (V)	4.0873	1.7517	5.8390				28.4630
11. वम्सधारा फेज-I	14.8246	6.3534	21.1780		6.6830		37.1160
12. एस.आर.एस.पी. की बाढ़ प्रवाह नहर				120,0000	127.4000		247.4000
13. श्रीरामसागर परियोजना-II				2.2690	72.0000		74.2690
स्वर्णमुखी मध्यम सिंचाई परियोजना					5.9310		5.9310
61 लघु सिंचाई स्कीमें					27.0000		27.0000
14. ताडीपुडी एल.आई.एस.					48.2200		48.2200
15. पुष्कर एल.आई.एस.					33.1155		33.1155
16. रालीवागु					6.7095		6.7095
17. गोल्लावागु					28.3500		28.3500
18. मथाडीवागु					28.3500		28.3500
19. पेड्डावागु					50.6250		50.6250
गुंडलाकम्मा जलाशय					39.7425		39.7425
20. वल्लीगल्लू जलाशय					36.0855		36.0855
21. अलीसागर एल.आई.एस.					13.5000		13.5000
22. जे. चोक्काराव एल.आई.एस.					298.1300		298.1300
23. गुथ्था एल.आई.एस.					10.9500		10.9500
24. निलवाई					2.8500	6.1500	9.0000
25. कोमाराम भीम					7.7800	74.5400	82.3200
उप-जोड़ 1	**61.2829**	**26.2641**	**87.5470**	**140.1580**	**843.4220**	**80.6900**	**1707.4880**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी केन्द्रीय ऋण सहायता								
	नागार्जुनसागर परियोजना (I)							50.7100
	सोमसिला (V)							120.0000
	श्रीराम सागर परियोजना चरण-I (III) (पूर्ण)							107.9500
	अन्नामाया (चेय्येल)) (V)							10.0000
	मधुवालसा (V) (पूर्ण)							25.0000
26.	गुंडलाकम्मा जलाशय				59.6100			59.6100
27.	थोटापल्ली बैराज				63.1410			63.1410
28.	ताराकरमा तीर्थ सागरम परियोजना				33.0060			33.0060
29.	स्वर्णमुखी मध्यम सिंचाई परियोजना				5.9310			5.9310
30.	पालेमवागु				9.5355			9.5355
	उप-जोड़ 2				**171.2235**	**0.0000**	**0.0000**	**484.8835**
	(आंध्र प्रदेश) - कुल	**61.2829**	**26.2641**	**87.5470**	**311.3815**	**843.4220**	**80.69.00**	**2192.3715**
	अरुणाचल प्रदेश							
	2002-03 में 2 चालू एवं 286 नई लघु सिंचाई स्कीमें							1.5000
	7 नई सतही लघु सिंचाई स्कीम							0.6065
	288 चालू एवं 270 नई लघु स्कीमें							19.3935
	1340 चालू सतही लघु सिंचाई स्कीमें	1.0000	9.0000	10.0000				10.0000
	97 चालू सतही लघु सिंचाई स्कीमें				8.7750			8.7750

243 चालू सतही लघु सिंचाई स्कीमें				9.2250			9.2250
187 चालू सतही लघु सिंचाई स्कीमें					24.3000		24.3000
93 चालू लघु सिंचाई स्कीमें					2.7000		2.7000
(अरुणाचल प्रदेश) - कुल	**1.0000**	**9.0000**	**10.0000**	**18.0000**	**27.0000**	**0.0000**	**106.5000**
असम							
31. पहुमारा (वा.यो. 1978-80)		0.0075	0.0675	0.0750	1.7550		6.1400
32. हवाईपुर एस.आई.एस. (VI)							4.9650
33. रूपाही एल.आई.एस. (वा.यो. 1978-80) (पूर्ण)							0.6550
34. धनसिरी (V)							31.6900
35. चम्पामती (VI)							13.7330
36. बोरोलिया (वा.यो. 1978-80)				3.6000			12.5370
37. कोलोंगा (V) (डी)							0.5000
38. बुढीदिहांग एल.आई.एस. (वा.यो.1978-80)							4.2240
39. बोर्दीकराई (V) (पूर्ण)							7.0130
40. जमुना सिंचाई परियोजना का आधुनिकीकरण (IX)				7.2450			16.2800
41. कोलोंग बेसिन में समेकित सिंचाई स्कीम (V)							12.9820
1999-2000 में 6 लघु सिंचाई स्कीमें							1.5200
2000-2001 में 46 लघु सिंचाई स्कीमें							5.7770
2001-02 में 5 नई लघु सिंचाई स्कीमें							1.1050
2002-03 में कारलावी ए.ए.सी. के तहत 3 लघु सिंचाई स्कीमें							0.4150

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	40 लघु सिंचाई स्कीमें							2.1280
	7 लघु सिंचाई स्कीमें (नई)							0.3915
	के.ए.सी.सी. के तहत 5 चालू लघु सिंचाई स्कीमें							0.6243
	के.ए.सी.सी. के तहत 3 चालू लघु सिंचाई स्कीमें							0.4150
	2001-02 के 2 सतही लघु सिंचाई स्कीमें (के.ए.ए.सी.)							0.5440
	2002-03 (के.ए.ए.सी.) में 3 सतही लघु सिंचाई स्कीमें							0.2720
	5 नई लघु सिंचाई स्कीमें (के.ए.ए.सी.)							0.8150
	(के.ए.ए.सी.) के तहत किलिंग सिंचाई स्कीम							0.4500
	3 चालू एवं 5 नई लघु सिंचाई स्कीमें (के.ए.ए.सी.)							1.9440
	4 लघु सिंचाई स्कीमें एन.सी. हिल्स							1.3335
	33 चालू सतही लघु सिंचाई स्कीमें							2.6250
	के.ए.ए.सी. की 13 नई सतही लघु सिंचाई स्कीमें							1,7900
	के.ए.ए.सी. की 11 चालू नई सतही लघु सिंचाई स्कीमें	0.5525	4.9725	5.5250				5.5250
	के.ए.ए.सी. की 11 नई सतही लघु सिंचाई स्कीमें	0.2445	2.2005	2.4450				2.4450
	के.ए.ए.सी. 2 नई लघु सिंचाई स्कीमें	0.1125	1.0125	1.1250				1.1250

	के.ए.ए.सी. की 13 चालु लघु सिंचाई स्कीमें	0.1785	1.6065	1.7850				1.7850
	के.ए.ए.सी. 11 नई लघु सिंचाई स्कीमें	0.4336	3.9024	4.3360				4.3360
	एन.सी.ए.सी. की 2 चालू एवं 11 नई लघु सिंचाई स्कीमें	0.1639	1.4751	1.6390				1.6390
	28 चालू लघु सिंचाई स्कीमें				3.7260			3.7260
	25 चालू लघु सिंचाई स्कीमें (के.ए.ए.सी.)				11.7178	15.3300		27.0478
	9 नई सतही लघु सिंचाई स्कीमें (के.ए.ए.सी.)				6.5294			6.5294
	4 नई सतही लघु सिंचाई स्कीमें (के.ए.ए.सी.)				0.3600			0.3600
	22 चालू सतही लघु सिंचाई स्कीमें (के.ए.ए.सी.)					7.8100	10.7200	18.5300
	38 नई सतही लघु सिंचाई स्कीमें (के.ए.ए.सी.)					1.7400	3.1800	4.9200
	2006-07 में के.ए.ए.सी. 2 नई लघु सिंचाई स्कीमें					2.0250		2.0250
	2006-07 में के.ए.ए.सी. की 4 नई लघु सिंचाई स्कीमें					1.9035		1.9035
	3 नई लघु सिंचाई स्कीमें					1.4600		1.4600
	(असम) - कुल	**1.6930**	**15.2370**	**16.9300**	**34.9332**	**30.2685**	**13.9000**	**216.2250**
	बिहार							
42.	पश्चिमी कोसी नहर (III)	13.9160	5.9640	19.8800	5.9640	1.7000	16.3000	191.0490
43.	ऊपरी क्यूल (V)	0.9345	0.4005	1.3350	0.0750			22.5790
44.	दुर्गावती (V)				1.4000			65.0900
	- बाणसागर (V)							83.5000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	ओरनी जलाशय (V)							11.4005
46.	बिलासी जलाशय (V) (पूर्ण)							3.3900
47.	सोन नहर आधुनिकीकरण (VII)	11.2000	4.8000	16.0000	8.7990	1.5300	14.6700	136.1590
48.	बताने (V)							3.3350
	(बिहार) - कुल	**26.0505**	**11.1645**	**37.2150**	**16.2380**	**3.2300**	**30.9700**	**516.5025**
	छत्तीसगढ							
49.	हसदेव बांगो (वा.यो. 1978-80) (पूर्ण)							105.9400
50.	शिवनाथ डाईवर्जन (V) (पूर्ण)							3.5400
51.	जॉक डाईवर्जन (IV) (पूर्ण)							7.6000
52.	कोसैरटैडा	2.0475	0.8775	2.9250	1.5640			12.1990
53.	महानदी जलाशय				6.1005			6.1005
	27 लघु सिंचाई स्कीमें					7.5150		7.5150
	16 नई लघु सिंचाई स्कीमें					1.7900	17.1600	18.9500
	27 नई लघु सिंचाई स्कीमें					1.4000	13.4500	14.8500
	उप-जोड़ 1	**2.0475**	**0.8775**	**2.9250**	**7.6645**	**10.7050**	**30.6100**	**176.6945**
फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी केन्द्रीय ऋण सहायता								
54.	बारनाई							2.6500
	हसदेव बांगो (वा.यो. 1978-80)							137.8400
	उप-जोड़ 2				**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**140.4900**
	(छत्तीसगढ) - कुल	**2.0475**	**0.8775**	**2.9250**	**7.6645**	**10.7050**	**30.6100**	**317.1845**

गोवा							
55. सलोली चरण-1 (IV)	0.4550	0.1950	0.6500				17.7500
56. तिल्लारी (V)					1.9100	18.3400	133.6500
(गोवा) - कुल	**0.4550**	**0.1950**	**0.6500**		**1.9100**	**18.3400**	**151.3000**
गुजरात							
57. सरदार सरोवर (VI)	420.0000	18.0000	438.0000	339.6000	121.8885	162.4200	4327.1585
58. झुज (वा.यो. 1978-80) (पूर्ण)							4.7400
59. सिपू (वा.यो. 1978-80) (पूर्ण)							6.4550
60. मुक्तेश्वर (VI)							10.8630
61. हरनव-II (V) (पूर्ण)							0.0650
62. उमरिया (V) (पूर्ण)							0.1350
63. दमनगंगा (IV) (पूर्ण)							9.4700
64. कर्जन (V) (पूर्ण)							7.6000
65. सुखी (V) (पूर्ण)							5.6500
66. देव (V) (पूर्ण)							0.5000
67. बतरक कदाना आर.वी. नहर (वा.यो. 1979-80) (पूर्ण)							3.1100
68. अजी-IV (IX)							11.1080
69. औजट-II (VIII)							12.1100
70. ब्राह्मणी-II (IX)							4.0000
71. भादर-II							0.8660
उप-जोड़ 1	**420.0000**	**18.0000**	**438.0000**	**339.6000**	**121.8885**	**162.4200**	**4403.8305**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी केन्द्रीय ऋण सहायता							
	सरदार सरोवर परियोजना (VI) (एफ.टी.पी.-I)							188.0000
	सरदार सरोवर परियोजना (VI) (एफ.टी.पी.-II)	64.7500	27.7500	92.5000				185.0000
	उप-जोड़ 2	**64.7500**	**27.7500**	**92.5000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**373.0000**
	(गुजरात) - कुल	**484.7500**	**45.7500**	**630.5000**	**339.6000**	**121.8885**	**162.4200**	**4776.8305**
	हरियाणा							
72.	गुड़गांव नहर (III) (पूर्ण)							2.5000
73.	डब्ल्यू.आर.सी.पी. (VIII)	7.7945	3.3405	11.1350	6.0000	3.1700		76.0400
74.	जे.एल.एन. लिफ्ट सिंचाई (V) (डी)							12.0000
	(हरियाणा) - कुल	**7.7945**	**3.3405**	**11.1350**	**6.0000**	**3.1700**	**0.0000**	**90.5400**
	हिमाचल प्रदेश							
75.	शाह नहर सिंचाई परियोजना (VIII)				8.8340	0.7200	6.9100	71.2450
76.	सिधाता (IX)	0.1125	1.0125	1.1250	6.0750	1.0000	9.5300	21.3000
77.	चंगेर लिफ्ट (IX)	0.0640	0.5760	0.6400	1.1475	0.5000	4.7700	8.6375
	1999-2000 में 42 लघु सिंचाई स्कीमें							2.4220
	2000-2001 में 60 लघु सिंचाई स्कीमें							4.2950
	2004-05 में 26 चालू सतही लघु सिंचाई स्कीमें	0.1925	1.7325	1.9250				1.9250

2005-06 में 2 चालू सतही लघु सिंचाई स्कीमें				0.6930			0.6930
2005-06 में 102 नई चालू सतही लघु सिंचाई स्कीमें				13.3290			13.3290
84 चालू लघु सिंचाई स्कीमें					1.7100	16.4100	18.1200
(हिमाचल प्रदेश) - कुल	**0.3690**	**3.3210**	**3.6900**	**30.0785**	**3.9300**	**37.8200**	**141.9665**
जम्मू एवं कश्मीर							
78. मारवल लिफ्ट @ (IV) (डी)							0.3000
79. लेथपोरा लिफ्ट @ (IV)	0.0445	0.4008	0.4453	0.3008			3.3161
80. कोयल लिफ्ट @ (V) (डी)							0.5000
81. रणवीर नहर का आधुनिकीकरण (VII)				7.5600		14.2000	43.3930
82. प्रताप नहर का आधुनिकीकरण (VII)				2.9160	2.7000		12.1060
83. कथुवा नहर का आधुनिकीकरण (VII)				0.9990			7.6160
84. राजपुरा लिफ्ट (वा.यो. 1978-80)	0.1416	1.2744	1.4160	4.7700	1.8900	3.4700	18.7040
85. ट्राल लिफ्ट (वा.यो. 1978-80)	0.1550	1.3950	1.5500	4.4208	1.8450	3.5300	23.4768
86. ईगोफे (IX)	0.0500	0.4500	0.5000	0.2700			9.6300
87. एफीयाबाद लिफ्ट सिंचाई (IX)	0.2391	2.1521	2.3912	- 2.8270	1.6546	3.2700	15.7998
88. जंगीर नहर (IX) (पूर्ण)	0.1002	0.9018	1.0020	0.6992			4.8492
89. बादी नहर परियोजना का आधुनिकीकरण					3.2670	5.4500	8.7170
26 नई सतही लघु सिंचाई स्कीमें							1.1900
28 चालू सतही लघु सिंचाई स्कीमें				2.2500			8.2500
28 सतही लघु सिंचाई स्कीमें	0.2440	2.1960	2.4400				4.2400

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	54 सतही लघु सिंचाई स्कीमें	0.3000	2.7000	3.0000	7.4250	2.2200		12.6450
	26 चालू सतही लघु सिंचाई स्कीमें				2.2500	5.6250	9.3800	17.2550
	हरितार एल.आई.एस. (लघु)					0.6750		0.6750
	निलांग झील बडगाम (लघु)					0.3375		0.3375
	बुदशाह पांड (लघु)					0.3375		0.3375
	2006-07 में 62 नई सतही लघु सिंचाई स्कीमें					10.3300		10.3300
90.	मार्तन्ड नहर का आधुनिकीकरण					4.4600		4.4600
91.	मावखुल का आधुनिकीकरण					2.4300		2.4300
	(जम्मू एवं कश्मीर) - कुल	**1.2744**	**11.4701**	**12.7445**	**36.6878**	**37.7716**	**39.3000**	**210.5579**
	झारखंड							
92.	गुमानी (V)				1.3620	0.3900	3.7100	31.4020
93.	तोरई (V) (डी)							2.5000
94.	तलरातु (VII) (पूर्ण)							2.1300
95.	कंसजोर (VII)				0.4800			11.0400
96.	सोनुवा (VI)	4.1965	1.7985	5.9950	0.7080			18.3460
97.	सुरंगी (VII)	1.7675	0.7575	2.6250				12.1500
98.	टपकारा जलाशय स्कीम (VI) (पूर्ण)							0.5150
99.	ऊपरी शंख (V)	5.7890	2.4810	8.2700	1.4400	0.9000		10.6100
100.	पंचखेरो	3.1465	1.3485	4.4950	1.0470			5.5420
	(झारखंड) - कुल	**14.8995**	**6.3855**	**21.2850**	**5.0370**	**1.2900**	**3.7100**	**94.2350**

कर्नाटक							
101. यू.के.पी. चरण-I (IV)	81.0971	17.3781	98.4752	17.3778			853.8530
102. मलप्रभा (III)	8.4000	3.6000	12.0000	6.0000		13.5000	104.0600
103. हीरेहल्ला (VI)							40.7500
104. घटप्रभा (V)	43.4630	18.6270	62.0800	18.5000	30.6050		297.9100
105. करन्जा (V)							77.1400
106. यू.के.पी. चरण-II (IX)	168.4970	36.1880	204.6800	95.3571	78.6597		1172.0392
107. गंडोरीनाला (VIII)	13.3350	5.7150	19.0500	2.5410	4.7500	45.5300	97.2410
यू.के.पी. चरण I फेज III					32.6582	43.5200	76.1782
उप-जोड़ 1	**314.7921**	**81.5031**	**396.2952**	**140.7759**	**160.3729**	**193.8600**	**2719.1720**
फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी केन्द्रीय ऋण सहायता							
हीरेहल्ला							23.4900
करंजा							99.6400
108. मस्कीनाला (पूर्ण)							3.2200
उप-जोड़ 2	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**126.3500**
(कर्नाटक) - कुल	**314.7921**	**81.5031**	**396.2952**	**140.7759**	**160.3729**	**193.8600**	**2845.5220**
केरल							
109. कालाडा परियोजना (III) (पूर्ण)							32.5000
110. मुआतुपुजा (V)	34.6080	14.8320	49.4400	9.3591	13.9280		129.3171
111. कारापुझा					2.7188		2.7188
(केरल) - कुल	**34.6080**	**14.8320**	**49.4400**	**9.3591**	**16.6488**	**0.0000**	**164.5359**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	मध्य प्रदेश							
112.	इंदिरा सागर (VI)	87.4580	37.4820	124.9400	41.9504	9.8900	94.7700	804.7144
113.	बाण सागर (यूनिट-I) (V)	19.9717	8.5593	28.5310	15.6000	0.8300	7.9500	352.3270
	- बाण सागर (यूनिट-II) (V)	47.6000	20.4000	68.0000	18.1420	4.0400	38.7000	169.5220
114.	ऊपरी वेनगंगा (V) (पूर्ण)							50.1060
	- राजघाट बांध (V)	8.4000	3.6000	12.0000				42.2030
115.	सिंध चरण-II (VI)	79.9540	34.2660	114.2200	24.5290			373.3890
116.	सिंध चरण-I (IV)							14.8760
117.	माही (VI)	22.4000	9.6000	32.0000	8.2600	5.3600	33.2000	129.1510
118.	वरीयारपुर (V)	18.3330	7.8570	26.1900	6.3750	0.7600	7.2500	81.6910
119.	उर्मिल (V) (पूर्ण)							2.3910
120.	बंजर (V) (पूर्ण)							1.4000
121.	बाबनथाडी (VI)	19.5230	8.3670	27.8900	2.4501	0.5100	4.9200	54.1001
122.	महान (VI)	8.0990	3.4710	11.5700	4.8000	0.3700	3.4900	25.6300
123.	ओंकारेश्वर (VIII)	49.9520	21.4080	71.3600	9.1119	1.9900	19.0800	121.7059
	- बारगी बांध आर.बी.सी. 16 कि.मी.-63 कि.मी. (V)				25.5480			25.5480
	- बारगी डायवर्जन प्रोजेक्ट नहर (63 कि.मी. से 104 कि.मी.)				11.3302	2.0600	19.7600	33.1502
	2006-07 में 17 सतही लघु सिंचाई स्कीमें					22.5000		22.5000
	उप-जोड़ 1	**361.6907**	**155.0103**	**516.7010**	**168.0966**	**48.3100**	**229.1200**	**2304.2006**

फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी केन्द्रीय ऋण सहायता							
124. बरगी बांध आर.बी.सी. 16 कि.मी.- 63 कि.मी. (V)							98.0300
बरगी डिवीजन प्रोजेक्ट नहर (63 कि.मी. से 104 कि.मी.)							65.0000
उप-जोड़ 2	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**163.0300**
(मध्य प्रदेश) - कुल	**361.6907**	**155.0103**	**516.7010**	**168.0966**	**48.3100**	**229.1200**	**2467.2306**
महाराष्ट्र							
125. गोसीखुर्द (VI)	106.9586	45.8394	152.7980	30.0477	2.0900	20.0300	241.3157
126. सूर्या (वा.यो. 1978-80) (डी)							13.5500
127. वाघुर (V)	10.7380	4.6020	15.3400	7.6068	4.3400	41.5800	148.5868
128. भीमा (III) (डी)							44.5050
129. अपर तापी (IV) (पूर्ण)							7.7000
130. अपर वर्धा (V)	30.7580	13.1820	43.9400		29.0385		197.9945
131. वान (VI) (पूर्ण)	4.5710	1.9590	6.5300				59.5636
132. जायकवाड़ी (V) (पूर्ण)							43.7350
133. विष्णुपुरी (वा.यो. 1978-80) (पूर्ण)				1.4145			5.4145
134. बहुला (V) (पूर्ण)	3.5000	1.5000	5.0000	0.5700			11.5240
135. कृष्णा (III)	20.6850	8.8650	29.5500	13.9200	82.8036	8.2400	173.9866
136. कुकाडी (वा.यो. 1968-69)	44.0636	18.8844	62.9480	24.2880	41.6216	55.4600	270.1856
137. ऊपरी मनार	11.9980	5.1420	17.1400	5.3960	3.9955		35.9735

1	2	3	4	5	6	7	8	9
138.	हेतवाने	24.5000	10.5000	35.0000				50.4955
139.	चसकमन	33.9500	14.5500	48.5000	10.3032	9.2625	12.3400	95.3777
140.	ऊपरी पेनगंगा	35.0840	15.0360	50.1200	2.4765	5.8941		58.4906
	- बावनथाडी	21.3290	9.1410	30.4700	13.5990	0.2900	2.7600	47.1190
141.	लोअर दूधना				24.0000	26.7618		50.7618
	- तिल्लारी				8.1600	1.0600	10.1900	19.4100
142.	वर्ना				9.0000			9.0000
143.	वान फेज II					2.0295		2.0295
	2006-07 में 96 नई सतही सिंचाई स्कीमें					124.8300		124.8300
144.	पुनाद					15.9813		15.9813
145.	पोथरा नल्ला					5.6255		5.6255
146.	उतावली					10.2546		10.2546
147.	पूर्णा					22.1211		22.1211
	- शिवना तल्की					11.9677		11.9677
148.	नंदुर मधमेश्वर					16.5340	22.0300	38.5640
149.	कार					4.2100		4.2100
150.	लोअर वरधा					29.9300		29.9300
151.	लाल नल्ला					5.9000		5.9000
152.	खड़कपूर्णा					5.8900	56.4800	62.3700
153.	अरूणावती					0.5900	5.6900	6.2800

154. तजनपुर एल.आई.एस.					2.5000		2.5000
उप-जोड़ 1	**348.1352**	**149.2008**	**497.3360**	**150.7817**	**465.5213**	**234.8000**	**1927.2531**
फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी केन्द्रीय ऋण सहायता							
155. खड़कवासला (II) (पूर्ण)	1.9460	0.8340	2.7800				5.5600
156. कदवी (पूर्ण)	4.9000	2.1000	7.0000				14.0000
157. कसारलाई (पूर्ण)							3.3700
158. जावलगांव (पूर्ण)	0.9555	0.4095	1.3650				2.7300
159. कुंभी	6.5100	2.7900	9.3000				18.6000
160. कसारी (पूर्ण)	0.5285	0.2265	0.7550				1.5100
161. पतगांव	7.5250	3.2250	10.7500	3.2250			13.9750
162. मदन टैंक				1.5105			1.5105
163. डोगरगांव				1.5090			1.5090
164. शिवाना तकली				4.4325			4.4325
165. अमरावती				1.1820			1.1820
166. गुल मध्यम सिंचाई परियोजना				4.7415			4.7415
उप-जोड़ 2	**22.3650**	**9.5850**	**31.9500**	**16.6005**	**0.0000**	**0.0000**	**73.1205**
(महाराष्ट्र) - कुल	**370.5002**	**158.7858**	**529.2860**	**167.3822**	**465.5213**	**234.8000**	**2000.3736**
मणिपुर							
167. खुगा (VI)	0.8000	7.2000	8.0000	31.6260	32.5620		113.5980
168. थोबव (वा.यो. 1978-80)	0.3500	3.1500	3.5000	36.7650	86.2200		185.3250
169. दोलाईथाबी बैराज परियोजना							22.7025

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1999-2000 में 108 लघु सिंचाई स्कीमें							1.5000
	2001-02 में 108 लघु सिंचाई स्कीमें							1.5000
	2002-03 में 118 नई लघु सिंचाई स्कीमें							1.0000
	2003-04 में 58 चालू लघु सिंचाई स्कीमें							3.0000
	2004-05 में 35 लघु सिंचाई स्कीमें	0.1500	1.3500	1.5000	1.5030			3.0030
	211 चालू लघु सिंचाई स्कीमें				3.8970	18.2322		22.1292
	(मणिपुर) - कुल	1.3000	11.7000	13.0000	75.7035	156.3042	0.0000	353.7577
	मेघालय							
170.	रांगाई घाटी (VIII)							4.0000
	1999-2000 में 39 लघु सिंचाई स्कीमें							2.6938
	2000-01 में 47 लघु सिंचाई स्कीमें							4.2320
	2001-02 में 34 चालू लघु सिंचाई स्कीमें							3.2500
	2003-04 में 17 चालू लघु सिंचाई स्कीमें							1.0880
	2004-05 में 14 चालू लघु सिंचाई स्कीमें	0.1744	1.5694	1.7438				1.7438
	12 चालू लघु सिंचाई स्कीमें				1.5760			1.5760
	6 चालू लघु सिंचाई स्कीमें					0.7500		0.7500
	(मेघालय) - कुल	**0.1744**	**1.5695**	**1.7438**	**1.5760**	**0.7500**	**0.000**	**19.3328**
	मिजोरम							
	1999-2000 में 10 लघु सिंचाई स्कीमें							1.4330
	2000-01 में 10 लघु सिंचाई स्कीमें							1.4330

2001-02 में 7 लघु सिंचाई स्कीमें (3 चालू और 4 नई)							2.0000
2002-03 में 5 लघु सिंचाई स्कीमें							0.7500
2 चालू सतही लघु सिंचाई स्कीमें							0.7500
2003-04 में 18 चालू सतही लघु सिंचाई स्कीमें							3.9000
2003-04 में 2 चालू सतही लघु सिंचाई स्कीमें							0.7500
2003-04 में 20 चालू सतही लघु सिंचाई स्कीमें							3.9000
2004-05 में 43 सतही लघु सिंचाई स्कीमें	0.5000	4.5000	5.0000	9.3150			14.3150
26 चालू लघु सिंचाई स्कीमें					2.2553		2.2553
47 नई लघु सिंचाई स्कीमें					11.9801	5.2600	17.2401
(मिजोरम) - कुल	**0.5000**	**4.5000**	**5.0000**	**9.3150**	**14.2354**	**5.2600**	**48.7264**
नागालैण्ड							
1999-2000 में 488 लघु सिंचाई स्कीमें							2.7300
2000-2001 में 488 लघु सिंचाई स्कीमें							5.0000
2001-2002 में 74 नई लघु सिंचाई स्कीमें							5.0000
2002-03 में 60 चालू लघु सिंचाई स्कीमें							2.5000
सीजा मिल परियोजना							0.1590

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	44 चालू लघु सिंचाई स्कीमें एवं 136 नई लघु सिंचाई स्कीमें							8.0000
	1146 चालू लघु सिंचाई स्कीमें	0.4000	3.6000	4.0000				4.0000
	57 चालू लघु सिंचाई स्कीमें				5.7510			5.7510
	45 नई लघु सिंचाई स्कीमें				2.2477			2.2477
	2 चालू सतही लघु सिंचाई स्कीमें					0.2995		0.2995
	173 नई सतही लघु सिंचाई स्कीमें					10.3000	4.0600	14.3600
	(नागालैंड) - कुल	**0.4000**	**3.6000**	**4.0000**	**7.9987**	**10.5995**	**4.0600**	**50.0472**
	उड़ीसा							
171.	अपर इंद्रावती (आर.बी.सी.) (वा.यो. 1978-80)	12.4320	5.3280	17.7600	31.6170	3.5500	34.0400	226.9870
172.	सुवर्णरेखा बहुउद्देश्यीय (VII)				12.4272	8.9600	85.8400	209.4672
173.	रेंगाली (IV)				7.4688	8.2055		191.4743
174.	आनंदपुर बैराज (IV)							21.8500
	एकीकृत आनंदपुर बैराज				1.4400	2.2455		3.6855
175.	अपर कोलाब (V) (पूर्ण)	1.4966	0.6414	2.1380	1.9242			56.5122
176.	तितलागढ (VIII)				4.1040	3.3275		32.3765
177.	लोअर इंदिरा (IX)				64.5395	58.6908		256.3603
178.	लोअर सुकतेल (IX)				13.6440	29.7008		81.6248
	1999-2000 में 16 लघु सिंचाई स्कीमें							8.9000
	2000-2001 में 29 लघु सिंचाई स्कीमें							25.8200

179. पोट्टेल (IV) (पूर्ण)							9.8700
180. नराज बैराज (IX)							4.6700
181. तेलेनगिरि सिंचाई स्कीम (के.वी.के.)				4.0950	1.3400	12.8900	35.8950
182. रेत सिंचाई परियोजना (के.वी.के.)				2.9205	12.6410	9.8900	39.0115
183. कानुपुर (VIII)					2.4600	23.5900	31.5400
184. छेलीगड़ा बांध					1.9935		7.5935
18 चालू सतही 23 लघु सिंचाई स्कीमें							7.3250
13 चालू सतही 23 लघु सिंचाई स्कीमें (के.वी.के.)				3.3750			3.3750
7 चालू 23 लघु सिंचाई स्कीमें					0.7700	7.3300	8.1000
उप-जोड़ 1	**13.9286**	**5.9694**	**19.8980**	**147.5552**	**133.8846**	**173.5800**	**1262.3478**
फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी केन्द्रीय ऋण सहायता							
सुवर्णरेखा परियोजना (VII)							17.4200
नराज बैराज के गेट कार्य (IX)							31.1350
रेंगाली बांयी नहर का निष्पादन (IV)							14.0000
पोट्टेल (IV) (पूर्ण							15.5600
185. सासन नहर का सुधार (पूर्ण)				3.8190			26.0090
186. सालंदी बांयी मुख्य नहर							6.1900
187. साल्की सिंचाई (परियोजना का सुधार) (पूर्ण)	3.0275	1.2975	4.3250				8.6500
उप-जोड़ 2	**3.0275**	**1.2975**	**4.3250**	**3.8190**	**0.0000**	**0.0000**	**118.9640**
(उड़ीसा) - कुल	**16.9561**	**7.2669**	**24.2230**	**151.3742**	**133.8846**	**173.5800**	**1381.3118**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	पंजाब							
188.	रणजीत सागर बांध (VI) (पूर्ण)							249.7900
189.	यू.बी.डी.सी. की रिमॉडलिंग (IX)							93.3300
190.	तलवाड़ा के नीचे एच.पी. तक सिंचाई (IX)				6.0966			38.0966
191.	शाहपुर कांडी (IX)							29.8500
192.	कांडी नहर का विस्तार चरण-II							10.5000
	उप-जोड़ 1				**6.0966**	**0.0000**	**0.0000**	**421.5666**
फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी केन्द्रीय ऋण सहायता								
	यू.वी.डी.सी. का रिमाडलिंग (IX)				6.0000			6.0000
	कांडी नहर चरण-II का विस्तार (आर.डी. 59.50 कि.मी. से 130.00 कि.मी.)				14.2200			14.2200
	उप-जोड़ 2				**20.2200**	**0.0000**	**0.0000**	**20.2200**
	(पंजाब) - कुल				**26.3166**	**0.0000**	**0.0000**	**441.7866**
	राजस्थान							
193.	जैसमन्द (आधुनिकीकरण)) (VI) (पूर्ण)							3.1250
194.	छापी (V) (पूर्ण)							19.3500
195.	पंचाना (V) (पूर्ण)							22.4070
196.	आई.जी.एन.पी. चरण-II (V)	81.5290	34.9410	116.4700	23.8002			582.7202
197.	बीसालपुर (VII) (डी)							41.5600

198. नर्मदा नहर (VI)	83.8936	35.9544	**119.8480**	46.7520	9.6700	92.6200	625.3350
199. गंभीरी (आधुनिकीकरण) (VI) (पूर्ण)							1.3150
200. चौली (VIII)	6.1810	2.6490	8.8300	1.9590	1.1300		48.2810
201. माही बजाज सागर (IV)	26.5832	11.3928	37.9760	10.8960			113.6520
202. गंग नहर का आधुनिकीकरण (VI)				6.8880	0.8000	7.6400	58.3030
उप-जोड़ 1	**198.1868**	**84.9372**	**283.1240**	**90.2952**	**11.6000**	**100.2600**	**1516.0482**
फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी केन्द्रीय ऋण सहायता							
पंचाना (V) (पूर्ण)							20.9700
छापी (V) (पूर्ण)							18.8750
गंग नहर का आधुनिकीकरण (VI)	48.8460	20.9340	69.7800				139.5600
उप-जोड़ 2	**48.8460**	**20.9340**	**69.7800**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**179.4050**
(राजस्थान) - कुल	**247.0328**	**105.8712**	**352.9040**	**90.2952**	**11.6000**	**100.2600**	**1695.4532**
त्रिपुरा							
203. गुमती (V)	0.0750	0.6750	0.7500	1.3500	0.9400		14.8927
204. मानु (VI)	0.1125	1.0125	1.1250	6.7500			18.5274
205. खोवाई (VI)	0.1125	1.0125	1.1250	8.1000			17.3400
1999-2000 में 628 लघु सिंचाई स्कीमें							28.3530
2000-2001 में 335 लघु सिंचाई स्कीमें							9.0380
2001-2002 में 335 चालू लघु सिंचाई स्कीमें							19.0000
2002-03 में 268 चालू लघु सिंचाई स्कीमें							10.7700

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2003-04 में 396 चालू सतही लघु सिंचाई स्कीमें							11.4375
	2004-05 में 202 चालू सतही लघु सिंचाई स्कीमें	0.8000	7.2000	8.0000				8.0000
	89 चालू सतही लघु सिंचाई स्कीमें				2.0835			2.0835
	176 नई सतही लघु सिंचाई स्कीमें				11.6280			11.6280
	43 चालू नई सतही लघु सिंचाई स्कीमें				2.0835			2.0835
	94 चालू लघु सिंचाई स्कीमें					15.5831		15.5831
	2006-07 में 80 नई सतही 23 लघु सिंचाई स्कीमें					5.9900		5.9900
	(त्रिपुरा) - कुल	**1.1000**	**9.9000**	**11.0000**	**31.9950**	**22.5131**	**0.0000**	**174.7267**
	तमिलनाडु							
206.	डब्ल्यू.आर.सी.पी. (VIII) (डी)							20.0000
	(तमिलनाडु) - कुल						**0.0000**	**20.0000**
	उत्तर प्रदेश							
207.	अपर गंगा और मध्य गंगा (V) (पूर्ण)							149.6400
208.	शारदा सहायक (III) (पूर्ण)							131.0000
209.	सरयू नहर (V)	37.8420	16.2180	54.0600	45.0000	28.5450	33.9700	590.2850
210.	एच.के. दोआब में खरीफ चैनल (VII) (पूर्ण)	6.4890	2.7810	9.2700				73.2700

211. राजघाट बांध (V) (पूर्ण)							3.0000
212. गुंता नाला बांध (VI) (पूर्ण)							1.0000
213. बाणसागर (V)	21.2730	9.1170	30.3900	32.1000	18.8965	22.4700	302.3815
214. लखवर व्यासी (V) (डी)							20.0000
215. टेहरी (VII)	24.5000	10.5000	35.0000	25.0230			589.7530
216. ज्ञानपुर पंप नहर (VII) (पूर्ण)							30.9000
217. पूर्वी गंगा नहर (V)	25.2000	10.8000	36.0000	15.2220	22.5549	14.5400	163.1069
218. राजघाट नहर (V)				7.9020	2.2160		65.4080
219. आगरा नहर का आधुनिकीकरण (V)	7.8400	3.3600	11.2000	4.9200	5.0190	5.9800	39.7990
220. जरौली पंप नहर (1990-91)				0.5610	0.8600		6.4810
221. लहचुरा बांध का आधुनिकीकरण				2.4000	3.3540	3.9800	9.7340
222. हरदोई शाखा का सुधार					0.4500		0.4500
उप-जोड़ 1	**123.1440**	**52.7760**	**175.9200**	**133.1280**	**81.8954**	**80.9400**	**2176.2084**
फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी केन्द्रीय ऋण सहायता							
अपर गंगा आधुनिकीकरण परियोजना (V) (पूर्ण)							84.0500
मध्य गंगा नहर परियोजना (V) (पूर्ण)							
उप-जोड़ 2	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**84.0500**
(उत्तर प्रदेश) - कुल	**123.1440**	**52.7760**	**175.9200**	**133.1280**	**81.8954**	**80.9400**	**2260.2584**
उत्तरांचल							
185 सतही लघु सिंचाई स्कीमें							48.1500

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8 सतही लघु सिंचाई स्कीमें							2.5650
	2004-05 में 226 सतही लघु सिंचाई स्कीमें	1.7625	15.8625	17.6250				17.6250
	2004-05 में 3 नई सतही लघु सिंचाई स्कीमें	0.1492	1.3425	1.4917	2.6730			4.1647
	2004-05 में 226 चालू सतही लघु सिंचाई स्कीमें	1.9876	17.8875	19.8750	33.8175			53.6925
	2005-06 में 15 नई सतही लघु सिंचाई स्कीमें				1.3770			1.3770
	2005-06 में 502 नई सतही लघु सिंचाई स्कीमें				42.5712	64.7698	52.5700	159.9110
	17 चालू सतही लघु सिंचाई स्कीमें					9.8600		9.8600
	2006-07 में 16 नई सतही लघु सिंचाई स्कीमें					10.1000		10.1000
	(उत्तरांचल) - कुल	**3.8992**	**35.0925**	**38.9917**	**80.4387**	**84.7298**	**52.5700**	**307.4452**
	पश्चिम बंगाल							
223.	तीस्ता बैराज (V)*	9.2288	3.9552	13.1840		6.0000		130.9940
224.	कंग्सावती (II) (पूर्ण)							26.7100
225.	डी.वी.सी. की बैराज और सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण (VI)							1.0000
226.	तटको (V)					0.3200		1.2120
227.	पतलोई (V)	0.0896	0.0384	0.1280		0.3200		1.9130
228.	हनुमता (VII)	0.1043	0.0447	0.1490	0.0287	0.0600		1.7827

229. सुवर्णरेखा बैराज (VII)+							13.2880
(पश्चिम बंगाल) - कुल	**9.4227**	**4.0383**	**13.4610**	**0.0287**	**6.7000**	**0.0000**	**176.8997**
सिक्किम							
1999-2000 में 129 लघु सिंचाई स्कीमें							1.3600
2000-01 में 76 लघु सिंचाई स्कीमें							2.4000
2002-03 में 62 नई लघु सिंचाई स्कीमें							1.5000
2004-05 में 100 नई लघु सिंचाई स्कीमें	0.0750	0.6750	0.7500	0.6750			1.4250
79 नई लघु सिंचाई स्कीमें				0.2363	3.3236		3.5599
(सिक्किम) - कुल	**0.0750**	**0.6750**	**0.7500**	**0.9113**	**3.3236**	**0.0000**	**10.2449**
कुल जोड़	2087.2115	780.1257	2867.3372	1900.3142	2301.9722	1492.0100	23231.8659

@ 1996-97 के दौरान जारी सी.एल.ए. हस्तांतरित (डी) अस्थागित

\- अंतर्राज्यीय परियोजना (सी) पुर्ण

2006-07 में शामिल नई परियोजनाएं 29 है जिसमें वान परियोजना फेज-II भी शामिल है।

टिप्पणी: 2003-04 के दौरान मध्य प्रदेश को जारी सी.एल.ए. में 0.204 करोड़ रुपये की अधिक जारी राशि भी है जिसे बंजार परियोजना के संबंध में हटा लिया गया है।

* सुवर्णरेखा को 2002-03 के दौरान जारी 11.236 करोड़ में से 10.25 करोड़ रुपये 2003-04 में तीस्ता बैराज को अंतरित कर दिए गए।

विवरण-IV

ए.आई.बी.पी. के तहत वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं/पूर्ण परियोजना घटकों की सूची

क्र. सं.	राज्य का नाम	पूर्ण परियोजना की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	9
2.	असम	5
3.	बिहार	3
4.	छत्तीसगढ़	4
5.	गोवा	1
6.	गुजरात	10
7.	हरियाणा	2
8.	हिमाचल प्रदेश	0
9.	जम्मू-कश्मीर	7
10.	झारखंड	2
11.	कर्नाटक	2
12.	केरल	1
13.	मध्य प्रदेश	5
14.	महाराष्ट्र	14
15.	उड़ीसा	6
16.	पंजाब	2
17.	राजस्थान	7
18.	उत्तर प्रदेश	8
19.	पश्चिम बंगाल	2
20.	तमिलनाडु	1
	कुल	91

आम का उत्पादन

194. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश में आम के उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा में आम का निर्यात किया गया;

(ग) क्या सरकार ने देश में आम के उत्पादन तथा निर्यात को और अधिक बढ़ाने और उत्पादकों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान आम का उत्पादन निम्नलिखित है:-

वर्ष	उत्पादन (हजार एम.टी. में)
2003-04	11490
2004-05	11605
2005-06 (अनंतिम)	12482

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान निर्यातित आम की मात्रा निम्नलिखित है:-

वर्ष	निर्यातित मात्रा (एम.टी.)
2003-04	60551
2004-05	53480
2005-06	69606

(ग) और (घ) कृषि एवं सहकारिता विभाग बागवानी के समग्र विकास के लिए दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें क्रियान्वित कर रहा है अर्थात् पूर्वोत्तर राज्यों सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में समेकित बागवानी विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन और शेष राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन। फल फसल जैसे आम सहित बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए गुणवत्ताप्रद रोपण सामग्री की आपूर्ति, क्षेत्र विस्तार और जराग्रस्त बागानों के पुनरूद्धार के लिए सहायता दोनों स्कीमों के अंतर्गत प्रदान की जा रही है।

इसके अलावा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड स्कीम "उत्पादन और कटाई पश्चात प्रबंधन के जरिए वाणिज्यिक बागवानी का विकास" भी क्रियान्वित कर रहा है। स्कीम के तहत आम फसल कवर की गई है।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) ने आमों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

1. मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में पैक हाउस सुविधाओं की स्थापना करना।
2. हवाई अड्डों में पेरिशेबल कार्गो के लिए केन्द्र की स्थापना करना।
3. मण्डी संवर्धन अभियान आयोजित करना।
4. देशों जैसे चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमरीका और आस्ट्रेलिया में मण्डी तक पहुंच सुकर बनाना।

अपेडा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आम सहित विभिन्न कृषि जिंसों के लिए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की एजेंसियों की भागीदारी से कृषि निर्यात क्षेत्र की अवधारणा को क्रियान्वित भी कर रहा है।

इसके अलावा अपेडा आम सहित बागवानी जिंसों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों में सहायता दे रहा है:-

1. निर्यात को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण व्यापार मेलों में सहभागिता।
2. क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन।
3. प्रचार और सूचना प्रसार।
4. निर्यातकों को इसकी वित्तीय सहायता स्कीमों के जरिए सहायता प्रदान करना।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा निवेश

195. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) में प्राप्त निधियों का निवेश करने की प्रक्रिया क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन निधियों में से किए गए विभिन्न निवेश का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन निधियों के निवेश से लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष अर्जित लाभ तथा हुई हानि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निवेश के विकल्प सुझाने के लिए कोई सलाहकार नियुक्त किया है;

(च) यदि हां, तो सलाहकार द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ई.पी.एफ. को इक्विटी में निवेश करने पर विचार कर रही है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) कर्मचारी भविष्य निधि की धनराशियों का कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 52 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पद्धति के अनुरूप निवेश किया जाता है।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि खातों में पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए निवेश का श्रेणीवार ब्यौरा विवरण-I में है।

(ग) और (घ) निधि के निवेश के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। ये नतीजे जोखिम और रिटर्न कारक तथा बाजार, तत्वों से संबद्ध हैं। चूंकि निधि के निवेशों का व्यापार नहीं किया जाता, अतः लाभ या हानि का कोई प्रश्न नहीं है।

(ङ) जी हां।

(च) निवेश विकल्पों के बारे में परामर्शदाता, नामतः मैसर्स मर्सर ह्यूमन रिसोर्स कन्सल्टिंग की मुख्य सिफारिशें विवरण-II में दी गई हैं।

(छ) कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने अपनी 178वीं बैठक में, इक्विटी का निवेश न करने का निर्णय लिया है।

(ज) उक्त (छ) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

कर्मचारी भविष्य निधि के निवेश का ब्यौरा

(अंकित मूल्य - करोड़ रुपये में))

क्र. सं.	निवेश क्षेत्र	31-03-05 के अनुसार	31-03-2006 के अनुसार	31-03-2007 के अनुसार
1.	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	9,188.77	13,567.16	18,146.22
2.	राज्य सरकार	6,918.46	8,915.75	11,970.43
3.	सरकार द्वारा गारंटित प्रतिभूतियां	385.77	1,345.06	1,497.32
4.	विशेष जमा योजना	52,096.15	52,167.06	52,232.23
5.	सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान (निजी क्षेत्र के बांड/प्रतिभूतियों सहित)	11,175.33	14,443.33	19,991.16
	कुल	79,764.48	90,438.36	103,837.36

विवरण-II

कर्मचारी भविष्य निधि के लिए निवेश विकल्पों पर मैसर्स मर्सर ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टिंग नामक परामर्शदाता की प्रमुख सिफारिशें निम्नवत हैं:-

1. पी.एस.यू./पी.एस.एफ.आई. प्रतिभूतियों के लिए लागू दस वर्ष की अधिकतम अनुमेय अवधि को हटाया जाए।

2. नए नकद प्रवाह के 10 प्रतिशत तक को निवेश ग्रेड निजी क्षेत्र बंधपत्रों में निवेश करने की अनुमति हो।

3. लचीलेपन की सीमा में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार प्रतिभूतियों में निवेश हेतु 15 प्रतिशत अनिवार्य न्यूनतम की अपेक्षा को हटाया जाये।

4. निजी क्षेत्र बैंकों में जमा राशि की अधिकतम अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष की जाए।

5. ट्रेडिंग के माध्यम से सक्रिय प्रबंधन की अनुमति दी जाए किन्तु केन्द्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के संबंध में 10 प्रतिशत से अधिक नहीं।

6. ट्रेडिंग के माध्यम से सक्रिय प्रबंधन की अनुमति दिये जाने पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को ऐसे पोर्टफोलियो के प्रबंधन हेतु दो या उससे अधिक बाहरी प्रबंधक नियुक्त करने चाहिए।

7. भारत के पास एक भलीभांति विकसित घरेलू इक्विटी बाजार है जिसका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा उपयोग किया जा सकता है और यदि विदेशी निवेश पर लगे प्रतिबंधों में छूट दी जाती है तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा विदेशी निवेश का भी उपयोग किया जा सकता है।

8. यदि निवेश पद्धति को बढ़ा दिया जाता है और

अनुमेय निवेशों की श्रेणियों में वृद्धि की जाती है तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा बाहरी परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों की नियुक्ति के माध्यम से आय में वृद्धि और जोखिम प्रबंधन दोनों प्रकार से लाभ प्राप्त करने की संभावना है।

9. पेशेवर व्यक्तियों को शामिल करते हुए केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि का पुनर्गठन और बोर्ड की वित्त और निवेश समिति के संघटन में परिवर्तन।

आइसोपोम का क्रियान्वयन

196. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार/आई.सी.ए.आर. तिलहनों, दलहनों, तेलों, पाम तथा मक्का (आईसोपोम) की समेकित योजना के मक्का विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों के बीच उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए फ्रंट लाइन प्रदर्शनों का आयोजन करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार ऐसे कितने प्रदर्शनों का आयोजन किया गया; और

(ग) सरकार द्वारा विशेषकर, मक्का का उत्पादन करने वाले राज्यों में मक्का के गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन के लिए क्रेश कार्यक्रम आयोजित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) किसानों के बीच मक्का में उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकियों का प्रसार करने के लिए, भारत सरकार विभिन्न मक्का उत्पादक राज्यों में समेकित तिलहन, दलहन, आयल पाम एवं मक्का (आइसोपोम) स्कीम के अधीन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से फ्रंट लाइन प्रदर्शन आयोजित कर रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान आइसोपोम के अधीन मक्का पर आयोजित किए गए फ्रंट लाइन प्रदर्शनों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) आइसोपोम के अधीन सभी मुख्य मक्का उत्पादक राज्यों में मक्का के गुणवत्ता बीज उत्पादन के लिए क्रैश कार्यक्रम आयोजित किए जाने का प्रावधान है। मक्का के गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन हेतु क्रैश कार्यक्रम के अधीन 500 रु. प्रति क्विंटल की दर पर वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (2003-04 से 2005-06) के दौरान समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम एवं मक्का (आइसोपाम) स्कीम के अधीन मक्का पर आयोजित किए गए फ्रंट लाइन प्रदर्शनों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	आयोजित किए गए फ्रंट लाइन प्रदर्शनों की सं.		
		2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	215	468	989
2.	असम	53	–	–
3.	बिहार	1309	1509	3110
4.	हरियाणा	–	561	–
5.	छत्तीसगढ़	477	423	485

1	2	3	4	5
6.	गुजरात	135	679	30
7.	हिमाचल प्रदेश	357	435	434
8.	जम्मू-कश्मीर	193	345	948
9.	झारखण्ड	–	267	50
10.	कर्नाटक	350	509	355
11.	मध्य प्रदेश	75	35	79
12.	महाराष्ट्र	136	116	211
13.	उड़ीसा	260	342	408
14.	पंजाब	210	440	444
15.	राजस्थान	1054	191	731
16.	तमिलनाडु	475	512	395
17.	उत्तर प्रदेश	2477	2545	2498
18.	उत्तराखंड	207	116	106
19.	पश्चिम बंगाल	–	32	1046
20.	दिल्ली	10	–	–

अन्तर्राष्ट्रीय बैण्डविड्थ के मूल्यों में कमी

197. **श्री एल. राजगोपाल:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टी.आर.ए.आई.) ने अंतर्राष्ट्रीय बैण्डविड्थ के मूल्य में 20 प्रतिशत की कमी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आई.टी./आई.टी.ई.एस., बी.पी.ओ. आदि बैण्डविड्थ मूल्य कम करने की मांग कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ङ) जी हां। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के विभिन्न प्रयोक्ताओं से इस बाबत अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे कि अंतर्राष्ट्रीय निजी लीज्ड सर्किट (आई.पी.एल.सी.) की कीमत का भारत में प्रतिस्पर्धात्मक रूप से निर्धारण नहीं किया जाता है और इस प्रकार ऐसी कीमतें विश्व के अनेक देशों में प्रचलित कीमतों की तुलना में अधिक हैं। इसे देखते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 30 अप्रैल, 2004 को "अंतर्राष्ट्रीय निजी लीज्ड सर्किट (अर्द्ध सर्किट) के लिए प्रशुल्क की अधिकतम सीमा का निर्धारण" नामक एक परामर्श पत्र जारी किया है और विभिन्न स्टेकहोल्डरों की टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। दिल्ली और बैंगलूर में खुली चर्चाएं भी आयोजित की गई थीं। परामर्श प्रक्रिया के निष्कर्ष के आधार पर ट्राई ने भारत में आई.पी.एल.सी.

की विभिन्न क्षमताओं के लिए लागत आधारित प्रशुल्क निर्धारित किया। ट्राई ने दिनांक 08-09-05 के दूरसंचार प्रशुल्क आदेश (टी.टी.ओ.) में 39वें संशोधन के तहत एक प्रशुल्क आदेश अधिसूचित किया था जिसके अंतर्गत आई.पी.एल.सी. से संबंधित मौजूदा बाजार दरों से विभिन्न क्षमताओं में लगभग 30% से 64% तक की कमी लायी गई है।

अंतर्राष्ट्रीय निजी लीज्ड सर्किटों के लिए निर्धारित अधिकतम प्रशुल्क निम्नानुसार है:-

क्षमता/गति	प्रतिवर्ष अधिकतम प्रशुल्क (रुपए लाख में)
ई-1 (2 एम.बी.पी.एस.)	13
डी.एस.-3 (डिजिटल सिग्नल-3)	104
एस.टी.एम.-1 (सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट माड्यूल-1)	299

यह अधिकतम प्रशुल्क दिनांक 29-11-2005 से कार्यान्वित किया गया था।

प्रतिस्पर्धात्मक रूप से मूल्य निर्धारित बैंडविड्थ मूल्यों ने अन्य बातों के साथ-साथ ब्रॉडबैण्ड तथा इंटरनेट सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) तथा व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग जैसे सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा उद्यमों, निगमित उद्यमों इत्यादि को व्यापक बनाने में सहायता की है। इसके फलस्वरूप देश की अर्थव्यवस्था पर समग्र रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों के आयात में वृद्धि

198. श्री धर्मेन्द्र प्रधानः क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में कृषि उत्पादों के आयात में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान नारियल तेल, काली मिर्च, खाद्य तेल, चाय-कॉफी आदि के आयात में वृद्धि से संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के लिये विभिन्न कृषि जिन्सों के आयात का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सरकार की स्कीमों, पहलों और कार्यक्रमों में कृषि को संस्थागत ऋण की राशि में वृद्धि करने के लिये ऋण नीति, 3 लाख रुपये तक के फसल ऋणों पर ब्याज दर को घटाकर 7% प्रति वर्ष करना, वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, कृषि में वृहद प्रबंध, सूक्ष्म-सिंचाई, समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम एवं मक्का स्कीम, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखण्ड सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बागवानी प्रौद्योगिकी मिशन, विस्तार सुधारों के लिये राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायता तथा कृषि मण्डी अवसंरचना, ग्रेडिंग व मानकीकरण का विकास शामिल है।

विवरण

2001-02 से 2006-07 (अ.) तक कृषि उत्पादों का आयात

मात्रा '000' मी.टन, मूल्य करोड़ रुपये

मद	2003-04		2004-05		2005-06		अप्रैल, 06-फरवरी, 07	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
गेहूं	0.46	0.25	0.22	0.11			1424.17	1417.61
चावल	0.54	0.27					0.16	0.41
अन्य अनाज	1.53	1.87	7.91	7.36	26.63	28.65	7.14	10.07
अनाज नि.	32.51	86.85	40.76	104.28	41.58	125.79	36.24	124.31
दालें	1723.33	2284.87	1296.46	1718.64	1608.24	2346.90	1970.11	3374.58
दूध व क्रीम	11.55	89.56	2.23	12.87	1.65	14.24	2.87	26.16
काजू	442.59	1371.80	469.33	1757.18	543.92	2089.77	557.47	1733.16
फल व नट (काजू को छोड़कर)		802.27		1057.28		1377.44		1751.54
मसाले	124.17	564.42	103.52	564.92	107.46	678.08	107.52	669.88
चीनी	74.4	62.70	889.04	954.24	558.77	651.80	1.01	3.27
तिलहन		13.89		25.59		47.24		82.43
खाद्य तेल	5290.30	11683.24	4541.88	10755.65	4174.79	8716.32	3909.55	8732.09
वनस्पति व पशु वसा	1.76	12.68	1.36	12.20	1.46	14.22	1.04	10.66
कपास कच्चा व अपशिष्ट	252.9	1570.03	183.06	1099.60	98.24	688.30	71.16	566.81
कच्चा पटसन	111.97	93.92	20.74	31.79	47.70	72.33	80.20	110.94

चाय	10.77	64.60	32.82	152.79	18.85	108.16	22.10	118.38
काष्ठ व काष्ठ उत्पादन		3269.46		3802.99		4066.30		4101.95
कुल कृषि आयात		21972.68		22057.49		21025.54		22834.25
कृषि आयात में % परिवर्तन		24.78		0.38		-4.68		8.60(पी)
देश का कुल आयात		359107.66		481064.11		630526.77		736971.95
कुल आयात में % अंश		6.12		4.59		3.33		3.10

स्रोत: डी.जी.सी.आई. एण्ड एस.

अ: अनन्तिम

[अनुवाद]

स्पेक्ट्रम के आवंटन में कमी

199. श्री प्रहलाद जोशी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2010 तक 500 मिलियन दूरसंचार उपभोक्ता बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार स्पेक्ट्रम के आवंटन में कमी करने तथा शुल्कों में कमी करना का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार रक्षा सेवाओं द्वारा खाली किए जाने वाले 3जी स्पेक्ट्रा की 42.5 एम.पी.जेड. को उपयोग में लाने या निजी ऑपरेटरों को आवंटित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) स्पेक्ट्रम आवंटन को कम नहीं किया गया है। लेवी की मौजूदा संरचनाका अध्ययन करने और सरकार को उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए एक समिति गठित की गई है।

(घ) और (ङ) रक्षा सेवाओं से नियत स्थानों से वैकल्पिक मीडिया के बीच ऑप्टीकल फाइबर केबल (ओ.एफ.सी.) जैसे कतिपय रक्षा बेतार सम्पर्कों को स्थानांतरित करते हुए सार्वजनिक मोबाइल दूरसंचार सेवाओं के निर्बाध विकास हेतु स्पेक्ट्रम जारी करने का अनुरोध किया गया है।

दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों की कीमतों में वृद्धि

200. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों की कीमतों में गत कुछ महीनों में कई बार वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्या इस वृद्धि से आम आदमी को हो रही समस्याओं की सरकार को जानकारी है;

(ग) क्या सरकार के पास आने वाले महीनों में दुग्ध की कमी को होने से रोकने के लिए दुग्ध पाउडर के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। पिछले कुछ महीनों में कुछ राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की कीमतें बढ़ी हैं। विभिन्न शहरों में दूध की खुदरा कीमतों को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

मूल्य वृद्धि के कारण आम आदमी द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के बारे में सरकार को कोई विशिष्ट सूचना नहीं मिली है। तथापि, कमी के मौसम के दौरान, समस्याओं की प्रत्याशा में सरकार ने दुग्ध पाउडरों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है ताकि आम आदमी को उचित मूल्य पर तरल दूध की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

(ग) और (घ) सरकार देश में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की उपलब्धता की नियमित समीक्षा करती है। कमी के मौसम के दौरान, दूध की किसी संभावित कमी को रोकने के लिए 30 सितम्बर, 2007 तक दुग्ध पाउडर के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए 9-2-2007 को अधिसूचना जारी की गई थी।

विवरण

दूध की दैनिक खुदरा कीमतें और अंतर

केंद्र	दूध						
	प्रतिदिन खुदरा मूल्य						अंतर
	चालू तारीख 08-08-2007	पिछला सप्ताह 1-8-2007	1 महीने पहले 8-7-2007	3 महीने पहले 8-5-2007	6 महीने पहले 8-2-2007	1 वर्ष पहले 8-8-2006	1 महीने पहले 8-7-2007
1	2	3	4	5	6	7	8
दिल्ली	19.00	19.00	18.00	18.00	18.00	16.00	1.00

1	2	3	4	5	6	7	8
लखनऊ	22.00	22.00	22.00	22.00	21.00	20.00	0.00
शिमला	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	17.00	0.00
अहमदाबाद	20.00	20.00	19.00	19.00	20.00	20.00	1.00
भोपाल	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	18.00	18.00	16.00	एन.आर.
जयपुर	14.00	14.00	14.00	13.00	13.00	13.00	0.00
मुम्बई	18.00	18.00	18.00	18.00	17.00	17.00	0.00
अगरतला	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
आईजोल	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00
भुवनेश्वर	17.00	17.00	17.00	17.00	18.00	14.00	0.00
गुवाहाटी	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00
कोलकात्ता	27.00	27.00	27.00	27.00	26.00	25.00	0.00
पटना	16.00	16.00	16.00	15.00	12.00	12.00	0.00
शिलांग	31.00	31.00	31.00	31.00	20.00	28.00	0.00
बंगलौर	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	13.00	0.00
चैन्नई	15.50	15.50	15.50	15.50	14.00	14.00	0.00
हैदराबाद	18.00	18.00	18.00	18.00	16.00	16.00	0.00
तिरुवंनतपुरम	18.00	16.00	16.00	16.00	15.00	15.00	2.00

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रदान किया गया ऋण

201. श्री जोवाकिम बखला: क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के खादी बोर्ड के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को प्रदान किए गए ऋण का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में कोई अनियमितताएं पाई गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ऐसा कोई ऋण नहीं देते। के.वी.आई.सी. के माध्यम से कार्यान्वित सरकार के ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत उद्यमी 25 लाख रुपये की अधिकतम लागत वाली परियोजनाओं के लिए के.वी.आई.सी. से मार्जिन मनी सहायता प्राप्त करके तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, चुनिन्दा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, आदि से ऋण लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तथा 20,000 तक की आबादी वाले छोटे कस्बों में ग्रामोद्योग स्थापित कर सकते हैं।

(ख) आर.ई.जी.पी. के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंकों द्वारा के.वी.आई.सी. के माध्यम से मार्जिन मनी सहायता के संयोजन में उनके द्वारा ऋण प्रदान करने हेतु केवल नई परियोजनाओं पर विचार किया जाएगा और बैंक चालू तथा पहले से मौजूद इकाइयों को सहायता नहीं दे सकते। पिछले 3 वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा इस मानदंड के उल्लंघन के बारे में के.वी.आई.सी. को क्षेत्रीय संगठनों से किसी प्रकार की अनियमितता की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, चालू वर्ष के दौरान जलपाईगुड़ी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक (प. बंगाल) के माध्यम से प्रदत्त आर्थिक सहायता के दुरुपयोग के बारे में पश्चिम बंगाल ग्रामोद्योग उद्योग बोर्ड द्वारा प्रायोजित एक इकाई के मामले की जानकारी दी गई थी जिसकी के.वी.आई.सी. द्वारा विस्तृत जांच की जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

मत्स्यन के माध्यम से आजीविका अर्जन

202. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में मत्स्यन से अपनी आजीविका अर्जित करने वाले परिवारों की संख्या का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन्हें कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है; ताकि वे मत्स्यन के माध्यम से पर्याप्त आजीविका अर्जित कर सकें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2005 के दौरान भारत सरकार ने समुद्री मात्स्यिकी गणना का कार्य किया था तथा संलग्न विवरण में तटवर्ती राज्यों के उन मछुआरा परिवारों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा दर्शाया गया है जो समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र से अपनी जीविका उपार्जन कर रहे हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। भारत सरकार विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित एवं केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से मछुआरों की जीविका समर्थन सहित मात्स्यिकी क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में मुख्य रूप से ये योजनाएं शामिल हैं, नामतः (i) अंतर्देशीय मात्स्यिकी तथा जलकृषि का विकास, (ii) समुद्री मात्स्यिकी, बुनियादी सुविधाओं एवं पोस्ट हार्वेस्ट संचालनों का विकास, (iii) राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण, प्रशिक्षण एवं विस्तार योजना, (iv) डाटाबेस एवं सूचना नेटवर्किंग का सुदृढ़ीकरण तथा (v) विभाग के मात्स्यिकी आधारित संस्थानों को सहायता। इन योजनाओं में एक योजना नामतः राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण, प्रशिक्षण एवं विस्तार योजना का उद्देश्य विशेष रूप से सक्रिय मछुआरों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा सहित घरों, पेयजल, सामुदायिक भवन जैसी मूलभूत सुविधाएं तथा कमी वाले मौसम के मछुआरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, विभिन्न लाभार्थियों अर्थात् राज्यों/संघ शासित प्रदेशों/अन्यों को 62041.66 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी।

विवरण

समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र से तटवर्ती राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के जीविका उपार्जन करने वाले मछुआरा परिवारों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	मछुआरों परिवारों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,29,246
2.	गोवा	1,963
3.	गुजरात	59,889
4.	कर्नाटक	30,176
5.	केरल	1,20,486
6.	महाराष्ट्र	65,313
7.	उड़ीसा	86,352
8.	पाण्डिचेरी	11,541

1	2	3
9.	तमिलनाडु	1,92,152
10.	पश्चिम बंगाल	53,816
11.	दमन एवं दीव	5,278
12.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3,275
13.	लक्षद्वीप समूह	5,381

[अनुवाद]

मत्स्य ग्रहन पत्तन के निर्माण हेतु सहायता

203. श्री नरहरि महतो: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राज्यों में मत्स्य ग्रहण पत्तनों तथा मत्स्य उतराई केंद्रों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) जी, हां। मत्स्यन बंदरगाहों तथा मछली उतारने वाले केंद्रों के निर्माण के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत केंद्र सरकार तटवर्ती राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता दे रही है। विगत तीन वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता के राज्यवार ब्यौरे को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

(लाख रुपए में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	2004-05	2005-06	2006-07
गुजरात	400.00	200.00	200.00
गोवा	–	–	75.00
कर्नाटक	–	219.44	8.70
महाराष्ट्र	–	–	–
पाण्डिचेरी	–	400.00	999.00
केरल	209.485	375.00	728.515
तमिलनाडु	–	21.15	119.48
उड़ीसा	–	–	–
आंध्र प्रदेश	123.175	106.13	91.335
पश्चिम बंगाल	516.34	725.00	500.00
अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	–	100.00	–
कुल	1249.000	2146.72	2722.03

कर्नाटक को अनुदान

204. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के एकल घटक हेतु कर्नाटक को अलग-अलग अनुदान प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो इस विसंगति को कब तक दूर कर दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार 50 प्रतिशत की अनुदान सीमा को फिर से लागू करने का है, जैसा कि पहले मैक्रो-मैनेजमेंट स्कीम में निर्धारित किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी हां। अनुदान/सब्सीडी में विचलन बहुत हद तक इस कारण से आया है कि केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें भिन्न-भिन्न समयावधि में लागू की गई हैं ताकि फसल तथा क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रमों के विशेष उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके।

(ग) और (घ) लागू सब्सिडी का पैटर्न, वृहद प्रबन्धन योजना की शुरुआत से ही 25% है। अतः 50% की सब्सीडी को बहाल करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में सीमावर्ती सड़कों का बंद होना

205. प्रो. प्रेम कुमार धूमल: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती और जनजातीय जिले लाहौल-स्पीति में उदयपुर तथा चंबा जिले के पांगी-कलाड़ में सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत मार्ग हिमपात के दौरान बंद रहता है जिसके कारण जनजातीय क्षेत्र के किसानों को काफी कठिनाइयां होती हैं और वे अपनी नकदी फसलों तथा कृषि उत्पाद की ढुलाई नहीं कर पाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्या इस मार्ग के बाएं तरफ टिन्डी तक वैकल्पिक मार्ग बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) इस भू-खण्ड में अनेक ग्लेशियर होने के कारण शीतकालीन मौसम के दौरान भारी बर्फ जमा होने से सड़कें बंद हो जाती हैं।

(ख) और (ग) एक वैकल्पिक सड़क का निर्माण करने के लिए कोई संक्रियात्मक आवश्यकता नहीं बताई गई है। तथापि, वैकल्पिक मार्ग में भी ऐसी ही समस्या आने की संभावना है।

[अनुवाद]

गजराज और कार्गो केन्द्र परियोजनाओं हेतु रक्षा भूमि

206. श्री मिलिन्द देवरा: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने गजराज परियोजना और कार्गो केन्द्र परियोजना हेतु रक्षा मंत्रालय की 278 हेक्टेयर भूमि के बदले अपनी 400 हेक्टेयर भूमि देने के लिए मंत्रालय के पास प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वायुसेना के प्राधिकारी अपनी भूमि छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं और इसके कारण अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार ने विद्यमान नागपुर हवाई अड्डे को बहु-मॉडल अंतरराष्ट्रीय हब हवाई अड्डा नागपुर (एम.आई.एच.ए.एन.) के रूप में विकसित करने हेतु एक प्रस्ताव प्रवर्तित किया था तथा एम.आई.एच.ए.एन. परियोजना हेतु एक मास्टर प्लान तैयार किया था। मास्टर प्लान के अनुसार, वर्तमान में भारतीय वायुसेना (आई.ए.एफ.) के कब्जे में लगभग 278 हेक्टेयर भूमि एम.आई.एच.ए.एन. परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत आ रही है।

सार्वजनिक/निजी इस्तेमाल हेतु रक्षा भूमि का अंतरण सेनाओं की संक्रियात्मक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विद्यमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

[हिन्दी]

भर्ती के समय मनोवैज्ञानिक परीक्षण

207. श्री राजनरायन बुधौलिया: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं की भर्ती प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक परीक्षण को अनिवार्य बनाए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) तीनों सेनाओं में अफसरों की भर्ती के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण पहले ही प्रचालन में हैं। भर्ती प्रक्रिया में समूह परीक्षण, मनोवैज्ञानिक परीक्षण और साक्षात्कार शामिल होते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में परिस्थिति प्रतिक्रिया परीक्षण, विषयवस्तु बोध परीक्षण (थीमेटिक एप्रीसिएशन टेस्ट्स), शब्द साहचर्य परीक्षण (वर्ड एसोसिएशन टेस्ट्स) और आत्म-वर्णन परीक्षण (सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट) शामिल हैं।

इस समय, सेना में अफसर रैंक से निचले कार्मिकों की भर्ती के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण अनिवार्य नहीं है। रक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान को रंगरूटों (अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिक) के मनोवैज्ञानिक परीक्षण के लिए एक प्रणाली का विकास करने के लिए कहा गया है। लेकिन, इसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। नौसेना और वायुसेना में क्रमशः नाविकों और वायुसैनिकों की भर्ती के लिए कोई मनोवैज्ञानिक परीक्षण नहीं है।

चावल के उत्पादन में कमी

208. श्री रशीद मसूद:

श्री अर्जुन सेठी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में चावल के वार्षिक उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान किसानों को उपलब्ध कराए गए अधिक पैदावार वाले धान के नए बीजों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) निम्नलिखित सारणी वर्ष 2004-05 से 2006-07 तक चावल का क्षेत्रवार (प्रमुख राज्य) तथा अखिल भारतीय उत्पादन दर्शाती है:

(लाख टन)

क्षेत्र	राज्य	2004-05	2005-06	2006-07*
1	2	3	4	5
दक्षिणी क्षेत्र	आंध्र प्रदेश	96.01	117.04	118.64
	तमिलनाडु	50.62	52.20	68.42
उत्तर क्षेत्र	पंजाब	104.37	101.93	101.38
	उत्तर प्रदेश	95.56	111.34	110.90
पूर्वी क्षेत्र	उड़ीसा	64.66	68.59	67.94
	पश्चिम बंगाल	148.89	145.11	146.36

1	2	3	4	5
पश्चिम क्षेत्र	गुजरात	12.38	12.98	13.90
	महाराष्ट्र	21.64	26.95	25.29
मध्य क्षेत्र	छत्तीसगढ़	43.83	50.12	50.41
	मध्य प्रदेश	11.69	16.56	13.68
अखिल भारत		831.32	917.93	927.58

* 19-07-2007 के अनुसार चौथे अग्रिम अनुमान।

चावल का अखिल भारतीय उत्पादन वृद्धि का रूझान प्रदर्शित करता है। तथापि कुछेक राज्यों/क्षेत्रों में चावल उत्पादन में 2004-05 से 2006-07 के दौरान मिली जुली प्रवृत्ति पाई गयी।

(ग) मध्य प्रदेश में 2006-07 के दौरान 2005-06 की तुलना में पैदावार में कमी के कारण उत्पादन में गिरावट आयी। 2006-07 के दौरान 2005-06 की तुलना में असम, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के क्षेत्रों में कमी आयी, जिससे इन राज्यों के उत्पादन में कमी आयी। देश में चावल की उत्पादकता तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए अक्तूबर, 2000 से कृषि के वृहत प्रबन्धन माध्यम के अन्तर्गत "चावल आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (आई.सी.डी.पी.-चावल)" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित है। स्कीम के अन्तर्गत कवर होने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश (पूर्वी भाग), बिहार, सिक्किम को छोड़कर सभी उत्तर पूर्वी राज्य, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश (पूर्वी भाग), आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के भाग, कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी तथा केरल शामिल हैं। यह स्कीम भारत सरकार तथा राज्यों के बीच 90:10 प्रतिशतता भाग के आधार पर कार्यान्वित की जाती है। स्कीम के अंतर्गत उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी, हाइब्रीड चावल उत्पादन प्रौद्योगिकी, खेतों पर प्रदर्शनों के द्वारा एकीकृत कीटनाशक प्रबन्धन, किसानों जिनमें महिलाएं शामिल हैं को प्रशिक्षण, इलैक्ट्रानिक मीडिया एवं प्रकाशित सामग्री के द्वारा प्रौद्योगिकी का स्थानान्तरण, कृषि उपकरणों, टपकाव सिंचाई प्रणाली की स्थापना, किस्मीय बदलाव तथा प्रमाणित बीजों के उत्पादन के प्रचार के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त किसानों के खेतों पर 100% भारत सरकार की सहायता पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) द्वारा फ्रंट लाइन प्रदर्शन भी आयोजित किए जाते हैं।

(घ) 2004 से 2006 के दौरान जारी करने/अधिसूचित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा सिफारिश की गयी धान की 33 किस्मों के नाम विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

2004 से 2006 के बीच रिलीज/नोटिफिकेशन (केन्द्रीय रिलीज) के लिए अनुशंसित किस्म

क्र.सं.	किस्म का नाम	मौसम/अवधि	अनुशंसा जोन
1	2	3	4
	धान		
1.	सी.एस.आर.सी.(एस)2-1-7 (आई.ई.टी.-13428)		पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल और आन्ध्र प्रदेश

1	2	3	4
2.	सी.एस.आर.-23(सी.एस.आर.-891आर-5) (आई.ई.ई.टी. 13769)	मीडियम	उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल
3.	एच.पी.आर-1156 (आई.ई.टी.-16007)	अरली	मेघालय के पहाड़ी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल
4.	जे.आर.-503 (रिचा) (आई.ई.टी.-16783)	मीडियम	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ के सिंचित/वर्षा सिंचित क्षेत्र
5.	पूसा सुगंध-5 (आई.ई.टी.-1701)	मीडियम	दिल्ली, हरियाणा और जम्मू एवं कश्मीर
6.	सुरूचि 5401 (एम.पी.एच. 5401)	मीडियम	महाराष्ट्रा, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक
7.	सुगंधमति (आई.ई.टी. 16775)	मीडियम	पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू एवं कश्मीर की सिंचित अवस्थाएं
8.	पी.एन.आर.-546 (आई.ई.टी.-11347)	अरली	पश्चिम बंगाल
9.	कलीकशा	मीडियम	त्रिपुरा
10.	आई.ई.टी,-12888 (स्वाती)	मीडियम	त्रिपुरा
11.	जी.आर.-104	लेट	गुजरात
12.	पलघर-2	मीडियम	महाराष्ट्रा
13.	एस.के.एल.-8 (एस.के.एल.-11-28-29-55)	लेट	महाराष्ट्रा
14.	एस.वाई.ई.-2001	मिड लेट	महाराष्ट्रा
15.	भूदेव (सी.एन.-1035-61) (आई.ई.टी.-14496)	लेट	पश्चिम बंगाल
16.	गिरी	लेट	पश्चिम बंगाल
17.	उतपला (आई.ई.टी.-13422) सी.एस.आर.सी. (एस 11-5-0-2)	अरली	पश्चिम बंगाल
18.	जल्दीधान-13 (पी.एन.आर.-591-18)	अरली	पश्चिम बंगाल
19.	पालमधान-597	मीडियम	हिमाचल प्रदेश
20.	एच.के.आर.-126	मीडियम	हिमाचल प्रदेश
21.	बी.आर.-2655	लेट	कर्नाटक
22.	श्रावती (आई.आर.-57773)	लेट	कर्नाटक

1	2	3	4
23.	जी.आर.-9	अरली	गुजरात
24.	पी.के.वी. मकरण्द	मिड लेट	महाराष्ट्र
25.	पी.वी.के.-एस.के.एल.-3-11-25-30-36	मिड अरली	महाराष्ट्र
26.	इन्द्राधान-1 (आई.ई.आर.-15376) (आर 636-405)	मीडियम	छत्तीसगढ़
27.	पी.वी.एन.आर.-93-1 (परभनी आविष्कार)	मीडियम	महाराष्ट्र
28.	पी.आर. 118	लेट	पंजाब
29.	नरेन्द्रा-8002 (आई.ई.टी.-15848)		छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश की सिंचित/अनुकूल नीची भूमि ट्रान्साप्लांट अवस्था
30.	वारंगल सम्भा (डब्ल्यू.जी.एल.-14) (आई.टी.टी. - 18043)	मीडियम	आन्ध्र प्रदेश और केरल की सिंचित अवस्था
31.	डी.आर.आर.एच.-2 (आई.ई.टी.-18076) (डी.आर.आर.एच.-20)	मीडियम	उत्तरांचल, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की सिंचित और ट्रान्सप्लांट अवस्था
32,	जारवा (आई.ई.टी.-15420)	लेट	छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और आन्ध्र प्रदेश की सिंचित/अनुकूल नीची भूमि ट्रान्सप्लांट अवस्था
33.	सी.एस.आर.-36 नैना (आई.ई.टी.-17340)	मीडियम	आन्ध्र प्रदेश और केरल की सिंचित अवस्था

कृषि आधारित उद्योगों हेतु किसानों को प्रशिक्षण

209. श्री वी.के. ठुम्मर:

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसानों को उदार वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा गांवों में कृषि तथा ग्रामोद्योगों को चलाने के लिए प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए क्या तौर-तरीके निर्धारित किए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, कृषि तथा ग्रामीण उद्योगों की स्थापना करने के इच्छुक किसान खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के माध्यम से क्रियान्वित किए जा रहे ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। कृषि तथा ग्रामीण उद्योगों में प्रशिक्षण के.वी.आई.सी. के विभागीय तौर पर प्रबन्धित प्रशिक्षण केन्द्रों के साथ-साथ के.वी.आई.सी./राज्यों/के.वी.आई.बी. संघ राज्य क्षेत्र के द्वारा सहायता प्राप्त अन्य अभिकरणों के प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता है तथा किसान भी उनका लाभ उठा सकते हैं। के.वी.आई.सी. के प्रशिक्षण क्रियाकलाप का ब्यौरा उसकी

वेबसाईट अर्थात http://www.kvic.org.in/v4/contactdetails9-TRAINNING.asp पर उपलब्ध है।

इसी प्रकार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें पी.एम.आर.वाई. के लाभग्राहियों के प्रशिक्षण में प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पोलीटेक्नीक कॉलेजों, इत्यादि को शामिल कर सकते हैं, जिसके लिए निर्धारित पद्धति के अनुसार राज्य सरकारों को लागत की प्रतिपूर्ति की जाती है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में अंतरिम परीक्षण रेंज के आसपास विकास

210. **श्री अर्जुन सेठी:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल के वर्षों में उड़ीसा के चांदीपुर में अंतरिम परीक्षण रेंज स्थल तथा मिसाइल प्रक्षेपण केन्द्र व्हीलर आइलैंड और आसपास के क्षेत्र में किए गए चहुंमुखी विकास का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या क्षेत्र में बार-बार आने वाली बाढ़ तथा चक्रवात के कारण इसके निकटवर्ती मार्गों की देखभाल करना बड़ी समस्या है; और

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों के लिए संस्वीकृत तथा उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) एकीकृत परीक्षण रेंज-चांदीपुर तथा मिसाइल लांच परिसर, व्हीलर आइलैंड - धामरा के चारों ओर अनेक परिधीय विकास कार्य किए गए हैं। इनमें से कुछ विकास कार्य लगभग 125 कि.मी. सड़कों के निर्माण/मरम्मत तथा अनुरक्षण; चांदीपुर में उड़िया मीडियम स्कूल का निर्माण; चांदीपुर में रेंज स्कूल का निर्माण; अनुरक्षण तथा संचालन; बाढ़ तथा उच्च ज्वार-भाटे के दौरान राहत प्रदान करने हेतु जल प्रबंधन के लिए वृक्षारोपण तथा नहर-निर्माण तथा धामरा के निकट सोरो में स्वतंत्र विद्युत फीडर के विकास से संबंधित है। फीडर से उपलब्ध विद्युत का स्थानीय लोगों द्वारा भी इस्तेमाल किया जा रहा है।

(ख) आसपास के क्षेत्र में मरम्मत तथा अनुरक्षण कार्य में बाढ़ तथा चक्रवातों के कारण कुछ समस्याएं हैं। इसका मरम्मत कार्य विद्यमान संसाधनों से किया जा रहा है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सड़कों की मरम्मत तथा अनुरक्षण कार्य के लिए लगभग 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

[हिन्दी]

गंगा के पिघलते हिमनद

211. **श्री रामजीलाल सुमन:**

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंगा नदी के उद्गम वाला गंगोत्री हिमनद तेजी से पिघल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हिमनद के पिघलने के मद्देनजर गंगा में उपलब्ध जल की वार्षिक उपलब्धता के बारे में कोई आकलन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो गंगा नदी के जल की वर्तमान भंडारण क्षमता का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (घ) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गंगोत्री ग्लेशियर लगभग 30.20 कि.मी. लंबा है जिसका क्षेत्रफल 143.58 वर्ग कि.मी. है और नवीनतम अध्ययन परिणामों के अनुसार 1935-1996 की अवधि के दौरान गंगोत्री ग्लेशियर 18.80 मी. प्रति वर्ष की दर से पिघला है। 61 वर्षों में यह ग्लेशियर 1.147 वर्ग कि.मी. पिघल गया है और 0.57208 वर्ग कि.मी. क्षेत्र अर्थात 0.0093 वर्ग कि.मी. प्रति वर्ष खाली हुआ है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार यदि ग्लेशियर तेजी से पिघलने की वर्तमान स्थिति बनी रही तो नदी निस्सरण में कुछ कमी आ सकती है। तथापि, यह नोट किया जा सकता है कि नदी निस्सरण में मुख्य हिस्सा हिमपात और वर्षा से प्राप्त होता है जिसके वैश्विक ऊष्मीकरण के कारण बढ़ जाने की संभावना है। ग्लेशियरों के लगातार पश्चगमन से हिमालयी नदियों में जल की आंशिक कमी आ सकती है। तथापि, उल्लेखनीय है कि हिमगलन अपवाह का बड़ा हिस्सा जून-सितम्बर के दौरान छोड़ा जाता है, जोकि मानसून क्रियाकलाप का समय होता है। इस प्रकार ग्लेशियर

से प्राप्त होने वाले जल में हुई आंशिक कमी को मानसून संबंधी क्रियाकलाप में वृद्धि करके पूरा किया जा सकता है।

गंगा बेसिन में विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से अब तक लगभग 42.06 बिलियन घन मीटर (बी.सी.एम.) की भंडारण क्षमता का सृजन हुआ है।

[अनुवाद]

एकीकृत तटवर्ती कमान

212. श्री सुग्रीव सिंह:

श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश पर किसी भी हमले को रोकने के लिए एकीकृत तटवर्ती कमान की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय तटों पर गोलीबारी की कितनी घटनाएं दर्ज की गई हैं;

(घ) वर्ष 2006-07 के दौरान भारतीय मछुआरों पर गोलीबारी की कितनी घटनाएं हुई; और

(ङ) एकीकृत तटवर्ती कमान कब तक कार्य करना आरंभ करेगा?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) एकीकृत तटवर्ती कमान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय तटवर्ती क्षेत्र में गोलीबारी की कोई घटना नहीं हुई है।

(घ) 2006-07 के दौरान भारतीय मछुआरों पर गोलीबारी की सत्रह घटनाएं हुई थीं।

(ङ) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

निजी विनिर्माताओं को रक्षा उद्योग रत्न पुरस्कार

213. श्री पी. मोहन: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हमारे देश में रक्षा उपकरणों के कतिपय निजी विनिर्माताओं को "रक्षा उद्योग रत्न" पुरस्कार से सम्मानित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पुरस्कार को प्राप्त करने हेतु अर्हक होने के लिए एक विनिर्माता में क्या न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए;

(ग) इस समय इस प्रकार के पुरस्कार देने का क्या औचित्य है;

(घ) क्या सरकार का विचार रक्षा उद्योग रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले विनिर्माताओं को हथियारों तथा रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु कार्यादेश देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) जी, नहीं। सरकार ने "रक्षा उद्योग रत्नों" के चयन हेतु चयन समिति की 6 जून, 2007 को प्रस्तुत सिफारिशों के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) "रक्षा उद्योग रत्न" के चयन संबंधी दिशा-निर्देशों में अधिसूचित मानदंड का उल्लेख संलग्न विवरण में किया गया है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

"रक्षा उद्योग रत्नों" के चयन हेतु मानदंड

(i) विदेशी संस्थागत निवेश (एफ.आई.आई.) को छोड़कर, 26 प्रतिशत से अनधिक विदेशी धारिता सहित न्यूनतम दस वर्ष हेतु पंजीकृत पब्लिक लिमिटेड भारतीय कंपनी।

(ii) ऐसी कंपनियां जिनकी भारत में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष हेतु पूंजीगत परिसंपत्तियां 100 करोड़ रुपए से कम नहीं हो तथा जिनका कारोबार 1000 करोड़ रुपए से कम न हो। (इस प्रयोजनार्थ, विनिर्माण में लगे कंपनी-समूह को एक कंपनी माना जाएगा)।

(iii) सी.आर.आई.एस.आई.एल./आई.सी.आर.ए. - "क" के बराबर न्यूनतम साख दर्जा।

(iv) गत पांच वर्षों में से कम से कम तीन वर्षों में

लगातार लाभ दिखाती हुई लाभप्रद वित्तीय रिकार्ड वाली कंपनी तथा जिसकी संचित हानि न हो।

(v) इंजीनियरी (साफ्टवेयर सहित) तथा वास्तविक मूल्य संवर्धन हेतु विनिर्माण में स्थापित ट्रैक रिकार्ड वाली कंपनियां - व्यापारिक कंपनी/एजेंसी नहीं।

(vi) स्थापित अनुसंधान एवं विकास आधार वाली कंपनियां या नियामक प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अनुसंधान एवं विकास में निवेश की इच्छुक कंपनियां।

(vii) समय-समय पर यथानिर्धारित विभिन्न गुणता प्रमाणन तथा मानदंडों को पूरा करने वाली स्थापित गुणता नियंत्रण प्रणाली से युक्त यूनिटों/डिवीजनों वाली कंपनियां। वर्तमान मानदंडों में आई.एस.ओ. 9001 एवं आई.एस.ओ. 14001 तथा अधिमानतः आई.एस.ओ. 18001 भी शामिल किए जाने चाहिएं। प्रणाली, चयन उद्योग "चैम्पियनों" द्वारा स्वयं प्रमाणन में समर्थ होनी चाहिए।

(viii) सरकारी एजेंसियों द्वारा प्राधिकृत संगत अपेक्षाओं को पूरा करने वाले सुरक्षा बुनियादी ढांचे वाली कंपनियां।

(ix) कंपनी के पास या तो उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत रक्षा मदों के उत्पादन हेतु लाइसेंस/आशय पत्र (एल.ओ.आई.) होगा अथवा वह "रक्षा उद्योग रत्न" की स्थिति हेतु आवेदन करने के, जहां कहीं अपेक्षित हो, छह माह के भीतर इसे प्राप्त कर लेगी।

बंगाल की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास

214. श्री गुरूदास दासगुप्तः

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डीः

श्री अजीत जोगीः

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत, अमरीका, जापान, आस्ट्रेलिया और सिंगापुर द्वारा सितंबर, 2007 में बंगाल की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने अभी तक कितने देशों के साथ संयुक्त सैनिक अभ्यास किया है;

(घ) आगामी वर्षों में किए जाने वाले ऐसे प्रस्तावित अभ्यासों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे संयुक्त सैनिक अभ्यासों के क्या उद्देश्य और लक्ष्य हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) भारतीय नौसेना ने अमरीका, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर और जापान की नौसेनाओं के साथ सितंबर, 2007 में बंगाल की खाड़ी में संयुक्त नौसेना अभ्यास आयोजित किए जाने की योजना बनाई है।

(ग) भारतीय सेनाएं समय-समय पर अन्य देशों की सेनाओं के साथ संयुक्त अभ्यास करती हैं। ऐसे देश जिनकी सेनाओं के साथ विगत में संयुक्त अभ्यास किए गए हैं उनमें अमरीका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, ओमान, सिंगापुर, जापान, श्रीलंका, मालदीव आदि शामिल हैं।

(घ) ऐसे देश जिनके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाना प्रस्तावित है उनमें अमरीका, रूस, फ्रांस, सिंगापुर आदि देश शामिल हैं।

(ङ) ऐसे संयुक्त अभ्यासों का उद्देश्य आपसी सहयोग को बढ़ाना और अन्य सेनाओं से विशेषतः, उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उनके पास उपलब्ध अनुभव प्राप्त करना है। इससे आपदा प्रबंधन जैसी परिस्थितियों में आवश्यकता के दौरान अंतरचालन में भी सुविधा रहती है।

सशस्त्र सेनाओं में आत्महत्याएं और अधिकारियों की हत्या संबंधी मामले

215. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ः

श्री ए. साई प्रतापः

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधियाः

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभुः

श्रीमती मिनाती सेनः

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं में जवानों द्वारा आत्महत्याएं और अपने वरिष्ठ अधिकारियों की हत्या करने संबंधी मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और तत्पश्चात ऐसे कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ग) क्या इस संबंध में रक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जैसाकि दिनांक 04 जुलाई, 2007 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) रक्षा सेनाओं में आत्महत्या/हत्या के मामलों की संख्या में कोई बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान और उसके बाद सेना, नौसेना और वायुसेना में आत्महत्याओं के मामलों की संख्या इस प्रकार है:-

	2004	2005	2006	2007 (05 अगस्त, 2007 तक)
सेना	100	92*	120	70
वायुसेना	13	23	24	11
नौसेना**	05	05	02	01

*इसमें आत्महत्या का प्रयास करने के 15 मामले भी शामिल हैं।

**इन आंकड़ों में तटरक्षक के मामले भी शामिल हैं।

2. सेना, नौसेना और वायुसेना में पिछले तीन वर्षों के दौरान और उसके बाद सहकर्मियों की हत्या के मामलों की संख्या इस प्रकार है:-

	2004	2005	2006	2007 (05 अगस्त, 2007 तक)
सेना	05	06	13	06
वायुसेना	01	01	0	0
नौसेना	0	0	0	0

3. 'प्रतिविद्रोहिता क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के बीच आत्महत्या और सहकर्मियों की हत्या' के संबंध में रक्षा मनोविज्ञान अनुसंधान संस्थान ने एक अध्ययन किया है और फरवरी, 2007 में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उपर्युक्त अध्ययन और अन्य अध्ययनों की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने तनाव से निपटने तथा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अनेक उपाय शुरू किए हैं। इनमें से कुछ उपाय इस प्रकार हैं:-

(i) बेहतर मानव प्रबंधन और यूनिट स्तर पर शिकायतों का शीघ्र निवारण।

(ii) लीडरों तक अधिक पहुंच बनाने तथा जूनियर लीडरों का सैनिकों के साथ बारंबार पारस्परिक संपर्क।

(iii) 206 जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों और 209 गैर-कमीशनप्राप्त अफसरों को मनोवैज्ञानिक परामर्श-दाताओं के रूप में प्रशिक्षित करके तैनात किया गया है।

(iv) योग और प्राणायाम सहित आराम देने की तकनीकों पर प्रशिक्षण कैपसूल शुरू किया गया है।

(v) वार्षिक छुट्टी और आकस्मिक छुट्टी को अलग-अलग करने की अनुमति देते हुए छुट्टी नीति को उदार

बनाया गया है। सैनिक पहले की तरह वर्ष में दो बार के बजाय अब तीन बार छुट्टी लेकर अपने गृह नगर जा सकेंगे।

(vi) तनाव के प्रभाव को कम करने के लिए यूनिटों और कार्मिकों की अदला-बदली करना।

(vii) निशुल्क नंबर के साथ एक हेल्पलाइन स्थापित की गई है।

(viii) रेजिमेंटल चिकित्सा अफसरों, जूनियर लीडरों और यूनिट कमांडरों द्वारा उन व्यक्तियों की पहचान करने और परामर्श देने के लिए व्यवस्था की गई है जो उच्चतर युद्धक तनाव में हैं।

(ix) फील्ड/प्रतिविद्रोहिता/आतंकवादरोधी संक्रियात्मक क्षेत्रों में सेवारत सशस्त्र सेनाओं के सभी रैंकों को अतिरिक्त रेल वारंट प्रदान करना।

(x) परिवार के निवास के चुनिंदा स्थान की यात्रा के लिए भी गृह यात्रा रियायत का लाभ देते हुए अफसरों और अफसर रैंक से निचले कार्मिकों दोनों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत संबंधी योजना को युक्तिसंगत बनाने और अखिल भारतीय छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाने के लिए 1450 किलोमीटर की अधिकतम सीमा का प्रतिबंध हटाना।

(xi) अधिक कठिन, खतरनाक एकाकी क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए मौजूदा उच्च तुंगता प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्रों सहित बढ़ी हुई दरों पर उच्च तुंगता प्रतिकूल जलवायु भत्ता मंजूर करना।

(xii) सभी मुख्य मंत्रियों से सेवारत सैनिकों और उनके परिवारों की समस्याओं के प्रति सिविल प्रशासन को और अधिक जवाबदेह बनाने का अनुरोध किया गया है।

(xiii) यह निर्णय किया गया है कि सभी राज्यों में राज्य सैनिक बोर्डों और जिला सैनिक बोर्डों को सुदृढ़ किया जाए ताकि वे सैनिकों के गृहनगरों/गांवों में उनकी शिकायतों पर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई कर सकें।

रक्षा मुख्यालय में कार्यरत असैनिक कार्मिकों को सुविधाएं

216. श्री रघुनाथ झा: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा मुख्यालय में कार्यरत असैनिक कर्मचारी वर्दीधारी कार्मिकों के समतुल्य ही काम करते हैं;

(ख) यदि हां, तो असैनिक कर्मचारियों से भेदभाव करने और उन्हें वर्दीधारी कार्मिकों जैसी सुविधाएं न देने, जो इन्हें सेवानिवृत्ति के बाद भी दी जाती हैं, के क्या कारण हैं; और

(ग) कार्यरत/सेवानिवृत्त असैनिक कर्मचारियों को कार्यरत/सेवानिवृत्त वर्दीधारी कार्मिकों के समकक्ष सुविधाएं देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) रक्षा मुख्यालय में तैनात सिविलियन और सशस्त्र सेनाओं के कार्मिक उनके द्वारा धारित पदों को सौंपे गए कार्य एवं दायित्व के अनुसार अपनी ड्यूटी का निष्पादन करते हैं।

(ख) रक्षा मंत्रालय में तैनात सिविलियन और सशस्त्र सेना कार्मिक विभिन्न सेवा शर्तों से शासित होते हैं जिसके कारण कतिपय अंतर्निहित अंतर हैं। अतः भेदभाव का प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) ऊपर क्रम (ख) पर दिए गए उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

लचीली श्रम नीति

217. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने लचीली श्रम नीति के साथ औद्योगिक पार्क अध्यादेश संबंधी एक संशोधित प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) गुजरात की राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क अध्यादेश के संबंध में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा दिए गए सुझावों के अनुरूप कोई संशोधित प्रस्ताव नहीं भेजा है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सैन्य टुकड़ियों की पुनर्तैनाती

218. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सैन्य टुकड़ियों की पुनर्तैनाती की संभावनाओं की जांच करने के लिए गठित की गई समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यह रिपोर्ट कब तक आने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) समिति की रिपोर्ट शीघ्र ही सरकार को प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

लड़ाकू विमानों की खरीद

219. **योगी आदित्यनाथ:**

श्री मित्रसेन यादव:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमानों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या अमरीकी सरकार ने भारत को पांचवीं पीढ़ी के एफ-35 लड़ाकू विमान देने का प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार ने 126 बहुप्रयोजनीय लड़ाकू विमानों को प्राप्त करने संबंधी सौदे को अंतिम रूप देने के लिए अमरीका और कुछ अन्य देशों से कोटेशन आमंत्रित की हैं; और

(च) यदि हां, तो ऐसे देशों और उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है, जिनसे कोटेशन आमंत्रित की गई हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) सुरक्षा परिवेश तथा वायुसेना की आवश्यकताओं की सरकार नियमित रूप से पुनरीक्षा करती रहती है और बल स्तर बनाए रखने के लिए समय-समय पर नए विमान शामिल करने तथा मौजूदा विमानों का उन्नयन करने हेतु कदम उठाए जाते हैं। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

डाक विभाग को घाटा

220. **श्रीमती सुमित्रा महाजन:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों से डाक विभाग घाटे में चल रहा है और इसकी बीस डाक सेवाओं में से सोलह डाक सेवाएं घाटे में चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने डाक विभाग के कार्यकरण में कई खामियां बताई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी हां।

(ख) घाटे के मुख्य कारण, पेंशन देयताएं और डाक विभाग के सामाजिक दायित्व हैं। वर्ष 2006-07 के दौरान केवल पेंशन पर ही हुआ खर्च 1424.66 करोड़ रु. रहा, जो वर्ष के दौरान डाक विभाग के 6779.12 करोड़ रु. के सकल व्यय का 1/5 रहा। भारत सरकार के अधिकतर मंत्रालयों/विभागों के विपरीत डाक विभाग को पेंशन का व्यय स्वयं उठाना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप भारी घाटा होता है।

पेंशन देयताओं के अतिरिक्त अधिक घाटे का कारण

अत्यधिक मात्रा में दी जा रही सब्सिडी है, जो विशेषरूप से ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में फैले विशाल डाक नेटवर्क के वैश्विक सेवा दायित्वों का निर्वाह करने के लिए प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान घाटे तथा सरप्लस में रही डाक सेवाओं का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) जी नहीं, अधिक नहीं। हालांकि हमने 2007 की रिपोर्ट सं. 1 में शामिल निष्पादन लेखा परीक्षा से संबंधित दो पैराग्राफ और रिपोर्ट सं. 2 में कार्य-संचालन लेखा परीक्षा टिप्पणी से संबंधित 5 पैराग्राफ प्राप्त किए हैं। ये सभी सामान्य प्रकार के हैं।

(घ) मार्च, 2006 में समाप्त हुए वर्ष की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को 14 मई, 2007 को दोनों सदनों के सभापटल पर पहले ही रख दिया गया है। डाक विभाग से संबंधित इन रिपोर्टों में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कवर किए क्षेत्रों की सूची निम्नानुसार है:

निष्पादन लेखापरीक्षा -

(i) डाक प्रबंधन

(ii) डाकघरों में नकद-प्रबंधन

कार्य-संचालन टिप्पणियां -

(i) स्रोत पर आयकर की कटौती नहीं

(ii) डाक शुल्क-प्रभार की कम वसूली

(iii) किसान विकास पत्र पर ब्याज का अनियमित भुगतान

(iv) लोक भविष्य निधि पर ब्याज का अनियमित भुगतान

(v) मासिक आय योजना पर ब्याज तथा कमीशन का अनियमित भुगतान

(ङ) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा सुझाए गए उपचारी तथा निवारक उपायों को डाक विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जाता है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान घाटे और सरप्लस वाली डाक सेवाओं का विवरण

क्र.सं.	सेवा का नाम	2002-03	2003-04	2004-05
क.	**पारंपरिक सेवाएं**			
1.	पोस्टकार्ड	घाटा	घाटा	घाटा
2.	मुद्रित पोस्टकार्ड	घाटा	घाटा	घाटा
3.	प्रतियोगिता पोस्टकार्ड	**सरप्लस**	**सरप्लस**	**सरप्लस**
4.	पत्र कार्ड	घाटा	घाटा	-घाटा
5.	पत्र	**सरप्लस**	**सरप्लस**	**सरप्लस**
	पंजीकृत समाचार-पत्र			
6.	एकल	घाटा	घाटा	घाटा
7.	बंडल	घाटा	घाटा	घाटा
	बुक पोस्ट			
8.	बुक पैटर्न एवं नमूना पैकेट	घाटा	घाटा	घाटा

क्र.सं.	सेवाक का नाम	2002-03	2003-04	2004-05
9.	मुद्रित पुस्तकें	घाटा	घाटा	घाटा
10.	अन्य पत्रिकाएं	घाटा	घाटा	घाटा
11.	पार्सल	घाटा	घाटा	घाटा
12.	पंजीकरण	घाटा	घाटा	घाटा
13.	मूल्यदेय डाक	घाटा	घाटा	घाटा
14.	बीमा	**सरप्लस**	**सरप्लस**	**सरप्लस**
15.	विदेश डाक	**सरप्लस**	**सरप्लस**	**सरप्लस**
16.	पावती	घाटा	घाटा	घाटा
ख.	**प्रीमियम उत्पाद**			
17.	बिजनेस पोस्ट	**सरप्लस**	**सरप्लस**	*
18.	मेघदूत पोस्ट कार्ड			घाटा
19.	सेटेलाइट पोस्ट	घाटा	घाटा	घाटा
20.	बधाई डाक	**सरप्लस**	**सरप्लस**	**सरप्लस**
21.	एक्सप्रेस पार्सल	घाटा	घाटा	घाटा
22.	स्पीड पोस्ट	घाटा	घाटा	घाटा
ग.	**वित्तीय सेवाएं**			
23.	मनीआर्डर	घाटा	घाटा	घाटा
24.	सेटेलाइट मनीआर्डर	घाटा	घाटा	घाटा
25.	तार मनीआर्डर	घाटा	घाटा	घाटा
26.	डाक आदेश	घाटा	घाटा	घाटा
		20+6	20+6	21+5

*मेघदूत 'पत्र' में ही समाहित है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण

221. श्री दुष्यंत सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन राज्यों में वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू किया गया है;

(ख) केन्द्र सरकार ने उन राज्यों में कौन-कौन से विशिष्ट कार्य किए हैं और इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण का विचार वर्ष 2007-08 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत और अधिक क्षेत्रों को सम्मिलित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी राज्य में वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया गया क्योंकि नया वर्षासिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2007-08 के वित्त मंत्री के बजट भाषण में घोषित किया गया था। तथापि, वर्तमान में निम्नलिखित प्रमुख पनधारा विकास स्कीमें चलाई जा रही हैं जिसमें वर्षासिंचित क्षेत्रों एवं अवक्रमित भूमियों के विकास का पता लगाया जाता है।

(I) कृषि मंत्रालय (एम.ओ.ए.)

1. वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधाना विकास परियोजना (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.)
2. नदी घाटी परियोजना और बाढ़ संभावित नदियों के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण (आर.वी.पी. एवं एफ.पी.आर.)
3. झूम खेती क्षेत्रों के लिए पनधारा विकास कार्यक्रम (डब्ल्यू.डी.पी.एस.सी.ए.)

(II) ग्रामीण विकास मंत्रालय (एम.ओ.आर.डी.)

1. सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.)
2. मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.)
3. समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.)

दसवीं योजना अवधि के दौरान उपर्युक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियां कवर किए गए राज्यों की संख्या के साथ विवरण संलग्न हैं।

विवरण

प्रमुख पनधारा विकास कार्यक्रमों के तहत 10वीं योजना अवधि (2002-03 से 2006-07 तक) भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियां

क्र. सं.	मंत्रालय/स्कीम	शामिल राज्यों की संख्या	दसवीं योजना में प्रगति	
			भौतिक (लाख है. में)	वित्तीय (करोड़ रु. में)
1	2	3	4	5
क.	**कृषि मंत्रालय**			
1.	एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.	28 एवं 2 सं.शा.	24.13	1155.58
2.	आर.वी.पी. एवं एफ.पी.आर.	27	10.39	746.33
3.	डब्ल्यू.डी.पी.एस.सी.ए.	7	1.34	127.88
	उप योग		**35.76**	**2029.79**
ख.	**ग्रामीण विकास मंत्रालय***			
1.	डी.पी.ए.पी.	16	68.20	1157.18

1	2	3	4	5
2.	डी.डी.पी.	7	45.17	1151.75
3.	आई.डब्ल्यू.डी.पी.	28	68.20	1821.64
	उप योग		**181.57**	**4130.57**
	कुल (क+ख)		217.33	6160.36

*भौतिक प्रगति कुल मौजूद परियोजना क्षेत्र और व्यय सूचियों के लिये निर्मुक्त राशि को दर्शाता है;

एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए. - वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधाना विकास परियोजना;

आर.वी.पी. एवं एफ.पी.आर. - नदी घाटी परियोजना और बाढ़ संभावित नदियों के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण;

डब्ल्यू.डी.पी.एस.सी.ए. - झूम खेती क्षेत्रों के लिए पनधारा विकास कार्यक्रम;

डी.पी.ए.पी. - सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम;

डी.डी.पी. - मरूस्थल विकास कार्यक्रम;

आई.डब्ल्यू.डी.पी. - समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम।

फसल सुरक्षा

222. **श्री रनेन बर्मन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को फसल सुरक्षा से संबंधित कितनी परियोजना/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) उपर्युक्त परियोजनाओं/प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में पिछले तीन वर्षों के दौरान फसल सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित 379 परियोजनाएं/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन परियोजनाओं में, कीट-व्याधियां, रोग, गोलकृमि, कुटकियां और कृंतक शामिल हैं जो फसल उत्पादन को बुरी तरह प्रभावित करते हैं।

(ख) वर्तमान में 59 स्वीकृत परियोजनाएं चल रही हैं।

अस्थायी कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

223. **श्री के.एस. राव:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों और सरकारी संगठनों में राज्य-वार कितने अस्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ख) अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा और कौन-कौन से लाभ मिलते हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे कर्मचारियों के लिए कोई कल्याणकारी योजना तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (घ) सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

फलों की खेती

224. **श्री अनवर हुसैन:**
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार देश में अधिकाधिक भूमि पर केला, अन्नानास और आम की फसल के लिए किसानों को किस प्रकार प्रोत्साहित कर रही है;

(ख) क्या सरकार द्वारा प्रशिक्षण और विपणन के लिए कोई विशेष योजना शुरू की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) कृषि एवं सहकारिता विभाग बागवानी के समग्र विकास के लिये पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखण्ड में बागवानी के समेकित विकास के लिये प्रौद्योगिकी मिशन संबंधी दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें तथा शेष राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन का क्रियान्वयन कर रहा है। क्षेत्र विस्तार के जरिये आम, केला और अन्नानास जैसे फल फसलों सहित बागवानी फसलों की खेती के तहत और अधिक क्षेत्र लाना दोनों स्कीमों के तहत एक प्रमुख घटक है। आम जैसी बारहमासी फसलों के मामले में किसानों को प्रति लाभानुभोगी 4 हैक्टेयर की सीमा में अधिकतम 22,500 रुपये तक खेती की लागत के 75% की दर पर सहायता दी जा रही है। इसी प्रकार केला और अन्नानास जैसे गैर-वार्षिक फलों के लिये प्रति लाभानुभोगी 4 हैक्टेयर की सीमा में अधिकतम 15,000 रुपये प्रति हैक्टेयर तक लागत के 50% की दर पर सहायता दी जा रही है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड भी उत्पादन एवं फसलोपरान्त प्रबंधन के जरिये वाणिज्यिक बागवानी का विकास संबंधी स्कीम के तहत सहायता दे रहा है। फल फसलों के तहत आम, केला और अन्नानास भी शामिल हैं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय बागवानी मिशन तथा टी.एम.एन.ई, दोनों स्कीमों के तहत मानव संसाधन विकास घटक के अन्तर्गत किसानों, मालियों, विभागीय अधिकारियों तथा उद्यमियों को प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। इन स्कीमों के तहत थोक मण्डियों, ग्रामीण मण्डियों/अपनी मण्डियों की स्थापना करके विपणन अवसंरचना का विकास करना भी शामिल है। इसके अलावा, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत टर्मिनल मण्डियों की स्थापना का भी प्रावधान है।

कपास के संकर बीज

225. श्री बाडिगा रामकृष्णा:

श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बी.टी. कॉटन बीज की बिक्री करने वाली कंपनियों के क्या नाम हैं;

(ख) क्या सभी राज्यों में 750 रु. प्रति पैकेज में बीज उपलब्ध कराए जाने संबंधी न्यायालय के निर्देश के बावजूद निजी कंपनियों द्वारा बी.टी.-2 हाइब्रिड कॉटन बीज के प्रति 450 ग्राम के पैकेट को 1000 रुपए में बेचा जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) बी.टी. कपास बीजों का उत्पादन और विपणन भारत में 25 निजी बीज कंपनियों द्वारा किया जाता है, जिनकी सूची विवरण में दी गई है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दर्ज एक शिकायत पर एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रणाली (एम.आर.टी.पी.) आयोग के दिनांक 11 मई, 2006 के अंतरिम आदेश से पूर्व, महिकोमोसांटो बायोटेक (इंडिया) प्रा.लि. और उसकी उप-लाईसेंसधारक कंपनियां बी.टी. कपास बीजों को 1600/- रु. से लेकर 1800/- रु. प्रति 450 ग्राम के पैकेट की कीमत पर बेच रही थी, जिसमें लक्षण मूल्य शामिल था। एम.आर.टी.पी. आयोग ने इन कंपनियों को बी.टी. कपास बीजों के 450 ग्राम के एक पैकेट के लिए 900/- रु. का लक्षण मूल्य वसूल नहीं करने तथा उचित विशेषता मूल्य निर्धारित करने का निदेश दिया। उक्त अंतरिम आदेश और राज्य सरकारों तथा बीज कंपनियों के बीच चर्चा के पश्चात, बी.टी. कपास बीज [बोलगार्ड और बोलगार्ड-II (सामान्य रूप से बी.जी.-II कहा जाने वाला)] 750/- रु. से 925 रु. प्रति 450 ग्राम तक मूल्यों के बीच बेचे जा रहे हैं।

विवरण

भारत में बी.टी. कपास बीज बेचने वाली कंपनियों की सूची

क्र.सं.	कंपनी का नाम
1.	अंकुर सीड्स लि.
2.	जे.के. एग्री जेनेटिक्स सीड्स लि.
3.	महाराष्ट्र संकर बीज कंपनी महिको
4.	नाथ सीड्स लि.
5.	नूजीवीडू सीड्स लि.

क्र.सं.	कंपनी का नाम
6.	रासी सीड्स लि.
7.	प्रभात एग्री बायोटेक लि.
8.	नन्दी सीड्स लि.
9.	कृषिधन सीड्स लि.
10.	प्रो. सग्रो सीड कंपनी
11.	अजीत सीड्स लि.
12.	नामधारी सीड्स (प्रा.) लि.
13.	गांगा सीड्स (प्रा.) लि.
14.	बायोसीड्स रिसर्च इंडिया (प्रा.) लि.
15.	विभाग एग्रीटेक लि.
16.	तुलसी सीड्स लि.
17.	पर्वर्धन सीड्स लि.
18.	नवकार संकर प्रा. लि.
19.	बेयर बायोसाइंस (प्रा.) लि.
20.	एमजैंट जेनेटिक्स
21.	विक्रम सीड्स प्रा. लि.
22.	विक्की एग्रोटेक प्रा. लि.
23.	कावेरी सीड्स लि.
24.	अमर बायोटेक
25.	जुआरी सीड्स लि.

विस्थापित लोगों का पुनर्वास

226. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर बांध के निर्माण के कारण कितने परिवार विस्थापित हुए हैं;

(ख) इनमें से कितने परिवारों का पुनर्वास किया जा चुका है और अभी कितने परिवारों का पुनर्वास किया जाना है; और

(ग) परियोजना प्रभावित परिवार (पी.ए.एफ.) पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना, 1993 और इसके अंतर्गत निर्धारित पुनर्वास चरणों का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) इस समय ओमकारेश्वर परियोजना के निर्माण के कारण 4592 परिवार प्रभावित हो रहे हैं।

(ख) इन 4592 परिवारों में से 3130 परिवारों की पुनर्स्थापना कर दी गई है और शेष 1462 पुनर्स्थापित किए जाने हैं।

(ग) ओमकारेश्वर परियोजना के परियोजना प्रभावित परिवारों की पुनर्स्थापना और पुनर्वास मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 31 मई, 2006 को जारी पुनर्स्थापना और पुनर्वास नीति के अनुसार किया जाता है।

चीनी के बफर स्टॉक में वृद्धि

227. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव शिवाजीराव पाटील:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान देश में चीनी के अत्यधिक उत्पादन के मद्देनजर चीनी के बफर स्टॉक को बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या चीनी उद्योग चीनी की कीमतों में गिरावट के कारण किसानों को गन्ने की बकाया राशि का भुगतान करने में मुश्किलों का सामना कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो उद्योग के समक्ष आ रही मुश्किलों को कम करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने 1-5-2007 से 30-4-2008 तक की एक वर्ष की अवधि के

लिए 20 लाख टन का बफर स्टॉक और 1-8-2007 से 31-7-2008 तक की एक वर्ष की अवधि के लिए 30 लाख टन का अतिरिक्त बफर स्टॉक पहले ही सृजित कर लिया है। बफर स्टॉक में और वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार ने चीनी फैक्ट्रियों को पेश आ रही कठिनाइयों को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं-

(1) जैसा कि उपर्युक्त पैरा में बताया गया है, 50 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक पहले ही सृजित किया जा चुका है। चीनी मिलों को ब्याज, भंडारण और बीमा प्रभारों की लागत को कवर करने के लिए विहित सीमाओं के अध्यधीन बफर सब्सिडी का भुगतान किया जाएगा। ऐसी राजसहायता की लागत एक वर्ष के लिए लगभग 945 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त बैंक एक वर्ष हेतु 50 लाख टन का बफर सृजित करने के लिए लगभग 1050 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण प्रदान करेंगे। बफर राजसहायता और अतिरिक्त ऋण का उपयोग केवल गन्ना मूल्यों के भुगतान के लिए किया जाना है।

(2) चीनी फैक्ट्रियों को उनके द्वारा स्वयं अथवा किसी निर्यातक या किसी तृतीयक पक्ष के निर्यातक के माध्यम से निर्यात की गई उनके यहां उत्पादित चीनी, जिसमें रॉ चीनी शामिल है, के निर्यातों पर तटीय राज्यों में स्थित चीनी फैक्ट्रियों के मामले में 1350 रुपये प्रति टन और तटीय राज्यों से इतर राज्यों में स्थित चीनी फैक्ट्रियों के मामले में निर्यातित चीनी पर 1450 रुपये प्रति टन की समान दर पर आंतरिक ढुलाई तथा भाड़ा प्रभारों (जिसमें महासागरीय भाड़ा तथा हैंडलिंग और विपणन प्रभार शामिल होंगे) पर हुए खर्च के एक भाग की अदायगी करने के लिए निर्यात सहायता देना। केवल 19 अप्रैल, 2007 को तथा इसके बाद 18 अप्रैल, 2008 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, खुले सामान्य लाइसेंस (और 'अग्रिम लाइसेंसों' के तहत नहीं) के तहत किए गए निर्यात इस सहायता के पात्र होंगे।

(3) निर्यात के लिए आशयित चीनी को लेवी दायित्व से छूट दी जाएगी और निर्यात के लिए रिलीज की गई चीनी की मात्रा को अग्रिम गैर-लेवी चीनी (मुक्त बिक्री) रिलीजों के रूप में माना जाएगा, जिसको 12 महीनों की अवधि (अग्रिम प्राधिकरण स्कीम के तहत निर्यातों के लिए 3-1-2007 से 2-1-2008 तक और खुले सामान्य लाइसेंस के तहत निर्यातों के लिए 23-1-2007 से 22-1-2008 तक) के बाद चीनी फैक्ट्रियों के मुक्त बिक्री स्टॉक में समायोजित किया जाना होगा; और

(4) चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध को जनवरी, 2007 में हटा दिया गया है और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों और संयुक्त राज्य को किए जाने वाले निर्यात को छोड़कर 2006-07 और 2007-08 के चीनी मौसमों अर्थात् 30 सितम्बर, 2008 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, में चीनी के निर्यात के लिए 31-7-2007 से निर्यात रिलीज आदेश प्राप्त करने की अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया है।

केसर की खेती

228. श्री भर्तृहरि महताब: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश में केसर की खेती को बढ़ाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान केसर उत्पादकों को कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केसर के अंतर्गत क्षेत्र को बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) कृषि मंत्रालय बागवानी विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए जिसमें केसर की खेती के तहत क्षेत्र में वृद्धि शामिल है, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल में समेकित बागवानी विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन का क्रियान्वयन करता रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान केसर सहित मसालों की खेती के लिए जम्मू व कश्मीर सरकार को 84.50 लाख रु. की राशि दी गई है। विगत तीन वर्षों के दौरान केसर सहित मसालों की खेती के लिए दी गई सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित है-

वर्ष	जारी की गई राशि (लाख रु. में)
2004-05	15.60
2005-06	26.00
2006-07	42.90

(ग) से (ङ) राज्य सरकारों द्वारा निरूपित कार्य योजनाओं और मांग के आधार पर कृषि मंत्रालय ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केसर की खेती के तहत क्षेत्र में वृद्धि के लिए प्रस्तावों का समर्थन करेगा।

ड्रिप सिंचाई योजना

229. श्री असादूद्दीन ओवेसी:

श्री नरहरि महतो:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लघु सिंचाई संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई योजना के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और पिछले वर्ष राज्य-वार इनकी कितनी प्राप्ति हुई;

(घ) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ गत वर्ष के दौरान आबंटित धनराशि के उपयोग को ध्यान में रखते हुए राज्यों के लिए आबंटित धनराशि को बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। सूक्ष्म सिंचाई संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत जिसे 2005-06 (जनवरी, 2006) में शुरू किया गया था, राज्य सरकारों द्वारा अभिज्ञात क्रियान्वयन एजेंसियां ड्रिप व सिंचाई स्प्रिंकलर सिंचाई शुरू करने के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार करती हैं और पद्धति लागत का 50% सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाता है जिसमें से 40% केन्द्र सरकार द्वारा तथा 10% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। शेष 50% लाभानुभोगी द्वारा या तो अपने निजी संसाधनों से अथवा वित्तीय संस्थाओं से उदार ऋण के जरिये वहन किया जाता है।

(ग) विगत वर्ष के लिए राज्यवार भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धि का ब्यौरा विवरण पर दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। सरकार ने 2005-06 के दौरान 280 करोड़ रु. और 2006-07 के दौरान 520 करोड़ रु. की तुलना में वर्तमान वर्ष (2007-08) के लिए आबंटन को बढ़ाकर 55.0 करोड़ रु. कर दिया है।

विवरण

सूक्ष्म सिंचाई संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम-2006-07 के दौरान लक्ष्य और उपलब्धियों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	जिलों की सं.	भौतिक (है.)		वित्तीय (रु. लाख में)	
			लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	22	193621	71662	19519.68	8033.34
2.	बिहार	38	14223	0	2482.10	0
3.	छत्तीसगढ़	16	28748	4600	3032.88	210.88

1	2	3	4	5	6	7
4.	दिल्ली	1	100	0	15.71	0
5.	गोवा	1	128	8	12.13	0.80
6.	गुजरात	25	18247	16708	3355.90	3930.94
7.	हरियाणा	20	5385	2823	443.89	231.79
8.	झारखंड	22	3106	0	229.92	0
9.	कर्नाटक	21	23737	14540	2456.75	936.04
10.	केरल	14	5382	1102	636.30	40.33
11.	मध्य प्रदेश	48	2117	0	401.16	0
12.	महाराष्ट्र	33	65155	65155	8796.549	7907.71
13.	उड़ीसा	30	3314	2414	454.26	256.00
14.	राजस्थान	32	39751	39700	2833.34	2687.46
15.	तमिलनाडु	12	5402	0	1200.64	0
16.	पश्चिम बंगाल	18	1849	0	195.67	0

रक्षा आबंटनों में वृद्धि

230. **श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व के दूसरे हिस्सों में विकास के साथ गति बनाए रखने के लिए सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण हेतु रक्षा आबंटन में वृद्धि करने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान रक्षा आबंटन के उपयोग की क्या पद्धति रही है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) भारत के संविधान में दी गई सामान्य बजटीय प्रक्रिया के भाग के रूप में वर्ष में एकबार रक्षा सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए धनराशि की आवश्यकता सहित उनके लिए धनराशि की आवश्यकता का आकलन करके उसे वित्त मंत्रालय को प्रस्तावित किया जाता है। यद्यपि व्यय की प्रगति पर नियमित रूप से नजर रखी जाती है तथापि, अतिरिक्त आवश्यकता, यदि कोई हो, या तो पूरक अनुदान से अथवा संशोधित प्राक्कलन अवस्था में वित्त मंत्रालय को आवश्यकता प्रस्तुत करके पूरी की जाती है। चालू वित्त वर्ष के दौरान सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए कोई अतिरिक्त मांग नहीं की गई है क्योंकि अब तक अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता नहीं पड़ी है।

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान रक्षा आबंटन के उपयोग का तरीका निम्नानुसार रहा है:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	उपयोग
1	2
2002-2003	55661.83
2003-2004	60065.80
2004-2005	75855.92

1	2
2005-2006	80548.98
2006-2007	85494.64

[हिन्दी]

चीनी मिलों को चीनी की बिक्री की अनुमति

231. श्री संजय धोत्रे:
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चीनी मिलों को जुलाई से सितम्बर, 2007 की तीन महीने की अवधि के दौरान खुले बाजार में 36 लाख टन चीनी बेचने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय सरकार ने जुलाई से सितम्बर, 2007 की तिमाही के दौरान खुले बाजार में बेचने के लिए 36 लाख टन गैर-लेवी चीनी का कोटा रिलीज करने का निर्णय किया है। जुलाई, 2007 और अगस्त, 2007 के महीनों के लिए खुले बाजार में बेचने के लिए चीनी मिलों को क्रमशः 10 लाख टन और 13 लाख टन गैर-लेवी चीनी पहले ही रिलीज की जा चुकी है।

अन्न बचाओ अभियान

232. श्री महावीर भगोरा: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों में अन्न बचाओ अभियान चलाया गया है;

(ख) उक्त अभियान के अंतर्गत राज्यों की पहचान हेतु क्या मानदंड निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त अभियान का अन्य राज्यों में भी विस्तार करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस अभियान के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित नए राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त अभियान के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य और हासिल उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(च) वर्ष 2006-07 के दौरान इसके अंतर्गत लाभान्वित किसानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (घ) अन्न सुरक्षा अभियान स्कीम देश के सभी राज्यों में शुरू किया गया है।

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान अन्न सुरक्षा अभियान के तहत निर्धारित लक्ष्यों तथा उपलब्धियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं -

क्र. सं.	कार्य की मद	2004-05		2005-06		2006-07	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की संख्या	1429	1502	1257	1409	1104	1235
2.	कवर किए गए गांवों की संख्या	1009	1148	888	1039	888	937
3.	फिल्म/स्लाइड शो की संख्या	1429	1525	1200	1354	1104	1210

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	लगाई गई प्रदर्शनी/प्रतिभागियों की संख्या	1009	1185	888	1072	888	899
5.	निर्मित/उन्नत किए गए भंडारण ढाचों की संख्या	18600	19363	16300	17772	14400	15711

(च) वर्ष 2006-07 के दौरान अन्न सुरक्षा अभियान स्कीम के तहत लाभान्वित किसानों की राज्यवार संख्या नीचे दी गई है:-

क्र. सं.	राज्य का नाम	लाभान्वित किसानों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	700
2.	असम	1872
3.	बिहार	1200
4.	गोवा	100
5.	हरियाणा	325
6.	हिमाचल प्रदेश	750
7.	जम्मू-कश्मीर	150
8.	झारखंड	200
9.	कर्नाटक	1375
10.	मध्य प्रदेश	1400
11.	महाराष्ट्र	1275
12.	मेघालय	175
13.	उड़ीसा	2190
14.	पांडिचेरी	50
15.	पंजाब	475
16.	राजस्थान	1375
17.	तमिलनाडु	650
18.	उत्तराखंड	250
19.	उत्तर प्रदेश	2225
20.	पश्चिम बंगाल	1400
	कुल	18137

[अनुवाद]

उड़ीसा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) की स्थापना

233. श्री जुएल ओराम: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के पश्चिमी जिलों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) की एक यूनिट की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी स्थापना कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अनुसंधान जरूरतों को पूरा करने के लिए चार संस्थान जैसे केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक, केन्द्रीय ताजा जलजीव पालन संस्थान, भुवनेश्वर, पूर्वी क्षेत्र के लिए जल प्रौद्योगिकी केन्द्र, भुवनेश्वर और कृषि में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, भुवनेश्वर पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं और उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। पश्चिमी उड़ीसा में 11 जिले हैं जिनमें से 10 में कृषि विज्ञान केन्द्र हैं जो उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर के अंतर्गत आते हैं।

लंबे समय से चले आ रहे घुसपैठ रोधी आपरेशन

234. श्री अधलराव शिवाजीराव पाटील:

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्राम और स्वास्थ्य लाभ के लिए समय के बिना लंबी अवधि से चले आ रहे घुसपैठ रोधी आपरेशन सैनिकों की शारीरिक शक्ति और मानसिक स्वास्थ्य पर भारी प्रभाव डाल रहे हैं; और

(ख) सैनिकों के कल्याण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) प्रति विद्रोही संक्रियाओं में सैनिकों की तैनाती से उनमें तनाव के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। सैनिकों के कल्याण के लिए सरकार और सेनाओं द्वारा कई उपाय किए गए हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:-

(i) बेहतर मानव प्रबंधन और यूनिट स्तर पर शिकायतों का तुरंत निवारण करना।

(ii) लीडरों की बेहतर पहुंच और सैनिकों के साथ जूनियर लीडरों द्वारा बार-बार बातचीत किया जाना।

(iii) मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं के रूप में जूनियर कमीशनप्राप्त अफसरों और गैर-कमीशनप्राप्त अफसरों को प्रशिक्षित करके तैनात किया गया है।

(iv) योग और प्राणायाम सहित राहत देने वाली तकनीकों पर प्रशिक्षण कैप्सूल लागू किए गए हैं।

(v) वार्षिक छुट्टी और आकस्मिक छुट्टी के विभाजन की अनुमति देते हुए छुट्टी नीति को उदारीकृत किया गया है। अब सैनिक पूर्व में वर्ष में दो बार की बजाय वर्ष में तीन बार छुट्टी पर अपने गृह नगर जा सकेंगी।

(vi) तनाव के प्रभाव को कम करने के लिए यूनिटों और व्यक्तियों की अदला-बदली करना।

(vii) एक टोल फ्री नम्बर के साथ एक हेल्पलाइन शुरू की गई है।

(viii) रेजिमेंटल चिकित्सा अफसरों, जूनियर लीडरों और यूनिट कमांडरों द्वारा ऐसे व्यक्तियों का पता लगाने और उन्हें सलाह मशविरा देने की व्यवस्थाएं करना जो युद्ध संबंधी उच्चतर तनाव झेल रहे हैं।

(ix) फील्ड/प्रति विद्रोही/आतंकवादरोधी संक्रियात्मक क्षेत्रों में कार्यरत सशस्त्र सेनाओं के सभी रैंकों को अतिरिक्त रेल वारंट दिया जाना।

(x) अफसरों और अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों - दोनों के परिवार के आवास से इतर स्थान पर यात्रा करने के लिए भी गृह यात्रा रियायत का उपभोग करने की अनुमति देने के लिए छुट्टी यात्रा रियायत की स्कीम का युक्तिकीकरण तथा अखिल भारतीय छुट्टी यात्रा रियायत का उपभोग करने के लिए 1450 किलोमीटर की सीमा के प्रतिबंध को समाप्त करना।

(xi) विद्यमान उच्च तुंगता प्रतिकूल जलवायु क्षेत्रों सहित अधिक कठिन, जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में तैनात सैनिकों को बढ़ी हुई दरों पर उच्च तुंगता (प्रतिकूल जलवायु) (एच.ए.यू.सी.) भत्ते की मंजूरी।

[हिन्दी]

विमान दुर्घटनाएं

235. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वायुसेना के दुर्घटनाग्रस्त हुए विमानों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन दुर्घटनाओं में कितने लोग मारे गए/घायल हुए;

(ग) इन घटनाओं के कारण सरकार को कितनी वित्तीय हानि हुई;

(घ) क्या सरकार द्वारा इन विमान दुर्घटनाओं की जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो जांच रिपोर्ट के अनुसार विमान दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं और इनको रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) वित्तीय वर्ष 2004-05 से 2007-08 (7 अगस्त, 2007 तक) तक हुई दुर्घटनाओं में भारतीय वायुसेना के कुल 39 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। इनका ब्यौरा इस प्रकार है:-

वित्तीय वर्ष	दुर्घटनाग्रस्त विमानों की संख्या
2004-2005	17
2005-2006	11
2006-2007	09
2007-2008	02 (7-8-2007 तक)
कुल	39

(ख) इन दुर्घटनाओं में कुल 25 सैन्य कार्मिक और सिविलियन मारे गए तथा 6 सिविलियन घाटल हुए थे।

(ग) इन दुर्घटनाओं में विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने के अतिरिक्त मृतक/घायल सैन्य कार्मिकों/सिविलियनों और सिविल संपत्ति के लिए 123,80,000/- रुपए की मुआवजा धनराशि का भी भुगतान किया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) भारतीय वायुसेना में प्रत्येक हवाई दुर्घटना की जांच-अदालत द्वारा जांच की जाती है। जांच अदालतों के अनुसार विमान दुर्घटनाओं के मुख्य कारण मानवीय चूकें और तकनीकी त्रुटियां हैं। भारतीय वायुसेना में उड़ान सुरक्षा को सुदृढ़ और उन्नत करने के लिए हमेशा एक सतत् और बहु आयामी प्रयास किया जाता रहा है। दक्षता स्तरों में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने, सही निर्णय लेने की क्षमता में अभिवृद्धि करने और पायलटों में स्थितिजन्य जागरूकता बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं। विमान की तकनीकी त्रुटियों पर नियंत्रण करने के लिए स्वदेशी और विदेशी-दोनों ही मूल उपस्कर विनिर्माताओं के साथ सतत् पारस्परिक बातचीत भी की जाती है। इसके अतिरिक्त, पक्षी-रोधी उपाय भी किए गए हैं।

गेहूं, चना और सरसों का उत्पादन

236. श्री मोहन सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2007 में रबी फसल के दौरान गेहूं, चना और सरसों के दर्ज किए गए उत्पादन का ब्यौरा क्या है और यह वर्ष 2006 के दौरान दर्ज किए गए उत्पादन की तुलना में कितना अधिक अथवा कम है;

(ख) रबी फसल के उत्पादन में लगातार गिरावट को देखते हुए उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है; और

(ग) वर्ष 2007-2008 में खाद्य तेल, दलहनों और गेहूं की कितनी कमी होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) निम्नलिखित सारणी में 2006-07 तथा 2005-06 के दौरान गेहूं, चना तथा सरसों के उत्पादन के बारे में दर्शाया गया है:

(मिलियन टन)

फसल	2006-07*	2005-06	अंतर (2)-(3)
1	2	3	4
गेहूं	74.89	69.35	5.54
चना	6.34	5.60	0.74
रेपसीड तथा सरसों	7.10	8.13	-1.03

*19-7-2007 के अनुसार चौथे अग्रिम अनुमान

(ख) गेहूं तथा चने के उत्पादन में 2005-06 की तुलना में 2006-07 में गिरावट नहीं हुई है। दी गई फसलों में उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए, एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "तिलहनों, दालों, पाम आयल, तथा मक्का की एकीकृत स्कीम" का कार्यान्वयन 01-04-2004 से 14 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत, भारत सरकार तथा राज्य सरकारों में 75:25 के आधार पर बोए जाने वाले बीज, फाऊंडेशन बीज तथा प्रमाणित बीज के उत्पादन, क्वालिटी बीज उत्पादन के लिए क्रेश कार्यक्रम, प्रमाणित बीज तथा मिनिकिटों का वितरण, ढांचा विकास, एकीकृत कीटनाशक प्रबंधन आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, तिलहनों तथा दालों में संशोधित उत्पादन प्रौद्योगिकी पर निरूपण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से प्रौद्योगिकी प्रयासों के हस्तान्तरण के तौर पर किया जाता है।

(ग) 2007-08 के दौरान खरीफ फसलों के लिए उत्पादन अनुमानों को सितम्बर, 2007 में तथा रबी फसलों के लिए जनवरी, 2008 में रिलीज किया जाता है। तथापि कृषि और सहकारिता विभाग के फसल मौसम निगरानी दल की रिपोर्ट के अनुसार, 3 अगस्त, 2007 तक इन फसलों के अंतर्गत कवर किए गए क्षेत्र निम्न प्रकार है:

(लाख हैक्टेयर)

फसल	2007-08	2006-07
तिलहन	149.38	141.84
दालें	95.19	89.20

इन फसलों की बुआई जारी है। इनका उत्पादन फसल वृद्धि तथा विनिर्माण पर निर्भर करता है। गेहूं की बुआई सितम्बर-दिसम्बर 2007 में की जाएगी तथा इसकी कटाई फरवरी-मई, 2008 में की जाएगी।

[अनुवाद]

जल संचयन

237. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जल संचयन हेतु छोटे किसानों को शत प्रतिशत और अन्यों को 50 प्रतिशत राजसहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, केन्द्रीय वित्त मंत्री ने 2007-08 के अपने बजट भाषण में डगवेल्स के माध्यम से भूजल पुनर्भरण के लिए एक स्कीम की घोषणा की है जिसमें 'छोटे और सीमान्त किसानों' को 100 प्रतिशत और 'अन्य किसानों' को 50 प्रतिशत सब्सिडी दिए जाने की योजना है।

बी.एस.एन.एल. उपभोक्ता

238. श्री स्वदेश चक्रवर्ती: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार बी.एस.एन.एल. के कितने उपभोक्ता हैं;

(ख) क्या वर्ष 2007 में अप्रैल, मई और जून के महीने में उपभोक्ताओं की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या कंपनी सरकारों की खरीद में पहले ही 110 करोड़ रु. के राजस्व की हानि उठा चुकी है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) ये उपस्कर कब तक खरीद लिए जाएंगे?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) 30 जून, 2007 की स्थिति के अनुसार बी.एस.एन.एल. के उपभोक्ताओं की संख्या 6.50 करोड़ है।

(ख) जी, नहीं। अप्रैल, मई और जून 2007 के महीनों के दौरान बी.एस.एन.एल. के उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी है। इसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क्र. सं.	माह	टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या में निवल वृद्धि
1.	अप्रैल, 2007	70,181
2.	मई, 2007	19,833
3.	जून, 2007	2,39,930
	तीन महीनों के दौरान कुल निवल वृद्धि	3,29,944

(ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) बी.एस.एन.एल. की हानि केवल अवसर गंवाने के कारण हुई है और इसे राजस्व की हानि नहीं माना जा सकता है।

(च) उपस्कर उपलब्ध कराना एक सतत प्रक्रिया है। जहां तक जी.एस.एम. मोबाइल उपस्कर का संबंध है, निविदा मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और अग्रिम क्रय आदेश (ए.पी.ओ.) दे दिया गया है जिस पर अभी सफल बोलीदाताओं द्वारा स्वीकृति की जानी है। यह उपस्कर ए.पी.ओ. की स्वीकृति की तारीख से लगभग छह महीने की अवधि में उत्तरोत्तर रूप से उपलब्ध हो जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

नए कनेक्शनों का प्रावधान

239. श्री रघुवीर सिंह कौशल:

श्री महावीर भगोरा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2007 में सरकार द्वारा लक्षित 9.91 टेली-डेंसिटी हासिल कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान शहरी टेली-डेंसिटी और ग्रामीण टेली-डेंसिटी का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी और निजी क्षेत्र के कंपनी वार उपलब्ध कराए गए नए कनेक्शनों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में टेली-डेंसिटी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां। 30-06-2007 की स्थिति के अनुसार भारत का समग्र टेली-घनत्व 19.86% (अद्यतन उपलब्ध सूचना के अनुसार) है।

(ख) आज की स्थिति के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान शहरी टेली-घनत्व और ग्रामीण टेली-घनत्व के राज्य-वार ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) गत तीन वर्षों के लिए सरकारी/निजी क्षेत्र के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के टेलीफोन संख्या के अलग-अलग कंपनी-वार ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए विशिष्ट उपाय निम्नानुसार हैं:-

(i) ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार के लिए सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक अव्यपगत सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू.एस.ओ.एफ.) स्थापित की गई है। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के लाइसेंसधारक ऐसी सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र प्रचालकों को निवल लागत की दृष्टि से अव्यवहार्य सभी 1685 अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों (एस.डी.सी.ए.) में यू.एस.ओ.एफ. की सहायता के माध्यम से ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनें (आर.डी.ई.एल.) उपलब्ध कराने के लिए निविदा सौंपी गई है। ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के रखरखाव और ग्रामीण सामुदायिक फोन लगाने के लिए भी यू.एस.ओ.एफ. के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। जहां तक निवल लागत की दृष्टि से व्यवहार्य शेष एस.डी.सी.ए. का संबंध है, बाजार की शक्तियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली मांग पूरी होने की संभावना है।

(ii) बी.एस.एन.एल. द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में डब्ल्यू.एल.एल. (वायरलैस इन लोकल लूप) नेटवर्क को व्यापक

रूप से संस्थापित करने की योजना बनायी गयी है।

(iii) भारत संचार निगम लिमिटेड ने लैंड लाईन एक्सचेंजों से आउटडोर केबल बिछाने की दूरी में छूट देकर इसे 2.5 किमी. से 5.0 किमी. कर दिया है ताकि मौजूदा एक्सचेंजों से ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक कवरेज की सुविधा सुगम हो सके।

(iv) बी.एस.एन.एल. अपने मोबाइल नेटवर्क की सभी राजमार्गों, महत्वपूर्ण नगरों, तीर्थ स्थानों और राज्य राजमार्गों पर संस्थापना कर रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े हिस्से को आनुषंगिक कवरेज मिल सके।

(v) 1-4-2005 और 31-3-2007 के दौरान देश में वैयक्तिक ग्रामीण घरेलू सीधी एक्सचेंज लाइनों की संस्थापना के लिए मार्च 2005 में मैसर्स बी.एस.एन.एल., मैसर्स आर.आई.एल., मैसर्स टी.टी.एल. और मैसर्स टी.टी.एल. (महाराष्ट्र) के साथ करारों पर हस्ताक्षर किए गए। इन आर.डीई.एल. को देश के 1685 पात्र अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों (एस.डी.सी.ए.) में संस्थापित किया जाना था, जहां टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की लागत अर्जित राजस्व से अधिक है। इन कंपनियों में एस.डी.सी.ए. का हिस्सा क्रमशः 1267, 203, 172 और 43 था। इस योजना के तहत मार्च 2007 तक 25,64,577 आर.डी.ई.एल. प्रदान की गई [मैसर्स बी.एस.एन.एल. (8,91,306), मैसर्स आर.आई.एल. (7,37,207), मैसर्स आर.आर.एल. (7,26,915) और मैसर्स टी.टी.एल. (महाराष्ट्र: 2,09,149]

(vi) 27 राज्यों के 500 जिलों में फैले 7871 अवसंरचना स्थलों (टावरों) की स्थापना और उनके प्रबंधन के लिए सब्सिडी सहायता प्रदान करने की बाबत हाल ही में यू.एस.ओ. निधि द्वारा एक योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत लगभग 2 लाख गांवों को शामिल किए जाने की संभावना है। इस तरह से सृजित अवसंरचना में तीन सेवा प्रदाताओं की हिस्सेदारी होगी जो विनिर्दिष्ट ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में, जहां कोई मौजूदा फिक्स्ड वायरलेस या मोबाइल कवरेज नहीं है, फिक्स्ड/मोबाइल टर्मिनलों का उपयोग कर वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू.एल.एल.) जैसी अन्य बेतार अभिगम सेवाएं सहित मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। सफल बोलीदाताओं के साथ करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं जो 01-06-2007 से प्रभावी हैं। मोबाइल सेवाओं को इन साझा टावरों के माध्यम से मई 2008 तक चरणबद्ध तरीके से चालू किए जाने का लक्ष्य है।

विवरण-I

ग्रामीण शहरी टेलीघनत्व का ब्यौरा

क्र. सं.	सर्किल/राज्य का नाम	31-03-2005			31-03-2006			31-03-2007			31-06-2007		
		ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अंडमान व निकोबार	9.07	19.12	12.63	8.80	34.20	17.97	14.17	23.00	17.39	14.03	22.98	17.31
2.	आंध्र प्रदेश	2.39	28.53	9.48	2.34	43.22	13.45	6.84	53.24	19.62	7.42	57.66	21.27
3.	असम	0.63	16.75	2.79	0.73	37.03	5.67	2.36	55.87	9.92	2.39	60.67	10.65
4.	बिहार	0.57	17.63	2.36	0.66	45.15	5.34	2.05	54.18	7.52	2.00	63.47	8.45
5.	छत्तीसगढ़	0.54	6.50	1.80	0.51	7.84	2.09	0.99	11.28	3.24	1.02	11.51	3.32
6.	गुजरात	2.63	28.88	12.73	2.69	39.51	16.98	10.43	45.47	24.14	11.48	48.76	26.09
7.	हरियाणा	2.80	28.78	10.83	3.10	39.33	14.47	10.74	49.72	23.11	12.69	52.64	25.42
8.	हिमाचल प्रदेश	6.79	68.36	13.12	7.25	118.14	18.78	22.30	89.03	29.33	23.28	98.28	31.21
9.	जम्मू-कश्मीर	0.76	17.58	5.09	0.85	44.49	12.18	5.08	47.34	16.08	5.82	49.85	17.30
10.	झारखंड	0.50	8.42	2.30	0.58	11.18	2.99	1.08	11.33	3.43	1.07	11.03	3.35
11.	कर्नाटक	2.49	29.98	12.19	2.63	43.17	17.06	7.46	56.44	25.05	8.27	60.10	26.93
12.	केरल	9.74	44.74	18.77	10.65	68.40	25.54	21.11	69.43	33.54	20.71	79.99	35.96
13.	मध्य प्रदेश	0.66	17.36	5.21	0.79	23.90	7.12	3.28	37.86	12.68	3.49	42.10	14.01
15.	महाराष्ट्र (-) मुंबई*	2.56	25.65	10.01	2.80	34.45	13.10	7.16	42.29	18.78	8.72	43.81	20.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15.	पूर्वोत्तर-I	1.22	14.63	4.33	1.29	30.45	8.11	4.63	57.05	16.99	4.78	66.76	19.43
16.	पूर्वोत्तर-II	1.20	12.83	3.66	1.26	19.80	5.21	2.89	22.58	7.41	3.07	23.85	7.85
17.	उड़ीसा	1.04	19.68	3.96	1.16	41.65	7.57	4.20	38.95	9.78	4.77	42.42	10.83
18.	पंजाब	5.33	49.21	21.94	5.29	63.57	27.61	16.16	69.77	37.05	17.53	73.80	39.54
19.	राजस्थान	1.44	21.27	6.12	1.67	35.43	9.65	6.75	43.65	15.49	8.00	47.32	17.33
20.	तमिलनाडु (-) चेन्नई	2.79	23.07	11.37	2.99	29.99	14.70	9.65	38.94	22.55	10.88	43.00	25.11
21.	उत्तराखंड	1.63	17.08	5.74	1.84	22.72	7.46	4.36	23.19	9.50	4.38	23.08	9.49
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व और पश्चिम)	0.52	17.15	4.06	0.55	30.09	6.87	3.10	38.79	10.77	3.52	42.50	11.91
23.	पश्चिम बंगाल (-) कोलकाता	1.04	15.23	3.00	1.13	33.04	5.53	4.69	34.20	8.80	4.95	40.30	9.88
24.	कोलकाता	0.00	23.79	23.79	0.00	33.70	33.70	0.00	41.93	45.84	0.00	45.53	49.15
25.	चेन्नई	0.00	46.76	46.76	0.00	60.08	61.08	0.00	73.90	75.46	0.00	80.09	81.63
26.	दिल्ली	0.00	50.94	50.94	0.00	65.40	65.40	0.00	86.89	86.89	0.00	90.53	90.53
27.	मुंबई	0.00	44.27	44.27	0.00	56.73	56.73	0.00	64.99	64.99	0.00	68.13	68.13
28.	अखिल भारत	1.73	26.88	8.95	1.86	39.45	12.74	5.88	48.52	18.31	6.45	52.27	19.86

विवरण-II

कंपनी-वार टेलीफोन ब्यौरा

क्र. सं.	कंपनी का नाम	31-03-2005			31-03-2006			31-03-2007		
		ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	भारत संचार निगम लि.	13569084	33365866	46934950	14768250	40390925	55159175	22655691	42067834	64723525
2.	महानगर टेलीफोन निगम लि.	0	5153483	5153483	0	5924428	5924428	0	6666972	6666972
3.	भारती एयरटेल	उपलब्ध नहीं	11791996	11791996	उपलब्ध नहीं	22343013	22343013	6746208	32266389	39012597
4.	रिलायंस टेलीकॉम	उपलब्ध नहीं	11756122	11756122	उपलब्ध नहीं	20445993	20445993	4054910	25480941	29535851
5.	हचिसन एस्सार	उपलब्ध नहीं	12128457	12128457	उपलब्ध नहीं	9038271	9038271	3510242	13789476	17299718
6.	टाटा टेलीसर्विसेज	उपलब्ध नहीं	3668228	3668228	उपलब्ध नहीं	8875464	8875464	1905055	146477932	16552987
7.	आइडिया	उपलब्ध नहीं	5069693	5069693	उपलब्ध नहीं	7365986	7365986	3005242	11005309	14010551
8.	एयरसेल	उपलब्ध नहीं	0	0	उपलब्ध नहीं	4764149	4764149	3031079	6024600	9055679
9.	फास्सेल	उपलब्ध नहीं	0	0	उपलब्ध नहीं	2257450	2257450	1432091	2723183	4155274

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	स्पाइस कम्युनिकेशन	उपलब्ध नहीं	1438824	1438824	उपलब्ध नहीं	1933408	1933408	331841	2397115	2728956
11.	बी.पी.एल. मोबाइल	उपलब्ध नहीं	0	0	उपलब्ध नहीं	3035285	3035285	0	1070853	1070853
12.	डिशनेट वायरलेस	उपलब्ध नहीं	0	0	उपलब्ध नहीं	430312	430312	409778	1035856	1445634
13.	एच.एफ.सी.एल. इन्फोटेल लि.	उपलब्ध नहीं	246696	246696	उपलब्ध नहीं	318635	318635	2608	316502	319110
14.	श्याम टेलीलिंक लि.	उपलब्ध नहीं	184736	184736	उपलब्ध नहीं	200013	200013	14769	234634	249403
15.	एस्कार्टस टेलीकॉम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	0	उपलब्ध नहीं	447	447	0	0	0

[अनुवाद]

सहकारी सोसाइटियों को सहायता

240. **श्री किन्जरपु येरननायडु:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में स्थित सहकारी सोसाइटियों को दी गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों, निबंधनों एवं शर्तों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) देश में एन.सी.डी.सी. द्वारा सहकारी समितियों को पिछले तीन वर्षों अर्थात 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान दी गई वित्तीय सहायता आंध्र प्रदेश सहित राज्यवार ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) इस संबंध में एन.सी.डी.सी. द्वारा निरूपित दिशा-निर्देशों, शर्तों एवं निबंधनों के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

2004-05 से 2006-07 तक राज्यवार निर्मुक्तियां

(रु. लाख में)

राज्य	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	18472.84	26075.30	48010.69
अरुणाचल प्रदेश	293.67	738.71	0.00
असम	0.00	8.00	12.82
बिहार	1487.78	1338.43	998.85
छत्तीसगढ़	10660.88	25150.19	55124.33
गोवा	45.26	0.00	22.37
गुजरात	1822.10	17858.83	33710.01
हरियाणा	1003.13	1020.22	1554.39
हिमाचल प्रदेश	1188.83	636.04	1408.60
जम्मू-कश्मीर	0.00	98.00	0.00
झारखण्ड	0.00	36.53	882.32
कर्नाटक	2936.88	11649.16	6572.54
केरल	10924.33	19099.60	31059.81
मध्य प्रदेश	7410.94	11793.34	4643.65

1	2	3	4
महाराष्ट्र	16577.35	20801.94	19959.91
मणिपुर	9.36	9.36	0.00
मेघालय	220.18	41.59	463.42
मिजोरम	0.00	311.73	0.00
नागालैण्ड	244.44	334.42	152.15
उड़ीसा	11.31	4.45	20024.37
पंजाब	9.74	20199.79	0.00
राजस्थान	1815.41	1926.08	4596.61
तमिलनाडु	14991.91	14659.30	31279.95
त्रिपुरा	0.00	0.00	43.29
उत्तर प्रदेश	1505.45	21117.49	31856.10
उत्तराखंड	1783.10	160.93	3222.13
पश्चिम बंगाल	2329.95	4649.22	11595.94
पांडिचेरी	0.00	0.00	3457.00
दमन व दीव	0.00	0.00	34.52
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	30.65	0.00	2.66
दिल्ली	2.55	21.25	0.00
राष्ट्रीयकृत सोसाइटियां/अन्य	10294.04	30277.96	90351.39
कुल	106072.08	230017.83	401039.82

विवरण-II

एन.सी.डी.सी. सहायता के लिए सामान्य शर्तें एवं निबंधन प्रचलित प्रभावी ब्याज दर

स्कीम	प्रभावी ब्याज दर*
क. आवधिक ऋण:	
(क) राज्य सरकारों के माध्यम से	10.75%
(ख) प्रत्यक्ष वित्तपोषण	
(i) कमजोर वर्ग के कार्यक्रम	
- 50 लाख रु. की परियोजना लागत तक	11%
- 50 लाख रु. से अधिक की परियोजना लागत	11.5%

स्कीम	प्रभावी ब्याज दर*
(ii) अन्य कार्यक्रम	12%
ख. कार्यशील पूंजी ऋण:	
(क) राज्य सरकारों के माध्यम से	10.25%
(ख) प्रत्यक्ष वित्तपोषण	
एक वर्ष तक	11%
- एक वर्ष से अधिक	11.5%

*बशर्ते कि किस्तों का भुगतान नियम तारीख को अथवा उससे पूर्व हो।

टिप्पणी:

(क) यदि किस्म का भुगतान नियम तारीख को अथवा उससे पूर्व नहीं किया तो सामान्य दर (प्रभावी + 1%) लागू होगी।

(ख) चूक के मामले में दंडात्मक ब्याज दर सामान्य दर से 2.5% की दर से अधिक है।

(ग) राशि जारी करते समय जो ब्याज दर होगी, उसे प्रभारित किया जाएगा।

(घ) कमजोर वर्ग के कार्यक्रम

(i) मात्स्यिकी

(ii) कबीली/अ.जा. एवं अ.ज.जा./पहाड़ी क्षेत्र की सहकारी समितियां

(iii) डेयरी

(iv) कुक्कुट

(v) हथकरघा

(vi) नारियल जटा, पटसन एवं तंबाकू

(vii) रेशमकीट पालन

2. उपर्युक्त ब्याज दर स्टेट बैंक अग्रिम दर से जुड़े होने से अस्थायी रहेगी। तथापि, दिनांक 22-3-07 से पूर्व एक वर्ष पहले तक स्वीकृत नियम ब्याज दर पर उपलब्ध कराए जाने वाले कार्यशील पूंजी ऋण जारी रहेंगे।

3. यदि राज्य सरकार/सहकारी समिति अस्थायी दर की बजाय नियत ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने के लिए उत्सुक है तो उपर्युक्त पैरा 1 में दर्शाई गई ब्याज दरें 0.25% तक बढ़ती रहेंगी।

4. ऋण की अवधि 8 वर्ष होगी। मार्जन राशि सहायता के लिए अवधि 5 वर्ष तक जारी रहेगी और कार्यशील पूंजी ऋण 3 वर्षों तक के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

5. परियोजनाओं/गोदामों के आवधिक ऋण संबंधी विलंबनकाल परियोजना की परिपक्वता अवधि पर निर्भर होगा। अंशपूंजी भागीदारी के लिए राज्य सरकारों को मार्जन मनी, कार्यशील पूंजी और निवेश ऋण पर कोई विलंबन काल नहीं होगा।

6. प्रत्यक्ष वित्तपोषण के मामले में प्रसंस्करण शुल्क स्वीकृत राशि के 0.5% की दर से प्रभारित किया जाएगा जो प्रत्येक मामले में 3 लाख रु. (6 करोड़ रु. का 0.5%) से अधिक नहीं होगी। तथापि, प्रसंस्करण शुल्क को एक वर्ष तक के कार्यशील पूंजी ऋणों के लिए प्रभारित नहीं किया जाएगा।

इंटरनेट प्रयोक्ता

241. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में इंटरनेट प्रयोग के मामले में विश्व में सबसे अधिक वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत एक वर्ष के दौरान भारतीय इंटरनेट प्रयोक्ताओं में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) दूरसंचार विभाग केवल अपने लाइसेंसधारकों के उपभोक्ताओं की संख्या संबंधित आंकड़ों का हिसाब रखता है। भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में मार्च, 2006 से (7.05 मिलियन) मार्च, 2007 तक (9.20 मिलियन) 30% तक की वृद्धि हुई है।

[हिन्दी]

रक्षा नवाचार समझौता

242. श्री रामदास आठवले: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन देशों के साथ रक्षा नयाचार समझौते को अंतिम रूप दिया गया; और

(ख) समझौते के अनुसार इन देशों द्वारा भारत को कौन-कौन सी वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) भारत सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान किसी भी देश के साथ ऐसे किसी रक्षा नयाचार करार को अंतिम रूप नहीं दिया है। तथापि, सरकार ने विभिन्न देशों के साथ रक्षा सहयोग करार, समझौता ज्ञापन आदि किए हैं। उनके ब्यौरे देना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

[अनुवाद]

मोबाइल सेवा संबंधी शिकायतें

243. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को असम तथा पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में व्यापार, उद्योग तथा अन्य लोगों से मोबाइल सेवा फ्रिक्वेंसी में अत्यधिक व्यवधान के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2007 की पहली दो तिमाहियों के दौरान प्राप्त ऐसी शिकायतों की संख्या कितनी है; और

(ग) इन समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां। मैसर्स ऑयल इंडिया लिमिटेड के कुछ बेतार संपर्कों के कारण असम दूरसंचार सेवा क्षेत्र के कुछ भागों में जी.एस.एम. 900 मेगाहर्टज बैंड आवृत्तियों पर कुछ मोबाइल फोन सेवा प्रदाताओं द्वारा रेडियो व्यवधान के बारे में सूचित किया गया था।

(ख) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार वर्ष 2007 की प्रथम दो तिमाहियों के दौरान एक मोबाइल सेवा प्रदाता से शिकायत प्राप्त हुई थी।

(ग) ऑयल इण्डिया के कर्मचारियों एवं संबंधित मोबाइल फोन सेवा प्रदाताओं के साथ विचार-विमर्श किया गया था। व्यवधान का निराकरण हो गया है।

बाल श्रमिक संबंधी सर्वेक्षण

244. श्री के.सी. पल्लानी शामी:

श्री एस.के. खारवेनथन:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बाल श्रमिकों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो यह सर्वेक्षण कब तक किए जाने की संभावना है;

(घ) सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे बाल श्रमिकों के पुनर्वास कार्यक्रम को कितनी सफलता मिली और इसमें अब तक कितनी प्रगति की गई है; और

(ङ) देश में सभी बाल श्रमिकों का कब तक पुनर्वास किए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (ग) भारत के महापंजीयक द्वारा कराई जाने वाली जनगणना देश में बाल श्रमिकों की संख्या के संबंध में एक मात्र प्रामाणिक आंकड़ा है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, देश में कामकाजी बच्चों की संख्या 1.26 करोड़ है। बाल श्रमिकों की राज्य-वार संख्या विवरण में है। तथापि, सरकार का देश में बाल श्रमिकों की संख्या की पहचान करने के लिए एक नया सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव है।

(घ) सरकार राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन.सी.एल.पी.) स्कीम चला रही है। इस स्कीम के अंतर्गत, कार्य से हटाए गए बच्चों का विशेष स्कूलों में दाखिल किया जाता है, जहां उन्हें शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषणाहार, वजीफा और स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाएं आदि प्रदान की जाती हैं। अब तक, इस स्कीम के अंतर्गत, 4.57 लाख बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से पहले ही मुख्य धारा में लाया जा चुका है।

(ङ) सरकार सभी प्रकार के बाल श्रम के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। तथापि, इसके लिए सर्वप्रथम सर्वाधिक जोखिमकारी व्यवसायों में लगे बच्चों से शुरुआत करके सतत और क्रमिक रूप में किया जाएगा।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	2001
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1363339
2.	असम	351416
3.	बिहार	1117500
4.	गुजरात	485530
5.	हरियाणा	253491
6.	हिमाचल प्रदेश	107774
7.	जम्मू-कश्मीर	175630
8.	कर्नाटक	822615
9.	केरल	26156
10.	मध्य प्रदेश	1065259
11.	महाराष्ट्र	764075
12.	छत्तीसगढ़	364572
13.	मणिपुर	28836
14.	मेघालय	53940
15.	झारखंड	407200
16.	उत्तरांचल	70183
17.	नागालैण्ड	45874
18.	उड़ीसा	377594
19.	पंजाब	177268
20.	राजस्थान	1262570
21.	सिक्किम	16457
22.	तमिलनाडु	418801
23.	त्रिपुरा	21756
24.	उत्तर प्रदेश	1927997
25.	पश्चिम बंगाल	857087
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1960
27.	अरुणाचल प्रदेश	18482
28.	चंडीगढ़	3779
29.	दादरा और नगर हवेली	4274
30.	दिल्ली	41899
31.	दमन और दीव	729
32.	गोवा	4138
33.	लक्षद्वीप	27
34.	मिजोरम	26265
35.	पांडिचेरी	1904
	कुल योग	12666377

अभियानों में मारे गए/घायल सैनिकों के लिए मुआवजा पैकेज

245. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सेना के विभिन्न उग्रवाद-रोधी अभियानों और अन्य अभियानों में मारे गए अथवा घायल होने वाले सैनिकों के परिवारों को दिए जा रहे मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सेना में लंबे समय से "सभी हताहतों के लिए एक समान पैकेज" की मांग की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। यह मामला विचाराधीन है।

विवरण

क. मृत्यु के मामले में सेवान्त लाभ

(क) उदारीकृत परिवार पेंशन

प्रतिविद्रोहिता और संक्रियाओं के दौरान मारे गए कार्मिकों के निकटतम संबंधी को मृतक सैनिक द्वारा अंतिम आहरित गणनीय परिलब्धियों के बराबर उदारीकृत परिवार पेंशन मंजूर की जाती है।

(ख) अनुग्रह राशि

(i) सीमाओं में भिड़तों, उग्रवादियों/आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान मृत्यु होने पर 7.50 लाख रुपए।

(ii) शत्रु, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध कार्रवाई, युद्ध समान कार्रवाइयों जिन्हें रक्षा मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से अधिसूचित किया गया हो, के दौरान मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए।

(ग) मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान

सेवा की अवधि	धनराशि
(i) 1 वर्ष से कम	वेतन का दुगना
(ii) 1 से 5 वर्ष	वेतन का छह गुना
(iii) 5 से 20 वर्ष	वेतन का बारह गुना
(iv) 20 वर्ष से अधिक	33 वर्ष अथवा 3.5 लाख रुपए जो भी कम हो, की अधिकतम सीमा तक प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक माह का वेतन

(घ) सेना समूह बीमा निधि

अफसरों के निकटतम संबंधी को 15 लाख रुपए और अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों के निकटतम संबंधी के लिए 7.5 लाख रुपए।

ख. अशक्तता/निशक्तता पर पात्रता

(क) प्रतिविद्रोहिता और संक्रियाओं के दौरान घायल होने पर स्थाई रूप से अशक्त सैनिकों को युद्ध घायल पेंशन मंजूर की जाती है। यह तभी देय है जब चोट युद्ध में अथवा युद्ध के समान संक्रियाओं में अतिवादियों, उग्रवादियों और समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान लगी हो। युद्ध में लगी चोट के कारण हुई निशक्तता के मामले में वह नीचे दिए अनुसार सेवा अंश और युद्ध घायल अंश के साथ युद्ध घायल पेंशन के लिए पात्र होगा:-

(i) सेवा अंश

अशक्तता की तारीख को वेतन के आधार पर सेवानिवृत्ति/सेवा पेंशन के समान राशि जिसके लिए वह हकदार होते/होती, किंतु सेवा की गणना उस तारीख तक की जाएगी जिस पर वह सामान्य रूप से उस रैंक में सेवानिवृत्ति हुए होते/होती इसमें यथा देय अधिमान भी शामिल है। इस अंश के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की कोई शर्त भी नहीं है।

(ii) युद्ध घायल अंश

शत-प्रतिशत निशक्तता के लिए अंतिम आहरित संगणनीय परिलब्धियों के बराबर। तथापि, किसी भी स्थिति में सेवा अंश और युद्ध घायल अंश कुल मिलाकर अंतिम आहरित वेतन से अधिक नहीं होना चाहिए। निशक्तता की कम प्रतिशतता के लिए युद्ध घायल अंश समानुपाती रूप से घटा दिया जाएगा।

(iii) युद्ध घायल पेंशन के बदले में प्रतिपूर्ति की एकमुश्त राशि

युद्ध में घायल होने की वजह से आजीवन निशक्तता के बावजूद जिन सशस्त्र सैन्य कार्मिकों को सेवा में बनाए रखा जाता है और वे बाद में सेवानिवृत्त होते हैं, वे अंतिम रूप से सेवानिवृत्त होने पर युद्ध घायल अंश अथवा युद्ध घायल पेंशन के युद्ध घायल अंश का आहरण करने के बजाए एकमुश्त प्रतिपूर्ति का विकल्प चुन सकते हैं। यह प्रावधान 1 जनवरी, 1996 को अथवा उसके बाद होने वाले मामलों में लागू होता है। आजीवन शत प्रतिशत निशक्तता के लिए युद्ध घायल पेंशन के बजाए प्रतिपूर्ति की एकमुश्त राशि की गणना के लिए मौजूदा दरें इस प्रकार हैं:-

कमीशन प्राप्त अफसर और मानद कमीशन प्राप्त अफसर	5200/- रुपए प्रति माह
जूनियर कमीशन प्राप्त अफसर	3800/- रुपए प्रति माह
अन्य रैंक/अयोधी (ई)	3100/- रुपए प्रति माह

(ख) सेवानिवृत्ति उपदान

सेवानिवृत्ति अथवा अशक्तता पर सेवानिवृत्ति उपदान देय होता है किंतु इसके लिए 5 वर्ष की न्यूनतम सेवा अनिवार्य है। की गई वास्तविक सेवा पर 5 वर्ष का अधिमान भी दिया जाता है बशर्ते कुल सेवा 33 वर्ष से अनधिक हो। इसकी दर प्रत्येक पूर्ण छह माह की सेवा के लिए 1/4 माह के वेतन के समान होती है। इसकी अधिकतम सेवा 3.5 लाख रुपए है।

(ग) संतान शिक्षा छात्रवृत्ति

ट्यूशन शुल्क, परिवहन प्रभार, मेस प्रभारों को घटाकर छात्रावास प्रभारों, 250/- रुपए की दर से किताबों की लागत, यदि वर्दी अनिवार्य हो तो पहले वर्ष के दौरान 810 रुपए तक वर्दी की लागत और पहले वर्ष के लिए 250/- रुपए की दर से और उसके बाद के वर्षों के लिए 150/- रुपए की दर से कपड़ों की लागत की पूरी प्रतिपूर्ति की जाती है। उक्त शैक्षणिक रियायतें प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम तक अदा की जाएंगी और इसमें प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम ही शामिल है।

[हिन्दी]

गेहूं की विकसित किस्में

246. **श्री हंसराज ग. अहीर:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि वैज्ञानिकों द्वारा गेहूं की कुछ नई किस्मों का विकास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या गेहूं की नई किस्मों की व्यवहार्यता की जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गेहूं की इन नई विकसित किस्मों को किसानों को उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) अखिल भारतीय गेहूं एवं जौ सुधार समन्वित अनुसंधान परियोजना जिसमें 30 वित्तपोषित तथा अनेक स्वैच्छिक केन्द्र शामिल हैं इनके अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों के साथ-साथ राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रत्येक वर्ष गेहूं की नई किस्में विकसित की गई हैं। अब तक विभिन्न कृषि-मौसम पारिस्थितिकीय क्षेत्रों के लिए 330 से अधिक उपयुक्त किस्में विकसित की गई हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों के लिए 11 नई किस्में नामतः डी.बी.डब्ल्यू.-16, एच.डी.-2888, एच.आई.-1531, एन.आई.ए.डब्ल्यू.-917, पी.बी.डब्ल्यू.-533, ए.के.डी.डब्ल्यू.-2997-16, डी.डी.के. 1025, डी.बी.डब्ल्यू.-17, के 0307, जी.डब्ल्यू.-366 तथा राज-4083 विकसित की गई हैं।

(ख) और (ग) वास्तविक फार्म स्थितियों के तहत अग्रपंक्ति प्रदर्शनों का उपयोग करते हुए नई किस्मों का परीक्षण किया गया है। सस्य वैज्ञानिक परीक्षणों से उन्नत किस्मों की व्यवहार्यता बनाई गई है।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि एवं सहकारिता विभाग के माध्यम से विभिन्न बीज उत्पादन एजेंसियों और निजी बीज क्षेत्र से प्राप्त मांग-पत्र के अनुसार इन नई किस्मों के प्रजनक बीज प्रदान करती हैं। अनेक राज्य कृषि विश्वविद्यालय तथा भा.कृ.अ.प. के संस्थान भी लोकप्रिय बनाने के लिए किसानों को कम मात्रा में गेहूं की नई किस्मों के बीज प्रदान करते हैं। किसानों के खेतों में अग्रपंक्ति प्रदर्शनों के तहत इन नई किस्मों का प्रदर्शन भी किया जाता है। अग्रपंक्ति प्रदर्शनों से तैयार बीज भी किसानों को उपलब्ध कराया गया।

[अनुवाद]

बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य

247. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बाजरा के समर्थन मूल्य को बढ़ाने का है;

(ख) क्या सरकार ने एफ.सी.आई. को किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीदने का निदेश दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) 2007-08 मौसम की खरीफ फसलों, जिनमें मिलिट शामिल हैं, के न्यूनतम समर्थन मूल्य मई, 2007 में घोषित किए गए। मिलिट के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) भारत सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार मूल्य समर्थन कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों से, मोटे अनाजों, जिसमें मिलिट शामिल है, का प्रापण वर्तमान में पूर्ण रूप से राज्य सरकारों तथा उनकी एजेंसियों द्वारा चलाया जाता है।

सैन्य दलों के लिए कपड़े तथा स्लीपिंग बैग की आवश्यकता

248. श्री मिलिन्द देवरा: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अत्यधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर तैनात सैन्य दलों के लिए विशेष कपड़े तथा स्लीपिंग बैग बनाने के लिए एक इकाई स्थापित करने के लिए स्विट्जरलैंड की एक फर्म के साथ वार्ता की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुणता आश्वासन महानिदेशालय को सियाचिन सहित अन्य अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सैन्य दलों के लिए बनाए गए लगभग 60,000 स्लीपिंग बैग को अस्वीकार करना पड़ा था क्योंकि उन्हें "घटिया क्वालिटी" का पाया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(ङ) देश में विशेष कपड़े तथा स्लीपिंग बैग की कमी के क्या कारण हैं; और

(च) सेना की कुल आवश्यकता कितनी है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) और (ख) चूंकि सशस्त्र सेनाओं को उच्च तुंगता स्थानों पर विशेष वस्त्र एवं स्लीपिंग बैगों की व्यापक आवश्यकता होती है इसलिए आयुध निर्माणी बोर्ड उपयुक्त विनिर्माण सुविधा स्थापित करने संबंधी संभावना की तलाश कर रहा है। उसने इस क्षेत्र में प्रमुख विनिर्माताओं से संपर्क किया है जिनमें स्विटजरलैंड की एक कंपनी भी शामिल है। विभिन्न निर्माताओं की क्षमताओं का आकलन करने के पश्चात्, आयुध निर्माणी बोर्ड निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निविदा आमंत्रित करने के बाद मदों का विनिर्माण करने के लिए तकनीकी सहयोग हेतु उपाय करने के लिए योजना बनाता है।

(ग) गुणता आश्वासन महानिदेशालय ने 35,580 मदों को अस्वीकार कर दिया है।

(घ) संविदा के माध्यस्थतम और दंड खंडों के तहत फर्म के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई है।

(ङ) और (च) वार्षिक आवश्यकता तथा विशेष वस्त्र, स्लीपिंग बैगों और इससे जुड़ी मदों संबंधी ब्यौरा विवरण में दिया गया है। लंबी अधिप्राप्ति चक्र के कारण आपूर्तियों में कमी रही है।

विवरण

क्र.सं.	मद	वार्षिक आवश्यकता	सेना मुख्यालय की आवश्यकता (100%)
1	2	3	4
1.	हेड कैप वूलन/हेड कैप स्पेशल	27,351	27,351
2.	ऊनी जुराब	3,82,914	3,82,914
3.	वाटर प्रूफ बैग	27,351	27,351
4.	गेटर्स	27,351	27,351
5.	ठंडे मौसम हेतु ड्राअर्स	54,702	54,702

1	2	3	4
6.	ठंडे मौसम के लिए बनियान	54,702	54,702
7.	विशेष स्लीपिंग बैग	27,351	27,351
8.	फेस मास्क	27,351	27,351
9.	बहु प्रयोजनी जूते	27,351	27,351
10.	स्नो गॉगल/गॉगल कोर्टिना	27,351	27,351
11.	जैकेट डाउन	13,676	13,676
12.	ट्राउजर डाउन	13,676	13,676
13.	गद्दे	27,351	27,351
14.	रकसैक	27,351	27,351
15.	ग्लोब्स इनर	67,360	67,360
16.	ग्लोब्स आउटर	54,702	54,702
17.	ओवर गारमेन्ट ब्लॉउज	27,351	27,351
18.	ओवर गारमेन्ट ट्राउजर	27,351	27,351
19.	पोन्चो ग्लेसियर	27,351	27,351
20.	गोरटेक्स सूट		
	(क) आउटर शेल परका	13,676	13,676
	(ख) आउटर शेल पैन्ट	13,676	13,676
	(ग) फाइबर पाइल जैकेट ब्राउन	13,676	13,676
	(घ) फाइबर पाइल पैन्ट ब्राउन	13,676	13,676
	(ड) बनियान सी.डब्ल्यू. (गोर्टेक्स)	13,676	13,676
	(च) ड्राअर्स सी.डब्ल्यू. (गोर्टेक्स)	13,676	13,676

नागार्जुन सागर बांध का आधुनिकीकरण

249. श्री एल. राजगोपाल: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक नागार्जुन सागर बांध के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त आधुनिकीकरण कार्यक्रम को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस परियोजना के पूर्ण होने पर कितनी अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (घ) जल संसाधन मंत्रालय की सिफारिश पर आर्थिक कार्य विभाग द्वारा "आंध्र प्रदेश जल क्षेत्र सुधार परियोजना (ए.पी.डब्ल्यू.एस.आई.पी.)" को 2250 करोड़ रुपए की सहायता के लिए विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। नागार्जुन सागर परियोजना ए.पी.डब्ल्यू.एस. आई.पी. के घटकों में से एक है।

इस परियोजना में 4.03 लाख एकड़ गैप कमान क्षेत्र की सिंचाई की योजना है।

यूनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन निधि का उपयोग

250. श्री अर्जुन सेठी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान यूनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन (यू.एस.ओ.) निधि की कुल कितनी धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यू.एस.ओ. से उपलब्ध निधियों के प्रयोग से गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार कितने ऐसे गांवों में लैण्डलाइन/डब्ल्यू.एल.एल. टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए, जो इन सेवाओं से जुड़े नहीं थे; और

(ग) देश में कितने गांवों में अभी टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने हैं तथा इन आंकड़ों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) गत तीन वर्षों अर्थात वर्ष 2004-05 से 2006-07 के दौरान सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू.एस.ओ.एफ.) को आबंटित निधियों का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है।

(ख) और (ग) देश में टेलीफोन की सुविधा से रहित शेष 66,822 गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी.पी.टी.) उपलब्ध कराने के लिए यू.एस.ओ.एफ. ने नवंबर, 2004 में भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) से करार किया है। इनमें 100 की संख्या से कम आबादी वाले, घने जंगलों/नक्सल प्रभावित क्षेत्रों आदि में स्थित गांव शामिल नहीं हैं। 30 जून, 2007 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन की सुविधा से रहित 66,822 पात्र गांवों में से 48,704 गांवों में वी.पी.टी. की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है तथा शेष 18,118 गांवों को नवंबर, 2007 तक वी.पी.टी. सुविधा उत्तरोत्तर रूप से उपलब्ध करा दी जाएगी। टेलीफोन सुविधा से रहित गांवों, गत तीन वर्षों के दौरान जिन गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई गई है उनकी तथा जिन गांवों में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने हैं, उनकी राज्यवार संख्या विवरण में दी गई है।

विवरण

यू.एस.ओ. निधि करार के तहत गांवों के कवरेज की स्थिति (30 जून, 2007 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य का नाम	टेलीफोन सुविधा रहित गांवों की कुल संख्या	टेलीफोन सुविधा युक्त गांवों की कुल संख्या	उन गांवों की कुल संख्या जहां टेलीफोन सुविधा प्रदान की जानी है
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,074	605	469
2.	असम	8,931	8,504	427
3.	झारखंड	1,694	800	894
4.	गुजरात	4,144	3,588	556

1	2	3	4	5
5.	हिमाचल प्रदेश	1,002	828	174
6.	जम्मू-कश्मीर	1,755	1,142	613
7.	मध्य प्रदेश	11,894	11,604	290
8.	छत्तीसगढ़	5,043	2,885	2,158
9.	महाराष्ट्र	6,441	5,545	896
10.	मेघालय	1,957	182	1,775
11.	मिजोरम	96	10	86
12.	त्रिपुरा	75	69	6
13.	अरुणाचल प्रदेश	646	170	476
14.	मणिपुर	876	446	430
15.	नागालैंड	28	17	11
16.	उड़ीसा	4,899	560	4,339
17.	राजस्थान	12,386	10,184	2,202
18.	उत्तरांचल	3,881	1,565	2,316
	कुल	66,822	48,704	18,118

[हिन्दी]

छोटे तथा मझौले किसान

251. **श्री हरिसिंह चावडा:**

श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में छोटे तथा मझौले किसानों का राज्य-वार प्रतिशत कितना है;

(ख) उनकी दशा में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे किसानों के लिए कम लागत पर कृषि करने की किसी तकनीक का विकास किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) देश में छोटे एवं मध्यम किसानों की प्रतिशतता राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ख) सरकार ने छोटे एवं मध्यम किसानों सहित किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए कई पहलें की हैं-

(i) तीन वर्षों में कृषि क्षेत्र के ऋण प्रवाह को दोगुना करने के लिए एक ऋण नीति घोषित की गई थी।

(ii) खरीफ 2006-07 से किसानों को 7% ब्याज दर पर 3.00 लाख रु. तक ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

(iii) बैंकों को सलाह दिया गया है कि 50,000/-रु. तक के कृषि ऋण के लिए मार्जिन/प्रतिभूति में अपेक्षाकृत छूट दें।

(iv) सहकारी संरचना के पुनरूद्धार के लिए पैकेज घोषित किया गया था।

(v) राष्ट्रीय बागवानी मिशन को अनुसंधान कटाई पश्चात प्रबंधन, उत्पादों के प्रसंस्करण एवं विपणन को कवर करते हुए अग्र एवं पश्च संपर्कों के लिए 2005 से शुरू किया गया।

(vi) एक राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण को पनधारा विकास और वर्षा एकत्रण के साथ उन्नत जल प्रबंधन, सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र विस्तारण के लिए स्थापित किया गया है।

(vii) राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम को प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई फसल हानियों से किसानों का संरक्षण देने के लिए कार्यान्वित किया जाता है।

(viii) केन्द्रीय प्रायोजित बृहत प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत हस्तचालित उपस्करों बैल से खींचे जाने वाले/विद्युत चालित उपकरणों, स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई उपकरण, पौध रोपण, कटाई, बुवाई एवं थ्रैशिंग उपकरणों, ट्रैक्टरों, पावर टिलरों और अन्य विशिष्ट कृषि मशीनों सहित विभिन्न कृषि उपकरणों की खरीद के लिए किसानों को अनुमत्य सीलिंग सीमा सहित लागत की 25% की दर से उपलब्ध होती है।

(ग) से (ङ) किसानों की आय बढ़ाने और कृषि की लागत कम करने के लिए भा.कृअ.प. द्वारा कम लागत वाले हस्तचालित/बैलचालित उपकरण, बैल चालित इंटीगर्ल टूल बार, बैल चालित मल्टी क्रॉप प्लांटर, बैल चालित सीड-कम-फर्टीलाइजर बैल चालित ग्राउंटनट-कम-पोटेटो डिगर, लो लैंड मैन्यूअल राइस सीडर, ग्राउंटनट-कम-कैस्टर डिकोर्टिकेटर, सिकलस, ट्यूबलर मेज शैलर, वीडर, पैडल, थ्रैशर, लो लिफ्ट पैडल पंप, मैन्यूअल फर्टीलाइजर बॉडकास्टर इत्यादि जैसे कई नए प्रौद्योगिकी उपकरण विकसित किए गए हैं। सरकार कीटों के जैविक नियंत्रण को लोकप्रिय बनाने के लिए समेकित कीट प्रबंधन और कीटनाशियों के आवश्यकता आधारित और उचित प्रयोग को भी बढ़ावा दे रही है जिससे कृषि की लागत कम हो जाती है। सरकार द्वारा प्रत्यक्ष विपणन और संविदा कृषि को बढ़ावा देते हुए कृषि विपणन सुधार शुरू किए गए हैं जिससे बिचौलियों को निकालते हुए और कटाई पश्चात हानियों को कम करते हुए किसानों की आय बढ़ती है।

विवरण

कृषि संगणना 2000-01 के अनुसार छोटे मध्यम प्रचालनात्मक घटकों की प्रतिशतता

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छोटे (1.0-2.0 है.)	मध्यम (4.0-10.0 है.)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	21.83%	4.34%
2.	अरुणाचल प्रदेश	18.69%	28.04%
3.	असम	21.97%	3.96%
4.	बिहार	9.24%	1.42%
5.	छत्तीसगढ़	22.00%	7.53%
6.	गोवा	10.94%	1.56%

1	2	3	4
7.	गुजरात	30.19%	13.88%
8.	हरियाणा	19.24%	13.22%
9.	हिमाचल प्रदेश	19.04%	3.39%
10.	जम्मू-कश्मीर	12.40%	0.90%
11.	कर्नाटक	26.97%	8.04%
12.	केरल	3.41%	0.24%
13.	मध्य प्रदेश	26.51%	12.46%
14.	महाराष्ट्र	28.11%	6.43%
15.	मणिपुर	32.89%	2.01%
16.	मेघालय	26.64%	3.27%
17.	मिजोरम	36.84%	1.32%
18.	नागालैण्ड	6.25%	47.22%
19.	उड़ीसा	27.39%	3.57%
20.	पंजाब	17.35%	30.19%
21.	राजस्थान	20.79%	18.90%
22.	सिक्किम	23.53%	5.88%
23.	तमिलनाडु	15.60%	2.46%
24.	त्रिपुरा	11.48%	0.42%
25.	उत्तरांचल	17.73%	2.69%
26.	उत्तर प्रदेश	14.25%	2.14%
27.	पश्चिम बंगाल	14.86%	0.52%
28.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	27.27%	18.18%
29.	चंडीगढ़	19.84%	7.39%
30.	दादरा व नागर हवेली	28.57%	7.14%
31.	दमन व दीव	10.41%	0.92%
32.	दिल्ली	21.43%	7.14%

1	2	3	4
33.	लक्षद्वीप	3.16%	0.29%
34.	पांडिचेरी	10.53%	2.63%
35.	अखिल भारत*	18.88%	5.44%

*टिप्पणी: झारखंड राज्य में जनगणना आयोजित नहीं की गई थी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड

252. **श्री सुग्रीव सिंह:**

श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

श्री किसनभाई वी. पटेल:

श्री वसुदेव आचार्य:

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के असंगठित/निजी क्षेत्र के कामगारों के लिए उपयुक्त कल्याण योजनाएं बनाने के लिए एक राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ग) इससे असंगठित क्षेत्र के कितने कामगारों को लाभ मिलने की संभावना है; और

(घ) उक्त सामाजिक सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन के लिए किन-किन जिलों की पहचान की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (घ) असंगठित क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, और असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा स्कीम बनाने की प्रक्रियाएं सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं और विधेयक को संसद के वर्तमान सत्र में प्रस्तुत किए जाने हेतु सभी प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। स्कीम की रूपरेखाओं और उसकी कवरेज की जांच की जा रही है।

स्वच्छ पेयजल

253. **श्री गुरूदास दासगुप्त:**

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में हजारों ऐसी बस्तियों की पहचान की गई है जिन्हें आयरन, आर्सेनिक, फ्लूराइड, नाइट्रेटस, सल्फेट्स और अन्य साल्ट्स जैसे रसायनों से युक्त संदूषित जल मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी बस्तियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन बस्तियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार देश के अधिकांश भागों में भूजल कुल मिलाकर पीने योग्य है। तथापि, कुछ क्षेत्रों में भूजल की गुणवत्ता खराब है जो मुख्यतः भूजल की उपस्थिति वाली चट्टानों, खादों का अत्यधिक उपयोग, औद्योगिक एवं घरेलू बहिस्राव, खनन अपशिष्टों लवणीय जल अन्तर्गमन आदि से संदूषित होता है। केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने अपने भूजल के संदूषण के सर्वेक्षण तथा अध्ययन के दौरान यह व्यक्त किया कि आर्सेनिक एवं फ्लोराईड मुख्य जिओजैनिक संदूषक हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से उपलब्ध सूचना के अनुसार कुछ राज्यों के वे जिले जहां भूजल संदूषित पाया जाता है, के नाम तथा इसके कारण विवरण में संलग्न हैं।

(ग) 'जल' राज्य का विषय होने के कारण, यह राज्य सरकारों का मुख्य दायित्व है कि वे भूजल प्रदूषण को रोकने के उपाय करें। तथापि, केन्द्र सरकार ने भी भूजल

प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

(i) केन्द्रीय भूजल बोर्ड आर्सेनिक-प्रभावित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुएं खुदवा रहा है तथा इन क्षेत्रों में पेय जल के स्रोत को स्वच्छ करने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह इन क्षेत्रों में जल जागरूकता कार्यक्रम तथा प्रबंध प्रशिक्षण कार्यक्रम संचारित भी करता है तथा भूजल में आर्सेनिक की उत्पत्ति तथा फैलाव को समझने तथा दीर्घकालिक सुधारात्मक उपाय अपनाने के लिए अनुसंधान करता है।

(ii) केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय (पेय जल आपूर्ति विभाग) राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन के तहत राज्यों को केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम "त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम" में निर्धारित मानकों के अनुसार ग्रामीण लोगों को स्वच्छ पेय जल मुहैया कराने के लिए वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करता है। जल की गुणवत्ता की समस्या के निपटान के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत फरवरी, 2006 में उप मिशन दिशानिर्देशों में संशोधन किए गए है जिसमें त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की 20 प्रतिशत निधि को केन्द्र के पास सुरक्षित रखा गया है तथा राज्यों को आवश्यकता के आधार पर दिया गया।

(iii) देश के सम्पूर्ण शहरी जनसमुदाय को स्वच्छ पेय जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने दो नए कार्यक्रम अर्थात जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन तथा लघु एवं मध्यम शहरों में शहरी अवसंरचना विकास स्कीम आरंभ की गई हैं जिसमें देश के 5161 शहरों को अवसंरचनात्मक सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। परियोजना में भारत के प्रत्येक नागरिक को 7 वर्ष की समय सीमा में स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने की योजना है।

(iv) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के द्वारा कई उपाय किए हैं जैसे उद्योगों को बहिस्राव कम करने के लिए निर्देश जारी करना, निर्धारित मानकों के अनुसार लघु उद्योगों की इकाईयों के समूह को साझा बहिस्राव उपचार संयंत्र लगाने के लिए सहायता उपलब्ध कराने तथा स्कीम के क्रियान्वयन हेतु गम्भीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों में जल की गुणवत्ता की मानीटरिंग करने की स्कीमें शुरू की गई हैं।

विवरण

विभिन्न संदूषकों के कारण जिलों के कुछ क्षेत्रों में भूजल के संदूषण का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	आयरन	फ्लोराईड	नाइट्रेट	आर्सनिक
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	–	प्रकाशम, नेलौर, अनंतपुर, नालगोंडा, रंगारेड्डी, अदीलाबाद	विशाखापटनम, पूर्वी गोदावरी, कृष्णा प्रकासम, नेलोर, चित्तूर, अनंतपुर, कुडप्पा, करनूल, मेहबूब नगर, रंगारेड्डी, मेडक, अदीलाबाद, नालगोंडा, खम्माम	
2.	असम	ब्रह्मपुत्र का उत्तरी किनारा	–	–	धामाजी, करीमगंज
3.	बिहार	चम्पारण, मुजफ्फरपुर, गया, मुंगेर, देवघर, मधुबनी, पटना, पलामू, नालंदा, बांका	गिरीडीह, जमुई, धनबाद	पलामू, गया, पटना, नालंदा, नवादा, भागलपुर, साहेबगंज, बांका	भोजपुर, पश्चिमी चम्पारण, पूर्वा, चम्पारण, सीतामाही, सुपाउल, अररिया, किशनगंज, पुर्णिया, कटिहार, पटना, भोजपुर, बकसर, सारन (छपरा) वैशाली, मधुबनी
4.	छत्तीसगढ	–	–	–	राजनंदगांव, दुर्ग
5.	गुजरात	–	कच्छ, सुरेन्द्र नगर, राजकोट, अहमदाबाद, मेहसाना, बनासकांठा, साबरकांठा, पंचमहल, खेडा	–	–
6.	हरियाणा	–	रोहतक, जिन्द, हिसार, भिवानी, महेन्द्रगढ, फरीदाबाद	अम्बाला, सोनीपत, जिन्द, गुड़गांव, फरीदाबाद, हिसार, सिरसा, करनाल, कुरूक्षेत्र, रोहतक, भिवानी, महेन्द्रगढ	–

7. हिमाचल प्रदेश	–	–	कुल्लू, सोलन, ऊना	–
8. कर्नाटक	–	तुमकुर, कोलार, बंगलौर, गुलबरगा, बेलारी, रायचूर,	–	–
9. केरल	–	पालघाट	–	–
10. झारखंड	–	–	–	साहिबगंज
11. मध्य प्रदेश	–	भिन्ड मौरेना, गुणा, झबुआ, छिन्दवाड़ा, सेवनी, मंडला, रायपुर, विदिशा	सिहोर	–
12. महाराष्ट्र	–	भंडारा, चन्द्रपुर, नानदेड़, औरंगाबाद	थाणे, जालना, भिड़, नागदेड़ लातुर, असमानाबाद, शोलापुर, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, धुले, जलगांव, औरंगाबाद, अहमदनगर, पुणे, बुलधाना, अमरावती, अकोला, नागपुर, वर्धा, भंडारा, चन्द्रपुर, गडचिरोली	–
13. उड़ीसा	तटीय उड़ीसा के भाग	बोलनगीर	–	–
14. पंजाब	–	लुधियाना, फरीदकोट, भटिंडा, संगरूर, जालन्धर, अमृतसर	पटियाला, फरीदकोट, फिरोजपुर, संगरूर, भटिंडा	–
15. राजस्थान	बीकानेर, अलवर, डुंगरपुर	बारमेड़, बीकानेर, गंगा नगर, जालोर, नागौर, पाली, सिरोही	जयपुर, चुरू, गंगा नगर, बीकानेर, जालौर, बारमेड, बुन्दी, सवाई माधोपुर	–
16. तमिलनाडु	–	धर्मपुरी, सलेमउत्तर, आरकोट-अम्बेडकर, विल्लीपुरम, पदयातधि, मुथुरामालिंगम, त्रिरूचिरा-पल्ली, पुडुकुटेई	कोयम्बटूर, पेरीयार, सलेम	–

1	2	3	4	5	6
17.	त्रिपुरा	धर्मनगर, कोलिशहर, खोवई, अम्बाशा, अम्मापुर और अगरतला घाटी के भाग	–	–	–
18.	उत्तर प्रदेश	–	बुलंदशहर, अलीगढ, आगरा, उनाव, रायबरेली	ओरई, झांसी, ललीतपुर, फैजाबाद, सुल्तानपुर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया	पिलीभीत, लखीमपुर बहराइच, स्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बलिया, उनाव, लखनऊ
19.	पश्चिम बंगाल	मिदनापुर, हावड़ा, हुगली, बांकुरा	बीरभूम	उत्तर दिनाजपुर, मालदा, बीरभूम, नाडिया, मिदनापुर, हावड़ा, मुरशीदाबाद, पुरूलिया	कोलकाता, मालदा, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, नाडिया, हुगली, मुर्शीदाबाद, बर्दमान, हावड़ा
20.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	–	–	शाहदरा और महरौली ब्लॉक	–

कृषि अनुसंधान संस्थानों में प्रयोग

254. श्री जोवाकिम बखला: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि अनुसंधान संस्थानों में किए गए सफल प्रयोगों के लाभों को सबसे निचले स्तर तक के किसानों तक पहुंचाए जाने को सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य में इस संबंध में औसतन कितना वार्षिक व्यय किया जा रहा है; और

(ग) कृषि उत्पादों हेतु नवीनतम अनुसंधान निष्कर्षों का किन-किन क्षेत्रों में उपयोग किया गया है और ऐसी फसलों के राज्य-वार नाम क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) ग्रास-रूट स्तर के किसानों तक पहुंचने के लिए मुख्य विस्तार प्रणाली राज्य सरकारों द्वारा संचालित की जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) ने देशभर में कृषि विज्ञान केन्द्रों (के.वी.के.) का एक नेटवर्क बनाया है जिसका उद्देश्य किसानों के लिए राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणालियों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी/उत्पादों का मूल्यांकन, परिष्करण और प्रदर्शन करना है।

(ख) वर्ष 2006-07 के अंत तक स्वीकृत कृषि विज्ञान केन्द्रों की कुल संख्या 551 थी। दसवीं योजना (2002-03 से 2006-07) के दौरान औसतन वार्षिक खर्च 164.97/- करोड़ रुपये था। राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) फसल उत्पादन और संरक्षण दोनों से जुड़े अनुसंधान निष्कर्षों जिसमें शामिल है सुधरी किस्में, कृषि क्रियाएं, कीट और रोग प्रबंध, औजार और उपकरण का उपयोग फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। राज्य-वार महत्वपूर्ण फसलों की सूची विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

पिछले 5 वर्षों (2002-03 से 2006-07) के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिए जारी की गई औसतन वार्षिक निधियों का विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित	के.वि.के. की संख्या	औसतन वार्षिक जारी निधियां (रुपये लाख में)
1	2	3	4
1.	अण्डमान एवं निकोबार	1	41.14
2.	आन्ध्र प्रदेश	22	766.02
3.	अरुणाचल प्रदेश	12	78.17
4.	असम	20	433.04
5.	बिहार	37	832.71
6.	छत्तीसगढ़	11	270.35
7.	दिल्ली	1	17.52
8.	गोवा	2	50.84

1	2	3	4
9.	गुजरात	23	553.80
10.	हरियाणा	18	618.46
11.	हिमाचल प्रदेश	12	584.86
12.	जम्मू-कश्मीर	14	412.92
13.	झारखण्ड	21	625.64
14.	कर्नाटक	26	733.20
15.	केरल	14	441.81
16.	लक्षद्वीप	1	23.17
17.	मध्य प्रदेश	46	1120.48
18.	महाराष्ट्र	33	1172.64
19.	मणिपुर	8	209.02
20.	मेघालय	5	96.87
21.	मिजोरम	8	291.37
22.	नागालैण्ड	8	136.37
23.	उड़ीसा	29	784.09
24.	पांडिचेरी	2	75.17
25.	पंजाब	17	523.01
26.	राजस्थान	32	1257.24
27.	सिक्किम	4	47.31
28.	तमिलनाडु	29	934.02
29.	त्रिपुरा	4	68.76
30.	उत्तर प्रदेश	61	2237.76
31.	उत्तराखण्ड	13	510.71
32.	पश्चिम बंगाल	17	549.24
	कुल	551	16497.71

विवरण-II

महत्वपूर्ण फसलों की राज्य-वार सूची

राज्य	खाद्य फसलें	गैर-खाद्य फसलें	बागबानी एवं रोपण फसलें
1	2	3	4
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	चावल	–	फल और रोपण फसलें
आन्ध्र प्रदेश	चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, दालें और गन्ना	तिहलन और रेशा फसलें	फल, मसाले, सब्जियां और फूल
अरुणाचल प्रदेश	चावल, मक्का और दालें	तिलहन	फल और सब्जियां
असम	चावल, गेहूं और दालें	तिलहन और रेशा फसलें	फल, सब्जियां और मसाले
बिहार	चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना और दालें	तिलहन, चारा और हरी खाद फसलें	फल, सब्जियां, मसाले और कंदीय फसलें
छत्तीसगढ़	चावल, मक्का, गेहूं और दालें	तिलहन	सब्जियां और मसाले
दिल्ली	गेहं और दालें	तिहलन	सब्जियां और मसाले
गोवा	चावल	तिलहन	फल
गुजरात	चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, गन्ना और दालें	कपास और तिलहन	फल, सब्जियां और मसाले
हरियाणा	गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, दालें और गन्ना	कपास और तिलहन	फल, सब्जियां और आलू
हिमाचल प्रदेश	गेहूं, चावल, मक्का और दालें	तिलहन	फल, सब्जियां, आलू मसाले और औषधीय पौधे
जम्मू-कश्मीर	गेहूं, जौ, मक्का और दालें	तिलहन	फल, सब्जियां और आलू

1	2	3	4
झारखण्ड	चावल, गेहूं, मक्का और दालें	तिलहन	फल, सब्जियां, आलू और कंदीय फसलें
कर्नाटक	ज्वार, मक्का, चावल, गेहूं, बाजरा, दालें और गन्ना	कपास, तिलहन और चारा फसलें	फल, सब्जियां मसाले और फूल
केरल	चावल	-	फल मसाले और रोपण फसलें
लक्षद्वीप	-	-	नारियल और सब्जी फसलें
मध्य प्रदेश	चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, गन्ना और दालें	तिलहन और कपास	फल, आलू, मसाले सब्जियां और फूल
महाराष्ट्र	बाजरा, चावल, मक्का, गेहूं, ज्वार, बाजरा और दालें	तिलहन, कपास और हरी खाद फसलें	फल, सब्जियां, फूल, मसाले और औषधीय फसलें
मणिपुर	चावल, गेहूं और दालें	तिलहन	सब्जियां और फल
मेघालय	चावल, मक्का और दालें	तिलहन	सब्जियां, मसाले और फल
मिजोरम	चावल, मक्का और दालें	तिलहन	सब्जियां, मसाले और फल
नागालैंड	चावल, शीतकालीन मक्का और दालें	तिलहन	आलू, सब्जियां, मसाले और फल
उड़ीसा	चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा और दालें	तिलहन और रेशा फसलें	फल, आलू, सब्जियां और कंदीय फसलें
पांडिचेरी	चावल, मक्का, ज्वार बाजरा और दालें	तिलहन और कपास	फल, मसाले, सब्जियां और फूल
पंजाब	गेहूं, चावल, मक्का, जौ, दालें और गन्ना	तिलहन और कपास	फल और सब्जियां
राजस्थान	बाजरा, मक्का, गेहूं, जौ, ज्वार और दालें	कपास, तिलहन और चारा फसलें	फल, मसाले, सब्जियां और औषधीय पौधे
सिक्किम	मक्का और दालें	तिलहन	आलू, मसाले, सब्जियां और फल

तमिलनाडु	चावल, बाजरा, मक्का, बाजरा और गन्ना	कपास और तिलहन	फल, सब्जियां और मसाले
त्रिपुरा	चावल और दालें	तिलहन	सब्जियां
उत्तर प्रदेश	चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार और दालें	तिलहन और सनहेम्प	सब्जियां
उत्तराखण्ड	चावल, गेहूं, मक्का और बाजरा	तिलहन	आलू, सब्जी और फल
पश्चिम बंगाल	चावल, मक्का, गेहूं, दालें और गन्ना	रेशा फसलें, तिलहन और हरी खाद्य फसलें	आलू, फल, सब्जियां और फूल

फसल बीमा योजना

255. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस सरकार का विचार उच्च जोखिम वाली फसलों को फसल बीमा हेतु प्रीमियम पर मिलने वाली राजसहायता को प्रदान नहीं करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे परिवर्तनों द्वारा कृषि क्षेत्र में अवरूद्ध हो रहे विकास को किस प्रकार रोके जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

जलाशयों के भर जाने के कारण बाढ़ आना

256. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग की नवीनतम रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अत्यधिक पानी से जलाशयों के भर जाने के कारण हाल ही आई बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी बाढ़ की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) जलाशयों को भरने से रोकने हेतु समय पर पानी छोड़ने के लिए संबद्ध राज्यों को एकजुट करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, नहीं। अत्यधिक पानी से जलाशयों के भर जाने की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मोबाइल नेटवर्क में दिक्कत

257. श्री जी.एम. सिद्धेश्वर:
श्री चंद्रकांत खैरे:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ट्राई ने जून, 2007 को सरकारी/निजी मोबाइल सेवा प्रदाताओं के इंटरसेक्शन प्वाइंट पर कॉल कंजेशन के कारण खराब होती सेवा और कॉलों की अत्यधिक संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और ऐसे में इस स्थिति में सुधार करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ट्राई की चेतावनी के बाद स्थिति में सुधार हुआ है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने की संभावना है;

(च) क्या उपभोक्ताओं के इस प्रकार के शोषण के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) गत तीन वर्षों के दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड/महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और निजी आपरेटरों के उपभोक्ताओं की संख्या का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है; और

(झ) उपभोक्ताओं की संख्या में कमी के क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 18-06-2007 को जनवरी-मार्च, 2007 की अवधि की अंतर्संयोजन संकुलन बिन्दु संबंधी रिपोर्ट को जारी करते हुए सेवा प्रदाताओं के बीच अंतर्संयोजन संकुलन बिन्दु के बारे में चिंता जाहिर की थी।

(ख) जनवरी-मार्च, 2007 की अवधि की अंतर्संयोजन संकुलन बिन्दु रिपोर्ट के विश्लेषण में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी स्पष्ट किया गया है कि:

- निजी सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाता (सी.एम.एस.पी.) से भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) तक के अंतर्संयोजन बिन्दु के संदर्भ में, संकुलन वाली अंतर्संयोजन बिन्दुओं की संख्या दिसंबर, 2006 में 300 थी जो मार्च, 2007 में बढ़कर 337 हो गई।

- इसी अवधि के दौरान, निजी सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं के बीच अंतर्संयोजन संकुलन बिन्दुओं की संख्या दिसंबर, 2006 की 89 की तुलना में बढ़कर मार्च, 2007 में 162 हो गई।
- अंतर्संयोजन संकुलन बिन्दु की वजह से मुख्यतः प्रभावित सेवा क्षेत्र बिहार, असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक, कोलकाता, महाराष्ट्र तमिलनाडु और जम्मू एवं कश्मीर हैं।

(ग) ट्राई ने जून, 2007 में सेवा प्रदाताओं को अंतर्संयोजन संकुलन रिपोर्ट के संबंध में कोई चेतावनी नहीं दी है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उत्पन्न होता।

(ङ) सरकार मोबाइल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से अंतर्संयोजन संबंधी प्रावधान को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.)/ महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) तथा निजी मोबाइल सेवा प्रदाताओं के साथ आवधिक बैठकें आयोजित कर रही हैं।

(च) और (छ) ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 29 (ट्राई के निदेश के उल्लंघन हेतु शास्ति) के अनुसार, किसी व्यक्ति द्वारा ट्राई के निदेश का उल्लंघन किए जाने पर ऐसे व्यक्ति से ट्राई अधिनियम, 1997 के प्रावधानों के तहत दंड के रूप में जुर्माना लिया जाएगा। ट्राई ने दिनांक 7 जून, 2005 को सभी सेवा प्रदाताओं को विदेश जारी किया कि वे अंतर्संयोजन की सुविधा प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति द्वारा उपयुक्त भुगतान किए जाने के 90 दिनों की अवधि के भीतर उसके अनुरोध पर उसे अंतर्संयोजन की सुविधा प्रदान करें। बी.एस.एन.एल. ने इस निदेश के विरुद्ध टी.डी.एस.ए.टी. में अपील की थी। यह मामला टी.डी.एस.ए.टी. के पास लंबित और न्यायाधीन है।

(ज) और (झ) गत तीन वर्षों के दौरान, बी.एस.एन.एल. एम.टी.एन.एल. एवं निजी प्रचालकों के उपभोक्ताओं की कुल संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है, जिससे यह पता चलता है कि बी.एस.एन.एल., एम.टी.एन.एल. एवं निजी प्रचालकों की उपभोक्ताओं की संख्या में गत तीन वर्षों के दौरान वृद्धि हुई है।

समाप्त होने वाला वर्ष	31-03-2005 की स्थिति के अनुसार	31-03-2006 की स्थिति के अनुसार	31-03-2007 की स्थिति के अनुसार
बी.एस.एन.एल.	46934950	55159175	64723525
एम.टी.एन.एल.	5153483	5924428	6666972
निजी प्रचालक	46284752	81008426	135436613
कुल	98373185	142092029	206827110

उद्यमिता प्रशिक्षण

258. श्री के.एस. राव:

श्री के.सी. पल्लानी शामी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा लघु उद्यमों को चलाने और सफल बनाने हेतु युवाओं विशेषकर युवा महिलाओं, अनुसूचित जातियों/जनजातियों के युवाओं को उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है/ शुरू किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कार्यक्रम को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रशिक्षणाधीन युवाओं को कोई वजीफा प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त योजना पर होने वाले समस्त व्यय को केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो व्यय को किस प्रकार वहन किए जाने का प्रस्ताव है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने क्षेत्रीय संस्थानों के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ई.डी.पी.) तथा उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम (ई.एस.डी.पी.) में 22.5 प्रतिशत आरक्षण रखकर तथा उन्हें प्रति माह प्रति उम्मीदवार 500/- रु. की छात्रवृत्ति भी प्रदान करके प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किए हैं। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय ने यह भी निर्णय लिया है कि कार्यक्रम के 22.5 प्रतिशत आरक्षण के अतिरिक्त सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को भी किसी शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।

(ङ) और (च) जी, हां। वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए मंत्रालय हेतु वार्षिक योजना आबंटन से इस उद्देश्य के लिए एम.एस.एम.ई. मंत्रालय के क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा अनुसूचित जाति उप योजना 4 जनजाति उप योजना के तहत कुल 99.30 लाख रु. की राशि का उपयोग किया जाएगा।

(छ) प्रश्न नहीं उठता है।

फार्मर्स क्लब की स्थापना

259. श्री अनवर हुसैन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने फार्मर्स क्लब/स्वयं सहायता समूहों की स्थापना करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना को अन्य राज्यों विशेषकर असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में लागू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। नाबार्ड द्वारा 5 नवम्बर, 1982 को किसान क्लब कार्यक्रम आरम्भ किया था और देश के सभी राज्यों में प्रभावी है। 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार समस्त देश में 22949 किसान क्लब कार्य कर रहे हैं। 1992-93 में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) बैंक संपर्क कार्यक्रम आरम्भ किया था। 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार 29.24 लाख एस.एच.जी. को बैंकों के साथ ऋण लिंक्ड किया गया है।

(ग) और (घ) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में आसाम सहित सभी सात राज्यों में किसान क्लब और एस.एच.जी. बैंक लिंकेज कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 449 किसान क्लब और 91954 एस.एच.जी. ऋण लिंक्ड थे, जिसमें से 287 किसान क्लब और 81,454 एस.एच.जी. आसाम में हैं।

गेहूं के आयात पर प्रतिबंध

260. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री चन्द्रभूषण सिंह:
श्री उदय सिंह:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गेहूं उगाने वाले राज्यों के किसानों और अन्य आम व्यक्तियों ने किसानों और देश की खाद्य संबंधी आत्मनिर्भरता पर गेहूं आयात के प्रतिकूल प्रभाव के मद्देनजर सरकार से गेहूं आयात करने के अपने निर्णय को वापस लेने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में किसानों और खाद्य सुरक्षा की स्थिति में सुधार करने हेतु अधिक मूल्य प्रदान करने के लिए खरीद नीति में आमूल-चूल परिवर्तन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी हां। वर्ष 2007-08 में गेहूं का आयात करने के निर्णय पर पुनः विचार करने का अनुरोध करते हुए किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ संगठनों और कुछ जन प्रतिनिधियों से सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार द्वारा रबी विपणन मौसम के दौरान कदम उठाए गए हैं और गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा कर 750/- रु. प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जो रबी विपणन मौसम 2006-07 में निर्धारित उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य से 100/- रु. प्रति क्विंटल अधिक है। इसके अलावा किसानों के लाभ के साथ-साथ केन्द्रीय पूल के लिए गेहूं की वसूली बढ़ाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर 100/- रु. प्रति क्विंटल का प्रोत्साहन बोनस भी दिया गया है।

(ग) और (घ) खाद्यान्नों की वसूली के लिए सरकार के पास पहले से ही एक सुपरिभाषित वसूली नीति है जिसके तहत निर्धारित केन्द्रों पर बिक्री के लिए पेशकश किए गए निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप सभी खाद्यान्नों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद लिया जाता है।

केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का उन्नयन

261. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (सी.आर.आर.आई.) का उन्नयन करके इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संस्थान बना रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संस्थान में उपलब्ध अनुसंधान सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान उच्च गुणवत्ता वाली धान की कितनी नई किस्मों को विकसित किया गया; और

(ङ) सी.आर.आर.आई. द्वारा अपने परिसर के बाहर अनुसंधान कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपने अनुसंधान संस्थानों के सुदृढीकरण पर ध्यान देती है। XIवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक का जरूरत आधारित सुदृढीकरण अपेक्षित है।

(ग) और (घ) संस्थान ने अग्रत क्षेत्रों जैसे आण्विक जीव-विज्ञान, जैव-प्रौद्योगिकी, वायुजीवी चावल अनुसंधान आदि में अनुसंधान कार्य करने के लिए अनुसंधान प्रयोगशालाओं तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया है।

इस संस्थान द्वारा विभिन्न पारिस्थितिकीय प्रणालियों के लिए चावल की कुल 67 किस्मों को विकसित किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विकसित की गई नौ नई उच्च पैदावार देने वाली किस्मों के नाम हैं: ऊपराऊं पारिस्थितिकी के लिए 'वीरेन्द्र' और 'अभिषेक', सिंचित पारिस्थितिकी के लिए 'नवीन', मध्यम गहरा जल पारिस्थितिकी के लिए 'वर्षा धान', 'अजय' और 'राजलक्ष्मी' (संकरी किस्म), 'गीतांजलि' और 'केटीकीजोहा' (संगधीय चावल) और बोरो स्थितियों के लिए 'चन्द्रमा'।

(ङ) केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा लवणता, ऊपजाऊं भूमि अनुसंधान, लौह विष्याक्तता, जिंक कमी पर खेत अनुसंधान किया गया और अपने परिसर से बाहर अर्थात संथापुर (कटक), धेनकनाल, इरासामा (जगतसिंहपुर), पुरी, बालासौर, भद्रराक आदि में विभिन्न पहलुओं पर अग्रपंक्ति प्रदर्शन किए गए।

इसके अलावा संस्थान के दो उपकेन्द्र हैं जिनके नाम हैं; हजारीबाग स्थित केन्द्रीय बारानी ऊपराऊं भूमि चावल अनुसंधान केन्द्र तथा गेरूआ स्थित क्षेत्रीय बारानी तलाऊं चावल अनुसंधान केन्द्र। केन्द्र क्रमशः ऊपराऊं भूमि अनुसंधान तथा बाढ़-प्रवृत्त अनुसंधान कार्यों में लगे हुए हैं।

इसके अलावा दो कृषि विज्ञान केन्द्र नामतः कृषि विज्ञान केन्द्र संथापुर (कटक), उड़ीसा तथा कृषि विज्ञान केन्द्र (कोदरमा), हजारीबाग संबंधित जिलों में अग्रपंक्ति प्रदर्शनों, खेत परीक्षणों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में कार्यरत हैं।

गहन डेयरी विकास कार्यक्रम

262. **श्री असादुद्दीन ओवेसी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गहन डेयरी विकास कार्यक्रम (आई.डी.डी.पी.) के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ख) आई.डी.डी.पी. के अंतर्गत धनराशि प्रदान करने का आधार क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आई.डी.डी.पी. के अंतर्ग्रस्त राज्य-वार कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गई और इनमें कितनी धनराशि अंतर्गत है;

(घ) क्या सरकार ने आई.डी.डी.पी. के अंतर्गत देश में चलाई गई परियोजनाओं के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) उक्त अवधि के दौरान जिला दुग्ध सहकारी संघों को कितनी धनराशि जारी की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है:-

- दुधारू गोपशु का विकास
- तकनीकी आदान सेवाएं प्रदान करके दुग्ध उत्पादन में वृद्धि
- दूध की अधिप्राप्ति, प्रसंस्करण एवं विपणन के लिए अंतःसंरचना का सृजन
- दुग्ध उत्पादकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना
- अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सृजन करना
- अपेक्षाकृत अलाभप्रद क्षेत्रों में लोगों की सामाजिक, पौषणिक एवं आर्थिक दशा में सुधार लाना।

(ख) ऐसे जिले जिन्हें "आपरेशन फ्लड" के तहत कोई सहायता नहीं दी गई अथवा 50.00 लाख रुपए से कम राशि की सहायता दी गई, इस योजना के तहत सहायता के पात्र हैं जो परियोजना की व्यवहार्यता पर निर्भर करेगा।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान आई.डी.डी.पी. के तहत 182.55 करोड़ रुपए की लागत से कुल 33 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। राज्यवार अनुमोदित परियोजनाओं के साथ-साथ उनके परिव्यय का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(घ) योजना जिसे पहले "एकीकृत डेयरी विकास परियोजना" के रूप में नामित किया गया था, के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन कक्ष तथा मानव विकास संस्थान, दिल्ली द्वारा किया गया था।

(ङ) इन अध्ययनों की सिफारिशों के आधार पर, मार्च, 2005 के दौरान, योजना को पुनःगठित किया गया है तथा इसे "सघन डेयरी विकास कार्यक्रम" के रूप में पुनःनामित किया गया था। संशोधित योजना में, यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं कि परियोजनाएं व्यवहार्य और सतत हैं तथा निधियों की उपयोगिता तीव्र है:-

(i) इस योजना के तहत परियोजनाओं का क्रियान्वयन राज्य दुग्ध परिसंघ/जिला दुग्ध संघ द्वारा उनके संसाधनों तथा व्यावसायिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर किया जाना है।

(ii) निधियों के प्रवाह में विलम्ब को दूर करने के लिए राज्य सरकार के बदले क्रियान्वयन एजेंसी अर्थात् राज्य डेयरी परिसंघ/जिला दुग्ध संघ को निधियां सीधे जारी की जानी है।

(iii) वृहत क्षेत्र को शामिल करने के लिए योजना को उन जिलों में भी क्रियान्वित किया जाना है जहां आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के तहत 50.00 लाख रुपए से कम राशि दी गई थी। पहले, योजना का क्रियान्वयन मात्र गैर-आपरेशन फ्लड वाले जिलों में किया गया था।

(iv) अधिकतम परियोजना लागत प्रति जिला 3.00 करोड़ रुपए होगी।

(च) अप्रैल, 2005 से मार्च, 2007 तक जिला दुग्ध संघों को सीधे 1887.51 लाख रुपए की राशि जारी की गई है।

विवरण

विगत तीन वर्षों (2004-05 से 2006-07) तक के दौरान "सघन डेयरी विकास कार्यक्रम" के तहत अनुमोदित परियोजना

क्र.सं.	राज्य का नाम	विगत तीन वर्षों (2004-05 से 2006-07) तक के दौरान सन्निहित लागत			कुल स्वीकृत लागत
		2004-05	2005-06	2006-07	
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश - (परियोजना-III)			554.98	554.98
2.	आन्ध्र प्रदेश - (आत्महत्या प्रभावित क्षेत्र)			636.00	636.00
3.	असम - (परियोजना-II)	588.35			588.35
4.	झारखण्ड - (परियोजना-II)		294.29		294.29
5.	हरियाणा - (परियोजना-II)		1453.83		1453.83
6.	हरियाणा - (परियोजना-III)			823.22	823.22
7.	हरियाणा - (परियोजना-IV)			287.38	287.38
8.	हिमाचल प्रदेश - (परियोजना-II)	899.12			899.12
9.	केरल - (परियोजना-I)	288.15			288.15
10.	केरल - (परियोजना-II)		287.07		287.07
11.	केरल - (परियोजना-III)		1390.48		1390.48
12.	केरल - (आत्महत्या संभावित क्षेत्र)			132.00	132.00
13.	कर्नाटक (आत्महत्या संभावित क्षेत्र)			216.00	216.00
14.	मध्य प्रदेश - (परियोजना-V)			228.89	228.89
15.	मध्य प्रदेश - (परियोजना-VI)			420.58	420.58
16.	मध्य प्रदेश - (परियोजना-VII)			4122.09	1422.09
17.	महाराष्ट्र - (परियोजना-III)			1000.30	1000.30
18.	महाराष्ट्र - (आत्महत्या संभावित क्षेत्र			216.00	216.00

1	2	3	4	5	6
19.	मणिपुर - (परियोजना-II)			1023.23	1023.23
20.	मिजोरम - (परियोजना-IV)	254.98			254.98
21.	मिजोरम - (परियोजना-V)			264.34	264.34
22.	नागालैंड - (परियोजना-III)	597.30			597.30
23.	उड़ीसा - (परियोजना-V)		556.16		556.16
24.	उड़ीसा - (परियोजना-VI)		563.97		563.97
25.	राजस्थान - (परियोजना-I)	590.50			590.50
26.	राजस्थान - (परियोजना-II)		290.00		290.00
27.	राजस्थान - (परियोजना-III)		864.10		864.10
28.	तमिलनाडु - (परियोजना-I)	312.15			312.15
29.	तमिलनाडु - (परियोजना-II)			554.06	554.06
30.	तमिलनाडु - (परियोजना-III)			291.77	291.77
31.	त्रिपुरा - (परियोजना-III)			295.14	295.14
32.	उत्तरांचल - (परियोजना-II)	532.75			532.75
33.	पश्चिम बंगाल - (परियोजना-III)	126.04			126.04
	कुल	4189.34	5699.90	8365.98	18255.22

[हिन्दी]

समेकित भेड़ एवं ऊन विकास

263. श्री महावीर भगोरा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान समेकित भेड़ एवं ऊन विकास परियोजना के लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस परियोजना के अंतर्गत कितनी धनराशि जारी की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगा।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का विस्तार

264. श्री जुएल ओराम:

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

श्री नवीन जिन्दल:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन.सी.एल.पी.) के

क्रियान्वयन के लिए जिलों के चयन हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किये गए हैं;

(ख) देश में एन.सी.एल.पी. के दायरे में राज्य-वार कितने जिले हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान एन.सी.एल.पी. को उन सभी जिलों में विस्तारित करने का है जहां अभी भी बाल श्रम हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) इससे कितने बाल श्रमिकों के लाभान्वित होने की संभावना है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गयी है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जिलों की पहचान जनगणना आंकड़ों के अनुसार बाल श्रमिकों की सघनता के आधार पर और संबद्ध राज्य सरकार की सिफारिश पर की जाती है।

(ख) कामकाजी बच्चों के पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम देश के 250 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। राज्य-वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) से (ङ) सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी बाल श्रम बहुल जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के विस्तार का प्रस्ताव किया है। इसका उद्देश्य पुनर्वास योजना के तहत बाल श्रम के कवरेज को बढ़ाना है। तथापि ऐसा आवश्यक अनुमोदनों के बाद ही हो सकेगा।

विवरण

क्र. सं.	राज्यों के नाम	जिलों की संख्या	जिलों के नाम
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	23	अनन्तपुर, चित्तूर, कडुपा, पूर्वी गोदावरी, गुन्टूर, हैदराबाद, करीमनगर, कुरनूल, मेडक, नलगोंडा, खम्मम, नेल्लूर, निजामाबाद, प्रकासम, रंगारेड्डी, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, वारंगल, प. गोदावरी, महबूब नगर, आदिलाबाद और कृष्णा।
2.	असम	3	नागांव, कोकराझार और लखीमपुर।
3.	बिहार	24	नालंदा, सहरसा, जमुई, कटिहार, अररिया, गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा, पटना, सुपौल, समस्तीपुरी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, नवादा, खगड़िया, सीतामढ़ी, किशनगंज, बेगूसराय, बांका, सारण, पूर्णिया और भागलपुर।
4.	छत्तीसगढ़	8	दुर्ग, बिलासपुर, राजनंदगांव, सरगुजा, रायगढ़, दंतेवाड़ा, रायपुर और कोरबा।
5.	गुजरात	9	सूर. पंचमहल, भुज, बनास, कंथा, दाहोद, बड़ोदरा, भावनगर, अहमदाबाद और राजकोट।
6.	हरियाणा	3	गुड़गांव, फरीदाबाद और पानीपत।
7.	जम्मू-कश्मीर	3	जम्मू, श्रीनगर और उधमपुर।
8.	झारखंड	9	गढ़वा, साहिबगंज, दुमका, पाकुर, प. सिंहभूम (चाईबासा), गुमला, पलामू, रांची और हजारीबाग।

1	2	3	4
9.	कर्नाटक	17	बीजापुर, रायचुर, धारवाड़, बंगलोर ग्रामीण, बंगलोर शहरी, बेलगाम, कोप्पल, तुमकुर, देवलगिरि, हवेली, मैसूर, बगलकोट, चित्रदुर्ग, गुलबर्गा, बेल्लारी, कोलार और मांड्या।
10.	मध्य प्रदेश	17	मंदसौर, ग्वालियर, उज्जैन, बड़वानी, रीवा, धार, पूर्वी निमाड़ (खंडवा), राजगढ़, छिन्दवाड़ा, शिवपुरी, सीधी, गुना, बेतुल, शाजापुर, रतलाम, पश्चिमी निमाड़ (खरगांव) और झाबुआ।
11.	महाराष्ट्र	13	सोलापुर, थाणे, पुणे, अहमदनगर, सांगली, कोल्हापुर, जलगांव, नंदुरबार, नांदेड, नासिक, यवतमाल, धुले और बीड।
12.	मिजोरम	1	आईजोल
13.	नागालैण्ड	1	दीमापुर
14.	उड़ीसा	18	अंगुल, बारगढ़, बोलनगिर, देवघर, गजपति (उदयगिरि), गंजम, झारसुगुडा, कालाहांडी, कोरापुट, मलकानगिरि, मयूरभंज, नवरंगपुर, नुआगाडा, रायागाडा, सम्बलपुर, सोनपुर, कटक और बालासोर।
15.	पंजाब	3	जालंधर, लुधियाना और अमृतसर।
16.	राजस्थान	23	जयपुर, उदयपुर, टोंक, जोधपुर, अजमेर, अलवर, जालौर, चूरू, नागौर, चित्तूरगढ़, बांसवाड़ा, धौलपुर, सीकर, डुंगरपुर, भरतपुर, बीकानेर, झुंझनू, बूंदी, झालावाड़, पाली, भीलवाड़ा, गंगानगर और बाड़मेर।
17.	तमिलनाडु	13	चिदम्बरनार (तूतीकोरीन), कोयंबटूर, धरमापुरी, वेल्लोर, पुडुकोट्टाई, सलेम, तिरूचिरापल्ली, तिरूनेलवेली, कृष्णागिरि, चेन्नई, एरोडे, दिन्दीगुल और थेनी।
18.	उत्तर प्रदेश	42	वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही, बुलंदशहर, सहारनपुर, आजमगढ़, बिजनौर, गोन्डा, खेरी, बहराईच, बलरामपुर, हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर, फैजाबाद, बदायूं, गोरखपुर, कुशीनगर, कन्नौज, कौशाम्बी, रायबरेली, उन्नाव, सुलतानपुर, फतेहपुर, श्रावस्ती, प्रतापगढ़, बस्ती, सोनभद्र, मऊ, शाहजहांपुर, बांदा, गाजियाबाद, जौनपुर, रामपुर, बरेली, लखनऊ, मेरठ, ईटावा, आगरा, गाजीपुर, मथुरा और एटा।
19.	उत्तरांचल	1	देहरादून
20.	पश्चिम बंगाल	19	बर्द्धवान, उत्तरी दीनाजपुर, दक्षिण दीनाजपुर, उत्तरी चौबीस परगना, दक्षिणी चौबीस परगना, कोलकाता, मुर्शिदाबाद, मिदनापुर, मालदा, बांकुरा, पुरूलिया, बीरभूम, नादिया, हुगली, हावड़ा, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, पूर्वी मिदनापुर और दार्जीलिंग।
	कुल	250	

टिप्पणी: जिलों के नाम में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं क्योंकि राज्य सरकारों को उनसे सर्वे रिपोर्ट मिलनी अभी बाकी है।

[हिन्दी]

लघु उद्यमों की वृद्धि दर

265. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक देश में राज्य-वार लघु उद्यमों की वृद्धि दर का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या लघु उद्योग क्षेत्र ने उक्त अवधि के दौरान वृद्धि दर में कोई गिरावट दर्ज की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और लघु उद्योग क्षेत्र की वांछनीय वृद्धि दर की प्राप्ति के लिए क्या योजना तैयार की गई है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान देश में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की अनुमानित वृद्धि दर क्रमशः 9.64 प्रतिशत, 10.88 प्रतिशत तथा 12.32 प्रतिशत थी। चूंकि सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सम्बन्धी डाटा की उपलब्धता में छह से नौ महीनों का अन्तर है अतः वर्ष 2006-07 के लिए लघु उद्यमों की अनुमानित वृद्धि दर अब तक उपलब्ध नहीं है। वृद्धि दर के राज्य-वार ब्यौरे का केन्द्रीय तौर पर अनुरक्षण नहीं किया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

खाद्य कूपन

266. श्री किन्जरपु येरननायडु:
श्री नवीन जिन्दल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कुछ राज्यों में खाद्य कूपन आरम्भ किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उक्त योजना को आरम्भ करने की वजह से सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस योजना का विस्तार सभी राज्यों तक करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शेष राज्यों तक इसको कब तक विस्तारित किये जाने की संभावना है;

(छ) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने संबंधी कोई अध्ययन किया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या है और इन पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (च) जी, नहीं। भारत सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में फूड कूपन लागू नहीं किए हैं। तथापि, कुछ राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, जम्मू व कश्मीर और बिहार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में फूड कूपन लागू किए हैं। इस प्रणाली में लाभभोगियों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुएं जारी करते समय उचित दर दुकानों द्वारा काऊंटरफॉयल/कूपन रख लिए जाते हैं। रखे गए काऊंटरफॉयल/कूपन इसके बाद खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग के कार्यालयों में जमा कराए जाते हैं। इसके बाद विभाग के कर्मचारी उचित दर दुकानों से उठान की गई राशन की वस्तुओं की मात्राओं का सत्यापन करते हैं। इससे उचित दर दुकानों के कार्यकरण में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ती है। इस स्कीम की सफलता पर निर्भर करते हुए अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भी इस प्रणाली को लागू करना चाहेंगे। इस पर होने वाला खर्च राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है।

(छ) और (ज) योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन और ओ.आर.जी. मार्ग, नई दिल्ली द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मूल्यांकन किया गया था। मार्च, 2005 और सितम्बर, 2005 में प्राप्त हुई उनकी रिपोर्टों में बताया गया है कि खाद्यान्नों का विपथन/लीकेज हो रहा है, लक्षित लाभभोगियों की पहचान करने में शामिल

करने और शामिल न करने की त्रुटियां हुई हैं और उचित दर दुकानों को चलाना वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं है।

इन त्रुटियों को दूर करने के लिए 2006 के दौरान एक 9 सूत्री कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया था जो राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। 9 सूत्री कार्य योजना की प्रति विवरण में दी गई है।

इसके अलावा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण के संबंध में सूचना का अधिकार, 2005 के प्रावधानों का नागरिकों द्वारा उपयोग किए जाने हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपनाए और क्रियान्वित किए जाने के लिए एक संशोधित नागरिक अधिकार पत्र जारी किया गया है।

विवरण

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए कार्ययोजना

(i) जाली राशन कार्डों को समाप्त करने और गरीबी रेखा से नीचे तथा अंत्योदय के केवल पात्र परिवारों का कवरेज सुनिश्चित करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना की सूचियों की लगातार समीक्षा करना।

(ii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का लीकेज मुक्त और विपथन मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर के कर्मियों द्वारा नियमित निरीक्षण किया जाना, दोषी व्यक्तियों/एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना।

(iii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों में पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करना - सलाहकार समितियों में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि होना, उचित दर दुकानों को पंचायतों द्वारा चलाया जाना और सतर्कता समितियों में पंचायती राज संस्थाओं का प्रभावी प्रतिनिधित्व होना।

(iv) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उचित दर दुकानों द्वारा गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना की सूचियों का प्रदर्शन किया जाना, उचित दर दुकानों द्वारा अधिसूचित समय का पालन किया जाना।

(v) सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का कंप्यूटरीकरण करना, जनता द्वारा समीक्षा किए जाने के लिए वेबसाइट पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का उचित दर दुकान-वार और जिला-वार आवंटन प्रदर्शित करना।

(vi) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की उचित दर दुकानों के द्वार पर सुपुर्दगी करना।

(vii) उचित दर दुकानों द्वारा खाद्यान्नों की समय से उपलब्धता और जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाना।

(viii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों की जटिलताओं के बारे में सतर्कता समितियों को प्रशिक्षण देना।

(ix) उचित दर दुकानों को वित्तीय रूप से व्यवहार्य दुकान बनाना - उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली से इतर वस्तुओं की बिक्री आदि करने की अनुमति देना।

[हिन्दी]

टी.ए.सी. के सदस्यों को टेलीफोन कनेक्शन

267. श्री रामदास आठवले: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों के विभिन्न जिलों में दूरभाष सलाहकार समितियों (टी.ए.सी.) में नामांकित सभी सदस्यों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं। टेलीफोन सलाहकार समिति के कुछ सदस्यों को अभी तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान नहीं किए गए हैं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्यों को टेलीफोन प्रदान करने में विलंब/प्रदान न करने के मुख्य कारण निम्नवत हैं:

(i) टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्यों की स्वीकृति संबंधी सहमति प्राप्त होनी है।

(ii) क्षेत्र का तकनीकी रूप से अव्यवहार्य होना जहां टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा टेलीफोन कनेक्शन अपेक्षित हैं।

(iii) टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्य टेलीफोन के इच्छुक नहीं है।

(iv) सदस्य मोबाइल कनेक्शन चाहते हैं, जिसकी अनुमति नहीं है।

(v) टेलीफोन सलाहकार समिति हाल ही में गठित की गई है, टेलीफोन लगाने का कार्य चल रहा है।

(vi) कतिपय सदस्यों के प्रति देय राशि बकाया है।

[अनुवाद]

सेना हेतु वैकल्पिक दूरसंचार नेटवर्क के लिए बजट

268. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने सेना हेतु वैकल्पिक नेटवर्क बिछाने के लिए स्वीकृत राशि से बजट बढ़ाने से इंकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सैन्य बलों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) सरकार बजटीय सहायता के जरिए रक्षा सेनाओं की वास्तविक एवं औचित्यपूर्ण मांगों को पूरा करने के लिए खिलाफ नहीं है। रक्षा सेनाओं की संक्रियात्मक आवश्यकताओं के मद्देनजर बजटीय सहायता की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है।

बुनियादी फोन कनेक्शनों की वापसी में वृद्धि

269. श्री के.सी. पल्लानी शामी:
चौ. मुनव्वर हसन:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान, आज की तिथि तक एम.टी.एन.एल. और बी.एस.एन.एल. उपभोक्ताओं द्वारा कितने बुनियादी फोन, मोबाइल, ब्राडबैण्ड और इंटरनेट कनेक्शनों की वापसी की गई है;

(ख) बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. को हुई राजस्व हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोनों निगमों द्वारा बाजार में अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए अपनाए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अगस्त, 2007 में उक्त कम्पनियों की वित्तीय स्थिति क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) पिछले दो वर्षों के दौरान एम.टी. एन.एल. और बी.एस.एन.एल. के उपभोक्ताओं द्वारा वापस किए गए लैंडलाइन, मोबाइल, ब्रॉडबैंड तथा इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या निम्नानुसार है:

क्र. सं.	मद	बी.एस.एन.एल.		एम.टी.एन.एल.	
		2005-06 के दौरान वापस किए गए	2006-07 के दौरान वापस किए गए	2005-06 के दौरान वापस किए गए	2006-07 के दौरान वापस किए गए
1	2	3	4	5	6
1.	लैण्डलाइन	38.15	42.63	2.53	2.44

1	2	3	4	5	6
2.	मोबाइल	*	28.40	1.36	2.11
3.	ब्रॉडबैंड	*	*	0.02	0.34
4.	इंटरनेट	*	*	0.05	0.01

*आंकड़े उपलब्ध नहीं।

(ख) टेलीफोनों के वापस किए जाने की प्रमुख समस्या लैण्डलाइन कनेक्शनों की है। टेलीफोनों की वापसी की समस्या का अनुभव सभी दूरसंचार प्रचालकों द्वारा किया जा रहा है। यद्यपि लैण्डलाइन टेलीफोन, मोबाइल, ब्रॉडबैंड तथा इंटरनेट कनेक्शनों को वापस किया जाता है तथापि इन कनेक्शनों में वृद्धि भी होती है जिससे वापस किए जाने के कारण राजस्व में होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति होती है। उपर्युक्त को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि बी.एस.एन.एल. तथा एम.टी.एन.एल. को राजस्व का घाटा हो रहा है।

(ग) बी.एस.एन.एल. तथा एम.टी.एन.एल. द्वारा बाजार में अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए सेवाओं में सुधार हेतु किए गए उपाय विवरण I और II में दिए गए हैं।

(घ) चूंकि बी.एस.एन.एल. एक गैर सूचीबद्ध कंपनी है, इसलिए वित्तीय परिणाम तिमाही आधार पर तैयार नहीं किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए बी.एस.एन.एल. का लाभ 7,806 करोड़ रु. है। एम.टी.एन.एल. ने 30 जून, 2007 को समाप्त होने वाली प्रथम तिमाही में 110 करोड़ रु. का लाभ अर्जित किया है।

विवरण-I

बी.एस.एन.एल. द्वारा अपनी सेवाओं में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदम

क. वायरलाइन सेवा:

- खंभा रहित नेटवर्क का निर्माण।
- भूमिगत पेपर कोर केबल को चरणबद्ध तरीके से जेलीयुक्त केबल द्वारा बदला जाना।
- भूमिगत केबल की लंबाई कम करने के लिए और अधिक टेलीफोन एक्सचेंज/रिमोट स्विच इकाईयां (आर.एस.यू.) खोलना।
- भूमिगत केबल की लम्बाई कम करने के लिए डिजीटल लाइन कन्सेन्ट्रेटर का प्रयोग करना और नई सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- बी.एस.एन.एल. द्वारा सी-डॉट एस.बी.एम. को आर.एस.यू. में और सी-डॉट 256 पोर्ट एक्सचेंजों को ए.एन.आर.ए.एक्स. (एक्सेस नेटवर्क रूरल ऑटोमैटिक एक्सचेंजों) में बदलना।
- एस.डी.सी.सी. (अल्प दूरी प्रभारण केन्द्र) में पूरे अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र के लिए आई.वी.आर.एस. के साथ केन्द्रीकृत कम्प्यूटरीकृत दोष दर्ज करने की सुविधा का प्रावधान।
- बैक-अप विद्युत आपूर्ति के लिए रखरखाव मुक्त बैटरी सेटों और इंजिन अल्टरनेटरों का प्रावधान।

ख. डब्ल्यू.एल.एल. सेवा:

- बी.एस.एन.एल. देश में विशेष रूप से उन स्थानों में एक बड़ा डब्ल्यू.एल.एल. नेटवर्क संस्थापित कर चुका है जहां टेलीफोन कनेक्शनों के लिए अधिकांश मांग बिखरे और दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। डब्ल्यू.एल.एल. सेवा के नेटवर्क का बाद में दूरदराज के ग्रामीण तथा दूरदस्थ क्षेत्रों में विस्तार किया जाएगा।
- व्यापक पैमाने पर डब्ल्यू.एल.एल. नेटवर्क संस्थापित करने से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में मांग पर टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराना संभव होगा।

ग. मोबाइल सेवाएं:

- बी.एस.एन.एल. ने देश में 609 जिला मुख्यालयों में से 608 को कवर किया है। शेष जिला मुख्यालय मेघालय में बाघमारा है जिसे सितंबर, 2007 तक कवर किए जाने की आशा है। इसने

2007-08 के दौरान उत्तरोत्तर रूप से 5,000 और उससे अधिक की जनसंख्या वाले सभी तहसील मुख्यालयों और गांवों को कवर करने की भी योजना बनायी है।

- भावी योजना में उत्तरोत्तर रूप से अगले तीन वित्तीय वर्षों में 1000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को कवर करने के लिए क्षमता में वृद्धि करने की परिकल्पना की गई है।

- बी.एस.एन.एल. राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों, रेलवे मार्गों और तीर्थ स्थानों को कवर कर चुका है जिसके द्वारा अनेक गांवों को बी.एस.एन.एल. की मोबाइल सेवाओं के आनुषंगिक सेल्यूलर कवरेज से लाभ मिलता है।

घ. ब्रॉडबैंड सेवा:

- ब्रॉडबैंड सुविधा को देशभर में उपलब्ध कराने की दृष्टि से बी.एस.एन.एल. ने बहुत बड़ी विस्तार योजना प्रारंभ की है। वर्ष 2007-08 के दौरान इसकी क्षमता में 5 मिलियन की और बाद में अगले 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 6 मिलियन की वृद्धि किए जाने की योजना बनाई गई है।

- उपभोक्ता को प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

- बिलिंग की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इसके उपभोक्ताओं को वास्तविक समय के आधार पर उसके द्वारा किए गए कार्य (अपलोड/डाउनलोड) के सत्रवार ब्यौरे उपलब्ध कराए जाते हैं।

ड. इंटरनेट:

- ऑन लाइन पंजीकरण (ओ.एल.आर.) कार्ड : कोई भी व्यक्ति वेब आधारित प्रपत्रों के माध्यम से प्रयोक्ता का नाम और पासवर्ड पंजीकृत करवा सकता है।

- सी.एल.आई. आधारित लेखा रहित इंटरनेट सेवा : "उपयोग के अनुसार भुगतान करो।" टेलीफोन नंबर को प्रयोक्ता के नाम के रूप में उपयोग किया जाता है।

- उन्नत सेवा अभिगम्यता/सेवा का ग्रेड:

- बिलिंग:

  - सी.एल.आई. आधारित सेवा पोस्ट पेड है, बिलिंग की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इसके उपभोक्ताओं को उनके उपयोग का ब्यौरा उपलब्ध कराया जाता है।

  - संचार नेट एक प्रीपेड सेवा है, उपभोक्ता को शेष बचे घंटों और वैधता की अद्यतन स्थिति नामोदिष्ट वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।

च. लंबी दूरी की संचार सेवा:

- बड़े पैमाने पर एफ.टी.टी.एच./एफ.टी.टी.सी. की शुरुआत करना।

- अत्याधुनिक आई.पी. आधारित एन.जी.एन. नेटवर्क को अपनाना (माइग्रेशन)।

- लंबी दूरी में तथा क्षेत्रीय नेटवर्क में बैंडविड्थ क्षमता का संवर्द्धन।

- उन्नत सेवा उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रव्यापी नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली को लागू करना।

विवरण-II

एम.टी.एन.एल. द्वारा अपनी सेवाओं में सुधार के लिए किए गए उपाय

- एम.टी.एन.एल. ने 14-01-2005 से ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू की हैं, जो देश में अत्यधिक सफल हुई हैं। 30-06-2007 की स्थिति के अनुसार 5.00 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शन काम कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त, एम.टी.एन.एल. की 2007-08 के दौरान ब्रॉडबैंड नेटवर्क की 10 लाख लाइन क्षमता उपलब्ध कराने की योजना है।

- एम.टी.एन.एल. ने दिल्ली और मुंबई दोनों में आई.पी.टी.वी. सेवाएं शुरू की है। इससे लैंडलाइन उपभोक्ताओं का अन्य प्रदाताओं की ओर पलायन रोकने में सहायता मिलेगी।

- एम.टी.एन.एल. की 2007-08 के दौरान तीसरी पीढ़ी की मोबाइल सेवाएं वी.ओ.आई.पी. और वाई-मैक्स नेटवर्क शुरू करने की योजना है।

- एम.टी.एन.एल. की 2007-08 में दिल्ली और मुंबई प्रत्येक शहर में अपने सेल्युलर मोबाइल नेटवर्क में एक-एक मिलियन की वृद्धि करने की योजना है। दिल्ली और मुंबई प्रत्येक के लिए 750 हजार लाइनों का क्रय आदेश पहले ही दिया जा चुका है। नेटवर्क का संस्थापन पहले ही शुरू किया जा चुका है।
- दिल्ली और मुंबई प्रत्येक में लगभग 300 अतिरिक्त बी.टी.एस. संस्थापित किए जा रहे हैं जिससे कवरेज और क्षमता में और सुधार होगा।
- एम.टी.एन.एल. की 2007-08 की दूसरी तिमाही में अभिसरित बिलिंग और सी.आर.एम. संस्थापित करने की योजना है। इस प्रणाली में एक उपभोक्ता को सभी सेवाओं के लिए एक ही बिल दिया जाता है। इस प्रणाली से सेवाओं, प्रशुल्क, शिकायत निपटान आदि के संबंध में ग्राहकों के अनुरोधों का भी निवारण किया जाएगा।
- परंपरागत पी.एस.टी.एन. नेटवर्क में केबलों, ड्रॉप वायर आदि बदल कर सुधार लाना।
- एम.टी.एन.एल. पी.एस.टी.एन. और मोबाइल उपभोक्ताओं दोनों के लिए उभरते हुए रूझानों के अनुसार समाचार, फलित ज्योतिष, ई-टिकटिंग, एस.एम.एस., वॉइस एस.एम.एस., इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, आई.पी.टी.वी. आदि जैसी अनेक मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान कर रहा है।
- पी.सी.ओ. धारकों को जोड़े रखने और नए पी.सी.ओ. फ्रैंचाइजियों को आकर्षित करने के लिए लैंडलाइन और सेल्युलर आधारित पी.सी.ओ. दोनों के लिए नई प्रशुल्क योजनाएं शुरू की गई हैं।
- एम.टी.एन.एल. संचार हाट और क्यू.सी.एम.सी. स्थापित करके तथा डीलरों और एजेंटों की नियुक्त करके एवं कारपोरेट ग्राहकों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराकर अपने ग्राहकों की सुविधा का भी ध्यान रख रहा है।
- एम.टी.एन.एल. विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के लिए अपने प्रशुल्क की समीक्षा कर रहा है ताकि उन्हें ग्राहकोन्मुखी बनाया जा सके और वे समाज के विभिन्न वर्गों के लिए उपयुक्त हों।
- दिल्ली और मुंबई को 95 डायलिंग सुविधा (स्थानीय कॉल) के अंतर्गत लाना।

बी.एस.एन.एल./एम.टी.एन.एल. के बकाया ऋण

270. **श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.एस.एन.एल./एम.टी.एन.एल. के पास सरकार के कोई बकाया ऋण हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उनके द्वारा लिये गए ऋणों के शीघ्र भुगतान के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) दिनांक 1-10-2000 को बी.एस.एन.एल. के गठन के समय, इसके पूंजीगत ढांचे में 7500 करोड़ रु. का नेशनल ऋण शामिल किया गया। बी.एस.एन.एल. ने इस राशि में से 4500 करोड़ रु. की राशि का भुगतान कर दिया है। इस नेशनल ऋण की शेष राशि का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 2007-08 में किए जाने का प्रस्ताव है। दूसरी ओर, एम.टी.एन.एल. का सरकार के पास कोई बकाया ऋण नहीं है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आई.सी.ए.आर. का पुनर्गठन

271. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) को कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में और अधिक सुदृढ़ संगठन बनाने के लिए इसके पुनर्गठन के लिए परामर्श कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद में वैज्ञानिक उद्यमी योजना के अनुसार ही आई.सी.ए.आर. में भी ऐसी ही योजना चाहती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.) की पुनःसंरचना का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, कृषि अनुसंधान को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से तथा सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अनेक संस्थागत मेकनिज्मों को यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि भा.कृ.अ.प. और इसके अनुसंधान संस्थान अपने अधिदेशित कार्य को प्रभावशाली ढंग से निष्पादित कर रहे हैं।

(ग) और (घ) वैज्ञानिकों/प्रवर्तक उद्यमशील स्कीम के लिए दिशा-निर्देश बनाए गए हैं और उन्हें भा.कृ.अ.प. की वेबसाइट पर डाला गया है। इस योजना को पहले ही दिनांक 2-10-2006 से व्यावहारिक बनाया गया है। स्कीम के बारे में ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

वैज्ञानिक/प्रवर्तक उद्यमशीलता

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में आई.पी. का सृजन करने वाले भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कुछ वैज्ञानिकों/प्रवर्तकों जिन पर आई.पी.आर. पहले ही सुरक्षित किया गया है। वे इन आई.पी.आर. सक्षम प्रौद्योगिकियों के साथ व्यावसायिक वेंचर में रूचि रखते होंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक उत्पाद विकास वैधता और/अथवा बैंच स्केल की प्रौद्योगिकियों की गुणवत्ता नियंत्रण को विशेषज्ञ निवेश की जरूरत होगी। वैज्ञानिकों/प्रवर्तकों की सहभागिता से उस प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण का क्षेत्र बढ़ सकता है। इसलिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उद्यमशीलता के लिए केस-विशिष्ट अनुमति प्रदान करे। अलग-अलग मामलों पर निम्नलिखित तरीकों से कार्रवाई की जाएगी।

1. वैज्ञानिक/प्रवर्तक अपनी विकसित आई.पी.आर. सक्षम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रौद्योगिकी का नॉन-ऐक्सक्लूसिव लाइसेंस के साथ असाधारण छुट्टी (एक्सट्रा आर्डिनरी लीव) पर उद्यमशीलता कर सकता है।

2. सी.एस.आई.आर. स्कीम के समान तथा वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के ज्ञा. सं. 11(1)-ई-11(ख)/69 दिनांक 25 जून, 1970 की तरह अधिकतम 3 वर्ष की असाधारण छुट्टी की अनुमति होगी। अर्जित अवकाश अथवा अर्धवेतन परिवर्तित छुट्टी पहले/बाद में नहीं जोड़ी जाएगी। असाधारण छुट्टी की अवधि को वार्षिक वेतनवृद्धि अथवा पदोन्नति के लिए जरूरी मेन्डेटरी पीरियड में शामिल नहीं किया जाएगा।

3. उद्यम की स्थापना के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।

4. यह जरूरी है कि वैज्ञानिक की उद्यम में वित्तीय साझेदारी हो तथा मात्र उसका कर्मचारी न हो। तथापि, वह उद्यम के एक कर्मचारी के रूप में वेतन भी ले सकता/सकती है।

5. असाधारण छुट्टी के दौरान पेंशन/नियोक्ता के अंशदान का हिस्सा जो लागू हो, वैज्ञानिक/प्रवर्तक द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को भुगतान किया जाए जो विदेश सेवा में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए सरकारी कर्मचारी द्वारा मूल नियमावली के प्रावधानों के तहत देय हो।

6. निम्न शर्तों पर उम्मीदवार एक हल्फनामे पर हस्ताक्षर करेगा:

   (i) छुट्टी की अवधि का प्रयोग संदर्भाधीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग व्यावसयिकीकरण के लिए किया जाएगा।

   (ii) यदि उचित हो, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उसी प्रौद्योगिकी को अन्य दिलचस्पी रखने वाले लाइसेंसधारियों को भी लाइसेंस दे सकती है।

   (iii) वैज्ञानिक/प्रवर्तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कोर शेयर्ड सुविधाओं का प्रयोग कर सकता है बशर्ते कि वे उपलब्ध हों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा निश्चित किए गए किराए का भुगतान करके, कर सकते हैं। विशेष कोर शेयर्ड सुविधाओं/उपस्करों के प्रयोग की अनुमति और उनके किराये के बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का फैसला अंतिम होगा और वैज्ञानिक को मानना होगा।

   (iv) वैज्ञानिक/प्रवर्तक द्वारा अवकाश अवधि के दौरान एक अर्ध-वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी

और अवकाश अवधि के अंत में प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक स्तर की प्रगति पर अंतिम रिपोर्ट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को प्रस्तुत की जाएगी इसमें इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाएगा किवह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को छोड़ देने या पुनः कार्यग्रहण करने का निर्णय लेते है।

7. वैज्ञानिक/उद्यमी चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाने के पात्र होंगे बशर्ते कि वो निर्धारित लागू अंशदान का भुगतान नियमित रूप से कर देते हों।

8. प्रमुख आदान-प्रदान सुविधाओं के उपयोग के लिए नान-एक्सक्लुसिव लाईसेंस तथा रेंटल के लिए मामूली लाईसेंस फीस लेने के अलावा, हो, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई सृजित आई.पी. पर किसी तरह के स्वामित्व और लाईसेंसिंग अधिकार का दावा किसी भी तरह नहीं करेगी और न ही उद्यमशीलता में वाणिज्यिक प्रक्रिया के किसी हिस्से का दावा करेगी।

9. अवकाश अवधि में वैज्ञानिक उद्यमी द्वारा संबंधित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों/ए.टी.एम.सी. के साथ सम्पर्क कायम किया जाएगा और तैयार किए गए हलफनामे की शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।

10. अवकाश अवधि के अंत में वैज्ञानिक/प्रवर्तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सेवा से त्यागपत्र दे सकते है ताकि उद्यम को पुनः शुरू किया जा सके या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में पुनः कार्यभार ग्रहण कर सकता है अथवा इनके धारणाधिकार (लीयन) को समाप्त किया जाएगा। तथापि इनके द्वारा प्रौद्योगिकी/वाणिज्यिकीकरण के स्तर की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

11. ई.ओ.एल. अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय, वैज्ञानिक/उद्यमी 3 माह के पूर्व नोटिस देते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में पुनः कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं और अपनी पुनः नियुक्ति के एक माह की अवधि में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जिसमें अनुभव, अनुभव की गई कठिनाइयों, यदि कोई हैं तो, सफलता तथा असफलता पुनः कार्यभार पर लौटने के कारण आदि दिए जाएं।

सिम कार्डों का दुरुपयोग

272. श्री मिलिन्द देवरा: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अरुणाचल प्रदेश में अल्फा उग्रवादी जबरन वसूली के उद्देश्यों के लिए अन्य व्यक्तियों के नाम पर जारी सिम कार्डों का उपयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) ने इस सारे मामले की जांच आरंभ कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ए.आई.बी.पी. के नियमों में छूट

273. श्री अर्जुन सेठी:

श्री रामदास आठवले:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना (ए.आई.बी.पी.) के अन्तर्गत वित्त पोषण की मौजूदा पद्धति में बदलाव के लिए कुछ राज्यों ने मांग की है;

(ख) यदि हां, तो किए गए बदलावों, यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है;

(ग) कौन-कौन से राज्यों ने मौजूदा योजना का लाभ उठाया है और सिंचाई के दायरे में अधिक क्षेत्र को लाये हैं;

(घ) क्या उड़ीसा राज्य के कालाहांडी-बोलानगिर-कोरापुट क्षेत्र को इस योजना के अन्तर्गत धनराशि मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) कृषि संबंधी समस्याओं वाले जिलों के लिए प्रधान मंत्री के पैकेज में शामिल की गई परियोजनाओं की वित्तपोषण पद्धति में परियोजना लागत में 25% से 90% तक के बदलाव की मांग प्राप्त हुई है।

(ख) जी नहीं, कोई बदलाव नहीं किए गए हैं।

(ग) सिंचाई के तहत और अधिक क्षेत्र लाये जाने के लिए वर्ष 2006-07 के दौरान 26 राज्यों ने केन्द्रीय सहायता का लाभ उठाया।

(घ) जी, हां।

(ङ) उड़ीसा राज्य में कालाहांडी-बोलंगीर-कोरापुट क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाओं को अब तक 738.548 करोड़ रुपये की कुल केन्द्रीय ऋण सहायता (सी.एल.ए.)/ अनुदान जारी किया गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड

274. श्री हरि सिंह चावड़ा:

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड के गठन के क्या उद्देश्य हैं;

(ख) पछले दो वर्षों के दौरान उक्त बोर्ड ने क्या-क्या कार्य किये हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस बोर्ड द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) इन निष्कर्षों के आधार पर सरकार ने क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ङ) देश में तिलहन एवं वनस्पति तेल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए संसद अधिनियम के अंतर्गत 1983 में राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड (नावोड) का सृजन किया गया है। तथापि दसवीं योजना से आगे बोर्ड जटरोफा और करंज सहित वृक्षमूल तिलहनों (टी.बो.ओ.) को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र क्षेत्रीय "समेकित वृक्ष तिलहन विकास" स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है।

नोवोड बोर्ड ने पिछले दो वर्षों के दौरान क्रमशः 2522 हैक्टेयर, 150 हैक्टेयर, 200 हैक्टेयर और 110 हैक्टेयर पर जटरोफा, करंज, नीम और अन्य टी.बी.ओ. के पौध रोपण किए है। बोर्ड ने राष्ट्रीय नैटवर्क के अंतर्गत अनुसंधान कार्यकलाप किए हैं इसके अतिरिक्त पिछले दो वर्षों के दौरान 113 किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं।

बोर्ड के कार्यकलापों की प्रबंधन समिति और इसके बोर्ड द्वारा आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है और समय-समय पर उचित निर्देश जारी किए जाते हैं।

[अनुवाद]

मल्टी मोड राडार का विकास

275. श्री सुग्रीव सिंह:

श्री किसनभाई वी. पटेल:

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मल्टी मोड राडार के विकास में विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त परियोजना में समय और लागत का आधिक्य हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस परियोजना में तीव्रता लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) जी, हां। मल्टी मोड रडार (एम.एम.आर.) के विकास के लिए परियोजना जून, 1991 में शुरू की गई थी जिसके पूरा होने की संभावित अवधि साढ़े छह वर्ष थी। वायुवाहित रडारों की प्रौद्योगिकी बहुत जटिल है। मल्टी मोड रडार का विकास देश में पहली बार किया जा रहा है। इस क्षेत्र में किसी भी संगठन के पास पहले से कोई विशेषज्ञता उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) जी, हां। भू-परीक्षण के लिए 62.27 करोड़ रुपए की लागत पर 2 मल्टी मोड रडार प्रणालियों का विकास करने संबंधी एक परियोजना मंजूर की गई थी।

105 करोड़ रुपए की लागत से यह कार्यकलाप वर्ष 2004 में पूरे हो गए थे।

(ङ) मैसर्स ई.एल.टी.ए. सिस्टम्स लि. इजराइल, जिनके पास मल्टी मोड रडारों के समान रडारों का विकास कराने का अनुभव है, के साथ सीमित शृंखला उत्पादन तथा शृंखला उत्पादन आरंभ करने के लिए मल्टी मोड रडार संबंधी सह-विकास कार्य शुरू किया गया था। इस परियोजना में तेजी लाने के लिए, हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के प्रबंधन में उच्चतम स्तर पर क्रियाकलाप का सघन अनुवीक्षण करने की व्यवस्था है।

मूंगफली उत्पादन में बढ़ोत्तरी हेतु पद्धति

276. श्री एल. राजगोपाल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेषकर आंध्र प्रदेश में मूंगफली की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए तिलहन, दाल, ऑयल पाम और मक्का संबंधी एकीकृत योजना के अंतर्गत अपनाई गई नवीन पद्धतियां और नवीनतम प्रौद्योगिकियां कौन-कौन सी हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में मूंगफली का राज्य-वार कुल कितना उत्पादन दर्ज किया गया;

(ग) देश में मूंगफली के उत्पादन में भारी उतार-चढ़ाव के कारण क्या हैं; और

(घ) मूंगफली उत्पादकों को दिया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) आंध्र प्रदेश सहित देश में मूंगफली की उत्पादकता बढ़ाने के लिए समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम एवं मक्का (आइसोपोम) स्कीम के अंतर्गत खंड प्रदर्शनों, समेकित कीट प्रबंधन (आई.पी.एम.) प्रदर्शनों एवं प्रत्यक्ष प्रदर्शनों (एफ.एल.डी.) के माध्यम से किसानों में पोलीथीन मल्च प्रौद्योगिकी सहित उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकियों को लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में मूंगफली का कुल उत्पादन और राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिए गए हैं।

(ग) देश में मूंगफली के उत्पादन में अत्यधिक उतार चढ़ाव को प्रतिकूल मौसमी स्थितियों को माना जा सकता है क्योंकि इस फसल को अधिकांशतया वर्षासिंचित स्थितियों के अंतर्गत उगाया जाता है और गुजरात, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश जैसे प्रमुख मूंगफली उत्पादक राज्यों में मूंगफली क्षेत्र को बी.टी. कपास, सूरजमुखी और मक्का में परिवर्तन करना।

(घ) भारत सरकार ने वर्ष 2007-08 के लिए मूंगफली (छिलके वाली) के लिए 1550 रुपए प्रति क्विंटल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) निर्धारित किए हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान मूंगफली का राज्यवार कुल उत्पादन

('000 मी. टन में)

राज्य	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	986.0	1639.5	1366.0
बिहार	0.2	0.3	0.5
छत्तीसगढ़	40.2	32.3	31.6
गोवा	5.7	5.4	7.9

1	2	3	4
गुजरात	4477.6	1886.6	3389.0
हरियाणा	1.1	1.2	2.2
हिमाचल प्रदेश	0.2	0.0	0.0
जम्मू-कश्मीर	0.0	0.0	0.0
कर्नाटक	433.5	742.0	671.0
केरल	2.0	1.7	2.4
मध्य प्रदेश	252.3	242.7	234.4
महाराष्ट्र	437.0	502.0	410.0
नागालैण्ड	3.0	7.0	0.3
उड़ीसा	93.2	106.0	106.3
पंजाब	4.0	3.6	3.0
राजस्थान	331.9	446.8	491.0
तमिलनाडु	918.2	1005.3	1098.2
त्रिपुरा	0.7	0.9	0.8
उत्तर प्रदेश	59.4	69.4	90.5
उत्तरांचल	2.0	3.0	2.0
पश्चिम बंगाल	75.8	75.5	83.1
पाण्डिचेरी	2.5	3.2	3.1
कुल	8126.5	6774.4	7993.3

सेमीकण्डक्टर फेब्रिकेशन सेक्टर में निवेश

277. **श्री के.एस. राव:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सेमीकण्डक्टर फेब्रिकेशन सुविधा की स्थापना के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) विश्व स्तरीय उत्पादों के विकास एवं विनिर्माण के लिए सुविधाओं के प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने और राजसहायता प्रदान करने के लिए विनियामक तंत्र क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सेमीकण्डक्टर फेब्रिकेशन सेक्टर में विदेशी एवं निजी क्षेत्र निवेश को आमंत्रित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (घ) सरकार द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2007 की गजट अधिसूचना सं. 78, भाग I, खंड-I के जरिए भारत में सेमीकंडक्टर संविरचना एवं अन्य

सूक्ष्म और नैनो प्रौद्योगिकी विनिर्माण उद्योग स्थापित करने के लिए पूंजीनिवेश को प्रोत्साहन देने की एक विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना की घोषणा की गई है। अधिसूचना की प्रतिलिपि वेबसाइट www.mit.gov.in पर उपलब्ध है।

उक्त अधिसूचना के पैरा 7.1 के अनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है।

कच्ची चीनी का निर्यात

278. **श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीनी उद्योग ने कच्ची चीनी के निर्यात हेतु अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस वर्ष भारी उत्पादन को ध्यान में रखते हुए कच्ची चीनी के निर्यात पर राजसहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने यह निर्णय किया है कि चीनी फैक्ट्रियों को उनके द्वारा स्वयं अथवा किसी निर्यातक या किसी तृतीयक पक्ष के निर्यातक के माध्यम से निर्यात की गई उनके यहां उत्पादित चीनी, जिसमें रॉ चीनी शामिल है, के निर्यातों पर तटीय राज्यों में स्थित चीनी फैक्ट्रियों के मामले में 1350 रुपये प्रति टन और तटीय राज्यों से इतर राज्यों में स्थित चीनी फैक्ट्रियों के मामले में निर्यातित चीनी पर 1450 रुपये प्रति टन की समान दर पर आंतरिक ढुलाई तथा भाड़ा प्रभारों (जिसमें महासागरीय भाड़ा तथा हैंडलिंग और विपणन प्रभार शामिल होंगे) पर हुए खर्च के एक भाग की प्रतिपूर्ति की जाए। केवल 19 अप्रैल, 2007 को तथा इसके बाद 18 अप्रैल, 2008 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, खुले सामान्य लाइसेंस (और 'अग्रिम लाइसेंसों' के तहत नहीं) के तहत किए गए निर्यात उपर्युक्त प्रभारों के भुगतान के पात्र होंगे।

खरीद पर अत्यधिक व्यय

279. **श्री भर्तृहरि महताब: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्यान्नों की खरीद पर अत्यधिक व्यय के मामले हाल ही में दर्ज किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं; और

(ग) खाद्यान्नों की खरीद में उचित मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, हां। नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की 2006 की रिपोर्ट संख्या 16 (सिविल) के पैरा 5.2 में लेखा परीक्षा द्वारा वसूली में अकुशलताओं के 11 मामलों की सूचना दी गई है। इस पैरे में लेखा परीक्षा ने वसूली प्रचालनों में शामिल राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा वसूली में अकुशलताओं के निम्नलिखित कारण बताए हैं:-

(i) छत्तीसगढ़ में 2000-05 की अवधि में धान की मिलिंग में विलंब।

(ii) हरियाणा गेहूं के अनुपयुक्त भंडारण के कारण हानि।

(iii) पंजाब और पश्चिम बंगाल में धान से चावल की प्राप्ति के विहित अनुपात की तुलना में कम चावल की सुपुर्दगी।

(iv) पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में ब्याज की हानि।

(v) महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान में शुष्कन हानि और नमी बढ़ने के कारण कम गणना।

(vi) पश्चिम बंगाल में अधिक मिलिंग प्रभार।

(ग) अकुशलताओं के इन सभी मामलों की जांच संबंधित राज्य सरकारों और भारतीय खाद्य निगम से परामर्श करते हुए की गई है और की गई कार्रवाई का नोट लेखा परीक्षा को भेज दिया गया है।

केन्द्र सरकार मानक सिद्धांतों और प्रक्रियों के आधार पर राज्य एजेंसियों द्वारा वहन की गई वसूली लागतों की प्रतिपूर्ति करती है और वह घोर अकुशलताओं के लिए अथवा जिन मामलों में राज्य सरकारें केन्द्र सरकार के विहित मानदंडों में ढील देती हैं, उनके लिए राज्य एजेंसियों

द्वारा वहन की गई लागतों की प्रतिपूर्ति नहीं करती है। आरंभ में वसूली प्रासंगिक खर्चों का भुगतान राज्य सरकारों को उनके द्वारा लेखा परीक्षित लेखे प्रस्तुत करने के समय तक अनंतिम आधार पर किया जाता है। राज्य सरकारों के राजसहायता के अंतिम दावों का भुगतान उनके द्वारा विधिवत लेखा परीक्षित अंतिम लेखे प्रस्तुत करने के बाद ही किया जाता है।

[हिन्दी]

कृषि अनुसंधान तथा विकास

280. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुखः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राज्यों को कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा के लिए प्रदान की गई मूलभूत अवसंरचना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में वर्तमान अवसंरचना कृषि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो वर्तमान अवसंरचना का विस्तार और उन्नयन करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) इस विभाग ने 95 संस्थान स्थापित किए हैं जो देश के विभिन्न राज्यों में हैं जिनमें 4 डीम्ड विश्वविद्यालय, 5 राष्ट्रीय ब्यूरो, 43 राष्ट्रीय संस्थान, 1 राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी, 12 परियोजना निदेशालय और 30 राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र शामिल हैं। कृषि शिक्षा को सुदृढ करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.) भी राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (रा.कृ.वि.वि.) को विकास संबंधी अनुदान दे रही है। स्थान विशिष्ट अनुसंधान के मुद्दों को निपटाने के लिए अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं/नेटवर्क परियोजनाएं, रा.कृ.वि.वि./भा.कृ.अ.प. के संस्थानों में कार्यान्वित की जा रही हैं। ग्रामीण जिलों में 554 कृषि विज्ञान केन्द्रों को भी भा.कृ.अ.प. वित्त पोषित करती है।

(ख) जी, हां। तथापि, उभरती हुई अनुसंधान जरूरतों को पूरा करने के लिए सुविधाओं के उन्नयन हेतु निरन्तर प्रयास किए जाते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चीनी जारी करने में अनियमितताएं

281. श्री हंसराज गं. अहीरः क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बाजार में चीनी के निर्धारित कोटे को जारी करने में चीनी मिलों द्वारा अनियमितताएं की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा बाजार में चीनी की कमी को देखते हुए चीनी मिलों पर नियंत्रण लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) चीनी फैक्ट्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सरकार के मासिक रिलीज आदेशों में यथाअनुमत चीनी की विनिर्दिष्ट मात्रा की बिक्री और प्रेषण करें। रिलीज आदेशों में अनुमत मात्रा से अधिक चीनी बेचने के लिए कुछ चीनी मिलों ने न्यायालयों से आदेश भी प्राप्त कर लिए हैं। स्थिति का पता लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार समय-समय पर चीनी फैक्ट्रियों की यादृच्छिक जांच करती है। देश के किसी भी भाग से बाजार में चीनी की कमी की ऐसी कोई रिपोर्ट सरकार को नही मिली है।

डाक व तार घर

282. श्री रामदास आठवलेः क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्वामित्व वाले तथा किराये के भवनों में चल रहे डाक घरों एवं तार घरों की राज्यवार, स्थानवार तथा श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ख) 2007-08 के दौरान खोले जाने वाले डाकघरों, उप-डाकघरों एवं तारघरों की राज्यवार तथा स्थानवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक गांव में डाक सेवाएं प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) डाक व तार कर्मचारियों हेतु आवासीय कॉलोनियों की राज्यवार तथा स्थानवार संख्या कितनी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) सूचना फील्ड इकाइयों से एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ख) वार्षिक योजना 2007-08 में देशभर में 250 शाखा डाकघर और 500 उप डाकघर खोलने का लक्ष्य है। वार्षिक योजना 2007-08 के अंतर्गत निर्धारित डाक सर्किलवार लक्ष्य विवरण-I में दिए गए हैं। खोले जाने वाले डाकघरों के स्थान फिलहाल चिन्हित नहीं किए गए हैं।

तारघरों से संबंधित सूचना दूरसंचार विभाग से एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) डाक विभाग प्रत्येक गांव में ग्राहकों के घर तक डाक के दैनिक वितरण की सुविधा सुलभ कराता है, लेटर-बॉक्सों से पत्रों का संग्रहण करता है और हरेक गांव में ग्राहकों के द्वार पर डाक-टिकटों तथा डाक लेखन सामग्री की बिक्री करता है।

(ङ) डाक कर्मचारियों के लिए आवासीय कॉलोनियों की राज्यवार तथा स्थानवार संख्या विवरण-II में दी गई है।

तार कर्मचारियों के लिए आवासीय कॉलोनियों की संख्या से संबंधित सूचना दूरसंचार विभाग से एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

विवरण-I

2007-08 के दौरान शाखा डाकघर तथा उप डाकघर खोले जाने के लक्ष्य

क्र.सं.	डाक सर्किल का नाम	लक्ष्य	
		शाखा डाकघरों की संख्या	उप डाकघरों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	12	25
2.	असम	14	10
3.	बिहार	11	25
4.	छत्तीसगढ़	12	20
5.	दिल्ली	0	20
6.	गुजरात	15	25
7.	हरियाणा	8	15
8.	हिमाचल प्रदेश	5	15
9.	जम्मू-कश्मीर	11	15
10.	झारखण्ड	7	20
11.	कर्नाटक	12	25

1	2	3	4
12.	केरल	5	15
13.	मध्य प्रदेश	18	30
14.	महाराष्ट्र	16	25
15.	उत्तर पूर्व	35	20
16.	उड़ीसा	8	15
17.	पंजाब	5	15
18.	राजस्थान	8	25
19.	तमिलनाडु	14	35
20.	उत्तर प्रदेश	12	30
21.	उत्तराखंड	5	10
22.	पश्चिम बंगाल	17	25
	*आबंटित किए जाने हैं		40
	कुल	250	500

विवरण-II

आवासीय कालोनियों का राज्यवार तथा क्षेत्रवार विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के नाम	स्थान	डाक कालोनियों की संख्या
1	2	3	4
1.	असम	गुवाहाटी	3
		डिब्रूगढ़	1
		तिनसुकिया	1
		जोरहाट	1
		नौगांव	1

1	2	3	4
		दीफू	1
		हाफलांग	1
		तेजपुर	1
		करीमगंज	1
		कुल	13
2.	आन्ध्र प्रदेश		
		हैदराबाद	9
		आदिलाबाद	1
		मेडक	1
		नालगोंडा	1
		संगारेड्डी	1
		सूर्यपेट्टा	1
		वानापारथी	1
		हनामकोन्डा	1
		विशाखापट्टनम	5
		काकिनाडा	1
		पार्वथीपुरम	1
		राजामुन्दरी	2
		विजियानाग्राम	1
		अराकुवाली	1
		समालकोट	1
		चिपुरापल्ली	1
		विजयवाड़ा	1
		गुन्टुर	1
		मच्छलीपट्टनम	1
		खम्माम	1

1	2	3	4
		ऐलुरू	1
		नैल्लौर	1
		तैनाली	1
		गुडुरू	1
		मंगलागिरी	1
		कोठागुडम	1
		भद्रचलम	1
		वेंकटापुरम	1
		जंगारेड्डीगुडम	1
		करनूल	2
		कुडप्पा	1
		अनन्तपुर	1
		हिन्दुपुर	1
		नन्दयाला	1
		तिरुपति	1
		गुंटकल	1
		कुल	51
3.	**बिहार**	पटना	5
		मोतीहारी	4
		छपरा	3
		बेतिया	1
		पूर्णिया	6
		सीतामढी	2
		समस्तीपुर	2
		मधुबनी	1

1	2	3		4
		सहरसा		1
		मुजफ्फरपुर		1
		हाजीपुर		1
		भागलपुर		1
		बिहारशरीफ		1
		औरंगाबाद		1
		लखीसराय		1
		गया		2
		आरा		2
			कुल	**36**
4.	**छत्तीसगढ़**	रायपुर		3
		बिलासपुर		1
		कोरबा		1
		दुर्ग		1
		भिलाई		2
		रायगढ़		1
		कांकेर		1
		जगदलपुर		1
			कुल	**11**
5.	**दिल्ली**	दिल्ली जी.पी.ओ.		1
		दिल्ली कैंट		1
		सेवा नगर		1
		आर.के. पुरम		1
		विवेक विहार (टीसी)		1
		विवेक विहार		1
		काली बाडी		1

1	2	3	4
		देव नगर	1
		अतुल ग्रोव रोड	1
		ईस्टर्न कोर्ट	1
		जनकपुरी	1
		पंखा रोड	1
		सरोजिनी नगर	1
		खुर्शीद सक्वेयर सिविल लाइन	1
		मोती बाग	1
		न्यू महावीर नगर	1
		तिमारपुर	1
		लोधी रोड	1
		पंडारा रोड	1
		काका नगर	1
		लक्ष्मीबाई नगर	1
		डी.आई.एम.सी. वसंत लोक	1
		के.जी. मार्ग	1
		पेशवा रोड	1
		प्रगति विहार	1
		आर.पी. रोड	1
		अलकनन्दा	1
		कुल	27
6.	गुजरात	अहमदाबाद	5
		मेहसाना	1
		हिम्मतनगर	1
		मोदासा	1
		गांधीनगर	1

1	2	3	4
		वड़ोदरा .	1
		आनन्द	1
		वी.वी. नगर	1
		अहवा डांग	1
		फोर्ट सोनगढ	1
		वघई	1
		जम्बूसार	1
		पैइज	1
		कपाडवंज	1
		गोधरा	1
		कबिलपोर जी.आई.डी.सी.	1
		रवेरगाम	1
		मरोलीबाजार	1
		किम	1
		कोसम्बा	1
		सानखेडा	1
		वल्साड	1
		अतुल	1
		नाना पोंडा	1
		नानी वाहियाल	1
		संजन	1
		उवाडा आर.एस.	1
		उमरगाम	1
		वापी आई.ई.	1
		कुंकावाव	1
		बोटाड	1

1	2	3		4
		तलाजा		1
		जेतपुर		1
		जामनगर		1
		द्वारका		1
		जूनागढ़		1
		वेरावल		1
		ऊना		1
		केशोड		1
		मेनडारडा		1
		गांधीधाम		1
		कान्डला		1
		के. मान्डवी		1
		आदिपुर		1
		वानकानेर		1
		राजकोट		1
		सुरेन्द्रनगर		1
			कुल	**51**
7.	**दमन एवं दीव (संघ शासित क्षेत्र)**	सिलवासा		1
			कुल	**1**
8.	**हरियाणा**	अम्बाला		4
		जमुना नगर		1
		कालका		1
		फरीदाबाद		4
		रेवाड़ी		1
		नारनौल		1
		हिसार		3

1	2	3	4
		सिरसा	1
		कुरुक्षेत्र	1
		कैथल	1
		करनाल	2
		पानीपत	1
		जीन्द	1
		रोहतक	2
		झज्झर	1
		सोनीपत	2
		कुल	**27**
9.	**हिमाचल प्रदेश**	शिमला	9
		बिहासपुर	1
		हमीरपुर	1
		कांगड़ा	1
		देहरा	1
		रामपुर	1
		रेकोंगपेयो	1
		काजा	1
		कुल्लू	1
		सरकाघाट	1
		चौन्तरा	1
		केलोंग	1
		भांगरोतू	1
		सुन्दरनगर	1
		बकलोह	1
		डलहौजी	1
		धर्मशाला	1

1	2	3	4
		पालमपुर	1
		बैजनाथ	1
		शाहपुर	1
		ऊना	1
		चैल	1
		डगसाई	1
		सुबाथु	1
		कसौली	1
		परवानू	1
		नाहन	1
		सोलन	1
		पोंटासाहिब	1
		सनावर	1
		रोहड़ू	1
		थिओंग	1
		कुल	**40**
10.	**जम्मू-कश्मीर**	सनतनगर	1
		बरजूला	1
		बख्शीनगर	1
		रूपनगर	1
		राजौरी	1
		त्रिकुट नगर	2
		लेह	1
		उधमपुर	1
		बारामूला	1
		कुल	**10**

1	2	3	4
11.	झारखण्ड	रांची	1
		धनबाद	1
		बी.एस. सिटी	1
		जमशेदपुर	3
		गिरीडीह	1
		डालटनगंज	1
		हजारीबाग	1
		कुल	9
12.	कर्नाटक	बेंगलूर शहर	3
		चन्नापटना	1
		चिकमंगलूर	2
		चित्रदुर्गा	4
		हसन	4
		कोडागू	3
		कोलार.	2
		मंगलौर	2
		मीसूर	1
		ननजनगुड	2
		पुट्टूर	2
		शिमोगा	3
		टुमकूर	1
		उडूपी	2
		बागलकोट	1
		बेलगांव	1
		बेलारी	1
		बिदर	2

1	2	3	4
		बीजापुर	3
		चिकोडी	3
		धारवाड	3
		गडग	2
		गोकक	2
		गुलबर्गा	2
		हवेरी	2
		कारवार	2
		रायचूर	4
		सिरसी	4
		मैसूर (डाक प्रशिक्षण केन्द्र)	1
		कुल	65
13.	केरल	कसारगोड	3
		कन्नौर	3
		तेलीचेरी	2
		बडाकरा	2
		कोजीकोड	5
		ओटापालम	1
		शोरनूर	1
		अगाली	1
		पालाघाट	1
		अलापुझा	1
		अलूवा	1
		कोठामंगलम	1
		कंजीरपप्पली	1
		इडुक्की	11

1	2	3	4
		पुदुकाड	1
		कोट्टायम	2
		थिरुसूर	1
		अर्नाकुलम	1
		कोलम	2
		पत्तनमथिट्टा	2
		त्रिवेन्द्रम	5
		कुल	**48**
14.	महाराष्ट्र	मुंबई	6
		नवी मुंबई	4
		औरंगाबाद	1
		जलना	1
		अश्टी	1
		भूसावल	1
		शिरपूर	1
		पछोरा	1
		जलगांव	1
		मालेगांव	1
		नासिक	1
		उदगीर	1
		हिंगोली	1
		परभनी	1
		नागपुर	6
		अकोला	5
		अमरावती	5
		बुलधाना	1

1	2	3	4
		चन्द्रपुर	2
		नागपुर मुफ्फसल	1
		ननदूरा	1
		शेगांव	1
		जामोद	1
		आरवी	1
		सपोली	1
		साओनेर	1
		वर्धा	1
		युवातमल वानी	1
		पुणे	1
		अहमदनगर	1
		बारामती	1
		लोनावला	1
		जून्नर	1
		सतारा	1
		शोलापुर	1
		पन्धारपुर	1
		कमाला	1
		श्रीरामपुर	1
		कोल्हापुर	1
		फुलवाड़ी	1
		इचालकरंजी	1
		शिवाजी नगर - रत्नागिरि	1
		कुल	64

1	2	3	4
15.	गोवा	दिकारपले	1
		आलटो पोरवोरिम	1
		साडा	1
		कुल	3
16.	मध्य प्रदेश	भोपाल	7
		सागर	1
		दामोह	1
		होशंगाबाद	1
		नरसिंहपुर	1
		पंचमढ़ी	1
		खजुराहो	1
		पन्ना	1
		नोगांव	1
		टीकमगढ़	1
		गुना	1
		ग्वालियर	1
		इन्दौर	4
		खंडवा	1
		मंदसौर	1
		मुरैना	1
		शिवपुरी	1
		देवास	1
		छतरपुर	1
		महू	1
		खरगौन	1
		बुरहानपुर	1

1	2	3	4
		रतलाम	1
		सिहोर	1
		उज्जैन	1
		रीवा	1
		सतना	1
		सिवनी	1
		बालाघाट	1
		बेतूल	1
		पारसिया	1
		जबलपुर	2
		कटनी	1
		सीधी	1
		शहडोल	1
		सिंगरौली	1
		धनपुरी	1
		अमरकंटक	1
		बैधान	1
		कुल	**49**
17.	मेघालय	शिलांग	5
		टूरा	2
		कुल	**7**
18.	त्रिपुरा	धर्मनगर	1
		कैलाशहर	1
		सीधी आश्रम, एडी नगर	1
		कुल	**3**
19.	अरुणाचल प्रदेश	डी-सेक्टर, ईटानगर	1
		पासीघाट	1

1	2	3	4
		तवांग	1
		तेजू	1
		आलोन्ग	1
		बॉमडीला	1
		कुल	**6**
20.	**मणिपुर**	महल परिसर, इंफाल	1
		पुराना जी.पी.ओ. परिसर, इंफाल	1
		चूरचनपुर	1
		कुल	**3**
21.	**मिजोरम**	चंफई	1
		कुल	**1**
22.	**नागालैण्ड**	जी.पी.ओ. परिसर, कोहिमा	1
		दीमापुर	1
		कुल	**2**
23.	**उड़ीसा**	भुवनेश्वर	3
		कटक	4
		पुरी	1
		खुर्दा	1
		जतनी	1
		भद्रक	1
		बालासोर	2
		बारीपद	1
		रायरंगपुर	1
		बोलांगीर	1
		क्योंझर	1
		संभलपुर	1

1	2	3	4
		झारसूगुड़ा	1
		राउरकेला	1
		सुंदरगढ़	1
		बरहामपुर	2
		छतरपुर	1
		भवानीपटना	1
		जयपुर	1
		कोरापुट	1
		फुलबनी	1
		कुल	**28**
24.	**पंजाब**	अमृतसर	2
		बठिंडा	1
		फिरोजपुर	1
		गुरदासपुर	1
		जालंधर	1
		जगरांव	1
		खन्ना	1
		लुधियाना सिटी	2
		पटियाला	1
		रोपड़	1
		कुल	**12**
25.	**चंडीगढ़**	चंडीगढ़	3
		कुल	**3**
26.	**राजस्थान**	दौसा	1
		बांदीकुई	1
		फुलैरा	1

1	2	3	4
		चोमू	1
		जोबनेर	1
		लालसोट	1
		महुआ	1
		दूदू	1
		फागी	1
		धौलपुर	1
		भरतपुर	2
		जयपुर सिटी	4
		अलवर	4
		सवाई माधोपुर	1
		गंगापुर	1
		हिंडन	1
		बाड़मेर	1
		बीकानेर	1
		चूरू	1
		रतनगढ़	1
		झुंझुनू	1
		खेतरी	1
		पिलानी	1
		जोधपुर	3
		पोखरण	1
		जैसलमेर	1
		नागौर	1
		दिसवाना	1
		मकराना	1

1	2	3	4
		पाली	1
		सुमेरपुर	1
		सीकर	1
		श्रीमाधोपुर	1
		सिरोही	1
		जालौर	1
		शिवगंज	1
		आबू रोड	1
		माउंट आबू	1
		हनुमानगढ़	1
		श्रीगंगानगर	1
		छोहटन	1
		पछपदरा शहर	1
		लंकारनसर	1
		सादुलपुर	1
		फलौदी	1
		जायल	1
		कुचैरा	1
		मारवाड़ जंक्शन	1
		पाटण	1
		भद्रा	1
		संगारिया	1
		श्रीकरणपुर	1
		अजमेर	3
		ब्यावर	1

1	2	3	4
		केकरी	1
		बिजय नगर	1
		पिसनगन	1
		भीलवाड़ा	1
		गुलाबपुरा	1
		मंडल	1
		रेलागांव	1
		मंडलगढ	1
		चित्तौड़गढ़	1
		डुंगरपुर	1
		झालावार	1
		कोटा	3
		टोंक	1
		बूंदी	1
		नेवाई	1
		वी.वी. पथ	1
		उनियारा	1
		टोडारायसिंह	1
		देवली	1
		उदयपुर	2
		कंकरोली	1
		मावली	1
		बांसवाड़ा	1
		सागवाड़ा	1
		कुशालगढ	1
		कुल	94

1	2	3	4
27.	तमिलनाडु	कोडईकनाल	1
		कराईकुडी	1
		कोविलपट्टी	1
		टूटीकूरीन	1
		विरुद्धनगर	1
		रामेश्वरम	1
		उडनकुडी क्रिस्टियनग्राम	1
		अरुमुगनेरी	1
		नगरकोइल	1
		पोदानुर	1
		गोबीचेट्टीपलायम	1
		उद्गमंडलम	1
		कुन्नूर	1
		विलिंगडन	1
		अरवनगडु	1
		कोथागिरी	1
		मक्कीनईकेनपट्टी	1
		वलपरई	1
		चिन्नतिरुपति	1
		मेतुर बांध	1
		मेत्तुपलायम	1
		भवानी सागर	1
		तलवाडी	1
		तिरुपत्तूर	1
		त्रिची	1
		पुडुक्कोट्टई	1

1	2	3	4
		पेरमबलूर	1
		बॉयलर प्रोजेक्ट	1
		मन्नापुरम	1
		नेयवेल्ली	1
		चेन्नई	6
		वेल्लूर	2
		कुल	**38**
28.	**उत्तरांचल**	अल्मोड़ा	1
		रानीखेत	1
		गोपेश्वर	2
		देहरादून	3
		हरिद्वार	1
		रुड़की	1
		ऋषिकेश	1
		वीरभद्र	1
		नैनीताल	2
		हल्द्वानी	1
		रामनगर	1
		रुद्रपुर	1
		पौड़ी	2
		पाटीसेण	1
		सतपुली	1
		दोगड्डा	1
		पिथौरागढ़	1
		चम्पावत	1
		दीवीहाट	1

1	2	3	4
		न्यू टिहरी	1
		नरेन्द्र नगर	1
		उत्तरकाशी	1
		कुल	**27**
29.	**उत्तर प्रदेश**	लखनऊ	5
		फैजाबाद	1
		बाराबंकी	1
		सीतापुर	1
		रायबरेली	1
		आगरा	1
		झांसी	2
		मथुरा	1
		अलीगढ़	2
		हाथरस	1
		बुलंदशहर	1
		एटा	1
		उरई	1
		मैनपुरी	1
		टुंडला	1
		गोरखपुर	1
		आजमगढ़	1
		मऊनाथ भंजन	1
		गोंडा	1
		बहराइच	1
		देवरिया	1
		फूलपुर	1

1	2	3	4
		इलाहाबाद	1
		जौनपुर	1
		प्रतापगढ़	1
		गाजीपुर	1
		मिर्जापुर	1
		वाराणसी	2
		बरेली	1
		हरदोई	1
		पीलीभीत	1
		शाहजहांपुर	1
		रामपुर	1
		मुरादाबाद	1
		गाजियाबाद	2
		लखीमपुर खीरी	1
		मेरठ	1
		बिजनौर	1
		सहारनपुर	1
		धमपुर	1
		नगीना	1
		नजीबाबाद	5
		कानपुर	1
		फतहपुर	1
		फतहगढ़	1
		कुल	57
30.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	6
		सिलीगुड़ी	1

1	2	3	4
		पानीहाटी	1
		माल्दा	1
		बेलूरघाट	1
		माल	1
		जलपाईगुडी	1
		दिनाजपुर	1
		दार्जीलिंग	1
		इसलामपुर	1
		रायगंज	1
		दिनाहाटा	1
		काशिमबाजार	1
		जियागंज	1
		कांडी	1
		खागड़ा	1
		लालगोला	1
		मधुपुर	1
		रघुनाथगंज	1
		बरुईपुर	1
		डी/हार्बर	1
		विष्णुपुर	1
		बज बज	1
		कल्याणी	1
		आर.एन. टैगोर रोड	1
		किशननगर	1
		आनंदपुर	1
		भुबनदांगा	1

1	2	3		4
		अदरा		2
		जपेतापुर		1
		आसनसोल		1
		दुर्गापुर		2
		चित्तरंजन		1
		हिंदुस्तान केबल्स		1
		बर्दवान		1
		मिदनापुर		1
		खड़गपुर		1
		मोगरा		1
		पंडुआ		1
		डी.बी. नगर		1
		हल्दिया टी/एस		1
		हावड़ा		1
		एस.टी.पी.		1
		कूच बिहार		1
			कुल	**52**
31.	**अंडमान व निकोबार द्वीप समूह (संघ शासित क्षेत्र)**	पोर्ट ब्लेयर		2
		अ. बाजार		1
		जुगलीघाट		1
		रानघाट		1
		विंबरले गंज		1
			कुल	**6**
32.	**सिक्किम राज्य**	सिक्किम		1
			कुल	**1**

[अनुवाद]

लगु उद्योगों द्वारा माल का अन्यत्र उपयोग

283. श्री सुग्रीव सिंह:

श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास लघु उद्योग इकाइयों द्वारा माल के गुप्त रूप से अन्यत्र उपयोग को रोकने के लिए कोई तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान लघु उद्योग योजनाओं का दुरुपयोग करने वाली इकाइयों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(घ) सरकार को उक्त अवधि के दौरान इसके परिणामस्वरूप कितने राजस्व की हानि हुई है; और

(ङ) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

निविदा प्रक्रिया को रोकना

284. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निहित स्वार्थ वाले कुछ अनिवासी भारतीय व्यवसायी निविदा प्रक्रिया को रोकने का प्रयास कर रहे हैं ताकि भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) के स्थान पर निजी क्षेत्र के संचालकों को अनुचित विकास में सुविधा प्राप्त हो सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणाम क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पोस्टल सर्किलों तथा पोस्टल डिवीजनों को स्थापित करना

285. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां गत तीन वर्षों के दौरान अब तक नए पोस्टल सर्किल तथा नए पोस्टल डिवीजन स्थापित किए गए;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में नए पोस्टल सर्किल तथा पोस्टल डिवीजनों को स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई भी नया डाक सर्किल नहीं बनाया गया। राजौरी (जम्मू व कश्मीर) में 1 जनवरी, 2007 से राजौरी डाक डिवीजन नामक एक नया डाक डिवीजन बनाया गया।

(ख) और (ग) जी नहीं।

धान की उन्नत किस्म

286. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने धान की उच्च उपज किस्मों का विकास किया है जो कि देश की विभिन्न जलवायु के लिए उपयुक्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने व्यावसायिक उत्पादन के लिए किसानों को इन किस्मों को उपलब्ध कराने के लिए कोई व्यवस्था की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) किसानों को उक्त धान के बीज कब तक उपलब्ध होने की संभावना है और इनकी मात्रा कितनी होगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। देश में विभिन्न कृषि-जलवायवीय दशाओं के लिए उपयुक्त चावल की नई उच्च उपजशील किस्मों और संकरों का विकास करना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.) के तहत अनुसंधान के प्रमुख प्रबलित क्षेत्रों में से एक है। वर्ष 1996 से 2006 के दौरान केन्द्र/राज्य दोनों द्वारा जारी विभिन्न जलवायवीय दशाओं हेतु खेती के लिए चावल की कुल 147 किस्में/संकर किस्में जारी की गईं। हाल ही में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद में दिनांक 9 से 11 अप्रैल, 2007 के दौरान आयोजित चावल अनुसंधान ग्रुप की 42वीं वार्षिक बैठक के दौरान चावल की चार नई किस्मों तथा एक संकर की भी पहचान की है। इन नई विकसित किस्मों/संकरों का विवरण में दिया गया है। पहचानी गई चार किस्मों और एक संकर में से उन्नत पूसा बासमती-I (आई.ई.टी. 18990) नामक किस्म को कृषि फसल की किस्मों के फसल मानकों, अधिसूचना और जारी करने वाली केन्द्रीय उप समिति (सी.एस.सी.एस.एन.आर.वी.) द्वारा पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है। पहचानी गई शेष किस्मों और संकरों को सी.एस.सी.एस.एन.आर.वी. के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

(ग) से (ङ) प्रमाणित बीजों का उत्पादन करने के लिए किस्मगत रिलीज और अधिसूचना पूर्व शर्त होती है। कृषि एवं सहकारिता विभाग के मांग-पत्र के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संकरों के जनक वंशक्रमों के साथ-साथ जारी की गई और अधिसूचित किस्मों के प्रजनक बीज का पहले से ही उत्पादन कर रही है। मूल और प्रमाणित बीजों का आगे और उत्पादन करने के लिए वर्ष 2001-02 से 2005-06 के दौरान विभिन्न किस्मों और संकरों के जनक वंशक्रमों के कुल 9934.46 क्विंटल प्रजनक बीज का उत्पादन किया गया। चावल की नई विकसित किस्मों के प्रजनक बीज की मांग को भी किसानों के उपयोग के लिए मूल और प्रमाणित बीजों का आगे और उत्पादन करने हेतु उनके जारी करने और अधिसूचना के बाद पूरा किया जाएगा।

विवरण

वर्ष 2007 में चावल समूह की वार्षिक बैठक में पहचानी गई चावल की नई किस्में/संकर

आई.ई.टी. सं.	पदनाम	औसत अवधि	संस्तुत राज्य
18815	एच.आर.आई. 152-(संकर)	120 दिन	पंजाब व तमिलनाडु के सिंचित क्षेत्र
17544	यू.पी.आर. 2870-98-125	130 दिन	पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात
18482	एम.टी.यू. 1075	135 दिन	महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु
19046	मार्कर की सहायता से चयन द्वारा विकसित आर.पी. बायो-226	140 दिन	कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा के पत्ती के बैक्टीरियल ब्लाइट रोग वाले क्षेत्र
18990	मार्कर की सहायता से चयन द्वारा विकसित उन्नत पूसा बासमती-1	140 दिन	दिल्ली, पंजाब, जम्मू व कश्मीर तथा उत्तराखण्ड

[अनुवाद]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में समझौता

287. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान संचार और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए भारत ने किन-किन देशों के साथ समझौता किया है; और

(ख) ये समझौते किस सीमा तक सहायक सिद्ध हुए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 2005 तथा 2006 के दौरान निम्नलिखित देशों के साथ समझौता ज्ञापनों/करारनामों पर हस्ताक्षर किए गए हैं:-

1. फिजी
2. आस्ट्रेलिया
3. बल्गेरिया
4. मिस्त्र
5. जापान तथा
   - उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र
   - टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र
   - भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के बीच
6. भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका (आई.बी.एस.ए.) मंच

पिछले दो वर्षों के दौरान संचार के क्षेत्र में किसी समझौता ज्ञापन/करारनामे पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(ख) इन समझौता ज्ञापनों/करारनामों से हमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विभिन्न देशों के बीच व्यापार एवं प्रौद्योगिकी की क्षमता का पता लगाने में सहायता मिलती है तथा ये इस क्षेत्र में संकेन्द्रित रूप से क्षमताओं के इस्तेमाल के लिए अवसर उपलब्ध कराते हैं।

[हिन्दी]

कीटनाशकों पर प्रतिबंध

288. श्री धर्मेन्द्र प्रधान: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुछ कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाया गया है और कुछ अन्यों को "समीक्षा" सूची में रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कतिपय कीटनाशकों को उक्त प्रतिबंध के बावजूद बाजार में बेचा जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। 25 कीटनाशक दवाएं और उनके फार्मूले तथा चार कीटनाशक फार्मूले आयात, विनिर्माण तथा देश में उपयोग के लिए प्रतिबंधित है। इसके अतिरिक्त, दो कीटनाशक दवाएं निर्यात के लिए उनके विनिर्माण को छोड़कर देश में उपयोग के लिए प्रतिबंधित की गई हैं। नौ कीटनाशकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। प्रतिबंधित और निषिद्ध कीटनाशक दवाओं की सूची विवरण में दी गई है।

हाल ही में 37 कीटनाशकों के प्रयोग की कीटनाशक दवा अधिनियम, 1968 के तहत पंजीकरण समिति द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समूह द्वारा समीक्षा की गई है। 21 कीटनाशकों के संबंध में एक विशेषज्ञ समूह की सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं। परिणामस्वरूप, फेनथियन का उपयोग अनुसूचित रेगिस्तान क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण और जनस्वास्थ्य को छोड़कर कृषि में प्रतिबंधित है और डियाजीनोल का उपयोग गृहस्थ प्रयोजनों को छोड़कर कृषि में प्रतिबंधित किया गया है। मेरोजूरोन का उपयोग भी वापस ले लिया गया है। शेष कीटनाशकों से संबंधित सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

(ग) सरकार के पास प्रतिबंधित कीटनाशकों की बिक्री के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारत में प्रतिबंधित कीटनाशकों/कीटनाशक फार्मूलों की सूची

क. विनिर्माण, आयात और उपयोग (25) के लिए प्रतिबंधित कीटनाशक

1. एल्ड्रिन
2. बेनजीने हैक्साक्लोराइड
3. कैल्सियम सियानाईड
4. क्लोरडेन
5. कापर एसेटोर्सेनिटे
6. सीरलरोमोक्लोरोप्रोपेने

7. एनड्रिन
8. एथील मर्करी क्लोराइड
9. इथाइल पराथियन
10. हेप्टाक्लोर
11. मेनाजोने
12. विट्रोफेन
13. पैराक्वेट डिमेथाइजल सल्फेट
14. पेंटाक्लोरो निट्रोबेन जीने
15. पेंटाक्लोरोफेनोल
16. फिनाइल मर्करी एसीटेट
17. सोडियम मीथेन अर्सोनेट
18. टेट्राडिफोन
19. टोक्साफेन
20. एल्डोकार्ब
21. क्लोरोबेनजिलेट
22. डेलड्रिन
23. मेलेक हाईडेजीडे
24. एथीलीन डिब्रोमाईड
25. टी.सी.ए. (ट्रिक्लोरो एसेटिक एसिड)

ख. आयात, विनिर्माण और उपयोग (4) के लिए प्रतिबंधित कीटनाशक फार्मूले

1. मिथोमाईल 24% एल
2. मिथोमाईल 24% एल
3. फोस्फेमिडोन 85% एस.एल.
4. कार्बोफूरोन 50% एस.पी.

ग. उपयोग के लिए प्रतिबंधित कीटनाशक/कीटनाशक फार्मूले किन्तु उनका विनिर्माण निर्यात (2) के लिए अनुमत

1. निकोटिन सल्फेट

क्र.सं.	कीटनाशकों का नाम (प्रतिबंधित उपयोग)
1.	एल्यूमिनियम फोसफाईड
2.	डी.डी.टी.
3.	लिंडेन
4.	मीथाईल ब्रोमाईड
5.	मीथाईल पैराथियन
6.	सोडियम सियानिडे
7.	मेथोक्सी एथाईलमर्सीरन क्लोराईड (एम.ई.एम.सी.)
8.	मोनोक्रोटोफोस (सब्जियों पर उपयोग के लिए प्रतिबंध)
8.	फेनीट्रोथियन

[अनुवाद]

ग्रामीण ज्ञान केन्द्र

289. श्री उदय सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक गांव में ग्रामीण ज्ञान केन्द्र/ग्राम ज्ञान केन्द्र की स्थापना करने का है जैसाकि राष्ट्रीय कृषक आयोग द्वारा सिफारिश की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके लिए अभी तक निधियां आबंटित, संस्वीकृत एवं जारी की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 100000 ब्राड बैण्ड, इन्टरनेट सक्षम, कामन सेवा केन्द्रों की स्थापना के लिये सहायता देने हेतु एक स्कीम क्रियान्वित कर रहा है। इन केन्द्रों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी तथा निजी सेवायें सम्मिलित रूप

से प्रदान करना है। इस स्कीम को सार्वजनिक निजी सहभागिता प्रणाली के आधार पर क्रियान्वित किया जायेगा।

2. इस स्कीम को 5742 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से अनुमोदित किया गया है जिसमें से केन्द्र सरकार का अंश 856 करोड़ रु. और राज्य सरकारों का अंश 793 करोड़ रु. है। शेष निजी क्षेत्र से प्राप्त होने का अनुमान है।

3. 18 राज्यों के सी.एस.सी. प्रस्तावों को डी.आई.टी., द्वारा अब तक अनुमोदित किया गया है, जिसकी सूची विवरण में दी गई है।

4. कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार द्वारा इसके डैकनेट कार्यक्रम के तहत और राज्यों द्वारा कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा वित्तपोषित एग्रीसनेट कार्यक्रम के तहत खेतिहर समुदाय को जनकारी/सेवायें देने के लिये कृषि संबंधी कम्प्यूटर आधारित अनुप्रयोग पैकेज का विकास किया जा रहा है।

विवरण

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अनुमोदित सी.एस.सी. प्रस्तावों वाले राज्यों की सूची

1. असम
2. पश्चिम बंगाल
3. बिहार
4. उड़ीसा
5. झारखण्ड
6. छत्तीसगढ़
7. मध्य प्रदेश
8. हरियाणा
9. पंजाब
10. त्रिपुरा
11. राजस्थान
12. उत्तरांचल
13. गुजरात
14. उत्तर प्रदेश
15. आन्ध्र प्रदेश
16. हिमाचल प्रदेश
17. तमिलनाडु
18. केरल

[हिन्दी]

घटिया किस्म का आयातित गेहूं

290. श्री मनोरंजन भक्त:
श्री अजय चक्रवर्ती:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जा रहे आयातित गेहूं की घटिया किस्म के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगरानी करने हेतु कोई समिति गठित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे अपना प्रतिवेदन कब तक देने के लिए कहा गया है;

(ङ) क्या आयातित गेहूं विशेषकर अमरीका से आयातित गेहूं की गुणवत्ता के संबंध में कोई रिपोर्ट तैयार की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी हां। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए खराब गुणवत्ता का आयातित गेहूं वितरित करने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अधिकतर शिकायतें सफेद गेहूं को तरजीह देने के कारण हैं जबकि आयातित गेहूं अधिकतर लाल रंग का है। प्राप्त शिकायतों को जांच करने/आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भारतीय

खाद्य निगम को भेजा गया था ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केवल अच्छी गुणवत्ता के गेहूं का वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

(ग) और (घ) उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित पहलुओं पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री डी.पी. वाधवा की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक केन्द्रीय सतर्कता समिति का गठन किया गया है -

(i) डीलरों की नियुक्ति का तरीका।

(ii) आदर्श कमीशन या डीलरों को देय दर, और

(iii) पहले से ही मौजूद समितियों के बेहतर कार्यकरण हेतु तौर तरीके।

(iv) दुकानों पर बेचे जाने वाले खाद्यान्न स्टाक के आवंटन में पारदर्शिता लाने के तौर तरीके।

समिति द्वारा अगस्त 2007 तक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है।

इसके अलावा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा मुख्य आयुक्त, नागरिक आपूर्ति, तमिलनाडु की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.35 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न दो बजे पुनः समवेत हुई

*(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय प्रधान मंत्री असैनिक परमाणु ऊर्जा सहयोग पर अपना वक्तव्य देंगे।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.01 बजे

(इस समय श्री रघुराज सिंह शाक्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए)

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए। यह दुखद दिन है क्योंकि आप प्रधान मंत्री को भी नहीं बोलने दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है, देश के प्रधान मंत्री भी सभा में नहीं बोल पा रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.02 बजे

*प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

संयुक्त राज्य अमरीका के साथ असैनिक परमाणु उर्जा सहयोग

प्रधानमंत्री (डा. मनमोहन सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमापूर्ण सदन में यह बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं कि भारत सरकार, अमरीकी सरकार के साथ परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल हेतु सहयोग के द्विपक्षीय करार के पाठ पर सहमत हो गई है।...*(व्यवधान)*

अमरीका के साथ विभिन्न चरणों में हमारी जो बातचीत होती रही है उससे यह सरकार संसद को पूरी तरह अवगत कराती रही है। हमने इस महत्वपूर्ण मामले पर संसद में खुली बहस से बचने की कभी भी कोशिश नहीं की। इससे पहले भी कई मौकों पर मैंने स्वयं वक्तव्य दिए हैं - 29 जुलाई, 2005 को वाशिंगटन से लौटने पर, 27 फरवरी, 2006 को जब पृथक्करण योजना पर अमरीका के साथ चल रही हमारी बातचीत के दौरान हमने सदन को

**ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 6678/2007*

विश्वास में लिया था और अमरीकी राष्ट्रपति श्री बुश के भारत दौरे के बाद 7 मार्च, 2006 को...(व्यवधान) मैंने 17 अगस्त, 2006 को राज्य सभा में भी एक विस्तृत वक्तव्य दिया था जिसमें मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताओं का जिक्र किया था जिन पर मैं थोड़ी देर में लौटूंगा।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हैं? क्या संसद सदस्यों को इस तरह से व्यवहार करना चाहिए?

...(व्यवधान)

डा. मनमोहन सिंह: हमारी सरकार ने संसदीय परंपराओं और परिपाटियों का पूरी ईमानदारी से पालन किया है। बल्कि इस मामले हम किसी भी पूर्ववर्ती सरकार से आगे ही रहे हैं।...(व्यवधान)

करार हो जाने के बाद, हमने संसद में प्रतिनिधित्व करने वाली कई पार्टियों को इस करार के ब्यौरे की जानकारी दी है।

महोदय यह करार असैनिक परमाणु ऊर्जा सहयोग के बारे में ही है। यह करार दो ऐसे राष्ट्रों के बीच है जिनके पास उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकियां हैं और दोनों को समान रूप से लाभ और सुविधाएं हासिल हैं। करार का महत्व इस तथ्य से उजागर होता है कि इसके अमल में आने से भारत और अमरीका के बीच पूर्ण असैनिक परमाणु ऊर्जा सहयोग का रास्ता खुल जाएगा। हमने इस करार के लिए बराबर के भागीदार की हैसियत से विचार-विमर्श किया है। इसके पीछे हमारे वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की वे उपलब्धियां रही हैं जिनके कारण हम विगत में अपने सामने आई कई अड़चनों को सफलता के साथ पार कर पाए हैं। यह करार परस्पर लाभ के सिद्धांत पर आधारित है।...(व्यवधान)

इस करार के विभिन्न पहलुओं पर काफी आम बहस और चर्चा होती रही है। भारत से असैनिक परमाणु ऊर्जा सहयोग करने के लिए अमरीका के साथ हम किस बात पर सहमत और किस बात पर असहमत हो सकते हैं, इस बारे में मैंने 17 अगस्त, 2006 को संसद और देश के सम्मुख अपनी प्रतिबद्धता प्रकट कर दी थी। मैंने इस बात पर जोर दिया था कि यह उन विशेष मानदण्डों के भीतर ही होगा जिनका मैंने संसद के समक्ष जिक्र किया था। बातचीत के जटिल दौर के बावजूद हमने इस संबंध में अभूतपूर्व पारदर्शिता दिखाई।...(व्यवधान)

मैंने संसद को यह आश्वासन दिया था कि सरकार जुलाई, 2005 और मार्च, 2006 के संयुक्त वक्तव्यों में कही गई बातों को मूर्त रूप देने का हर संभव प्रयास करेगी। मैं समझता हूं कि हमने अपने वचन को निभाया है। करार को अंतिम रूप देते समय हमने यह सुनिश्चित किया है कि हमारे रणनीतिक कार्यक्रम की स्वायत्तता पूरी तरह बरकरार रहे और डा. होमी भाभा का दीर्घकालिक सपना हमारा मार्गदर्शन करता रहे।...(व्यवधान)

मैं आपकी अनुमति से इस गरिमापूर्ण सदन का ध्यान करार की मुख्य बातों की ओर थोड़े विस्तार के साथ आकृष्ट करना चाहता हूं। इससे यह पता चलेगा कि 17 अगस्त, 2006 को किए गए वायदों सहित जो वायदे मैंने संसद से किए थे, उनका पूर्ण रूप से पालन किया गया है। ...(व्यवधान)

पूर्ण असैनिक परमाणु सहयोग

इस करार में पूर्ण असैनिक परमाणु सहयोग की धारणा का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। करार में कहा गया है कि इस सहयोग में परमाणु रिएक्टर्स तथा संबद्ध न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल के पहलू शामिल होंगे जिसमें औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक स्तर पर प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण भी सम्मिलित है। इसके अलावा, इसमें हमारे रिएक्टर्स के जीवनकाल में ईंधन की आपूर्ति में किसी प्रकार की रुकावट से बचने के लिए ईंधन का रणनीतिक भंडार बनाना भी शामिल होगा।

इस करार का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें अमरीका से मिले ईंधन को इस्तेमाल के बाद दोबारा प्रोसेसिंग का अधिकार होगा। इसे बिल्कुल सुरक्षित रखा गया है। हम रिप्रोसेस के अपने अधिकार को उस क्लोज्ड फ्यूल साइकिल के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखते हैं, जिससे हम अपने रिएक्टर्स में इस्तेमाल में लाए गए परमाणु ईंधन की ऊर्जा क्षमता को अपनी राष्ट्रीय सुविधाओं में पूरी तरह से इस्तेमाल में ला सकेंगे।...(व्यवधान) इस महत्वपूर्ण मानदंड को रिप्रोसेस करने की भारत को मिली स्थाई अनुमति से पूरा किया गया है।...(व्यवधान)

भारत एक नई राष्ट्रीय रिप्रोसेसिंग सुविधा स्थापित करेगा जो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की सुरक्षा निगरानी के तहत विदेशी परमाणु सामग्री की रिप्रोसेसिंग करने के लिए समर्पित होगी।...(व्यवधान) उन व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं पर भारत और अमरीका की परस्पर सहमति होगी जिनके तहत नई सुविधा में यह रिप्रोसेसिंग की

[डा. मनमोहन सिंह]

जाएगी।...(व्यवधान) व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं पर चर्चा किसी भी पक्ष द्वारा अनुरोध किए जाने के छः महीने के भीतर शुरू की जाएगी और एक वर्ष के अंदर इसे पूरा किया जाएगा। दोनों देशों की प्रतिबद्धताओं को किसी तरह का कोई दुराव-छिपाव नहीं है।

पृथक की जाने वाली किसी भी विशेष विखंडनीय सामग्री को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की सुरक्षा निगरानी के तहत राष्ट्रीय सुविधाओं में इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। इस तरह हमारे त्रिस्तरीय परमाणु कार्यक्रम के हितों को सुरक्षित रखा गया है।...(व्यवधान)

अमरीका की लम्बे समय से यह नीति रही है कि वह किसी भी देश को संवर्द्धन, रिप्रोसेसिंग और भारी जल उत्पादन सुविधाओं की सप्लाई नहीं करेगा।...(व्यवधान) इस करार में संशोधन के जरिए ही भारत को इस प्रकार के हस्तांतरण की व्यवस्था है। संवर्द्धन, रिप्रोसेसिंग और भारी जल उत्पादन सुविधाओं के दोहरे इस्तेमाल के हस्तांतरण के लिए दूरदर्शी भाषा का प्रयोग किया गया है। हमें उम्मीद है कि जैसे-जैसे भविष्य में सहयोग बढ़ेगा और उसका विस्तार होगा, वैसे-वैसे हस्तांतरण संभव होता चला जाएगा। ...(व्यवधान) यह नोट किया जाना महत्वपूर्ण है कि करार में किसी भी ऐसे निषेध को शामिल नहीं किया गया है जो विशेषरूप से भारत के खिलाफ हो।...(व्यवधान)

आदान-प्रदान का सिद्धांत:

आदान-प्रदान के सिद्धांत, जो जुलाई, 2005 के वक्तव्य का अभिन्न हिस्सा रहा है, को इस करार में पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है। हमारे इस रुख में कोई बदलाव नहीं आया है कि हम अपनी असैनिक परमाणु सुविधाओं पर केवल अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की सुरक्षा निगरानी को ही स्वीकार करेंगे। ऐसा चरणबद्ध तरीके से होगा और पृथक्करण योजना में इस प्रयोजन हेतु चिन्हित किए गए अनुसार होगा और तभी होगा जब भारत के साथ परमाणु व्यापार पर सभी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध हटा लिए जाएं। भारत इससे पहले अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिसे बदला न जा सके। ...(व्यवधान)

प्रमाणन:

इस करार में दोनों देशों द्वारा यह इच्छा व्यक्त की गई है कि वे स्थायी रूप से, विश्वसनीयता के साथ और भावी जरूरतों के आधार पर ऊर्जा सुरक्षा हासिल करने के लिए शांतिपूर्ण उद्देश्यों हेतु परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल में व्यापक रूप से सहयोग करेंगे। यह करार इस बात की भी पुष्टि करता है कि भारत के साथ अमरीकी सहयोग स्थायी है। ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जिसमें यह उल्लेख हो कि भारत के साथ अमरीकी सहयोग को वार्षिक प्रमाणन प्रक्रिया की शर्त से गुजरना होगा।...(व्यवधान)

माननीय सदस्यों को याद होगा कि 18 जुलाई, 2005 के संयुक्त वक्तव्य में यह स्वीकार किया गया था कि भारत को उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी से सम्पन्न राष्ट्र के रूप में समझा जाए और उसे वे सभी सुविधाएं और लाभ मिलें जो अमरीका जैसे अन्य उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी से सम्पन्न राष्ट्रों को मिल रहे हैं।...(व्यवधान) इस करार में भारत और अमरीका का ऐसे दो राष्ट्रों के रूप में विशेष उल्लेख है जिनके पास उन्नत प्रौद्योगिकी है, जिन्हें समान लाभ और सुविधाएं प्राप्त हैं और जो व्यापक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं।...(व्यवधान)

सुरक्षा निगरानी:

मार्च की पृथक्करण योजना में बनी सहमति के आधार पर भारत ने केवल अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की सुरक्षा निगरानी को ही स्वीकार किया है जो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ भारत-विशिष्ट सुरक्षा निगरानी करार में परिलक्षित होगी। हमने ऐसे किसी भी प्रावधान की अनुमति नहीं दी है जिसमें हमारे परमाणु हथियार कार्यक्रम अथवा हमारी सुरक्षा निगरानी इतर परमाणु सुविधाओं की जांच जरूरी हो।...(व्यवधान) करार में ऐसे स्पष्ट प्रावधान हैं जिनसे यह साफ होता है कि इस करार से न तो हमारी सुरक्षा निगरानी इतर सुविधाओं पर कोई असर पड़ेगा और न ही सामग्री, उपकरण, सूचना अथवा अर्जित या स्वतंत्र रूप से विकसित प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के हमारे अधिकार पर कोई प्रभाव पड़ेगा।...(व्यवधान) भारत और अमरीका इस बात पर सहमत हुए हैं कि करार के अमल में आने से हमारी सैन्य परमाणु सुविधाओं सहित भारत की परमाणु गतिविधियां न तो बाधित होंगी और न ही उनमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप होगा। करार में ऐसा कुछ नहीं है जिससे हमारे रणनीतिक कार्यक्रम, हमारे त्रि-स्तरीय परमाणु विद्युत कार्यक्रम अथवा उन्नत अनुसंधान और विकास करने की हमारी क्षमता पर असर पड़े।...(व्यवधान)

ईंधन की आपूर्ति का आश्वासन:

मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि मार्च, 2006 की

पृथक्करण योजना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ भारत विशिष्ट सुरक्षा निगरानी करार की व्यवस्था की गई है जिसमें ये आश्वासन दिए गए हैं कि उन परमाणु रिएक्टर्स के लिए ईंधन की आपूर्ति बाधित नहीं होगी जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की सुरक्षा निगरानी के अंतर्गत रखा जाएगा। इसके साथ ही, ईंधन की आपूर्ति बाधित होने पर सुधारात्मक उपाय करने का भारत को अधिकार होगा। एक महत्वपूर्ण आश्वासन यह भी दिया गया कि भारत के रिएक्टर्स की आजीवन जरूरतों को पूर्ण करने के लिए परमाणु ईंधन के रणनीतिक भंडार बनाने के भारत के अधिकार का समर्थन करने की प्रतिबद्धता बनी रहेगी। ...(*व्यवधान*)

इस करार में पृथक्करण योजना के अनुरूप यह व्यवस्था की गई है कि भारत के रिएक्टर्स के जीवनकाल में ईंधन की आपूर्ति में उत्पन्न किसी बाधा से बचने के लिए अमरीका, भारत के परमाणु ईंधन के रणनीतिक भंडार बनाने की कोशिशों में सहयोग करेगा। करार में पृथक्करण योजना के संगत हिस्सों को पूर्ण रूप से दोहराया गया है। इससे विदेशी ईंधन की आपूर्ति के बाधित होने की स्थिति में भारत के असैनिक परमाणु रिएक्टर्स का निर्बाध रूप से संचालन सुनिश्चित करने के लिए भारत द्वारा सुधारात्मक उपाय करने के अधिकार की पुष्टि की गई है...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: आपको यहां नहीं होना चाहिए।

डा. मनमोहन सिंह: माननीय सदस्यगण इस बात से सहमत होंगे कि इन प्रावधानों से यह सुनिश्चित होगा कि तारापुर के साथ हुए दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव की पुनरावृत्ति न हो।

हमारे रणनीतिक कार्यक्रम की सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता, निर्णय लेने की स्वायत्तता और भावी वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास:

मैंने 7 मार्च तथा 17 अगस्त, 2006 के अपने वक्तव्यों में संसद को यह आश्वासन दिया था कि पृथक्करण योजना से हमारे रणनीतिक कार्यक्रम, त्रिस्तरीय परमाणु कार्यक्रम की सत्यनिष्ठा और हमारी अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों की स्वायत्तता पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा।...(*व्यवधान*)

इस करार से भारत की वर्तमान तथा भावी रणनीतिक जरूरतों के लिए विखण्डन सामग्री उत्पादित करने और इसका इस्तेमाल करने की इसकी योग्यता पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा। अपनी जरूरतों के लिए देश में ही स्वतंत्र रूप से विकसित परमाणु सुविधाओं के इस्तेमाल का हमारा अधिकार पूर्ण रूप से सुरक्षित रखा गया है। इस करार में यह प्रावधान भी है कि स्वयं के प्रयोजनों के लिए उत्पादित, अर्जित अथवा स्वतंत्र रूप से विकसित परमाणु सामग्री, गैर-परमाणु सामग्री, उपकरण, कलपुर्जों, सूचना अथवा प्रौद्योगिकी और सैन्य परमाणु सुविधाओं के इस्तेमाल से जुड़ी हमारी गतिविधियों में न तो कोई बाधा आएगी और न ही उनमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप होगा...(*व्यवधान*)

सहयोग की समाप्ति:

यदि भविष्य में कोई ऐसी घटना घटती है जिसका किसी एक पक्ष द्वारा सहयोग को समाप्त करने अथवा करार को रद्द करने के कारण के रूप में उल्लेख किया जाता हो तो इसके लिए करार में एक व्यापक बहुस्तरीय विचार-विमर्श की प्रक्रिया की व्यवस्था है। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि वे अपने विचार-विमर्श में कई कारकों को ध्यान में रखेंगे ताकि अविचारित अथवा एकपक्षीय कार्रवाई की गुंजाइश को कम किया जा सके। अमरीका द्वारा सहयोग को समाप्त करने की मांग तभी की जा सकती है जब वह इस करार को निरस्त करने का कड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हो। करार के रद्द हो जाने के बाद भी भारत का "सुधारात्मक उपाय" करने का अधिकार बरकरार रहेगा।...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: आप सभी इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री की भी बात नहीं सुन रहे हैं। पूरा राष्ट्र आपको देख रहा है।

डा. मनमोहन सिंह: इस करार के रद्द होने तथा किसी पक्ष द्वारा सहयोग समाप्त करने की स्थिति में प्रत्येक को एक दूसरे को दी गई परमाणु सामग्री और उपकरण वापस लौटाने का अधिकार होगा। लेकिन, करार में इस बात की व्यवस्था है कि लौटाने के अधिकार का प्रयोग करने से पूर्व दोनों पक्षों को सलाह-मशविरा करने और राष्ट्रीय सुरक्षा, चल रहे करारों और परियोजनाओं, बाजार दरों पर मुआवजा, वास्तविक सुरक्षा और पर्यावरणीय मुद्दों जैसे विशेष कारकों को ध्यान में रखना होगा। भारत और अमरीका उन परिस्थितियों पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर राजी हुए हैं जिनसे करार रद्द हो सकता है। इन परिस्थितियों में सुरक्षा माहौल में बदलाव के बारे में किसी एक पक्ष की चिंताएं अथवा अन्य देशों द्वारा इसी प्रकार की कार्रवाई, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ सकता है, पर प्रतिक्रिया जताना

[डा. मनमोहन सिंह]

शामिल है। इस करार में यह भी व्यवस्था की गई है कि दोनों पक्ष यह मानते हैं कि लौटाने के अधिकार का प्रयोग करने पर दोनों पक्षों के संबंधों पर गंभीर असर पड़ेगा और इसके दुष्परिणाम होंगे...*(व्यवधान)*

भारत के दृष्टिकोण से हमारा प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पृथक्करण योजना में दिए गए विस्तृत ईंधन आपूर्ति के आश्वासनों, जिनका उल्लेख अब समझौते में पूरी तरह से कर दिया गया है, के संदर्भ में हमारे परमाणु रिएक्टर्स बिना किसी बाधा के कार्य करते रहें। इस करार में ईंधन आपूर्ति के आश्वासनों और "सुधारात्मक उपाय" करने के भारत के अधिकारें के संबंध में विशेष रूप से इस बात का उल्लेख है कि इस बारे में "सुधारात्मक उपाय" करने के अधिकार सहित भारत के अधिकारों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की जाएगी। इससे भारत के रिएक्टर्स का अबाधित प्रचालन सुनिश्चित होगा...*(व्यवधान)* इसमें वे सब बातें आ गई हैं जो जुलाई के वक्तव्य और मार्च की पृथक्करण योजना में बनी सहमति के अनुरूप है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हैं? मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है। क्या देश के प्रधानमंत्री के साथ इस तरह से व्यवहार किया जाता है? क्या आपको इस पर शर्मिन्दगी महसूस नहीं होती?

...*(व्यवधान)*

डा. मनमोहन सिंह: इस समझौते की महत्वपूर्ण और नवीनतम विशेषताएं ये हैं कि इसमें, विदेशों से सप्लाई किए गए रिएक्टर्स के अबाधित रूप से प्रचालन करने और ईंधन आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में "सुधारात्मक उपाय" करने के अधिकार का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ...*(व्यवधान)* ऐसा इसलिए संभव हो पाया है कि इसने प्रावधानों को इस प्रकार से तैयार किया है कि इनसे करार में उल्लिखित अधिकार और प्रतिबद्धताएं स्पष्ट और परस्पर संबद्ध हैं...*(व्यवधान)*

यह करार किसी भी प्रकार से भविष्य में परमाणु परीक्षण करने के भारत के अधिकार को प्रभावित नहीं करता, यदि ऐसा करना भारत के राष्ट्रीय हित के लिए जरूरी हो।...*(व्यवधान)* अतः मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि भविष्य में परमाणु परीक्षण करने का निर्णय हमारा सम्प्रभु निर्णय होगा और यह निर्णय पूरी तरह से सरकार के अधिकार में होगा। इस समझौते में ऐसा कुछ भी नहीं है जो भविष्य में सरकार को कुछ करने से रोके या भारत की सुरक्षा और रक्षा जरूरतों का बचाव करने के इसके विकल्पों पर कानूनी बंधन लगाता हो।...*(व्यवधान)*

संक्षेप में, यह करार किसी भी प्रकार से हमारी रणनीतिक स्वायत्तता अथवा क्षमताओं पर रोक नहीं लगाता अथवा उन्हें प्रतिबंधित अथवा कम नहीं करता। हमारे त्रिस्तरीय परमाणु विद्युत कार्यक्रम का हमारा अधिकार बरकरार है।...*(व्यवधान)* सहयोग को रोक देने की किसी अप्रत्याशित स्थिति में सुधारात्मक उपायों के संबंध में हमारे अधिकारों में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। हमारे रिप्रोसेसिंग अधिकार सबसे ऊपर हैं और स्थाई हैं। उन्नत अनुसंधान और विकास कार्यक्रम और आई.पी.आर. सुरक्षा पूरी तरह से सुरक्षित हैं।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा है, यह करार भारत और अमरीका के बीच 'परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण इस्तेमाल' के लिए किया गया करार है। इस करार के अस्तित्व के आने के पीछे भारत और अमरीका के बीच परस्पर यह धारणा रही है कि दोनों ही देशों को अपनी ऊर्जा संबंधी चुनौतियों का पर्यावरण-अनुकूल तरीके से हल ढूंढने की जरूरत है।...*(व्यवधान)* भारत के लिए यह बेहद जरूरी है कि यदि हमें गरीबी हटाने के अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो हमें अपने सकल घरेलू उत्पाद की मौजूदा 8 से 10 प्रतिशत की वार्षिक विकास दर को बनाए रखना होगा। अगले दो दशकों में इस विकास दर को बनाए रखने के लिए ऊर्जा का व्यापक महत्व है।...*(व्यवधान)* यदि हम अपने कोयला, तेल, गैस और जल विद्युत के समस्त ज्ञात स्रोतों का दोहन कर भी लें तब भी हमारे सामने मांग और पूर्ति के बीच बड़ा भारी अंतर बना रहेगा।...*(व्यवधान)*

भारत के त्रिस्तरीय परमाणु विद्युत कार्यक्रम से भविष्य के लिए काफी उम्मीदें हैं। इस त्रिस्तरीय कार्यक्रम के क्रमानुसार क्रियान्वयन के उपरांत आगे चलकर थोरियम-आधारित हमारी अनोखी प्रौद्योगिकी आर्थिक रूप से एक व्यवहार्य विकल्प बनेगी।...*(व्यवधान)* इस बीच, हमें ऊर्जा के हर संभावित स्रोत का पता लगाना होगा और उसका दोहन करना होगा। परमाणु ऊर्जा भारत के लिए एक तर्कसंगत विकल्प है। यूरेनियम की स्वदेशी स्रोतों से होने वाली आपूर्ति बेहद कम है और इसीलिए हमें अन्यत्र से यूरेनियम आपूर्ति की आवश्यकता है।...*(व्यवधान)* एक वैश्वीकृत दुनिया में प्रौद्योगिकी सदैव ही एक अमूल्य चीज होती है और इस बारे में हम अपनी नई दिशाएं तलाशना चाहते हैं। हम

असैनिक परमाणु ऊर्जा में अन्य देशों, विशेषकर रूस और फ्रांस जैसे बड़े परमाणु आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ सहयोग को आगे बढ़ाना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

हमारे पास पहले से ही एक व्यापक परमाणु आधारभूत ढांचा मौजूद है। इस क्षेत्र में हमारे पास कुशल और तकनीकी रूप से सक्षम लोगों की एक विशाल फोज मौजूद है।...*(व्यवधान)* इस बहुमूल्य परिसंपत्ति को सुदृढ़ बनाना हमारे लिए सर्वथा उचित है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारा लक्ष्य वर्ष 2020 तक 20,000 मेगावाट परमाणु विद्युत पैदा करना है।...*(व्यवधान)* हालांकि यह काफी कम है, लेकिन यदि हमें एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय सहयोग हासिल हो जाता है तो हम इस लक्ष्य को दुगुना करने की उम्मीद रख सकते हैं...*(व्यवधान)*

भारत-अमरीका द्विपक्षीय करार और अन्तरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी के साथ भारत-विशिष्ट सुरक्षा निगरानी करार, जो कि जल्दी ही किया जाने वाला है, के आधार पर परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह द्वारा अपने दिशा-निर्देशों में परिवर्तन करने की आशा है ताकि असैनिक परमाणु ऊर्जा और इससे जुड़ी सभी दोहरे इस्तेमाल वाली प्रौद्योगिकियों में भारत के साथ अन्तरराष्ट्रीय व्यापार किया जा सके। इससे भारत पर पिछले तीन दशकों से भी अधिक समय से लगे प्रौद्योगिकी प्रतिबंध समाप्त होने की दिशा में नई शुरुआत होगी।...*(व्यवधान)*

जहां एक ओर इस करार का हमारे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के हमारे उद्योगों के विकास को भी काफी अधिक बढ़ावा मिलेगा। अमरीका और प्रौद्योगिकी रूप से उन्नत अन्य देशों के साथ तेजी से उच्च प्रौद्योगिकी व्यापार बढ़ेगा।...*(व्यवधान)*

इस पहल से भारत को प्राप्त होने वाले एक और महत्वपूर्ण लाभ की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम अपने वैज्ञानिकों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक विचारों और तकनीकी ज्ञान के आदान-प्रदान में हिस्सा लेने और ऊर्जा सुरक्षा तथा पर्यावरण बदलाव की विश्वव्यापी चुनौतियों का सामना करने के वैश्विक प्रयासों में योगदान देने के अवसर उपलब्ध कराएंगे। इसमें अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्युक्लियर रिसर्च रिएक्टर अथवा आई.टी.ई.आर. परियोजना शामिल है जिसमें तकनीकी रूप से उन्नत चंद इने-गिने देशों के साथ भारत पहले ही एक पूर्ण और बराबर के सदस्य के रूप में शामिल हो चुका है।...*(व्यवधान)*

इस विषय पर चर्चाओं में स्वतंत्र विदेश नीति के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में सवाल खड़े किए गए हैं। मैंने मार्च और अगस्त, 2006 में संसद में दिए गए अपने वक्तव्यों में इस संबंध में सरकार के रुख को स्पष्ट कर दिया था। मैंने इस बात को विशेष रूप से रेखांकित किया था कि एक ऐसी विदेश नीति, जो अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, को अपनाना हमारे राष्ट्र निर्माताओं की विरासत है और मेरी सरकार इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भारत जो इतना बड़ा और महत्वपूर्ण देश है, उसकी विदेश नीति की स्वतंत्रता को कोई शक्तिशाली देश छीन नहीं सकता। आज भारत अंतरराष्ट्रीय समुदाय के एक प्रभावशाली और सम्मानित सदस्य के रूप में विश्व मंच पर खड़ा है। हमें सोचने और काम करने की अपनी पूरी आजादी है। ...*(व्यवधान)*

मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि अमरीका, रूस, चीन, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, तथा जापान जैसी सभी विश्व ताकतों के साथ आज हमारे संबंध पहले से कहीं अधिक प्रगाढ़ हैं। पश्चिम, पूर्व, दक्षिण-पूर्व, तथा मध्य एशिया के साथ हमारे संबंधों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है जिसके परिणाम सामने दिखने लगे हैं। हम अफ्रीका तथा लैटिन अमरीका के साथ अपने संबंधों को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। दक्षिण एशिया में हम एक ऐसा शान्तिपूर्ण माहौल बनाना चाहते हैं जो विकास के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करने के अनुकूल हो। जो लोग स्वतंत्र विदेश नीति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वे भारत के प्रति उसी तरह का विश्वास जताएं जैसा कि दूसरे बाहर से जताते हैं। ...*(व्यवधान)*

महोदय, इस प्रकार, यह सवाल ही नहीं उठता कि हम कभी भी अपनी अंतरराष्ट्रीय विदेश नीति के साथ कोई समझौता करेंगे। हम अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखेंगे। इसके साथ ही, हमें परमाणु निरस्त्रीकरण और परमाणु हथियारों की दौड़ सहित किसी भी तरह की हथियारों की दौड़ में भाग न लेने के महान आदर्शों के प्रति भारत की लम्बे समय से चली आ रही प्रतिबद्धता को भी नहीं भूलना चाहिए। परमाणु हथियारों को सार्वभौमिक रूप से और बिना किसी भेदभाव के तथा पूरी तरह से समाप्त किये जाने की हमारी वचनबद्धता आज भी कायम है। परमाणु हथियार रहित दुनिया की यही कल्पना श्री राजीव गांधी ने 1988 में संयुक्त राष्ट्र के समक्ष रखी थी और आज भी इसे सार्वभौमिक समर्थन प्राप्त है।...*(व्यवधान)*

महोदय, हम परमाणु परीक्षण पर स्वेच्छा से और

[डा. मनमोहन सिंह]

इकतरफा अस्थाई रोक के प्रति वचनबद्ध हैं। हम निरस्त्रीकरण सम्मेलन में विखण्डनीय सामग्री कटौती संधि या एफ.एम.सी.टी. पर वार्ता के लिए भी वचनबद्ध हैं। निरस्त्रीकरण सम्मेलन में जब भी सहमति बनती है, भारत भेदभाव रहित, बहुपक्षीय वार्तायुक्त, और अन्तरराष्ट्रीय रूप से सत्यापनीय विखण्डनीय सामग्री कटौती संधि में शामिल होना चाहता है, बशर्ते कि यह हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के अनुकूल हो...*(व्यवधान)*

चाहे सरकार बदली हो या राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव आया हो लेकिन हमने वैश्विक उत्तरदायित्व की भावना के साथ और विश्व परमाणु निरस्त्रीकरण सहित व्यापक एवं पूर्ण निरस्त्रीकरण के आदर्शों के प्रति वचनबद्ध होकर हमेशा अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखा है। इस सरकार का यह मानना है कि इन आदर्शों के प्रति हमारी वचनबद्धता और इन्हें हासिल करने के हमारे प्रयास और भी जोर-शोर से जारी रहने चाहिए क्योंकि अब हम एक परमाणु शस्त्र सम्पन्न राष्ट्र बन चुके हैं। हमारे पास परमाणु हथियारों का होना हमारी जिम्मेदारी के एहसास को बढ़ाता ही है उसे कम नहीं करता।...*(व्यवधान)*

जहां तक विचाराधीन विश्व परमाणु निरस्त्रीकरण का संबंध है, भारत के परमाणु अप्रसार का त्रुटिहीन रिकार्ड बनाए रखा है। एक जिम्मेदार परमाणु ताकत के रूप में भारत संवेदनशील प्रौद्योगिकियों के प्रसार का स्रोत नहीं बनेगा। हम विश्व अप्रसार उद्देश्यों को सुदृढ़ करने के पक्षधर हैं क्योंकि इस व्यवस्था में कमियों के कारण हमारे सुरक्षा हितों पर असर पड़ा है। हम अप्रसार के अपने साझे उद्देश्य को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करेंगे।...*(व्यवधान)*

इससे पहले कि भारत अंतरराष्ट्रीय मुख्यधारा में एक पूर्ण और बराबर के भागीदार के रूप में शामिल हो, हमें अभी दूसरे महत्वपूर्ण पड़ाव पार करने हैं। हमें अन्तरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ भारत-विशिष्ट सुरक्षा निगरानी करार को अंतिम रूप देना है। उसके बाद परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह द्वारा सर्वसम्मति से भारत के साथ परमाणु व्यापार को सुकर बनाने के लिए अपने दिशा-निर्देशों में परिवर्तन करने और हमारे देश पर दोहरे इस्तेमाल वाली प्रौद्योगिकियों और मदों के अंतरण पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने पर राजी होना होगा, जिसकी हमें बिना शर्त उम्मीद है। अमरीकी प्रशासन अमरीकी कांग्रेस से अपेक्षित अनुमोदन हासिल करेगा। इन कदमों के साथ ही यह पहल व्यावहारिक तौर पर मूर्त रूप ले पाएगी...*(व्यवधान)*

हमारे वार्ताकारों को इस उपलब्धि का श्रेय मिलना चाहिए कि उन्होंने हमारे देश को एक ऐसा करार हासिल करने में सहायता की है जो हमारे देश के आर्थिक परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखता है। यह एक ऐसा करार है जिससे हम ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण को बचाए रखने की अपनी दोहरी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो सकेंगे और जिससे भारत के खिलाफ दशकों से लगे वे प्रौद्योगिकी प्रतिबंध हट सकेंगे जो हमारे विकास की राह में एक बड़ी बाधा रहे हैं। इसके साथ ही, इससे भारत को उसका उचित सम्मान मिलेगा जिसका वह हकदार भी है इसके लिए हमारे परमाणु विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान तथा अन्य उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों के वैज्ञानिक अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए साधुवाद के पात्र हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, भारत-अमरीकी करार देश के हितों के विरुद्ध है। इसका हमारी स्वतंत्र नीति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। हम 'हाईड अधिनियम' के हानिकारक प्रावधानों का विरोध करते हैं। परमाणु करार पर पुनः वार्ता की जानी चाहिए। इसीलिए हम इसके विरोध में बहिर्गमन करते हैं।

अपराह्न 2.27 बजे

(इस समय श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए)

डा. मनमोहन सिंह: अध्यक्ष महोदय, इस ऐतिहासिक पहल को राष्ट्रपति बुश और उनके प्रशासन के वरिष्ठ सदस्यों का सतत् सहयोग मिला है। हमारे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और उन्हें आगे बढ़ाना एक उद्देश्य है, जिसके लिए उन्होंने बिना शर्त व्यक्तिगत सहयोग दिया है और उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। अपने उद्देश्य में हम कितना आगे बढ़ चुके हैं, यह करार उसका शानदार उदाहरण है ...*(व्यवधान)*

महोदय, आखिर में, मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि हमने एक ऐसा करार किया है जो न केवल भारत के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी अच्छा है। मैंने न तो बढ़ा-चढ़ाकर बातें कहीं हैं और न ही मेरी कभी स्वयं ही बधाई लेने की मंशा रही है। मैं समझता हूं कि इतिहास और हमारी भावी पीढ़ी इसका फैसला करेगी कि हमने इस करार के जरिए जो कुछ किया है उसका कितना महत्व है। आने वाले दिनों में यह दिखेगा कि न केवल अमरीका बल्कि विश्व के तमाम देश भारत के साथ अपने संबंधों में एक नए संतुलन पर पहुंचना चाहते

हैं। अमरीका के साथ इस करार से विश्व भर की राजधानियों में नए द्वार खुलेंगे। विश्व परिषदों में भारत का उचित स्थान फिर से हासिल करने की हमारी यात्रा में यह एक और कदम है। जब भावी पीढ़ियां पीछे मुड़कर देखेंगी तो वे इस ऐतिहासिक करार के महत्व को स्वीकार करेंगी।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.28 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा-पटल पर पत्र रखे जाएं। श्री अजय माकन।

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): महोदय मैं अपने सहयोगी श्री एस. जयपाल रेड्डी की ओर से दिल्ली मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 की धारा 102 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) दिल्ली मेट्रो रेल (दावा आयुक्त का वेतन, भत्ते, सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2007 जो 26 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 235(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) दिल्ली मेट्रो रेल (दावा आयुक्त के कदाचार या असमर्थता की जांच की प्रक्रिया) नियम, 2007 जो 26 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 236(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) दिल्ली मेट्रो रेल (दुर्घटना के कारण मृत्यु और क्षति हो जाने की स्थिति में दावा आयुक्त द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा देय प्रतिकर की राशि) नियम, 2007 जो 26 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 237(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6663/2007)

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 123(2)(क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रपति द्वारा 21 जून, 2007 को प्रख्यापित भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (2007 का संख्यांक 5)।

(2) राष्ट्रपति द्वारा 4 जुलाई, 2007 को प्रख्यापित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) अध्यादेश, 2007 (2007 का संख्यांक 6)।

(ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6664/2007)

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): अध्यक्ष महोदय मैं श्री तस्लीमुद्दीन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(एक) कोऑपरेटिव स्टोर लिमिटेड (सुपर बाजार), नई दिल्ली के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कोऑपरेटिव स्टोर लिमिटेड (सुपर बाजार), नई दिल्ली के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6665/2007)

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय, मैं श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय जीवन बीमा निगम सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ समूह (चयन, सेवा के निबंधन और शर्तें तथा भत्ते का संदाय) नियम, 2007 जो 25 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 304 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग-। अधिकारी (सेवा के निबंधन और शर्तों का पुनरीक्षण)

[श्री पवन कुमार बंसल]

संशोधन नियम, 2007 जो 25 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 305 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग-III और वर्ग-IV कर्मचारी (सेवा के निबंधन और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 2007 जो 25 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 306 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6666/2007)

(2) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 49 की उप-धारा (3) के अंतर्गत जीवन बीमा निगम (संशोधन) विनियम, 2007 जो 25 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 11013/12/2007 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6667/2007)

(3) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2007, जो 12 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 349 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 370 (अ) जो 22 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अचल सम्पत्ति को किराए पर देने के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा प्रदत्त कर योग्य सेवा को स्थानीय निकायों को सेवा प्रदाता द्वारा वास्तव में संदत्त सम्पत्ति कर की राशि पर देय सेवा कर के बराबर सेवा कर से, 1-6-2007 से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 371 (अ) जो 22 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वाणिज्यिक या औद्योगिक निर्माण सेवा, और किसी बन्दरगाह या अन्य बन्दरगाह के निर्माण के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को दी गई निर्माण कार्य निष्पादन संविदा के संबंध में प्रदत्त सेवाओं को उन पर उद्ग्रहणीय समस्त सेवा कर से, 1-6-2007 से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 372 (अ) जो 22 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय, 7 जून, 2005 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 358 (अ) को निरस्त करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 373(अ) जो 22 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा, 31 दिसम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 849 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम, 2007, जो 22 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 374 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सेवा कर (मूल्य का निर्धारण) (संशोधन) नियम, 2007, जो 22 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 375 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सेवाओं का निर्यात (दूसरा संशोधन) नियम, 2007, जो 22 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 376 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सेवाओं का कराधान (भारत के बाहर से प्रदत्त तथा भारत में प्राप्त) (संशोधन) नियम, 2007, जो 22 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 377 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) संकर्म संविदा (सेवा कर के संदाय के लिए संयोजन योजना) नियम, 2007, जो 22 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 378 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6668/2007)

(4) सेवाओं का निर्यात नियम, 2005 की धारा 5 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 350 (अ) जो 12 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 अप्रैल, 2005 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 239 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 351 (अ) जो 12 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 अप्रैल, 2005 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 240 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6669/2007)

(5) वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 135 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 369 (अ) जो 22 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा जून, 2007 के प्रथम दिवस को ऐसी तारीख के रूप में नियत किया गया है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 135 के खण्ड (क) और (ख) के उपबंध प्रवृत्त होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6670/2007)

(6) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सेनवेट क्रेडिट (चौथा संशोधन) नियम, 2007, जो 25 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 309 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 307 (अ) जो 25 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिसका आशय 10 वर्षों की अवधि के लिए नई उत्तर पूर्व औद्योगिक और निवेश संवर्द्धन नीति को प्रभावी बनाने के लिए सिक्किम सहित उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाइयों के लिए उत्पाद शुल्क छूट योजना उपलब्ध कराना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 308 (अ) जो 25 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित 4 अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 321 (अ) जो 3 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 3/2006-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 322 (अ) जो 3 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 4/2006-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 323 (अ) जो 3 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 6/2006-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 347 (अ) जो 12 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2007 की अधिसूचना संख्या 18/2007-के.उ.शु. को निरस्त करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सेनवेट क्रेडिट (छठा संशोधन) नियम, 2007 जो 12 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 348 (अ) में

[श्री पवन कुमार बंसल]

प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 428 (अ) जो 14 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या 32/2005-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 478 (अ) जो 10 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 64/95-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 418 (अ) जो 6 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 22/2003-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 474 (अ) जो 6 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखी गईं। **देखिए** संख्या एल.टी. 6671/2007)

(7) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 310 (अ) जो 25 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 5क के दृष्टिकोण से पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित इकाइयों में उपयोग नहीं किए गए सेनवेट क्रेडिट के प्रतिदाय का दावा करने के लिए प्रक्रिया/शर्तें विहित की गई हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6672/2007)

(8) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) बौद्धिक संपदा अधिकार (आयातित माल) प्रवर्तन नियम, 2007 जो 8 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 331 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 332 (अ) जो 8 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 18 जनवरी, 1964 की अधिसूचना संख्या 1/64-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 333 (अ) जो 8 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय बौद्धिक संपत्ति विधियों नामशः प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957, व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999, पेटेन्ट अधिनियम, 1970, डिजाइन अधिनियम, 2000 और माल के भूगोलीय सूचक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 के अंतर्गत अधिकार धारकों के बौद्धिक संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन करने वाले माल के आयात को निषिद्ध करना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 334 (अ) जो 8 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो व्यापार और पण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम, 1958 और व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 के कतिपय प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए माल के निर्यात को निषिद्ध करती है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 324 (अ) जो 3 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 325 (अ) जो 3 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके आशय '62 प्रतिशत और उससे कम एफ.ई. के आयरन और फाईन्स' के निर्यात पर सीमा शुल्क को 300 रुपये प्रति

टन से घटाकर 50 रुपये प्रति टन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 344 (अ) जो 12 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2007 की अधिसूचना संख्या 21/2007-सी.शु. को निरस्त करना तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 345 (अ) जो 12 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2007 की अधिसूचना संख्या 28/2007-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 345 (अ) जो 12 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2007 की अधिसूचना संख्या 27/2007-सी.शु. को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 355 (अ) जो 14 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2007 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 414 (अ) जो 5 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 12 मई, 2000 की अधिसूचना संख्या 60/2000-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 453 (अ) जो 29 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2006 की अधिसूचना संख्या 67/2006-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 454 (अ) जो 29 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2006 की अधिसूचना संख्या 68/2006-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 463 (अ) जो 3 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आयातित स्प्रिट/लिकर, वाईन और बीयर पर अतिरिक्त सीमा शुल्क में छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा.का.नि. 466 (अ) जो 4 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 जुलाई, 2004 की अधिसूचना संख्या 69/2004-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 476 (अ) जो 10 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/96-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 417 (अ) जो 6 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित तीन अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि. 473 (अ) जो 6 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित पांच अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल.टी. 6673/2007)

(9) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 316 (अ) जो 30 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट पार्टियों द्वारा उत्पादित तथा निर्यातित औद्योगिक विट्रिफाइड टाईलों को छोड़कर अन्य विट्रिफाइड तथा पोर्सिलेन टाइलों के आयात पर लगाए गए

[श्री पवन कुमार बंसल]

प्रति-पाटन शुल्क में अनंतिम रूप से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 317 (अ) जो 30 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 मार्च, 2007 की अधिसूचना संख्या 38/2007-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 329 (अ) जो 7 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्‌भूत, या वहां से निर्यातित जिंक ऑक्साइड के आयात पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा सनसेट रिव्यू निष्कर्ष की गई सिफारिशों के आधार पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 336 (अ) जो 9 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 फरवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या 37/2004-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 337 (अ) जो 9 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा कीमत परिवचन के प्रतिसंहरण को ध्यान में रखते हुए भारत के भीतर मैसर्स ताइवान पल्प एण्ड पेपर कॉरपोरेशन, ताइवान (चीनी ताइपे) द्वारा निर्यातित किसी भी विनिर्देशन के पोटाशियम कार्बोनेट के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 343 (अ) जो 11 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मई, 2003 की अधिसूचना संख्या 73/2003-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 436 (अ) जो 19 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूरोपीय संघ, चीन ताइपे, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका में उद्‌भूत या वहां से निर्यातित एसीटोन के भारत में आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 452 (अ) जो 29 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, हांगकांग, सिंगापुर और चीन ताइपे में उद्‌भूत या भारत को निर्यातित कम्पैक्ट डिस्क रिकार्डेबल्स के आयात पर सुनिश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 477 (अ) जो 10 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और चीन ताइपे में उद्‌भूत या वहां से निर्यातित पार्शियली ओरिएन्टेड यार्न के आयात पर सनसेट रिव्यू निष्कर्ष में अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुसंशित दरों पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6674/2007)

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6675/2005)

(3) भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों की व्याख्या करने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6676/2007)

अपराह्न 2.31 बजे

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मैं 27 अप्रैल, 2007 को सभा द्वारा दी गई पिछली सूचना के पश्चात् चौदहवीं लोक सभा के दसवें सत्र के दूसरे भाग के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 5 विधेयक सभा पटल पर रखता हूं:-

1. विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2007;
2. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2007;
3. वित्त विधेयक, 2007;
4. मिजोरम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007; और
5. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2007

मैं संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दस विधेयकों की प्रतियां, राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित, भी सभा पटल पर रखता हूं:-

1. खेलकूल प्रसारण सिग्नल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) विधेयक, 2007;
2. बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2007;
3. राष्ट्रीय कर अधिकरण (संशोधन) विधेयक 2007;
4. राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2007;
5. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (जम्मू कश्मीर पर विस्तार) विधेयक, 2007;
6. केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2007;
7. विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2007;
8. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2007;
9. केन्द्रीय सड़क निधि (संशोधन) विधेयक, 2007; और
10. भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक विधि) संशोधन विधेयक, 2007।

(ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6677/2007)

अपराह्न 2.31½ बजे

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

बारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोल बाग): महोदय, मैं 'अनिवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं की दुर्दशा' विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2006-07) का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

सभा का कार्य

अपराह्न 2.32 बजे

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुंशी): महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि सोमवार, 13 अगस्त, 2007 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के दौराम निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जाएगा:-

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

1. वाणिज्य पोत (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार और उसे पारित करना।

2. भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 2007 के निरनुमोदन की अनुमति प्राप्त करने और भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार और उसे पारित करने संबंधी सांविधिक संकल्प पर चर्चा।

3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) अध्यादेश, 2007 के निरनुमोदन की अनुमति प्राप्त करने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) विधेयक, 2007 पर विचार और उसे पारित करने संबंधी सांविधिक संशोधन पर चर्चा।

4. वर्ष 2007-08 की अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा और उन पर मतदान।

5. अन्तर्देशीय जलयान (संशोधन) विधेयक, 2005 पर राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के बाद विचार और उसे पारित करना...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रो. के.एम. कादर मोहिदीन

प्रो. के.एम. कादर मोहिदीन (वेल्लौर): अगले सप्ताह निम्नलिखित मदें सम्मिलित की जाएं-

1. देश भर में, विशेष रूप से उर्दू माध्यम के विद्यालयों में भाषायी अल्पसंख्यक विद्यालयों को शतप्रतिशत सर्व शिक्षा अभियान का योगदान

2. अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिमों को सरकारी नौकरियों और शैक्षाणिक संस्थानों में समुचित आरक्षण

अध्यक्ष महोदय: श्री बची सिंह रावत 'बचदा'

श्री के. फ्रान्सिस जार्ज

...*(व्यवधान)*

डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनी राम शांडिल्य (शिमला): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किए जाएं-

1. इस तथ्य के बावजूद कि हिमाचल प्रदेश ने विकास के विभिन्न क्षेत्रों में शानदार सफलता हासिल की है, 60 लाख हिमाचल वासियों की अपनी कोई राजभाषा नहीं है। "पहाड़ी हिमाचली" भाषा को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता है।

2. हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान तथा जलवायु परिवर्तन के कारण सेब की फसल में फैली अनेक बीमारियों के परिणामस्वरूप राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श से कृषि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के समान्वित प्रयासों से सेब उत्पादकों की सहायता के लिए इस फसल को राष्ट्रीय बीमा कवच के दायरे में लाए जाने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मद संख्या 11, श्री ए.के. एंटनी

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप लोग अपनी सीट पर जाइए, आपने अपनी बात कह दी है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मद संख्या 12, ध्यानाकर्षण - डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री बसुदेव आचार्य

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा

श्री बृज किशोर त्रिपाठी

अपराह्न 2.34 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, सभा नियम 377 के अधीन मामलों पर विचार करेगी।

...*(व्यवधान)*

(एक) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव (अलवर): अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1947 में स्थापित राजस्थान विश्वविद्यालय देश की आजादी के 60 वर्ष पूर्ण कर चुका है। प्रदेश के जयपुर स्थित इस विश्वविद्यालय में विज्ञान, कला से संबंधित विषयों के संकाय हैं। लम्बे-चौड़े भू-भाग में स्थित इस विश्वविद्यालय में भविष्य में उन्नयन की विपुल संभावनाएं हैं। विश्व प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक एवं अर्थशास्त्री इस विश्वविद्यालय ने देश को दिए हैं। भारत सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि हर प्रदेश में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना होगी।

मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी व मानव संसाधन विकास मंत्री जी से यह प्रार्थना है कि राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में पुनर्स्थापित किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री एस.के. खारवेनथन

श्री इकबाल अहमद सरडगी

श्री वी.के. ठुम्मर

(दो) अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, गुजरात में भावनगर - ढासा रेललाइन पर एक रेल पुल के निर्माण कार्य में तेज़ी लाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री वी.के. ठुम्मर (अमरेली): मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली के भावनगर एवं ढासा रेलवे मार्ग पर ढासा के पास एक रेलवे पुल बन रहा है जिसके कारण इस पुल के बनने से यातायात का डाईवरसन किया गया है। इस डाईवरसन की वजह से आए दिन यहां पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं और यातायात जाम हो जाता है। इस पुल के निर्माण में नाहक देरी की जा रही है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उक्त पुल को शीघ्र बनाकर सड़क यातायात को दुरुस्त करने में मदद की जाए और तब तक बाईपास को ठीक करवाया जाए।

...*(व्यवधान)*

(तीन) देश में ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए जिला प्रशासन को केन्द्रीय निधियां सीधे जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री जीवाभाई ए. पटेल (मेहसाना): भारत सरकार ने ग्रामीण विकास करने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। केन्द्र सरकार से करोड़ों रुपया आबंटित हो रहा है और इन योजनाओं को राज्य सरकारों से लागू किया जा रहा है। इन योजनाओं में जितना पैसा खर्च हो रहा है उतना लाभ ग्रामीण क्षेत्र में नहीं हो पा रहा है। स्व. राजीव गांधी भी कहा करते थे कि देश में एक रुपया देते हैं और लोगों तक 15 पैसे ही पहुंचते हैं। ग्रामीण विकास योजनाओं में यह भी आलोचना की जाती है कि ग्रामीण विकास योजनाओं में किसी अधिकारी का उत्तरदायित्व नहीं है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि ग्रामीण विकास योजनाओं की केन्द्र सरकार द्वारा जो राशि आबंटित की जाती है वह सीधे जिले प्रशासन को दी जाए और जिला प्रशासन ही इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार हो।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर

प्रो. प्रेम कुमार धूमल

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं क्या कर सकता हूं? आप जो भी कहेंगे उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, इसे सभा-पटल पर रखा गया माना जाएगा।

(चार) हिमाचल प्रदेश में उद्योगों के लिए टैक्स-होलीडे स्कीम को जारी रखे जाने तथा उसका वर्ष 2020 तक विस्तार किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

***प्रो. प्रेम कुमार धूमल** (हमीरपुर): महोदय, मैं केन्द्र सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश उच्च पर्वतीय शृंखलाओं में स्थित सीमावर्ती प्रांत है, जिसके

---

*सभा पटल पर रखा माना गया।

[प्रो. प्रेम कुमार धूमल]

कारण वहां आर्थिक गतिविधियां बहुत कम तथा कृषि कार्य न्यून है। जब से देश की सेना में भर्ती का आधार संबंधित प्रदेश की आबादी हुई है तब से हिमाचल प्रदेश से सेना में कम भर्ती होती है। इसलिए वहां बेरोजगारी बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए एन.डी.ए. सरकार ने प्रदेश को 2002 में एक विशेष औद्योगिक पैकेज दिया था, जिसमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं आयकर आदि मदों की टैक्सों में वर्ष 2013 तक छूट दी है। इससे लघु उद्योगों के साथ-साथ एंसीलियरी उद्योग पनप रहे हैं। फलस्वरूप रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं।

महोदय, मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि भारत सरकार हिमाचल प्रदेश में उद्योगों को दी गई छूट वापस लेने पर विचार कर रही है। यदि ऐसा किया गया, तो वहां लघु तथा एंसीलियरी उद्योग बर्बाद हो जाएंगे और अंततः प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ेगी। अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि यदि वह इस प्रकार के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है, तो उसे तत्काल प्रभाव से त्याग दे और उद्योगों को दिए जा रहे प्रोत्साहनों को वर्ष 2013 से और आगे 2020 तक बढ़ाए, ताकि प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से विकसित हो।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री जी. करूणाकर रेड्डी

श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख

श्री महावीर भगोरा

डा. के.एस. मनोज

...*(व्यवधान)*

(पांच) ऑल इंडिया मेडिकल/डेंटल प्रवेश के लिए तीसरी काउंसिलिंग किए जाने तथा इसमें भारतीय चिकित्सा परिषद के नियम 10क के अंतर्गत सृजित अतिरिक्त सीटें शामिल किए जाने की आवश्यकता

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): महोदय, अखिल भारतीय कोटा के माध्यम से एम.बी.बी.एस./दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए दूसरी काउन्सिलिंग 27 जुलाई, 2007 को प्रारम्भ हो गई है। अधिकांश राज्य सरकारों ने काउन्सिलिंग का पहला दौर प्रारम्भ कर दिया है।

केरल में काउन्सिलिंग का तिथियां 23 जुलाई तक थीं और प्रवेश लेने की तिथि 2 अगस्त थी। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने 2004 की रिट याचिका (सिविल) 306; दिनांक 12-1-2003 के सम्बन्ध में विशेष तौर पर यह उल्लेख किया था कि केन्द्रीय काउन्सिलिंग के दूसरे दौर से कम-से-कम एक सप्ताह पहले राज्यों की काउन्सिलिंग पूरी हो जानी चाहिए। खाली रह गई रिक्तियों के बारे में इस एक सप्ताह के समय में डी.जी.एच.एस. को सूचित किया जा सकता है। चूंकि राज्य काउन्सिलिंग 3 अगस्त को ही पूरी हुई है, इसलिए दूसरी केन्द्रीय काउन्सिलिंग में नई रिक्तियों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। केन्द्रीय सूची के उन अभ्यर्थियों के साथ न्याय नैसर्गिक नहीं है। चूंकि सारी रिक्तियां 5 अगस्त के बाद हो रही हैं, इसलिए उन अभ्यर्थियों को उनकी पसंद का कालेज नहीं मिल पाएगा, जो दूसरी काउन्सिलिंग में भाग लेंगे। यद्यपि, ए.आई.आई.पी.एम. परीक्षा में 2.5 लाख विद्यार्थियों ने भाग लिया था, तथापि केन्द्रीय काउन्सिलिंग के माध्यम से 700 से कम विद्यार्थियों को ही प्रवेश मिलेगा।

वर्ष 2004, 2005 और 2006 के दौरान केन्द्रीय अभ्यर्थियों को 400 से अधिक स्थान आबंटित नहीं किए गए थे। इसलिए, अगस्त के मध्य में (राज्य काउन्सिलिंग का पहला दौर पूरा होने के बाद) तीसरी काउन्सिलिंग आयोजित किया जाना ही उनके साथ नैसर्गिक न्याय है। केवल तब ही राज्य-कोटा के लिए केन्द्रीय अभ्यार्थियों द्वारा खाली छोड़े गए स्थानों में से केन्द्रीय सूची के अभ्यर्थियों को स्थान आबंटित किए जा सकते हैं। मैं उच्चतम न्यायालय के निदेश में यथा निर्दिष्ट विभिन्न सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में एम.सी.आई. 10-क नियम के अन्तर्गत सृजित अतिरिक्त स्थानों में से 15 प्रतिशत स्थान सम्मिलित करने का भी निवेदन करता हूं।

इसलिए, मैं माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जी से अगले दौर की काउन्सिलिंग प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं, क्योंकि कुछ राज्यों जैसे केरल में प्रारम्भिक काउन्सिलिंग पूरी नहीं हुई है और दूसरी काउन्सिलिंग पूरी होने के बाद ही खाली स्थानों की स्थिति उपलब्ध होगी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री सुनील खां।

श्री रामजीलाल सुमन।

श्री रशीद मसूद

श्री राम कृपाल यादव

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अपने भाषण की प्रति सभा-पटल पर रख सकते हैं।

...(व्यवधान)

(छह) बिहार में जवाहर नवोदय विद्यालयों में उर्दू भाषा शिक्षण के लिए कक्षाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

***श्री राम कृपाल यादव** (पटना): बिहार में जवाहर नवोदय विद्यालयों में ऊर्दू भाषा की पढ़ाई शुरू नहीं की गई है। ऊर्दू भाषा बिहार की द्वितीय भाषा है और वहां इसकी नवोदय विद्यालयों में पढ़ाई न होना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बिहार में अल्पसंख्यकों की आबादी करीब 16-17 प्रतिशत है। खास बात यह है कि वहां मलयालम, कन्नड़, मराठी और तमिल भाषाओं की पढ़ाई होती है, जिसके पढ़ने वाले कोई विद्यार्थी नहीं हैं। जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि देश भर में लगभग 26 नवोदय विद्यालयों में ही ऊर्दू भाषा की पढ़ाई हो रही है। सच्चर कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए जो भी सिफारिशें की हैं, उसमें उनके पढ़ाई की ओर अधिक ध्यान देने की बात कही गई है।

अतः मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और आग्रह करता हूं कि बिहार में सभी नवोदय विद्यालयों में उर्दू भाषा की पढ़ाई जल्द से जल्द शुरू करने की व्यवस्था करने की कृपा करें। साथ ही साथ देश के सभी नवोदय विद्यालयों में भी उर्दू भाषा की पढ़ाई शुरू करने की योजना बनाने की कोशिश करनी चाहिए।

...(व्यवधान)

(सात) स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके उत्तराधिकारियों के लाभ के लिए एकराष्ट्रीय नीति/योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

****श्री के. वेणुगोपाल** (तिरूपतनूर): चूंकि हमारे देश ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के 60 वर्ष पूरे कर लिए हैं, इसलिए हम अपनी स्वतन्त्रता की हीरक जयंती मना रहे हैं। यह स्वाभाविक ही है कि हमारे स्वतन्त्रता सेनानियों की संख्या बहुत कम हो गई है। इन सभी वर्षों में स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए केन्द्रीय और विभिन्न राज्य स्तरों पर अलग-अलग पेंशन योजनाएं थीं। चूंकि अब, इन सेनानियों की कुल संख्या में काफी कमी आ गई है, अतः राष्ट्रीय स्तर पर एक समान पेंशन योजना तैयार की जाए और इसमें समानता सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार को इसके समस्त व्यय का वहन करना चाहिए। हमें अब स्वतन्त्रता सेनानियों के परिवारों के रहन-सहन की दशा के बारे में ब्यौरा एकत्र करना चाहिए और इस बात का पता लगना चाहिए कि उनमें से कितने परिवारों को उनकी बेहतरी के लिए कुछ प्रोत्साहन दिए जाने और योजना शुरू किए जाने की आवश्यकता है। जैसा कि हमारे संस्थापक नेता अन्नादुरै ने कहा है, स्वतन्त्रता दिवस किए गए कार्यों की समीक्षा करने अथवा राष्ट्रीय सामाजिक परीक्षा का दिन है। हमें इस बात का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हमारी आजादी के लिए जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, क्या हमने उनके साथ पर्याप्त शिष्टाचार बरता। क्या हमने उनका सम्मान किया और क्या हमने उन्हें सम्मान सहायता दी। हमारे मुख्यमंत्री करूणानिधि जी, जो हमारी स्वतन्त्रता की रजत, स्वर्ण और हीरक जयंती तीनों अवसरों के दौरान मुख्य अतिथि रहे हैं, ने स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए तमिलनाडु में स्वतंत्रता पेंशन वितरण योजनाओं को सुचारू बनाया और उनके स्मारक बनवाए।

इसलिए, मैं इस अवसर पर केन्द्र सरकार से यह आग्रह करता हूं कि वह स्वतन्त्रता सेनानियों की तीसरी पीढ़ी के उन उत्तराधिकारियों, जिन्हें वास्तव में मदद की आवश्यकता है, को नौकरियों की भर्ती में प्राथमिकता दे, औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए उद्यमियता विकास हेतु उदार ऋण सुविधाएं प्रदान करे और कुछ व्यवसायिक धंधे स्थापित करे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटिल।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री अर्जुन चरण सेठी।

...(व्यवधान)

*सभा पटल पर रखा माना गया।

**मूलत तमिल मे दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: श्री हेमलाल मुर्मू।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले।

(आठ) निजी क्षेत्र में नौकरियों में आरक्षण शुरू किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष जी, निजी क्षेत्र में आरक्षण कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में शामिल किया गया है। लेकिन 2 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, अभी तक निजी क्षेत्र में आरक्षण को लागू नहीं किया गया है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि सरकार निजी क्षेत्र में आरक्षण को लागू किए जाने संबंधी अति लोक महत्व के प्रकरण को अविलम्ब क्रियान्वित किए जाने हेतु सतत् पहल करे।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, सभा मद सं. 14 नियम 193 के अधीन मामलों पर विचार करेगी।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों मैं आप से वापस अपने-अपने स्थान पर जाने की गुजारिश करता हूं। देश में बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में यह बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा

श्री हन्नान मोल्लाह

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: सभा कल 14 अगस्त, 2007 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.44 बजे

तत्पश्चात्, लोकसभा मंगलवार, 14 अगस्त, 2007/23 श्रावण, 1929 (शक) पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री रशीद मसूद श्री असादूद्दीन ओवेसी	21
2.	श्री वी.के. ठुम्मर श्री रघुनाथ झा	22
3.	श्री पुन्नूलाल मोहले	23
4.	श्री महेश कनोडीया श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी	24
5.	डा. चिन्ता मोहन श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	25
6.	श्री काशीराम राणा	26
7.	श्री अर्जुन सेठी	27
8.	श्री हरिसिंह चावड़ा श्री जोवाकिम बखला	28
9.	श्री रामजीलाल सुमन श्री सूरज सिंह	29
10.	श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' श्री नवीन जिन्दल	30
11.	श्री सुग्रीव सिंह श्री इकबाल अहमद सरडगी	31
12.	श्री पी. मोहन श्री हंसराज ग. अहीर	32
13.	प्रो. एम. रामदास	33
14.	श्री सर्वे सत्यनारायण	34
15.	श्री गुरुदास दासगुप्त	35
16.	श्री धर्मेन्द्र प्रधान श्रीमती करूणा शुक्ला	36
17.	श्री जसुभाई धानाभाई बारड श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	37
18.	श्री एल. राजगोपाल	38
19.	प्रो. प्रेम कुमार धूमल श्री सनत कुमार मंडल	39
20.	श्री गिरधारी लाल भार्गव श्रीमती किरण माहेश्वरी	40

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री बसुदेव	182, 252
2.	आदित्यनाथ, योगी	148, 219
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	158, 227, 234, 264
4.	अहीर, श्री हंसराज जी.	202, 246, 281, 286
5.	अप्पादुरई, श्री एम.	146
6.	आठवले, श्री रामदास	180, 242, 267, 273, 282
7.	बारड, श्री जसुभाई धानाभाई	215
8.	बर्मन, श्री हितेन	189
9.	बर्मन, श्री रनेन	131, 222
10.	बखला, श्री जोवाकिम	201, 254
11.	भडाना, श्री अवतार सिंह	176
12.	भगोरा, श्री महावीर	165, 232, 239, 263
13.	भक्त, श्री मनोरंजन	187, 290
14.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	130, 196
15.	बरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	124
16.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	139, 207

1	2	3
17.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	174, 238
18.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	144
19.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	193, 251, 274
20.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	173
21.	चौधरी, श्री अधीर	172
22.	दासगुप्त, श्री गुरूदास	214, 253
23.	देवरा, श्री मिलिन्द	138, 206, 248, 272
24.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	167, 235, 265, 280, 285
25.	धोत्रे, श्री संजय	125, 231
26.	धूमल, प्रो. प्रेम कुमार	205
27.	फैन्थम, श्री फ्रांसिस	184
28.	गढ़वी, श्री पी.एस.	188
29.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	252, 275
30.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	125, 231
31.	हसन, चौ. मुनव्वर	140, 269
32.	हुसैन, श्री अनवर	141, 224, 259
33.	जगन्नाथ, डा. एम.	177
34.	झा, श्री रघुनाथ	216
35.	जिन्दल, श्री नवीन	264, 266
36.	जोगी, श्री अजीत	183, 214
37.	जोशी, श्री प्रहलाद	134, 199
38.	खैरे, श्री चंद्राकांत	185, 257
39.	खन्ना, श्री अविनाश राय	126, 192
40.	खारवेनथन, श्री एस.के.	135, 200, 244, 245, 270

1	2	3
41.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	129, 239, 257
42.	कृष्ण, श्री विजय	189
43.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	164
44.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	211
45.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	150, 220
46.	महतो, श्री नरहरि	136, 203, 229
47.	महताब, श्री भर्तृहरि	159, 224, 228, 261, 279
48.	मसूद, श्री रशीद	208
49.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	153
50.	मोहन, श्री पी..	213
51.	मंडल श्री अबू अयीस	163
52.	मुर्मू, श्री हेमलाल	146, 156
53.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	179
54.	निखिल कुमार, श्री	172
55.	ओराम, श्री जुएल	166, 233, 264
56.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	225, 229, 262
57.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	127, 194, 244, 258, 269
58.	पाण्डा, श्री प्रबोध	178, 241
59.	पटेल, श्री किशनभाई वी.	212, 252, 275, 283
60.	पाटिल, श्री डी.बी.	161
61.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	133
62.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	215

1	2	3
63.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	198, 288
64.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	251
65.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	155, 168
66.	राजगोपाल, श्री एल.	197, 249, 276
67.	रामकृष्ण, श्री बाडिगा	155, 225
68.	राव, श्री के.एस.	154, 223, 258, 277
69.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	164, 230
70.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	137, 204, 247, 271, 287
71.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	164, 171, 237
72.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	160
73.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	214, 253
74.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	209, 274
75.	साई प्रताप, श्री ए.	215
76.	सज्जन कुमार श्री	142
77.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	158, 190, 256
78.	शर्मा, डा. अरूण कुमार	162
79.	सरोज, श्री तूफानी	143
80.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	157, 215, 226
81.	सेन, श्रीमती मिनाती	169, 215
82.	सेठी, श्री अर्जुन	208, 210, 250, 273
83.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	147, 252
84.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	146

1	2	3
85.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	158, 227, 234, 268
86.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	128, 195, 257
87.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	132
88.	सिंह, श्री दुष्यंत	152, 221
89.	सिंह, श्री मोहन	170, 236
90.	सिंह, श्री रेवती रमन	186
91.	सिंह, श्री सुग्रीव	212, 252, 275, 283
92.	सिंह, श्री उदय	289
93.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	217
94.	सुब्बा, श्री एम.के.	124, 151, 191, 243
95.	सुमन, श्री रामजीलाल	211
96.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	193
97.	थामस, श्री पी.सी.	149
98.	तुम्मर, श्री वी.के.	209
99.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	133
100.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	145, 255, 218
101.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	181
102.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	158, 277, 260, 278, 284
103.	यादव, श्री गिरिधारी	193
104.	यादव, श्री मित्रसेन	219
105.	यादव, श्री राम कृपाल	151
106.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	175, 240, 266

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	28, 29, 31, 33, 34, 36, 39
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी		27, 40
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण		22, 24, 25, 30, 35
रक्षा	:	38
श्रम और रोजगार	:	21, 23, 26, 32
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	
जल संसाधन		37

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	126, 128, 129, 130, 132, 136, 142, 143, 144, 146, 149, 152, 155, 159, 160, 163, 165, 166, 173, 174, 176, 177, 181, 185, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 203, 204, 208, 221, 222, 224, 225, 228, 229, 233, 236, 240, 246, 247, 251, 254, 255, 259, 261, 262, 263, 271, 274, 276, 280, 286, 288, 289
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	125, 127, 131, 134, 137, 140, 145, 147, 151, 153, 178, 179, 182, 186, 188, 197, 199, 220, 238, 239, 241, 243, 250, 257, 267, 269, 270, 272, 277, 282, 284, 285, 287
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	158, 161, 167, 180, 189, 227, 231, 232, 260, 266, 278, 279, 281, 290
रक्षा	:	133, 138, 139, 150, 154, 164, 170, 171, 175, 184, 187, 205, 206, 207, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 230, 234, 235, 242, 245, 248, 268, 275
श्रम और रोजगार	:	141, 156, 162, 172, 183, 195, 217, 223, 244, 252, 264
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	201, 209, 258, 265, 283
जल संसाधन	:	124, 135, 148, 157, 169, 191, 211, 226, 237, 249, 253, 256, 273.

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस. - 28/2/2007/1929 (एन.)
232

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3 श्रीराम मार्ग, साउथ मौजपुर, दिल्ली-110 053 द्वारा मुद्रित।